सत्यमेव जयते
हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण

2019-20

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण

2019-20

आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग

हिमाचल प्रदेश

प्रस्तावना

आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पिछले 12 महीनों के विकास की समीक्षा करता है जोकि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का एक प्रमुख वार्षिक प्रकाशन भी है। यह प्रकाशन प्रमुख विकास कार्यक्रमों के प्रदर्शन को सारांशित करता है और लघु एवं मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था की सम्भावनाओं व सरकार की नीतिगत पहलों पर प्रकाश डालता है। यह प्रकाशन बजट सत्र के दौरान विधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकाशन की वर्ष 2019–20 की मुख्य विशेषताएं भाग–I में प्रस्तुत हैं और विभिन्न विषयों पर सांख्यिकी सारणी भाग–II में दर्शाई गई है।

पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश की आर्थिकी के लिए आवश्यक रुप से पढ़े जाने वाला प्रकाशन एवं हिमाचल की अर्थव्यवस्था जानने के लिए एक प्रमुख शैक्षणिक स्त्रोत बन गया है।

इस सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था की समीक्षा के अतिरिक्त गहन विश्लेषण एवं अनुसंधान के साथ–साथ नवीन नीतिगत विचार भी शामिल किए गए हैं। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण की विषय वस्तुओं पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं, और आशा करता हूॅ कि पाठकों को भी यह स्वीकार्य होगें। इस प्रकाशन पर नीति निर्माता, योजनाकार एवं शिक्षाविद बहुत निर्भर रहते हैं। यह विद्यार्थियों की पहली पसन्द रहता है जो विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेते हैं। इस प्रकाशन की पहुॅच सभी तक हो सुनिश्चित करने के लिए दोनों अंग्रजी एवं हिन्दी भाषा में www.https:himachalservices.nic.in/economics/in. पर अपलोड किया गया है।

मैं इस बात की प्रशंसा करता हूॅ कि सूचना एकत्रित करना अपने आप में एक गम्भीर एवं कठिन कार्य है जो विभागों के पूर्ण सहयोग के बिना सम्भव नहीं है। मैं सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा सरकारी उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूॅ।

मैं आर्थिक सलाहकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग और उनकी पूरी टीम को इस कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूॅ।

(प्रबोध सक्सेना, आई.ए.एस.)
प्रमुख सचिव (वित्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

आभारोक्ति

आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 परस्पर सहयोग और मिल जुल कर किए गए प्रयासों का परिणाम हैं। मैं श्री प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव और श्री अक्षय सूद, सचिव (वित्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी) हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रति उनके निरन्तर सहयोग, प्रेरणा तथा उच्च मूल्य नेतृत्व के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। जिनके वास्तविक प्रयास और मार्गदर्शन से ही इस विशाल कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए पूरी टीम को प्रोत्साहन मिला। इस सर्वेक्षण के संकलन में श्री अनिल खाची, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की टिप्पणियों व मूल्यवान सुझावों से भी लाभ हुआ।

मैं सर्वेक्षण के लिए आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली से डेटा और मेटा डेटा प्रदान करने में सक्रिय सहयोग और सर्मथन के लिए सम्बन्धित विभागों का आभार व्यक्त करता हूँ। आर्थिक सर्वेक्षण उनके मूल्यवान समय, वचनबद्धता और सम्बन्धित क्षेत्रों में किए गए योगदान के लिए कृतज्ञ हूँ।

इस सर्वेक्षण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों अनुपम शर्मा, चन्द्र मोहन शर्मा, बी.एस. बिष्ट, सुकीन दड़ोच, कुलविन्दर सिंह, रतनवीर आजाद, सुरेश वर्मा, अलका ठाकुर, घनश्याम शर्मा, योगराज गार्गे, सुशील कुमार, मृदुला सक्सेना, राकेश कुमार, हरमिन्दर सिंह, अश्विनी कुमार, मदन शर्मा, मधु बाला, रमा गुप्ता, राकेश कुमार–II, संजय शर्मा, गीतांजलि शर्मा और युबन्त लाल द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान से अत्यन्त लाभ हुआ है।

मै आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के कर्मचारियों विशेष रुप से उग्र सैन, आलौकिक शर्मा, केवल राम, लीला चौहान, धर्मेन्द्र और कुम्भ दास द्वारा दिए गए विशेष सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं हिमाचल प्रदेश प्रिटिंग प्रैस का भी आभारी हूँ, जिसने सर्वेक्षण को अंग्रेजी ओर हिन्दी संस्करण में निर्धारित समय सीमा में प्रकाशित करने का कार्य किया है।

अन्त में इस सर्वेक्षण की तैयारी में शामिल सभी लोगों के परिवारों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होने धैर्य और समझदारी का परिचय दिया और योगदानकर्ताओं को भावनात्मक और शारीरिक समर्थन के साथ–साथ इस कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया। परिवार वास्तव में बिना शर्त समर्थन के ऐसे स्तम्भ होते हैं जिनकी इस सर्वेक्षण के संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती हैं। इस सर्वेक्षण में ऐसे ईमानदार प्रयास किए गए हैं जिससे राज्य अर्थव्यवस्था को समझने और सम्बन्धित मागदर्शन प्राप्त हो सके।

यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने वाली टीम को जो संतुष्टि मिलती है वही उनके लिए उपहार है, कि उन्होने उन सभी पक्षों पर गहराई से विचार किया जो राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण थे और उन्हें इस सर्वेक्षण के माध्यम से दर्शाया। मैं अन्त में आशा करता हूँ कि यह सर्वेक्षण योजनाकारों और नीति निर्माताओं को आज के बदलते परिदृश्य और सम्बन्धित चुनौतियों से निपटने के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

इस प्रकाशन को बहुमूल्य बनाने के लिए टिप्पणियां/सुझाव भी आमंत्रित करता हूँ जोकि सराहनीय होगें। (ecostat-hp@nic.in).

(डा. विनोद कुमार राणा)
आर्थिक सलाहकार,
हिमाचल प्रदेश सरकार।

परिवर्णी शब्द

ए.ए.वाई.	अंत्योदय अन्न योजना
ए.सी.एन.ए.एस	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति
ए.जी.	कृषि मजदूर
ए.एम.आर.यू.टी.	कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन
ए.पी.एल.	गरीबी रेखा से ऊपर
ए.पी.वाई.	अटल पेंशन योजना
ए.एस.ई.आर..	शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति
बी.वोक.	बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज
बी.ई.	बजट का अनुमान
बी.पी.एल.	गरीबी रेखा के नीचे
सी.ए.एम.पी.ए.	क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण
सी.डी.आर.	साख जमा अनुपात
सी.ई.	कर्मचारियों को मुआवजा
सी.एफ.सी.	अचल पूंजी का उपभोग
सी.आई.एस.	स्टॉक में बदलाव
सी.एन.डी.ईज.	केंद्रीय गैर विभागीय उद्यम
सी.पी.आई.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सी.पी.आर.	सामान्य संपत्ति संसाधन
डी.ए.वाई.एन.आर.एल.एम.	दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डी.बी.टी.	**प्रत्यक्ष लाभ अंतरण**
डी.डी.यू.–जी.के.वाई.	**दीनदयाल उपाध्याय- ग्रामीण कौशल्या योजना**
डी.ई.	विभागीय उद्यम
डी.ई.डी.एस.	डेयरी उद्यमिता विकास योजना
डी.जी.वाई.	दुग्ध गंगा योजना
ई.ओ.डी.बी.	व्यापार करने में आसानी
एफ.आई.एस.आई.एम.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से मापी जाती हैं
एफ.आई.वी.आई.एम.एस.	खाद्य असुरक्षा और भेद्यता मानचित्रण प्रणाली
एफ.पी.ओ.	**किसान उत्पादक संगठन**
एफ.आर.ई.	पहले संशोधित अनुमान
एफ.एस.पी.एफ.	**फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड**
जी.सी.एफ.	सकल पूंजी निर्माण
जी.डी.आई.	सकल प्राप्य आय
जी.डी.पी.	सकल घरेलु उत्पाद
जी.एफ.सी.ई.	**सरकारी अंतिम उपभोग व्यय**
जी.जी.	सामान्य सरकार
जी.एन.डी.आई.	सकल राष्ट्रीय डिस्पोजेबल आय
जी.एन.आई.	सकल राष्ट्रीय आय
जी.एस.डी.पी.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**
जी.एस.वी.ए.	सकल राज्य मूल्य जोड़
जी.वी.ए.	सकल मूल्य जोड़
एच.एच.	परिवार
एच.आई.एम.यू.डी.ए.	हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण

एच.आई.पी.ए.	हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान
एच.पी.के.वी.एन.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम
एच.पी.एम.सी.	हिमाचल प्रदेश विपणन निगम
एच.पी.एस.सी.बी.	हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक
एच.पी.एस.सी.एस.सी.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
एच.पी.एस.डी.पी.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना
एच.पी.एस.ई.एस.	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसायटी
एच.पी.एस.आर.एल.एम.	हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
एच.आर.टी.सी.	हिमाचल सड़क परिवहन निगम
एच.वाई.वी.पी.	उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम
आई.सी.टी.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आई.टी.आईज.	**औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान**
आई.डब्लयू.	औद्योगिक श्रमिक
जे.आई.सी.ए.	**जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी**
के.सी.सी.	किसान क्रेडिट कार्ड
के.सी.सी.बी.	कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक
के.वी.आई.बी.	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
एम.डी.जीज.	सहस्राब्दि विकास लक्ष्य
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एम.एम.ए.आर.वाई.	मुखमन्त्री आवास मरम्मत योजना
एम.एम.के.ई.के.एम.जे.एस.वाई.	मुख मन्त्री किशन इवाम खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना
एम.एम.के.एस.वाई.	मुख मन्त्री खेत संरक्षण योजना
एम.एम.एन.पी.वाई.	मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस योजना
एम.एम.एस.वाई.	मुख्मंत्री स्वावलंबन योजना
एम.ओ.एस.पी.आई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एम.ओ.यूज.	अधोहस्ताक्षरी ज्ञापन
एम.एस.एम.ई.	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम
एन.ए.एस.	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी
एन.ए.एस.एस.सी.ओ.एम.	नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज
एन.बी.एफ.आई.	गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान
एन.सी.ई.आर.टी.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एन.डी.ई.	गैर-विभागीय उद्यम
एन.डी.पी.	शुद्ध घरेलू उत्पाद
एन.ई.जी.पी.	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
एन.एफ.एच.एस.	**राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण**
एन.एफ.आई.	नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया
एन.एफ.एस.ए.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एन.एल.एम.	राष्ट्रीय पशुधन मिशन
एन.एम.ए.ई.टी	कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन
एन.एम.एस.ए.	सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन
एन.एन.डी.आई.	शुद्ध राष्ट्रीय प्राप्य आय
एन.एन.आई.	शुद्ध राष्ट्रीय आय
एन.आर.एल.एम.	**राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन**
एन.आर.यू.एमण	राष्ट्रीय रुर्बन मिशन
ए.एस.डी.पी.	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

एन.एस.ओ.	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
एन.यू.एल.एम.	**राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन**
एन.वी.ए.	शुद्ध मूल्य जोड़
ओ.एस.	संचालन अधिशेष
पी.ए.सी.एस.	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ
पी.सी.	निजी कॉर्पोरेट
पी.सी.आई.	**प्रति व्यक्ति आय**
पी.ई.	अनंतिम अनुमान
पी.एफ.सी.ई	**निजी अंतिम उपभोग व्यय**
पी.के.के.के.वाई.	प्राकृत खेति खुशाल किसान योजना
पी.एम.एफ.जी.पी.	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पी.एम.ए.बी.वाई.	प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना
पी.एम.जे.डी.वाई.	प्रधानमंत्री जन धन योजना
पी.एम.जे.जे.बी.वाई.	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पी.एम.के.वी.वाई.	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पी.एम.एम.वाई.	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पी.एम.एस.बी.आई.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पी.पी.वाई.	सरकारी निजी कंपनी भागीदारी
आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
आर.सी.एच.	प्रजनन बाल स्वास्थ्य
आर.ई.	संशोधित अनुमान
आर.ई.आर.ए.	रियल स्टेट रेगुलेटरी एक्ट
आर.जी.एम.	राष्ट्रीय गोकुल मिशन
आर.आई.डी.एफ.	ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष
आर.के.वी.वाई.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आर.एम.एस.ए.	राष्ट्री मध्यमात्मक शिक्षा अभियान
आर.ओ.डब्लयू	शेष विश्व
आर.आर.बी.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आर.एस.ई.टी.आईज.	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
एस.ए.जी.वाई.	सासंद आदर्श ग्राम योजना
एस.सी.ई.आर.टी.	स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग
एस.सी.एम.	स्मार्ट सिटी मिशन
एस.डी.जीज.	**सतत विकास लक्ष्यों**
एस.डी.पी.	**राज्य घरेलू उत्पाद**
एस.एच.जी.	स्वयं सहायता समूह
एस.एल.बी.सी.	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
एस.पी.एम.आर.एम.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन
एस.आर.ई.	दूसरा संशोधित अनुमान
एस.यू.आई.एस.	**स्टैंड-अप इंडिया योजना**
टी.डी.एफ.	**जनजातीय विकास निधि**
टी.पी.डी.एस.	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
यू.सी.यू.वाई.	**उत्तम चारा योजना**
यू.एन.ई.एस.सी.ओ.	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
डब्ल्यू.पी.आई.	थोक मूल्य सूचकांक
जैड.बी.एन.एफ	शून्य बजट प्राकृतिक खेती

विषय-सूची

अध्याय सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
	प्रस्तावना	
	आभारोक्ति	
	परिवर्णी शब्द	
1	**सामान्य समीक्षा**	1–9
	दीर्घकालीन दृष्टिकोण	1
	अवलोकन: भारतीय अर्थव्यवस्था	1
	अवलोकन: हिमाचल प्रदेश अर्थव्यवस्था	3
2	**राज्य की आय, सार्वजनिक वित्त और कराधान**	10–22
	राज्य की अर्थव्यवस्था	10
	स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान	10
	चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान	13
	प्रति व्यक्ति आय	14
	संभावनाएं- 2019-20	15
	सार्वजनिक वित्त एवं कराधान	16
	राजकोषीय स्थिति और मापदण्ड	17
	राजकोषीय संकेतक की प्रवृत्ति	20
	व्यय की प्रवृत्ति	20
3	**निवेश और पहल**	23–32
	राइजिंग हिमाचल 2019 के बारे में	23
	हिमाचल प्रदेश प्रथम ग्लोबल इनवैस्टर मीट– 2019	24
	नीति और सुधार	25
	सफलता की कहानी	28
4	**सतत विकास लक्ष्य**	33–41
	लक्ष्य-अवलोकन एवं पृष्ठभूमि	33
	नोडल विभागों की पहचान के साथ सतत विकास लक्ष्य से जुड़ाव	36
	राज्य दृष्टिपत्र का विकास-2030	36
	प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मॉड्यूल का विकास	36
	सतत विकास लक्ष्यों पर क्षमता निर्माण और संवेदीकरण	36
	सतत विकास लक्ष्यों को लोकप्रिय बनाना	37
	लक्ष्य एवं संकेतक की निगरानी	37
	उपलब्धियों की वर्तमान स्थिति	38
	सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास	39

	सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा	40
5	**संस्थागत और बैंक वित्त**	**42—53**
	वित्तीय समावेशन पहल	44
	हिमाचल प्रदेश में वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति	44
	सरकारी प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन	48
	नाबार्ड	50
	नाबार्ड की कृषि क्षेत्र में पहल	52
	नाबार्ड की नए व्यवसायों में पहल	53
6	**मूल्य संचलन और खाद्य प्रबंधन**	**54—64**
	मुद्रास्फीति में वर्तमान रुझान	54
	मुद्रास्फीति के चालक	58
	आवश्यक वस्तु की कीमतों में परिवर्तनशीलता	58
	खाद्य सुरक्षा एवं **नागरिक आपूर्ति**	59
	राज्य के जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा	62
	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	63
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन	64
7	**कृषि, बागवानी और संबद्ध सेवाएँ**	**65—96**
	कृषि	65
	मानसून 2019	66
	फसल निष्पादन 2018-19	67
	फसल संभावनाएं 2019-20	67
	बागवानी	76
	हिमाचल प्रदेश विपणन निगम	80
	पशुपालन और डेयरी	81
	मिल्कफेड के नवाचार	87
	मत्स्य और मत्स्य पालन	89
	वन	91
	कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का अवलोकन	96
8	**जल संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण**	**97—102**
	पीने का पानी	97
	सिंचाई	98
	पर्यावरण विज्ञान एवं **प्रौद्योगिकी**	99
	पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण विज्ञान एवं **प्रौद्योगिकी विभाग की पहल**	101
	जैव संसाधनों का संरक्षण	102
9	**उद्योग और खनन**	**103—106**
	उद्योग	103

	औद्योगीकरण की स्थिति	103
	औद्योगिक क्षेत्र में रुझान	103
	रेशम उत्पादन उद्योग	104
	खनन	105
	व्यापार करने में आसानी	105
10	**श्रम और रोजगार**	**107—113**
	रोज़गार	107
	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	110
11	**ऊर्जा**	**114—121**
	ऊर्जा	114
	हिमऊर्जा	119
	महत्वपूर्ण नीतिगत पहल	121
12	**पर्यटन और परिवहन**	**122—129**
	पर्यटन	122
	सतत पर्यटन	123
	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	124
	परिवहन और संचार	125
	परिवहन नीति - 2014	128
13	**सामाजिक क्षेत्र**	**130—149**
	शिक्षा	130
	प्राथमिक शिक्षा	130
	प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्य प्रायोजित योजनाएँ	132
	पूर्व प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता एवं उद्देश्य	133
	वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा	133
	माध्यमिक / उच्च शिक्षा राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाएं	134
	संस्कृत शिक्षा का विस्तार	135
	तकनीकी शिक्षा	139
	स्वास्थ्य	141
	राज्य में स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यक्रम	142
	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	143
	आयुर्वेद	144
	समाज कल्याण कार्यक्रम	145
	एससी / एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए राज्य की विभिन्न योजनाएँ	146
	हिमाचल प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र के खर्च के प्रवाह	148
14	**ग्रामीण विकास और पंचायती राज**	**150—157**
	ग्रामीण विकास	150

	पंचायती राज	156
15	**आवास और शहरी विकास**	**158–164**
	आवास	158
	हिमुडा की पहल	158
	शहरी विकास	159
	नगर और ग्राम नियोजन विभाग द्वारा पहल	162
	रियल एस्टेट नियामक अधिनियम	163
16	**सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी**	**165–169**
	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	165
	नई पहल	169

भाग-I

आर्थिक सर्वेक्षण

2019-20

सामान्य समीक्षा

1 अध्याय

दीर्घकालीन दृष्टिकोण

भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार एक सत्त प्रक्रिया है और विभिन्न मंत्रालय और विभाग आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए सरकार के रणनीतिक कार्यक्रमों और नीतियों को लागू कर रहे हैं। आर्थिक नीति निर्माण सरकार (उर्ध्वगामी) में नीचे के स्तर से ऊपर की ओर प्रक्रियाओं का उपयोग कर रही है। इसकी प्राथमिकताओं में "15 वर्षीय रोड मैप", "7 वर्षीय दृष्टि और रणनीति और कार्य योजना" शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। अन्य विषयों में महत्वपूर्ण प्राथमिकता "मेक इन इंडिया", "स्टार्टअप इंडिया" और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को दी गई है। सरकार का उद्देश्य मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके अनुकूल वातावरण बनाना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति और प्रक्रियाओं का सरलीकरण उदार बनाया गया है। अन्य मापदण्डों में टेक्सटाइल उद्योग के लिए पैकेज, उज्ज्वल DISCOM आश्वासन योजना (UDAY) जैसी योजनाओं के माध्यम से परिवहन क्षेत्र और बिजली क्षेत्र के लिए उपाय शामिल हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) ने व्यापार, व्यवसाय और संबंधित आर्थिक गतिविधियों में बाधाओं को कम करके विकास की गति में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। वर्ष 2018–19 में सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। बैंकों के पुर्नपूंजीकरण का कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पूंजी को बढ़ाना है, जिससे उनके ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होने की उम्मीद है। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम. ई.) के विकास और विस्तार में मद्द के लिए एक सहायता और उनकी पहुंच में होने वाली योजना की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अन्य प्रयास में कुशल वित्तीय मध्यस्थता, विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से व्यापक आर्थिक स्थिरता हेतु देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरु किए गए हैं।

अवलोकनः भारतीय अर्थव्यवस्था

1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था में निरंतर गिरावट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वृद्धि को निरन्तर जारी रखा है। यह स्थिरता घरेलू नीतिगत विकास के साथ ही विदेशी नीतियों के सुशासन के फलस्वरुप है। विभिन्न सुधारों के फलस्वरुप भारतीय अर्थव्यवस्था की सत्त वृद्धि पिछले 5 वर्षों (2014 के बाद) से औसत 7.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उच्च रही है।

1.2 भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2018–19 में, पिछले वर्ष 2017–18 की वृद्धि दर की तुलना में कुछ कमी के साथ 6.1 प्रतिशत की रही। यह कमी मुख्य रुप से "कृषि और संबद्ध सेवाएं" "वानिकी",

"खनन उत्खनन", "विनिर्माण", "विद्युत, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं और सार्वजनिक प्रशासन व रक्षा और अन्य क्षेत्र में कम वृद्धि के परिणामस्वरुप रही है।

1.3 भारतीय अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018–19 में ₹139.81 लाख करोड़ आंका गया है जोकि वर्ष 2017–18 में ₹131.75 लाख करोड़ था। प्रचलित भाव पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2018–19 में 11.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 189.71 लाख करोड़ आंका गया है, जोकि वर्ष 2017–18 में ₹170.98 लाख करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थिर भाव (आधार 2011–12) के अनुसार सकल मूल्य संवर्धन में वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018–19 में 6.0 प्रतिशत रही।

स्थिर कीमतों पर सकल घ्मूल्य सवर्धन वृद्धि

उद्योग (आधार वर्ष 2011–12)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि दर	
	2017–18	2018–19
1. कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	5.9	2.4
2. खनन और उत्खनन	4.9	-5.8
3. विनिर्माण	6.6	5.7
4. विद्युत, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	11.2	8.2
5. निर्माण	5.0	6.1
6. व्यापार होटल, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	10.0	8.5
7. वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	4.6	7.6
8. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	9.9	9.4
स्कल मूल्य वर्धित	**6.6**	**6.0**

1.4 प्रचलित समग्र वृहद आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की कहानी को मजबूत करती है और यह चक्रीय कारकों से अपेक्षाकृत अछूता है। वर्ष 2018–19 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2017–18 की तुलना में थोड़ी कम रही और इस कम वृद्धि के मुख्य कारण कृषि, वानिकी और मछली पालन (2.4 प्रतिशत), खनन और उत्खनन (-5.8 प्रतिशत), विनिर्माण (5.7 प्रतिशत), विद्युत, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिता (8.2 प्रतिशत), व्यापार होटल, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं (8.5 प्रतिशत) और सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य उपयोगिताएं सेवाएं (9.4 प्रतिशत) में वृद्धि दर कम रहना है।

1.5 अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर वित्तीय वर्ष 2019–20 में 5.0 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

1.6 वर्ष 2017–18 में प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय ₹1,15,293 थी जो वर्ष 2018–19 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹1,26,521 हो गई। स्थिर भाव (2011-12) के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2017–18 में ₹87,828 से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 92,085 हो गई है।

1.7 मुद्रास्फीति प्रबन्धन सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। मुद्रास्फीति वर्ष दर वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाती है जोकि चालू वित्त वर्ष 2019–20 (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान अधिकतर समय 3 प्रतिशत से नीचे बनी रही। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दिसम्बर, 2018 में 3.46

प्रतिशत से घटकर दिसम्बर, 2019 में 2.6 प्रतिशत रही। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (समस्त भारत) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2018–19 में 5.6 प्रतिशत रही जोकि वर्ष 2017–18 में 2.9 प्रतिशत थी।

अवलोकनः हिमाचल प्रदेश अर्थव्यवस्था

1.8 हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्यों के लोंगों की त्वरित प्रगति और बेहतर जीवन के लिए केन्द्र सरकार से तालमेल रखते हुए कई कुशल नीतियां बनाई है। हिमाचल प्रदेश अपने साधारण, मेहनतकश लोगों व प्रगतिशील नीतियों ओर कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के कारण देश में सबसे अधिक सम्पन्न तथा तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रुप में जानी जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य की अर्थव्यवस्था के 5.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने की सम्भावना है।

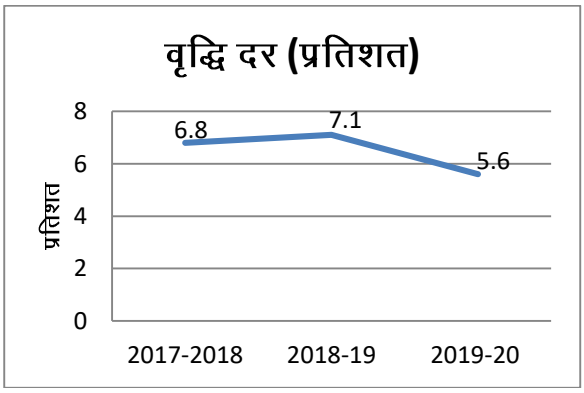

1.9 द्वितीय संशोधित अनुमानों के अनुसार, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, प्रचलित भावों पर वर्ष 2017–18 में ₹1,38,351 करोड़ से 11.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2018–19 में ₹1,53,845 करोड़ रहने का अनुमान है। स्थिर भाव (2011-12) पर वर्ष 2017–18 में ₹1,10,034 करोड़ से 7.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2018–19 में ₹1,17,851 करोड़ रहा, जोकि गत वर्ष में 6.8 प्रतिशत थी। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि मुख्यतः सामुदायिक व व्यैक्तिक सेवाओं 13.3 प्रतिशत, वित्तीय व स्थावर सम्पदा में 7.3 प्रतिशत, यातायात व व्यापार 4.6 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्र 8.2 प्रतिशत, निर्माण 8.0 प्रतिशत तथा विद्युत, गैस, व जलापूर्ति 7.3 प्रतिशत के कारण सम्भव हुई है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में 1.7 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्वि रही। खाद्य उत्पादन वर्ष 2017–18 में 15.81 लाख मी.टन से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 16.92 लाख मी.टन रहा जबकि वर्ष 2019–20 में 16.36 लाख मी.टन का लक्ष्य है। फल उत्पादन वर्ष 2018–19 में 12.4 प्रतिशत की कमी के साथ 4.95 लाख मी.टन रहा जोकि वर्ष 2017–18 में 5.65 लाख मी.टन था तथा वर्ष 2019–20 में (दिसम्बर, 2019) तक उत्पादन लगभग दोगुना 7.07 लाख मी.टन है।

1.10 वर्ष 2017–18 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर ₹1,65,025 से बढ़कर प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018–19 में ₹1,83,108 हो गई जोकि 11.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

1.11 अग्रिम अनुमानों के अनुसार तथा दिसम्बर, 2019 की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत वर्ष 2019–20 में विकास दर **5.6** प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

सारणी–1.1
मुख्यसूचक

सूचक	2017–18	2018–19	2017–18	2018–19
	कुल पूर्ण मान		पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)				
क) प्रचलित भावों पर	1,38,351	1,53,845	10.1	11.2
ख) स्थिर भावों पर	1,10,034	1,17,851	6.8	7.1
खाद्यान उत्पादन (लाख टन)	15.81	16.92	1.15	7.0
फलोत्पादन (लाख टन)	5.65	4.95	(-)7.6	(-)12.4
उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य, संवर्धन (₹करोड़ में)*	38,141	42,191	12.2	10.6
विद्युत उत्पादन (मिलियन युनिट)	1941.32	1955.50	21.6	0.8
थोक भाव सूचकांक #	115	120	2.9	4.3
श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मल्य सूचकांक (हि.प्र.)	256	264	4.1	3.1

***प्रचलित भाव पर # आधार 2011–12**

1.12 प्रदेश की अर्थव्यवस्था जोकि मुख्यतः कृषि व सम्बन्धित क्षेत्रों पर ही निर्भर है। अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र से उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में रूझान पाया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान जो वर्ष 1950–51 में 57.9 प्रतिशत था तथा यह घटकर 1967–68 में 55.5 प्रतिशत था। 1990–91 में 26.5 प्रतिशत और 2018–19 में 8.4 प्रतिशत रह गया है।

1.13 उद्योग व सेवा क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान 1950–51 में क्रमशः 1.1 व 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 1967–68 में 5.6 व 12.4 प्रतिशत, 1990–91 में 9.4 व 19.8 प्रतिशत और 2018–19 में 29.8 व 44.0 प्रतिशत हो गया। शेष क्षेत्रों में 1950–51 के 35.1 प्रतिशत की तुलना में 2018–19 में घटकर 26.2 प्रतिशत रह गया।

1.14 कृषि क्षेत्र के घट रहे अंशदान के बावजूद भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की महत्ता पर कोई असर नहीं पड़ा। राज्य की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का विकास अधिकतर कृषि तथा उद्यान उत्पादन द्वारा ही निर्धारित होता है और सकल घरेलू उत्पाद में भी इसका मुख्य योगदान रहता है। अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव रोजगार, अन्य लागत, व्यापार तथा परिवहन सम्बद्धताओं के कारण रहा है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हमारा कृषि उत्पादन अभी भी मुख्यतः सामयिक वर्षा व मौसम स्थिति पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा भी इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

1.15 राज्य ने फलोत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विविध जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, गहन और उपयुक्त निकासी वाली भूमि तथा भू–स्थिति में

भिन्नता एवं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में समशीतोषण से उप्पोषण कटिबन्धीय फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। प्रदेश का क्षेत्र फलोत्पादन में सहायक व सम्बन्धी उत्पाद जैसे फूल, मशरूम, शहद और हॉप्स की पैदावार के लिए भी उपयुक्त है।

1.16 वर्ष 2019–20 में (दिसम्बर, 2019 तक) 7.07 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ। इस वर्ष 1,950 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र फलों के अधीन लाने का लक्ष्य है जबकि दिसम्बर, 2019 तक 2,113 हैक्टेयर क्षेत्र फलों के अधीन लाया जा चुका है तथा इसी अवधि में 5.28 लाख विभिन्न प्रजातियों के फलों के पौधों का वितरण किया गया। प्रदेश में बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2018–19 में 17.22 लाख टन सब्जी उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2017–18 में 16.92 लाख टन का उत्पादन हुआ था जो कि 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2019–20 में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन 16.56 लाख टन होने का अनुमान है।

1.17 हिमाचल प्रदेश सरकार मौसम परिवर्तन से तालमेल बिठाने हेतु महत्वाकांक्षी योजना पर काम रही है। राज्य की कार्य योजना में मौसम परिवर्तन से सम्बन्धित संस्थागत क्षमता का सृजन तथा क्षेत्रवार गतिविधियों को अमल में लाना है।

1.18 प्रदेश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने राज्य में निरन्तर निर्बाध विद्युत की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, संचारण तथा वितरण को बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण पग उठाए गए हैं। ऊर्जा संसाधन के रूप में जलविद्युत आर्थिक रूप से व्यवहारिक, प्रदूषण रहित तथा पर्यावरण के अनुकूल है। इस क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए राज्य की विद्युत नीति सभी पहलुओं जैसे कि अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन, संरक्षण की क्षमता, उपलब्धता, वहन करने योग्य, दक्षता, पर्यावरण संरक्षण व प्रदेश के लोगों को रोज़गार सुनिश्चित करने पर जोर देती है और निजी क्षेत्रों के योगदान को भी प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रदेशवासी निवेशकों के लिए केवल (2 मैगावाट तक के) लघु परियोजनाओं को आरक्षित रखा गया है और 5 मैगावाट की परियोजनाओं तक उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

1.19 पर्यटन, अर्थव्यवस्था की वृद्धि का एक प्रमुख साधन है तथा राजस्व प्राप्ति का एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत है तथा विविध प्रकार के रोज़गारों का जनक है। राज्य सरकार ने पर्यटन विकास के लिए उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं की संरचना की है जिनमें नागरिक सुविधाओं का प्रावधान, सड़क मार्ग, दूरसंचार तंत्र, विमानपत्तन, यातायात सुविधाएं, जलापूर्ति तथा नागरिक सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप उच्च–स्तरीय प्रचार से घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों के आगमन में पिछले कुछ वर्षों के दौरान महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है जिसका विवरण निम्न दिया गया है।

तालिका
पर्यटकों का आगमन (लाखों में)

वर्ष	भारतीय	विदेशी	कुल
2005	69.28	2.08	71.36
2006	76.72	2.81	79.53
2007	84.82	3.39	88.21
2008	93.73	3.77	97.50
2009	110.37	4.01	114.38
2010	128.12	4.54	132.66
2011	146.05	4.84	150.89
2012	156.46	5.00	161.46
2013	147.16	4.14	151.30
2014	159.25	3.90	163.15
2015	171.25	4.06	175.31
2016	179.98	4.53	184.51
2017	191.31	4.71	196.02
2018	160.94	3.56	164.50
2019	168.29	3.83	172.12

1.20 वर्ष 2020–21 की वार्षिक योजना ₹7900.00 करोड़ की निर्धारित की गई है जोकि वर्ष 2019–20 से 11.3 प्रतिशत अधिक है।

1.21 मूल्य नियन्त्रण सरकार की हमेशा प्रमुखता सूची में रहा है। हि0प्र0 श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 2019) में 4.7 प्रतिशत रहा।

1.22 सामाजिक कल्याण कार्यक्रम राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है। लोक सेवाओं के संचालन हेतु सरकार द्वारा लगातार एवं ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण पुर्नउत्थान के अन्तर्गत मुख्य उपलब्धियां:–

- **शिखर की ओर हिमाचल** : राज्य सरकार के कार्यकलापों को समझने/ जानने के लिए मोबाईल एप "शिखर की ओर हिमाचल" शुरु की गई।
- **माय गांव पोर्टल:** जन भागीदारी द्वारा प्रगति और उन्नति के लिए "माय गांव पोर्टल" की शुरुआत की गई।
- **हिमाचल प्रदेश मेधा प्रोत्साहन योजना:** सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 12वीं व स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को ₹1.00 लाख की सहायता राशि दी जा रही है।
- **हिमाचल प्रदेश एकल उपयोग प्लास्टिक खरीद योजना:** महात्मा गॉधी की 150वीं जयंती पर 2019 में एकल उपयोग में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक व पुर्नचक्रित न होने वाले बेकार पदार्थों के उन्नमूलन के लिए लागू की गई तथा ₹75 प्रतिकिलो के हिसाब से पुनः खरीद योजना लागू की गई।
- **मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन (डायल 1100):** लोगों की समस्याओं का समाधान करने और मुख्यमंत्री से सीधे संवाद हेतु ई– मेल आई डी cmoffice-hp@gov.in मुफ्त सुविधा प्रारम्भ की गई।
- **हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना:** (हिमकेयर) इस योजना के तहत 5.50 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है तथा 54,282 लाभार्थियों ने कैशलैस उपचार का लाभ उठाया है।
- **हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना:** इस योजना के तहत वर्ष 2018–19 व दिसम्बर, 2019 तक 2,64,115 मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए गए।

- **बेटी है अनमाल योजनाः** यह योजना, बेटियों के जन्म से जुड़े समाज में फैले नकारात्मक रवैये को समाप्त करने व उन्हें पाठशाला में दाखिला दिलवाने व उन्हें वहां बनाए रखने के उद्देश्य से लाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों में जन्मी बच्चियों (दो बच्चियों तक सीमित) के जन्म पर ₹1200 प्रति बालिका की दर से प्रदान किए जाते हैं तथा पहली कक्षा से स्नातक स्तर की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत दिसम्बर, 2019 तक जन्म लेने वाली 2,420 बालिकाओं तथा 17,680 बेटियों को छात्रवृतियां प्रदान करने पर ₹854.73 लाख खर्च किए गए हैं।
- **मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत असहाय व गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं को प्रतिवर्ष प्रति शिशु ₹6,000 की राशि प्रदान की जा रही है।
- **मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत गरीब बेटियों की शादी पर उसके अभिभावकों को ₹51,000 की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2019 तक 1,039 लाभार्थियों को ₹434.10 लाख खर्च किए जा चुके हैं।
- **मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजनाः** युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने मशीनों की खरीद पर पुरुष उद्यमी को 25 प्रतिशत तथा महिला उद्यमी को 30 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला किया है।
- **मुख्यमंत्री स्टार्ट–अप योजनाः** के तहत प्रदेश के 8 उष्मायन केन्द्रों में 27 'स्टार्ट–अप' आरम्भ किए गए और 3 होनहार उद्यमियों को पुरस्कृत किया गया है तथा उन्हें 3 वर्षों तक निरीक्षण से राहत प्रदान की जाएगी।
- **जनमंच योजनाः** इस योजना की शुरुआत 3 जून, 2018 को जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने व उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए आयोजित किया जाता है। अब तक 68 विधान सभा क्षेत्रों के 181 जनमंचों को आयोजन किया जा चुका है, जिसमें आज तक 45,708 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 41,698 (91 प्रतिशत) शिकायतों का मौके पर ही निवारण किया गया।
- **सामाजिक सुरक्षा योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन ₹850 प्रतिमाह उन पात्र व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक तथा उसकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को ₹1,500 प्रतिमाह पेन्शन बिना किसी मापदण्ड के प्रदान की जा रही है।
- **स्वच्छ भारत अभियानः** हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति को अपनाते हुए

शहरों को अपशिष्ट मुक्त किया जा रहा है।

- **स्मार्ट सिटी अभियानः** इस योजना का उद्देश्य मूल अवसंरचना प्रदान करने वाले शहरों को बढ़ावा देना और इसके नागरिकों को स्वच्छ एवं शुद्व वातावरण तथा स्मार्ट सॉल्यूशंस के द्वारा अच्छी गुणवत्ता युक्त जीवनयापन प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और शिमला शहर को शामिल किया गया है।
- **हि0 प्र0 नई राशन कार्ड ऑनलाईन योजना** : इस योजना के अन्तर्गत वह सभी लोग जिनका नाम हि0 प्र0 नई राशन कार्ड सूची में नहीं है तो वह इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए himachalform.nic.in का उपयोग करके ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
- **मुख्यमंत्री बाल उधार योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत बच्चों की देखभाल के लिए "बाल देखभाल संस्थानों" में रहने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना द्वारा दिसम्बर, 2019 तक ₹ 250.62 लाख की राशि खर्च की जा चुकी है।
- **बाल बालिका सुरक्षा योजना और पालक देखभाल कार्यक्रम योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत बच्चों के रख–रखाव और पालने के लिए उनके अभिभावकों को ₹2,000 और इसके अतिरिक्त ₹300 प्रति माह प्रति बच्चा मंजूर किया गया है और 960 बच्चों को दिसम्बर, 2019 तक ₹248.70 लाख वितरित किया गया है।
- **महिलाओं के लिए स्वरोजगार सहायताः** इस योजना के अन्तर्गत ₹35,000 से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं द्वारा आय सृजन की गतिविधियों के लिए ₹ 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ओर दिसम्बर, 2019 तक 104 महिलाओं को ₹ 5.20 लाख की राशि प्रदान की गई।
- **विशेष महिला उत्थान योजनाः** यह योजना ऊना जिले में शारीरिक व यौन दुर्व्यवहार पीड़ित महिलाओं के प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए है और ₹ 112 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ प्रत्येक प्रशिक्षु को प्रतिमाह ₹3,000 की राशि प्रदान की जाती है।
- **सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेशः** इस योजना के अन्तर्गत सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन बालिकाओं/किशोरी बालिकाओं के विरुद्ध अपराध, सुरक्षा, उत्थान और अपराध के संरक्षण के लिए नीति की सिफारिश करने के लिए किया गया है।
- **एक बूटा बेटी के नामः** इस योजना के अन्तर्गत लोगों को बेटियों के महत्व और वन संरक्षण के बारे में जागरुक करने के लिए शुरु किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत एक पौधा/ एक पौधा किट कन्या के जन्म के समय माता–पिता को प्रदान किया जाएगा।

- **उत्तम पशु पुरस्कार योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा किसानों (पशुपालकों) को अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और किसानों को एक दिन में 15 लीटर या इससे अधिक दूध उत्पादन करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।
- **प्रति व्यक्ति आयः** राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018–19 में वर्ष 2017–18 से 11 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹1,83,108 हो गई तथा वर्ष 2019–20 में इसके ₹1,95,255 होने का अनुमान है।
- **प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत 2.0 हैक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को प्रतिवर्ष ₹6,000 दिए जा रहे हैं।
- **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत् 3.08 लाख परिवारों को स्वर्ण कार्ड मिले हैं और 43,813 रोगियों ने कैशलैस उपचार का लाभ उठाया है।
- **जन धन योजनाः** यह योजना ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के प्रत्येक भारतीय को बैंकिंग की मुख्यधारा से जोड़ने की है। यह खाताधारकों की वित्तीय जरुरतों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के सामाजिक सुरक्षा लक्ष्यों को बढ़ावा देगी।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः** यह योजना 28 फरवरी, 2016 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरु की गई जिसमें किसानों के उत्पाद को बीमाकृत करने हेतु **"एक देश एक योजना"** के अन्तर्गत पहले से चल रही दो योजनाओं "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" तथा "संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" के स्थान पर प्रारम्भ की गई।
- **प्रधानमंत्री आवास योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत् 759 लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं और 65 घरों को दिसम्बर, 2019 तक पूरा कर लिया गया है।
- **माहत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटीः** इस अधिनियम के अन्तर्गत 4,47,773 परिवारों को रोजगार देकर ₹181.74 लाख मानव दिवस सृजित किए गए।

राज्य की आय, सार्वजनिक वित्त व कराधान

2 अध्याय

राज्य की अर्थव्यवस्था

2.1 सरकार ने उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखने के महत्व को देखते हुए तथा निरंतर विकास बनाए रखने के लिए नई नीतियों को अपनाया है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के साथ–साथ सरकार सभी प्रमुख उप क्षेत्रों पर विशेष रूप से अधिक जोर दे रही है। अर्थव्यवस्था के इन अनुमानों से अर्थव्यवस्था में एक अवधि में होने वाले परिवर्तनों की सीमा और दिशा का पता चलता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार संरचना अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की एक समयावधि में इनकी सापेक्ष स्थिति के बारे में बताती है, जो न केवल अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाता है अपितु समस्त अर्थव्यवस्था के विकास हेतु योजना बनाने में भी सहायक होती है।

स्थिर कीमतों (2011–12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान

2.2 स्थिर कीमतों पर हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2017–18 (द्वितीय संशोधित अनुमान) में ₹ 1,10,034 करोड़ था जोकि 2018–19 (प्रथम संशोधित अनुमान) में ₹ 1,17,851 करोड़ अनुमानित है। 2018–19 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रही जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत है।

अर्थव्यवस्था को तीन विस्तृत क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:

प्राथमिक क्षेत्र

2.3 प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, बागवानी, पशुधन, वानिकी एवं लठ्ठे, मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन उप क्षेत्र शामिल हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में, जिस पर लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या निर्भर करती है, 1.7 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है जोकि वर्ष 2018–19 के (प्रथम संशोधित अनुमान) स्थिर कीमतों पर (वर्ष 2011–12) सकल मूल्य वर्धन ₹ 13,967 करोड़ हुआ है यह पिछले वर्ष 2017–18 में (द्वितीय संशोधित अनुमान) ₹14,211 करोड़ था। हिमाचल प्रदेश में बागवानी, कृषि क्षेत्र का उप क्षेत्र नहीं रहा है क्योंकि इसने मूल्य वर्धन के मामले में कृषि क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है। पशुधन क्षेत्र आय को बढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक और भरोसेमंद स्त्रोत के रूप में उभरा है। वर्ष में 2018–19 में दुग्ध उत्पादन में 4.88 प्रतिशत, मांस में 2.42 प्रतिशत और अण्डों में 2.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जोकि पशुधन क्षेत्र में 9.7 प्रतिशत और मत्स्य क्षेत्र में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। वानिकी एवं लठ्ठे बनाने के क्षेत्र एवं खनन और उत्खनन में वर्ष 2018–19 (प्रथम संशोधित अनुमान) में वृद्धि दर क्रमशः 1.4 प्रतिशत और (–)9.7 प्रतिशत दर्ज की गई है।

गौण अथवा औद्योगिक क्षेत्र

2.4 औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण (संगठित और असंगठित), विद्युत, गैस, जलापूर्ति और निर्माण क्षेत्र शामिल हैं। स्थिर (2011–12) कीमतों पर वर्ष, 2018–19 के लिए (पहले संशोधित अनुमान के अनुसार) औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन ₹ 52,693 करोड़ हुआ है, जोकि 2017–18 (द्वितीय संशोधित अनुमान) में ₹ 48,787 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र

2.5 सेवा क्षेत्र की राज्य सकल मूल्य वर्धन में निरंतर वृद्धि हो रही है। सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल तथा रेस्तरां, परिवहन के अन्य साधन, भंडारण, संचार, बैंकिंग और बीमा, स्थावर सम्पदा और व्यावसायिक सेवाओं, सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं ने पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018–19 (प्रथम संशोधित अनुमान) में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि की है। सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन वर्ष 2018–19 प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार ₹45,083 करोड़ अनुमानित है, जो वर्ष 2017–18 (द्वितीय संशोधित अनुमान) में ₹41,516 करोड़ था। व्यापक क्षेत्रवार सकल मूल्य वर्धन स्थिर कीमतों पर निम्न दर्शाया गया है:–

प्राथमिक क्षेत्र 2018–19 (प्रथम संशोधित अनुमान) में सकल मूल्य वर्धन ₹13,967 करोड़, वृद्धि (–)1.7 प्रतिशत

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

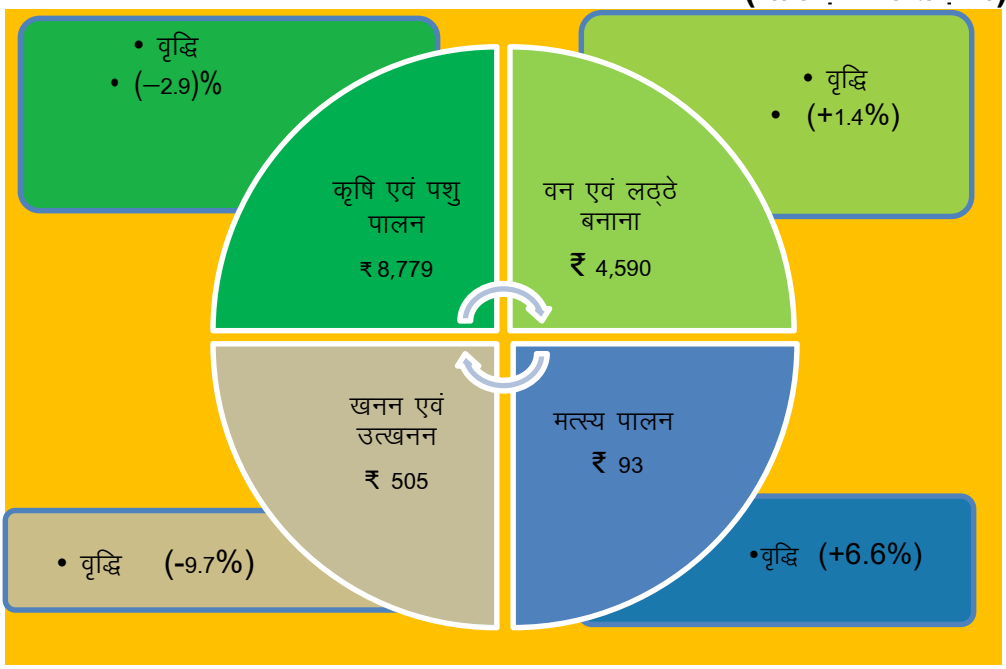

गौण क्षेत्र 2018–19 (प्रथम संशोधित अनुमान) में सकल मूल्य वर्धन ₹52,693 करोड़, वृद्धि (8.0) प्रतिशत

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

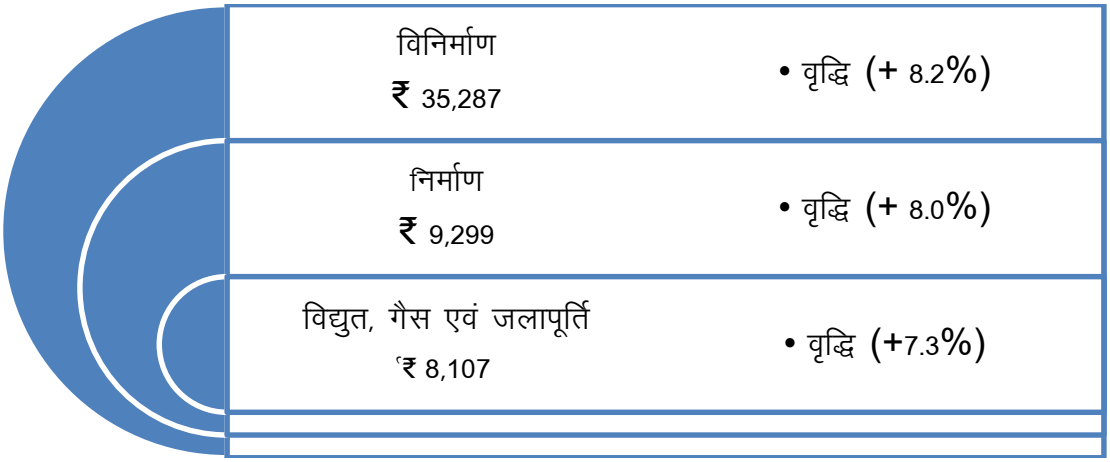

ततीयक क्षेत्र 2018–19 (प्रथम संशोधित अनुमान) में सकल मूल्य वर्धन ₹45,083 करोड, वृद्धि (8.6) प्रतिशत

(आंकड़े ₹ करोड़ में)

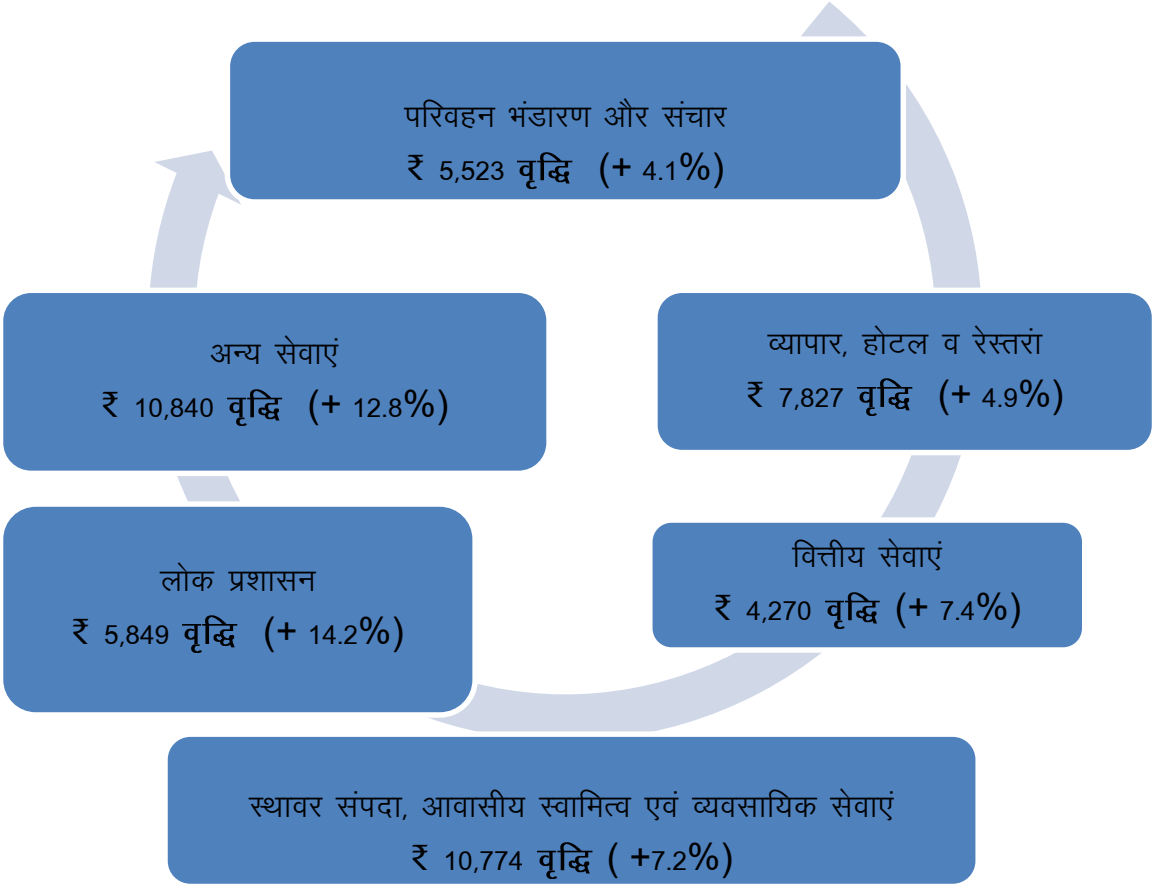

चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान

2.6 प्रचलित कीमतों पर प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2018–19(प्र.सं.अ.) में ₹ 1,53,845 करोड़ आंका गया जोकि 2017–18 (द्वि.सं.अ.) में ₹ 1,38,351 करोड़ था। प्रचलित आधारभूत कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित उत्पाद 2018–19 में ₹1,41,642 करोड़ अनुमानित है जोकि वर्ष 2017–18 में ₹1,27,361 करोड़ था। प्रचलित आधारभूत कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान निम्न तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1
क्षेत्रवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्धन, वर्ष 2016–17 से 2018–19 (द्वि.सं.अ.)
प्रचलित भाव पर (उत्पाद ₹ करोड़ व योगदान प्रतिशत में)

क्षेत्र	मद	2016–17	2017–18 (द्वि.स.अ.)	2018–19 (प्र.स.अ.)
कृषि एवं सम्बन्धित क्रियाएं (प्राथमिक क्षेत्र)	उत्पाद	18,762	17,000	17,908
	योगदान	15.97%	13.35%	12.64%
उद्योग (गौण क्षेत्र)	उत्पाद	50,237	56,206	62,362
	योगदान	42.76%	44.13%	44,03%
सेवाए (तृतीयक क्षेत्र)	उत्पाद	48,496	54,155	61,372
	योगदान	41.27%	42.52%	43.33%
प्रचलित आधार मूल्य पर सकल मूल्य वर्धन	उत्पाद	**1,17,495**	**1,27,361**	**1,41,642**
	योगदान	100.00	100.00	100.00
सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर	उत्पाद	**1,25,634**	**1,38,351**	**1,53,845**

2.7 प्रचलित आधारभूत कीमतों पर 2018–19 में प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ₹ 17,908 करोड़ (12.64 प्रतिशत) रहा है। इसी समयावधि में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान ₹ 62,362 करोड़ (44.03 प्रतिशत) है, व सेवा क्षेत्र का योगदान ₹ 61,372 करोड़ (43.33 प्रतिशत) है। समस्त भारत एवं हिमाचल प्रदेश का प्रचलित तथा स्थिर कीमतों पर, 2011–12 से 2018–19 (प्रथम संशोधित अनुमान) में सकल घरेलू उत्पाद तालिका 2.2 में वर्णित है:

तालिका 2.2

सकल घरेलू उत्पाद हिमाचल पदेश तथा समस्त भारत 2011–12 से 2018–19 (प्र.सं.अ.) प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर

(मूल्य ₹ करोड़ में और वृद्धि दर प्रतिशत में)

वर्ष	हिमाचल प्रदेश				समस्त भारत			
	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित कीमतों पर)	वृद्धि (+)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर कीमतों पर (2011-12)	वृद्धि (+)	सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित कीमतों पर)	वृद्धि (+)	सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर कीमतों पर (2011-12)	वृद्धि (+)
2011–12	72,720		72,720		87,36,329		87,36,329	
2012–13	82,820	13.9	77,384	6.4	99,44,013	13.8	92,13,017	5.5
2013–14	94,764	14.4	82,847	7.1	1,12,33,522	13.0	98,01,370	6.4
2014–15	1,03,772	9.5	89,060	7.5	1,24,67,959	11.0	1,05,27,674	7.4
2015–16	1,14,239	10.1	96,274	8.1	1,37,71,874	10.5	1,13,69,493	8.0
2016–17 (तृ.सं.अ.)	1,25,634	10.0	103,055	7.0	1,53,91,669	11.8	1,23,08,193	8.3
2017.18 (द्वि.सं.अ.)	1,38,351	10.1	1,10,034	6.8	1,70,98,304	11.1	1,31,75,160	7.0
2018–19 (प्र.सं.अ.)	1,53,845	11.2	1,17,851	7.1	1,89,71,237	11.0	1,39,81,426	6.1

प्रति व्यक्ति आय

2.8 वर्ष 2018–19 में प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार, प्रचलित कीमतो पर, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2017–18 (द्वितीय संशोधित अनुमान) ₹1,65,025 से बढ़कर ₹1,83,108 होने की सम्भावना है जो 11.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। स्थिर कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2017–18 (द्वितीय संशोधित अनुमान) के ₹1,30,644 से बढ़कर वर्ष 2018–19 में (प्रथम संशोधित अनुमान) में ₹ 1,39,469 होने की सम्भावना है जो 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। हिमाचल प्रदेश और भारत की प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक विवरण वर्ष 2011–12 से 2018–19 का निम्न तालिका में वर्णित है:

वर्ष	प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर (₹ में)	
	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
2011–12	87,721	63,462
2012–13	99,730	70,983
2013–14	1,14,095	79,118
2014–15	1,23,299	86,647
2015–16	1,35,512	94,797
2016–17 (तृ.सं.अ.)	1,50,290	1,04,880
2017–18 (द्वि.सं.अ.)	1,65,025	1,15,293
2018–19 (प्र.सं.अ.)	1,83,108	1,26,521

सम्भावनाएं– 2019–20

2.9 राज्य की आर्थिक स्थिति पर आधारित दिसम्बर, 2019 तक प्रदेश की अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2019–20 में आर्थिक वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत रहने की संभावना है। राज्य ने 2018–19 (प्रथम संशोधित अनुमान) में 7.1 प्रतिशत और 2017–18 (द्वितीय संशोधित अनुमान) में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है। वर्ष 2019–20 (अग्रिम) में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान लगभग ₹1,65,472 करोड़ आंका गया है।

2.10 अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2019–20 में ₹1,95,255 अनुमानित है जोकि वर्ष 2018–19 में ₹1,83,108 की तुलना में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

2.11 हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास का संक्षिप्त विश्लेषण बताता है कि प्रदेश की आर्थिक विकास दर सदैव समस्त भारत की विकास दर के समकक्ष ही रहती रही है, जैसा कि सारणी 2.3 में भी दर्शाया गया है:–

सारणी 2.3

अवधि	औसतन विकास दर प्रतिशत	
	हिमाचल प्रदेश	समस्त भारत
1	2	3
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56)	(+) 1.6	(+) 3.6
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61)	(+) 4.4	(+) 4.1
तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66)	(+) 3.0	(+) 2.4
वार्षिक योजना (1966–67 से 1968–69)	..	(+) 4.1
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74)	(+) 3.0	(+) 3.4
पंचम पंचवर्षीय योजना(1974–78)	(+) 4.6	(+) 5.2
वार्षिक योजना (1978–79 से 1979–80)	(-) 3.6	(+) 0.2
छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85)	(+) 3.0	(+) 5.3
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90)	(+) 8.8	(+) 6.0
वार्षिक योजना (1990–91)	(+) 3.9	(+) 5.4
वार्षिक योजना (1991–92)	(+) 0.4	(+) 0.8
आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97)	(+) 6.3	(+) 6.2
नवम पंचवर्षीय योजना (1997–2002)	(+) 6.4	(+) 5.6
दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007)	(+) 7.6	(+) 7.8
ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012)	(+) 8.0	(+) 8.0
वारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)	(+) 7.2	(+) 7.1
वार्षिक योजना (i) 2017–2018	(+) 6.8	(+) 7.0
(ii) 2018–2019	(+) 7.1	(+) 6.1
(iii) 2019–2020	(+) 5.6	(+) 5.0

सार्वजनिक वित्त एवं कराधान

2.12 राज्य सरकार प्रशासन एवं विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों, गैर कर राजस्व, केंद्रीय करों से प्राप्त हिस्सा एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय साधन जुटाती है। वर्ष 2019–20 (ब.अ.) से बजट अनुमानों के अनुसार, कुल राजस्व प्राप्तियां ₹33747 करोड़ है जबकि 2018–19 में यह ₹31,189 करोड़ थी। कुल राजस्व प्राप्तियां 2019–20 में 2018–19 की तुलना में 8.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

2.13 वर्ष 2019–20(ब.अ.) में राज्य करों में 15.69 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है जोकि ₹ 7,921 करोड़ है यह 2017–18 (वा.) तथा 2018–19(स.अ.) में क्रमशः ₹ 7,108 और ₹ 6,847 करोड़ थी।

2.14 राज्य के गैर कर राजस्व (जिसमें मुख्य रूप से ब्याज की प्राप्तियां, ऊर्जा, सड़क–परिवहन और अन्य प्रशासनिक सेवाएं आदि शामिल हैं) का अनुमान 2019–20(ब.अ.) में ₹ 2,443 करोड़ अनुमानित है। राज्य का गैर कर राजस्व 2019–20 में कुल राजस्व प्राप्तियों का 7.24 प्रतिशत है।

2.15 2019–20 (ब.अ.) में केन्द्रीय करों का हिस्सा ₹7,398 करोड़ अनुमानित है।

2.16 राज्य करों का वर्गीकरण यह दर्शाता है कि बिक्री कर (जिसमें अन्य कर तथा शुल्क शामिल है) ₹ 5,984 करोड़ है जोकि वर्ष 2019–20 कुल राजस्व का 39.06 प्रतिशत है। 2017–18 (वा.) और 2018–19 (स.अ.) में यह क्रमशः 46.61 और 41.79 है। 2019–20 (ब.अ.) में राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां ₹1,625 करोड़ अनुमानित है।

2.17 उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग ने 2018–19 में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 6,422 करोड़ मूल्य के करों को एकत्रित किया है जोकि लक्ष्य ₹5,861 करोड़ से 9.57 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में राजस्व लक्ष्य ₹6,869 करोड़ था जिसमें नवम्बर, 2019 तक ₹4,448 करोड़ प्राप्त किए जा चुके है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में नवम्बर, 2019 तक कर राजस्व लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(**सारणी 2.4**)

सरकार के राजकोषीय संकेतक

₹ करोड़

मद	लक्ष्य	उपलब्धियां
वस्तु एवं सेवा कर	3,238	2,367
राज्य आबकारी कर	1,625	1,062
वस्तु वर्धित मूल्य	1,492	729
अन्य कर	369	212
यात्री एवं वस्तु कर	145	78
योग	6,869	4,448

आय में प्रवाह

2.18 सरकार की प्राप्तियां मुख्य रूप से दो भागों–गैर ऋण तथा ऋण प्राप्तियों में विभाजित की जा सकती हैं। गैर ऋण प्राप्तियों में कर राजस्व, कर सहित राजस्व, सहाय अनुदान, ऋण वसूली तथा विनिवेश होते हैं। ऋण प्राप्तियां अधिकतर बाज़ार ऋण तथा अन्य देनदारियों से प्राप्त होती हैं जिसे सरकार को भविष्य में लौटाने का दायित्व होता है।

सारणी 2.4
राजकोषोय स्थिति एवं मापदण्ड

मद/वर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (सं.अ.)	2019–.20 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां	15,711	17,843	23,440	26,264	27,367	31,189	33,747
कर राजस्व (केन्द्रीय भाग सहित)	7,612	8,584	10,307	11,383	11,909	12,277	15,319
गैर कर राजस्व	1,785	2,081	1,837	1,717	2,364	2,324	2,443
विनिवेश प्राप्तियां	0	650	0	0	35	0	0
ऋण वसूली	17	41	26	30	40	27	27
कुल व्यय	21,443	30,994	29,578	36,076	34,811	43,625	44,388
राजस्व व्यय	17,352	19,787	22,303	25,344	27,053	33,408	36,089
पूंजीगत व्यय	1,856	2,473	2,864	3,499	3,756	4,893	4,580
राजकोषीय घाटा (–)/ आधिक्य (+)	-4,011	-4,200	-2,164	-5,839	-3,870	-7,786	-7,352
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+)	-1641	-1944	+1137	+920	+314	-2219	-2342
प्रारम्भिक घाटा (–)/ आधिक्य (+)	-1530	-1351	+991	-2480	-82	-3686	-2800

स्त्रोतः वार्षिक वित्तीय विवरणिका, हिमाचल प्रदेश सरकारी बजट

(सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता)

मद/वर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (सं.अ.)	2019–20 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां	16.58	17.19	20.52	20.91	19.78	20.27	20.39
कर राजस्व (केन्द्रीय भाग सहित)	8.03	8.27	9.02	9.06	8.61	7.98	9.26
गैर कर राजस्व	1.88	2.01	1.61	1.37	1.71	1.51	1.48
विनिवेश प्राप्तियां	0.00	0.63	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
ऋण वसूली	0.02	0.04	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
कुल व्यय	22.63	29.87	25.89	28.72	25.16	28.36	26.82
राजस्व व्यय	18.31	19.07	19.52	20.17	19.55	21.72	21.81
पूंजीगत व्यय	1.96	2.38	2.51	2.79	2.71	3.18	2.77
राजकोषीय घाटा (–)/ आधिक्य (+)	-4.23	-4.05	-1.89	-4.65	-2.80	-5.06	-4.44
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+)	-1.73	-1.87	+1.00	+0.73	+0.23	-1.44	-1.42
प्रारम्भिक घाटा (–)/ आधिक्य (+)	-1.61	-1.30	+0.87	-1.97	-0.06	-2.40	-1.69

कर राजस्व

2.19 बजट अनुमानों, वर्ष 2019–20 के अनुसार, कर राजस्व (केन्द्रीय कर सहित) ₹15,319 करोड़ होने का अनुमान है जोकि वर्ष 2018–19 (संशोधित अनुमान) में ₹12,277 करोड़ थे। यह वर्ष 2018–19 के अनुमानों से 24.78 प्रतिशत अधिक है, 2019–20 कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 9.26 प्रतिशत है।

कर–रहित राजस्व

2.20 कर–सहित राजस्व मुख्यतः ऋण पर ब्याज प्राप्तियां, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ व लाभांश, सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं–सामान्य सेवाओं जैसे लोक सेवा आयोग, सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा, आर्थिक सेवाओं जैसे कि सिंचाई इत्यादि से प्राप्त राशि शामिल होते हैं। कर रहित राजस्व वर्ष 2019–20 में 5.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹2,443 करोड़ रहने की सम्भावना है जोकि वर्ष 2018–19 में ₹2,324 करोड़ रहा यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.48 प्रतिशत था।

गैर ऋण पूजी प्राप्तियां

2.21 गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में उधार व अग्रिम राशि तथा विनिवेश से प्राप्तियां शामिल हैं। वर्ष 2019–20 में ऋणों की वसूलियों से ₹ 27 करोड़ मिलने की संभावना है और विनिवेश से कोई आय नहीं होगी।

2.22 बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार का कुल व्यय ₹44,388 करोड़ रहने की सम्भावना हैं, जिसमें से ₹36,089 करोड़ (कुल बजट का 81.30 प्रतिशत) राजस्व व्यय होने हेतु निश्चित हुए हैं जोकि वर्ष 2018–19 में ₹33,408 करोड़ तथा वर्ष 2017–18 में ₹27,053 करोड़ थे। वर्ष 2019–20 में ₹4,580 करोड़ (बजट अनुमानों का 10.32 प्रतिशत) पूंजीगत व्यय के लिए निश्चित हुए हैं जोकि वर्ष 2018–19 में ₹4,893 करोड़ तथा वर्ष 2017–18 में ₹3,756 करोड़ थे। वर्ष 2019–20 में ₹3,719 करोड़ (बजट का 8.38 प्रतिशत) ऋण खाते के रूप में व्यय होने का अनुमान है।

चित्र –1 कर –सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रुप में

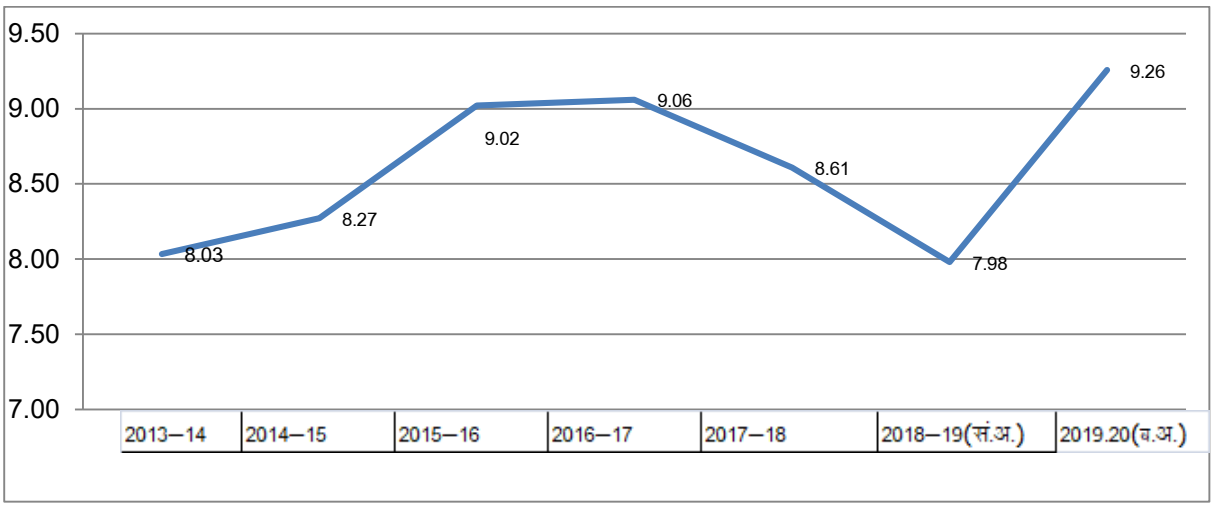

नोटः यह दर्शाता है कि कर राजस्व राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का वर्ष 2013–14 में 8.03 प्रतिशत था जो 2016–17 में बढ़कर 9.06 हो गया, इसके साथ यह 2018–19 (सं.अ.) में 7.98 प्रतिशत हुआ, जो कि कमी को दर्शाता है। 2019–20 (ब.अ.) में कर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 9.26 प्रतिशत होने की संभावना है।

2.23 बजट अनुमानों के अनुसार राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2019–20 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 20.39 प्रतिशत होने का अनुमान है जोकि वर्ष 2018–19 संशोधित अनुमानों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 20.27 प्रतिशत थी। इसके साथ ही कर राजस्व वर्ष 2019–20 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 9.26 प्रतिशत होने की संभावना है जोकि वर्ष 2018–19 में 7.98 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त गैर कर राजस्व 2019–20 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.48 प्रतिशत होने की संभावना है जो वर्ष 2018–19 में 1.51 प्रतिशत था। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2019–20 में वृद्धि होने की संभावना है जबकि पूंजीगत व्यय में कमी होने की संभावना है। 2019–20 में राजकोषीय घाटा, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.44 प्रतिशत होने की संभावना है जो 2018–19 में 5.06 प्रतिशत था। वर्ष 2019–20 में राजस्व एवं प्राथमिक घाटे में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता में कमी होने की संभावना है।

2.24 वर्ष 2013–14 से 2018–19 में सरकार की राजस्व प्राप्ति, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 16.58 प्रतिशत से बढ़कर 20.39 प्रतिशत हो गई है, इसके साथ ही राजस्व व्यय इसी समयावधि के दौरान 18.31 प्रतिशत से बढ़कर 21.81 प्रतिशत हो गया। इसी समयावधि में पूंजीगत व्यय में 1.96 प्रतिशत से बढ़कर 2.77 प्रतिशत हो गया। राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 2013–14 में 1.73 प्रतिशत था जो 2019–20 में घटकर 1.42 प्रतिशत अनुमानित है। इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में राजकोषीय घाटा, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.23 प्रतिशत था, वर्ष 2019–20 में 4.44 प्रतिशत होने की संभावना है।

सारणी- 2.5

राज्य सरकार के राजकोषीय संकेतकों की वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

मद / वर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (सं.अ.)	2019–.20 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां	0.72	13.57	31.36	12.05	4.20	13.97	8.20
कर राजस्व प्राप्तियां (केन्द्रीय भाग सहित)	10.19	12.77	20.07	10.44	4.62	3.09	24.78
गैर कर राजस्व	29.63	16.61	-11.74	-6.53	37.67	-1.70	5.13
गैर ऋण प्राप्तियां	0.70	17.84	26.61	12.05	4.36	13.76	8.19
राजस्व व्यय	3.51	44.54	-4.57	21.97	-3.51	25.32	1.75
व्यय	7.28	14.03	12.71	13.64	6.74	23.49	8.02
पूंजीगत व्यय	- 5.06	33.24	15.82	22.17	7.34	30.29	-6.40

स्त्रोतः आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति

2.25 सारणी 2.5 दर्शाती है कि बजट अनुमानों के अनुसार, 2013–14 में राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर 0.72 प्रतिशत थी वर्ष 2019–20 बजट अनुमानों के अनुसार यह वृद्धि दर 8.20 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2019–20 में सरकार के कर राजस्व (केन्द्रीय कर सहित) में वृद्धि दर 24.78 प्रतिशत रहने का अनुमान है जोकि वर्ष 2013–14 में 10.19 प्रतिशत थी। वर्ष 2019–20 में कर रहित राजस्व की वृद्धि दर वर्ष 2013–14 में 29.63 प्रतिशत की तुलना में घटकर 5.13 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2019–20 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल व्यय की वृद्धि दर 1.75 प्रतिशत अनुमानित है जो 2013–14 में 3.51 प्रतिशत थी। राजस्व व्यय में 2019–20 में 8.02 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। पूंजीगत व्यय में 2019–20 की वृद्धि दर (–)6.40 प्रतिशत होने की संभावना है जो 2013–14 में (–)5.06 प्रतिशत थी।

व्यय की प्रवृत्ति

2.26 सरकारी व्यय का युक्तिकरण और प्राथमिकता, राजकोषीय सुधार का अभिन्न अंग है, चूंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य कर का अनुपात कम है इसीलिए राज्य सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए पर्याप्त धन जुटाना चुनौती है इसीलिए पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता में सुधार महत्वपूर्ण हो जाता है।

राजस्व व्यय की संरचना

2.27 राजस्व व्यय की संरचना सारणी 2.6 में दी गई है, यह दर्शाती है कि 2019–20 (ब.अ.) में कुल व्यय का 59 प्रतिशत वेतन, पेंशन, ब्याज़ भुगतान एवं अनुदानों पर खर्च किया जाएगा। वेतन, पेंशन और ब्याज़ भुगतान पर व्यय एक प्रतिबद्ध व्यय है जिसके कारण इन मदों पर राजकोषीय प्रबन्धन का दायरा सीमित है। वर्ष 2019–20 में अनुदान को महत्वपूर्ण ढंग से कुल खर्च के 2.4 प्रतिशत पर सीमित किया गया है।

सारणी –2.6
मद के अनुसार राजस्व व्यय की संरचना (₹ करोड़)

मद	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (सं.अ.)	2019–20 (ब.अ.)
वेतन	7,035	7,869	7,832	9,421	10,671	12,730	13,889
कुल व्यय में वेतन का प्रतिशत	32.81	25.39	26.48	26.12	30.66	30.72	31.29
पेंशन	2,855	2,914	3,836	4,114	4,709	5,893	6,660
कुल व्यय में पेंशन का प्रतिशत	13.31	9.40	12.97	11.40	13.53	14.22	15.01
ब्याज	2,481	2,849	3,155	3,359	3,788	4,260	4,550
कुल व्यय में ब्याज का प्रतिशत	11.57	9.19	10.67	9.31	10.88	10.28	10.25
अनुदान	467	801	1346	764	907	1085	1066
कुल व्यय में अनुदान का प्रतिशत	2.18	2.59	4.55	2.12	2.60	2.62	2.40
कुल व्यय	**21,443**	**30,994**	**29,578**	**36,076**	**34,811**	**43,625**	**44,388**

सारणी –2.7
राजस्व व्यय की मुख्य मदों में वृद्धि दर

(₹ करोड़)

मद	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (सं.अ.)	2019–20 (ब.अ.)
वेतन	2.35	11.85	-0.47	20.30	13.27	19.29	9.10
पेन्शन	3.94	2.08	31.63	7.24	14.45	25.15	13.02
ब्याज	4.68	14.84	10.74	6.46	12.78	12.45	6.81
अनुदान	-17.60	71.54	67.98	-43.25	18.70	19.62	-1.70

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि वेतन तथा पेन्शन व्यय में, वृद्धि वर्ष दर वर्ष बढ़ी है जबकि इसका अपवाद वर्ष 2015–16 है जिसमें यह वृद्धि ऋणात्मक रही। वेतन व्यय में वर्ष 2016–17(वा.अ.) में 20 प्रतिशत, वर्ष 2018–19 (सं.अ.) में 19 प्रतिशत तथा वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में 9 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है इसके अलावा पेंशन व्यय में वृद्धि वर्ष 2015–16(वा.) में 32 प्रतिशत, वर्ष 2018–19 (सं.अ.) में 25 प्रतिशत तथा वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में 13 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। ब्याज़ भुगतान 2017–18 (वा.अ.) में 12.78 प्रतिशत, 2018–19 (सं.अ.) में 12.45 तथा 2019–20 (ब.अ.) में 6.81 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। अनुदान पर व्यय में वर्ष 2017–18 (वा.अ.) में 18.70 प्रतिशत, वर्ष 2018–19 (सं.अ.) में 19.62 प्रतिशत तथा वर्ष 2019–20 (ब.अ.) में (–)1.70 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है।

सारणी –2.8
राज्य सरकार की ऋण की स्थिति

(₹ करोड़)

मद	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
अ. लोक ऋण (अ 1+अ 2)	20,642.64	22,659.48	25,198.06	27,919.56	32,570.27	34,670.71
अ 1. आन्तरिक ऋण	19,624.27	21,647.06	24,127.33	26,860.87	31,493.97	33,591.41
अ 2. केन्द्र सरकार से प्राप्त उधार एवं अग्रिम राशि	1,018.37	1,012.42	1,070.73	1,058.69	1,076.30	1,079.30
ब. सार्वजनिक खाता और अन्य देयता	8,064.65	8,783.08	9,953.54	10,648.26	11,852.46	13,235.49
स. कुल देयता(अ + ब)	28,707.29	31,442.56	35,151.60	38,567.82	44,422.73	47,906.20
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	82,820	94,764	1,03,772	1,14,239	1,25,634	1,38,351
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ऋण का प्रतिशत	34.66	33.18	33.87	33.76	35.36	34.63

2.29 वर्ष 2017–18 में राज्य की कुल देनदारियां ₹ 47,906.20 करोड़ हो गई जो वर्ष 2012–13 में ₹ 28,707.29 करोड़ थी जो 67 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

इसके अतिरिक्त राज्य की कुल देनदारियां वर्ष 2017–18 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 34.63 प्रतिशत है। (सारणी 2.8)

निवेश और पहल

3 अध्याय

हम अपने राज्य के सतत विकास की दिशा में प्रतिबद्ध हैं और उद्योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण हितधारक है, जिसे सतत लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हिमाचल प्रदेश सरकार उन निवेशकों को एक सक्षम ढांचा प्रदान करेगी जो प्रगति में हमारे भागीदार बनना चाहते हैं।

श्री जय राम ठाकुर
माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश।

3.1 **निवेश** में विशेष रूप से **निजी निवेश "प्रमुख संचालक"** है जो मांग को आकर्षित करता है, क्षमता बनाता है, श्रम की उत्पादकता बढ़ाता है, नई तकनीक से परिचय करता है, रचनात्मक विनाश की अनुमति देता है और रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है। निजी निवेश में वृद्धि की आवश्यकता मौजूदा बाजारों एवं उभरते अवसरों के कारण हुई है, यह नीति निवेश नई नौकरियां पैदा करता है, जिससे स्थानीय आय में वृद्धि होती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं के लिए स्थानीय मांग बढ़ती है जो बदले में अधिक निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करती है और इस तरह विकास का चक्र चलता रहता है।

राइजिंग हिमाचल 2019 के बारे में

3.2 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट–2019 हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्रम था। राज्य ने 07 नवम्बर से 08 नवम्बर, 2019 को धर्मशाला में इस बडे उत्सव का आयोजन किया। इस आयोजन में हिमाचल ने अपनी नीति, विनियामक वातावरण और निवेश की संभावनाओं का 8 विशेष क्षेत्रों पर केन्द्रित प्रर्दशन किया, ताकि विनिर्माण एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले और निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

i) राज्य के आर्थिक विकास और जी.डी.पी. को बढ़ावा देने के लिए।
ii) राज्य के प्रमुखों, कॉरपोरेट दुनिया के अग्रणी कारोबारियों, वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विकास एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय ख्याति के संस्थानों के प्रमुखों और दुनिया भर के प्रसिद्ध शिक्षाविदों को राज्य में सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए आगे लाने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
iii) रोजगार के अवसर पैदा करना और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
iv) एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना ताकि विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए धारकों को प्रोत्साहित किया जा सके।
v) 'मेक इन हिमाचल' को बढ़ावा देना ताकि 'मेक इन इंडिया' प्रोत्साहित हो।
vi) निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी को बढ़ावा मिले।
vii) हिमाचल का एम.एस.एम.ई. क्षेत्र मजबूत एवं सशक्त बने।

प्रमुख क्षेत्र

- कृषि व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण और फसल कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी
- विनिर्माण और फार्मास्यूटिकल्स
- पर्यटन, आतिथ्य और नागरिक उड्डयन
- जल और नवीकरणीय ऊर्जा
- स्वास्थ्य देखभाल और आयुष
- आवास और शहरी विकास, परिवहन, इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स
- सूचना प्रौद्योगिकी, आई.टी.ई.एस. और इलेक्ट्रॉनिक्स
- शिक्षा और कौशल विकास

3.3 हिमाचल प्रदेश प्रथम ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट–2019

1. भूमिका

i) हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, माननीय प्रधानमंत्री के गुजरात में आयोजित निवेशकों की बैठक 'वाइब्रेंट गुजरात' के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जो उच्च विकास, प्रगति और समृद्धि का एक मॉडल है जो अन्य राज्यों के लिए एक बेंचमार्क बन गया है।

ii) हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊगता हिमाचल – वैश्विक निवेशकों की बैठक के माध्यम से राज्य में निवेश की अपार संभावनाओं को दिखाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

iii) राज्य सरकार ने ₹85,000 करोड़ का निवेश लक्ष्य निर्धारित किया है और प्रत्येक क्षेत्र में संभावित निवेश क्षमता के आधार पर 8 प्रमुख क्षेत्रों में सावधानीपूर्ण विभक्त किया है।

2. ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट–2019 के लिए उठाए गए कदम

i) राज्य द्वारा आधिकारिक वेबसाइट https://risinghimachal.in/ और मोबाइल आधारित ऐप 'राइजिंग हिमाचल' प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रगति मॉडल से प्रेरित हो कर विकसित की है। राज्य ने निवेशकों की सुविधा के लिए "HIMPRAGATI" पोर्टल विकसित किया ताकि समझौता पत्रों की ऑनलाइन निगरानी की जा सके।

ii) सभी ज्ञानकोष जैसे कि क्षेत्र का विस्तृत ब्यौरा, निवेश योग्य परियोजनाएं, राज्य हिम प्रगति पोर्टल का प्रर्दशन और राज्य का वीडियो विकसित कर वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

3. निवेशकों तक पहुंच

राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत से कार्यक्रम जिसमें रोड शो और छोटी सभाएं सम्मिलित है ताकि निवेशकों तक पहुंच बनाई जा सके, जर्मनी, नीदरलैंड और यू.ए.ई. में कुल 3 अंतर्राष्ट्रीय रोड शो, बैंगलोर, हैदराबाद, मुम्बई, दिल्ली, चंडीगढ़ और अहमदाबाद में 6 घरेलू रोड शो और शिमला व मनाली में 2 छोटी सभाएं की गई ताकि उद्योग जगत के विभिन्न क्षेत्रों के मुखिया/अग्रणी निवेशकों तक पहुंच बन सके। सरकार ने नई दिल्ली में राजदूतों की बैठक आयोजित की जिसमें 60 से अधिक देशों के राजदूतों/उच्चायुक्तों ने भाग लिया।

4. नीति और सुधार

2019 में नई नीतियां अधिसूचित

1. सरकार ने राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीतियों का एक सांराश अधिसूचित किया है। ये नीतियां राज्य में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक औद्योगिक नीति है, जिसे राज्य में औद्योगिक विस्तार को गति देने के लिए विकसित किया गया है। नई औद्योगिक नीति जो राज्य के सभी क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस नीति में दूर्गम क्षेत्रों, समाज के कमजोर वर्गों और स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों और सेवाओं के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस नीति का दृष्टि वाक्य है, "आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने और रोजगार सृजन करने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और यह सुनिश्चित करना कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों का सतत और संतुलित विकास हो और हिमाचल निवेश के लिए पंसदीदा स्थान बन सके"। नीति का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य में उद्योग की एक समान वृद्धि को प्राप्त करना है और इसका उद्देश्यः
   i) मौजूदा उद्योगों के लिए निवेश माहौल बनाने के लिए एक दिशा–निर्देश देती है ताकि युवा वर्ग के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो, राज्य में निवेश आकर्षित हो और पूरे राज्य में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र विकसित होना सुनिश्चित हो।
   ii) विशेष रूप से औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करती हैं और प्रक्रियाओं का सरलीकरण, प्रमुख भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचा, मानव संसाधन विकास, ऋण और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करती हैं।
   iii) सभी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और सेल्फ–सर्टिफिकेशन को बढ़ावा देना ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनिस को बढ़ावा मिल सके।
   iv) प्रभावी अगले और पिछले संपर्कों को स्थापित करना ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि–बागवानी और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा मिल सके।
   v) स्थानीय युवाओं और हितधारकों के लिए रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए पूरे राज्य में सेवा और औद्योगिक क्षेत्र की सतत वृद्धि के लिए एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को बढ़ावा देना।
   vi) स्थानीय उद्यमशीलता का आधार बनाने और उत्पन्न करने के लिए स्टार्ट–अप और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
   vii) आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों, राजस्व बढ़ाने, स्थानीय संसाधनों को उचित मूल्य मिल सके इसलिए बड़े निवेशों को प्रोत्साहन करना।

viii) समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान आदि शामिल है।

2. पर्यटन क्षेत्र की नीति–2019 एक और महत्वपूर्ण नीति है। नीति को इस दृष्टि के साथ विकसित किया गया है ताकि "समावेशी आर्थिक विकास के लिए हिमाचल प्रदेश को एक अग्रणी वैश्विक स्थायी पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जा सके" पर्यटन नीति–2019 का मिशन एक समावेशी और स्थायी पर्यटन अर्थव्यवस्था विकसित करना है। जिसमें राज्य की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, जीवन की गुणवत्ता, अच्छे रोजगार के अवसर, पर्यटन में अनुभव, निजी क्षेत्र की भागीदारी से नवाचार नीति का प्रमुख लक्ष्य है। हिमाचल प्रदेश राज्य को एक प्रमुख वैश्विक स्थायी पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित हो इसके लिए अन्य लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं जैसेः

i) हिमाचल प्रदेश को पर्यटन क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित करना
ii) सामाजिक–आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर प्रमुख ध्यान देने के साथ पर्यटन को टिकाऊ बनाना।
iii) पर्यटकों को गुणवत्ता का अनुभव हो यह सुनिश्चित करना।
iv) पर्यटन से संबंधित निवेशों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

मिशन के प्रस्तावित लक्ष्य को 2029 तक प्राप्त करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हैं। ये उद्देश्य हैंः–

i) थीम आधारित विकास के माध्यम से पर्यटन विविधीकरण को बढ़ावा देना
ii) सतत हस्तक्षेप के माध्यम से राज्य के पर्यटन स्थलों की सुरक्षा करना
iii) यह सुनिश्चित करना कि सतत पर्यटन मुख्य रूप से स्थानिय समुदायों को लाभान्वित करता हो।
iv) पर्यटन उद्योग के लिए क्षमता निर्माण और गुणवत्ता युक्त मानव संसाधन विकसित करना।
v) सभी के लिए सुरक्षित और अद्वितीय पर्यटन प्रदान करना
vi) स्थायी पर्यटन के लिए निवेश हो उसके लिए एक सक्षम वातावरण बनाना।

3. हिमाचल प्रदेश ने आई.टी., आई.टी.ई.एस. और ई.एस.डी.एम. नीति–2019 को भी अधिसूचित किया है। यह नीति आई.टी., आई.टी.ई.एस. और ई.एस.डी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण) सम्बन्धित उद्योगो को स्थापित करने के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करती है ताकि राज्य में उद्यमिता के माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके। नीति के मुख्य उद्देश्य हैः

i) राज्य को आई.टी., आई.टी.ई.एस. और ई.एस.डी.एम. कंपनियों की स्थापना के लिए प्रमुख स्थान बनाना।

ii) महत्वपुर्ण अधो–संरचना तैयार करना ताकि आई.टी., आई.टी. ई.एस. और ई.एस.डी.एम. स्थापित हो सके।

iii) कुशल मानव संसाधनों को मजबूत करने के लिए राज्य में एक संगठनात्मक व्यवस्था स्थापित करना।

iv) प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को आई.टी., आई.टी.ई.एस. और ई.एस.डी. एम. क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना।

v) व्यवसाय प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वतः ऑटोमेशन का एक ढ़ाचा विकसित करना।

vi) एक निर्दिष्ट ढांचे के भीतर सहयोगी व्यवस्था बनाना ताकि एक निर्धारित समय सीमा में डिजीटल सेवा प्रदान हो।

vii) राज्य के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास की गति में सुधार।

viii) लम्बे समय तक के विकास प्राद्योगिकी और नवाचार पर ध्यान देना।

ix) रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध करवाना और उद्यमिता को बढ़ावा देना।

4. आयुष नीति–2019 एक और महत्वपूर्ण नीति है। नीति का विकास इस दृष्टि से किया गया है, "ताकि समाज को उनके दरवाजे पर आयुष सुविधाएं प्रदान करके और आयुष आधारित जीवन शैली को जमीनी स्तर पर एकीकृत करके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा समाज को बेहतर बनाया जा सके और प्रदेश को आयुष क्षेत्र में निवेश के लिए उपयुक्त स्थान बनाया जा सके ताकि प्रदेश का समग्र और सतत विकास हो सके"। आयुष नीति–2019 का मिशन है, "राज्य में आयुष सेवाओं का एक सुदृढ़ नेटवर्क स्थापित करना, जो जनसाधारण को सुलभ, सस्ती और एक समान स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता हो, देश के सभी बेहतरीन आयुष मानदंड स्थापित करता हो और आयुष हस्तक्षेप से राज्य की अर्थव्यवस्था में 2025 तक महत्वपुर्ण योगदान सुनिश्चित करता हो।

5. राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति– 2019 को अधिसूचित किया है, "जिससे न केवल हिमाचल में बड़े पैमाने पर फिल्म शूटिंग की सुविधा होगी, बल्कि फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित गतिविधियों का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित होगा"। यह नीति हिमाचल प्रदेश को फिल्म निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में विकसित करेगी और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए फिल्म के माध्यम से राज्य की संस्कृति, इतिहास, विरासत और गौरवशाली परंपरा और राज्य के पर्यटन स्थलों का प्रदर्शन भी सम्भव होगा। इस नीति द्वारा फिल्म निर्माण के सभी विभागों में राज्य की प्रतिभाओं को विकास के अवसर मिलेंगे।

3.4 सुगम व्यापार करने के लिए मुख्य सुधारः

1. **हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन की सुविधा) अधिनियम–2020:** प्रदेश में 98 प्रतिशत से अधिक उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के हैं। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में निवेश, रोजगार और व्यापार करने को बढ़ावा देने के लिए, हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और संचालन की सुविधा) अधिनियम–2020 को अधिसूचित किया गया जो अनुमति की प्रतीक्षा और तीन साल के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के बिना परियोजना के कार्यान्वयन की अनुमति देता है।
2. **सिंगल विंडो सिस्टमः**– यह प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए अनुमोदन और नवीकरण प्रदान करता है (अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया है और ₹5.00 करोड़ से ऊपर की निवेश परियोजनाओं को सिंगल विंडो प्रक्रिया से अनुमति मिलेगी और तत्पश्चात जमीन की खरीद के लिए सैद्धांतिक मंजूरी सीधे राजस्व विभाग देगा)।
3. **धारा 118 के अन्तर्गत जमीन खरीदने के लिए ऑनलाइन पोर्टल द्वारा अनुमतिः** राज्य सरकार ने धारा 118 के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक भाग को सरल बनाया है।
4. उद्योग स्थापित करने की अनुमति व संचालन अनुमति हेतू स्वतः नवीकरण सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।
5. एक ही स्थान पर समस्त क्षेत्रों के लिए अनुमति।
6. निवेशकों को संभालने के लिए निवेश सुविधा केंद्र।
7. सभी श्रम कानूनों के लिए एकल एकीकृत रिटर्न।
8. सभी भूमि बैंकों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली।

सफलता की कहानी

3.5 सफल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटः

धर्मशाला में ऊभरता हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दो दिवसीय कार्यक्रम का भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, संसद के सदस्यों, राजदूत, उद्योग सम्बन्धित हस्तियों, अन्तर्राष्ट्रीय गणमान्य लोग भी उपस्थिति थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन भी किया है, जिसमें हिमाचल के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया जिसमें इतिहास, प्राकृतिक सुन्दरता, विरासत और निवेश के आठ क्षेत्रों का व्यौरा है। इसके उपरांत उन्होंने एक प्रदर्शनी मंडप का भी उद्घघाटन किया जिसमें विभिन्न संगठनों ने अभिनव, अच्छे विचारों एवं कार्यों का प्रदर्शन किया।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान, 8 क्षेत्रों के सत्र आयोजित किए जिसमें व्यापार में सुगमता, प्रवासी भारतीय सत्र, पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुष, साझेदार देश, नवीकरणीय और जल विद्युत ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, आई.टी.ई. एस. और इलेक्ट्रॉनिक्स और पहाड़ी राज्यों में निवेश के लिए प्रोत्साहन, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी विकास, सूक्ष्म–लघु और मध्यम उद्यमों सहित विनिर्माण में निवेश आदि शामिल थे। इन सत्रों में प्रमुख वक्ता

केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, श्री अनुराग ठाकुर, भारत सरकार के सचिव–अजय साहनी और डॉ, गुरुप्रसाद महापात्रा, प्रोफेसर रमेश चंद एवं नीति आयोग के डॉ राजीव कुमार और उद्योग क्षेत्रों के प्रमुख विशेषज्ञ थे। भारत के रेलवे, उद्योग और वाणिज्य केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने विदाई सत्र की अध्यक्षता की।

3.6 निवेशकों की बैठक की मुख्य विशेषताएं

1. **प्रतिभागियों की सूची** – 2,802 दुनिया भर के व्यापार प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
2. **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिः**
   - अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि ने भाग लियाः 36 देशों से 200 प्रतिभागी।
   - अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख व्यापारिक घरानेः बी.आर.एस. वेंचर्स, अयाना होल्डिंग्स, लुलू इंटरनेशनल, होरिजन ग्रुप, जाईट ग्रुप।
   - मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलः यू. ए.ई. प्रतिनिधिमंडल, एसोचौम, नीदरलैंड, पी.आई.ओ.सी.सी.आई., यू.ए.ई.–भारत व्यापार परिषद, वियतनाम प्रतिनिधिमंडल, रूस प्रतिनिधिमंडल, बिजनेस लीडर्स फोरम।
   - मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल एवं व्यापारिक प्रतिनिधिः यू.ए.ई., वियतनाम, नीदरलैंड, रूस, मलेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और जर्मनी।
3. **राजदूतों की संख्या जिन्होने भाग लिया**
   - राजदूत–9 और टोगो दूतावास से प्रतिनिधि–1
4. **सभी बी. 2 जी./ बी. 2 बी. बैठकों का विवरणः**
   - माननीय मुख्यमंत्री के साथ बी. 2 जी. बैठकों की संख्या–24,
   - विभागों के साथ बी. 2 जी. बैठकों की संख्या–85
   - बी. 2 बी. की संख्या–93
5. **बड़े उद्योगपति** – 32 संख्या
6. **प्रदर्शनी में भाग लेने वाली कंपनियों की संख्या**–47
7. **अभी तक के एम.ओ.यू. सारांशः** ऊभरता हिमाचल, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट–2019 के दौरान, राज्य सरकार ने 1,96,000 व्यक्तियों के प्रस्तावित रोजगार के साथ ₹96,721 करोड़ के 703 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए।
8. **पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जी.बी.सी.)**

   ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन के उपरांत 2 महीने से भी कम समय में राज्य सरकार ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की, जो अभूतपूर्व है। यह आयोजन विभिन्न हितधारकों जैसे निवेशकों, उद्यमियों, राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए साल भर के प्रयासों के सकारात्मक परिणामों को प्रमाण के रूप में दिखाता है और राज्य की प्रगति और समृद्धि की ओर गति प्रदान करता है।

नीतिगत पहलों के मुख्य बिन्दु

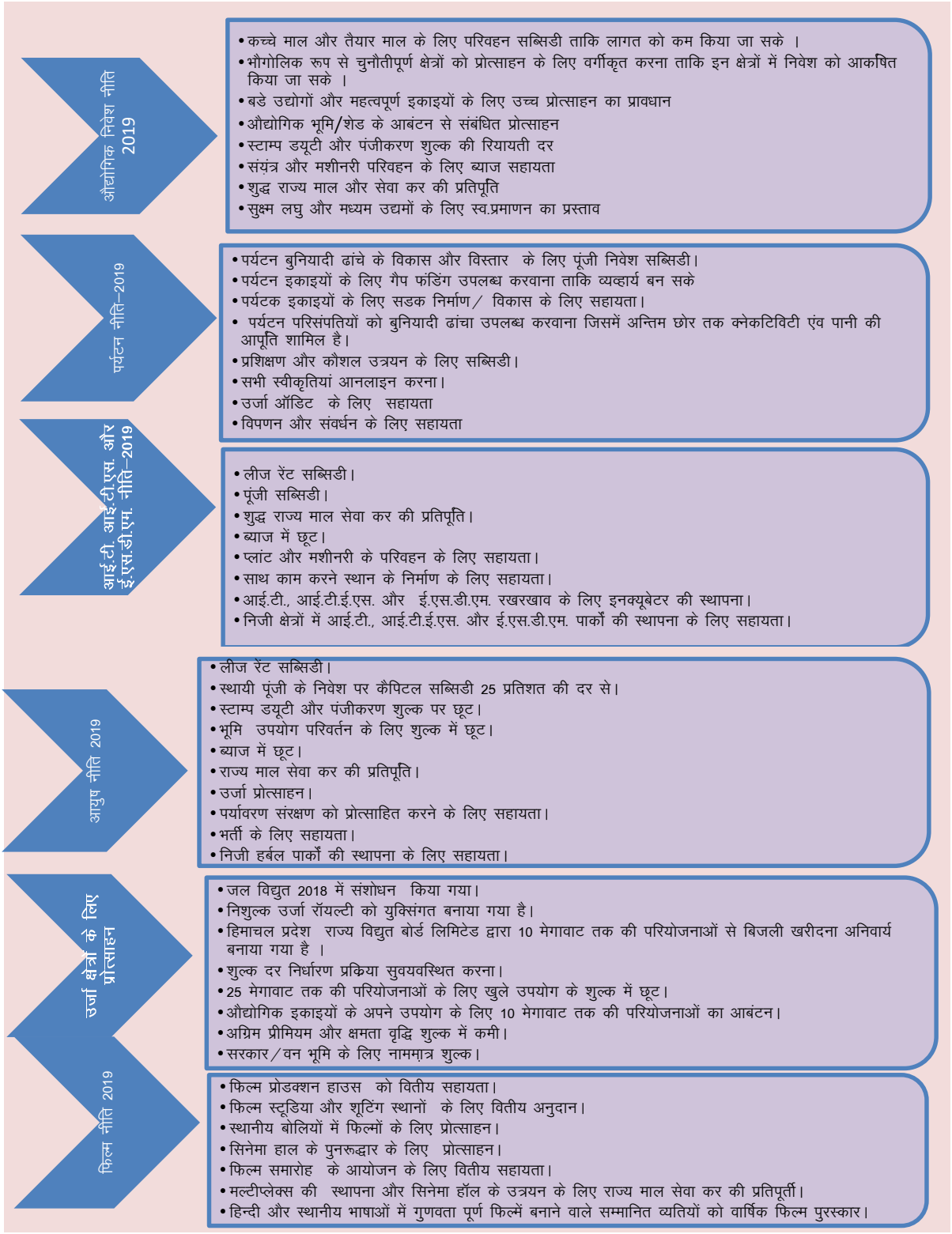

आज तक के एम.ओ.यू. का ब्यौराः

- कुल 703 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए हैं। जिनका निवेश मूल्य ₹96,721 करोड है।

विभाग	एम.ओ.यू. की संख्या	निवेश ₹ करोड़ों में	प्रस्तावित रोजगार
कृषि	2	225	5,100
आयुष	45	1,269.25	4,651
शिक्षा माध्यमिक	5	6.85	90
शिक्षा उच्च	44	1,713	9,837
मत्सय	1	7	15
वन	1	25	50
स्वास्थ्य	5	632.50	1,460
बागवानी	6	77.55	258
आवास	33	12,054.50	56,396
उद्योग	250	17,063.22	63,341
सूचना प्रौद्योगिकी	14	2,833.21	3,445
भाषा कला एवं संस्कृति	1	25	100
ऊर्जा	18	34,112	17,700
कौशल विकास	7	15	75
खेलकूद	2	116	225
तकनीकी शिक्षा	1	300	500
पर्यटन	225	16,559.94	27,388
यातायात	13	3,658	1,775
शहरी विकास	30	6,027.86	4,394
कुल	**703**	**96,720.88**	**196,800**

- 240 एम.ओ.यू. को धरातल पर उतारा गया है, जिनका मूल्य ₹13,656 करोड है।

क्रम संख्या	विभाग	एम.ओ.यू. की संख्या जिनको धरातल पर उतरने की उम्मीद है	प्रस्तावित निवेश ₹ करोड में
1	उद्योग	112	3,157
2	सूचना प्रौद्योगिकी	4	2,089
3	स्वास्थ्य सेवाएं	2	60
4	आयुर्वेद	17	338
5	शिक्षा	11	349
6	एम.पी.पी. और ऊर्जा	2	2,395
7	आवास	9	1,696
8	शहरी विकास	2	250
9	पर्यटन	81	3,322
	कुल	**240**	**13,656**

अग्रणी कम्पनियां जिनकी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है:

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	प्रस्तावित निवेश ₹ करोडों में
1	एस.जे.वी.एन.	2,300
2	जीओ	650
3	बी.एस.एन.एल.	460
4	भारती एयरटेल	1,000
5	पी. एण्ड जी.	159
6	टी.वी.एस.	28
7	मैनकाइण्ड़ फार्मा	126
	कुल	**4,723**

नई नीतियां और अधिनियम की सूची जो 2019 में अधिसूचित/ संशोधित हुए

क्रम संख्या	संशोधित/ अधिसूचित नीतियां, अधिनियम और नियम
1.	नया एम.एस.एम.ई. अधिनियम–2019
2.	जिला स्तरीय भूमि पहचान और सुविधा समिति
3.	आयुष नीति–2019
4.	एम.एस.एम.ई. अध्यादेश–2019
5.	आई.टी., आई.टी.ई.एस. और ई.एस.डी.एम. नीति–2019
6.	निवेशक गाइड
7.	हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेर्स्टस के मुख्य कार्यक्रम की अनुसूची जो 7 और 8 नबम्बर को धर्मशाला में आयोजित की गई।
8.	बिजली की खपत सभी श्रेणियों के लिए बढ़ाई गई है।
9.	एफ.सी.ए. मामलों की सिफारिश के लिए नीतिगत दिशा–निर्देश
10.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन नीति–2019
11.	टी.सी.पी. द्वारा एन.ओ.सी. में सुधार
12.	हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति–2019
13.	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति–2019
14.	हिमाचल प्रदेश निवेश में बढावा देने के लिए प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधा के लिए नियम–2019
15.	टी.सी.पी. की शक्तियां अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सी.ई.ओ., बी.बी.एन.डी.ए. को सौंप दी गई ।
16.	सिंगल विंडो क्लीयरेंस का सरलीकरण करना।
17.	हिमाचल प्रदेश टैन्नसी एवं भूमि सूधार नियमों के अन्तर्गत नियम 38A में संशोधन–2019

सतत विकास के लक्ष्य (एस.डी.जी.)

04 अध्याय

"एजेंडा 2030 के पीछे की हमारी सोच जितनी ऊंची है हमारे लक्ष्य भी उतने ही समग्र हैं। इनमें उन समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है, जो पिछले कई दशकों से अनसुलझी हैं और इन लक्ष्यों से हमारे जीवन को निर्धारित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में हमारे विकसित होती समझ की झलक मिलती है। मानवता के 1/6 हिस्से के सतत् विकास का विश्व और सुदंर पृथ्वी के लिए बहुत गहरा असर होगा"।

नरेन्द्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री

"2015 में अनुमोदित 2030 एजेंडा और उसके 17 सतत विकास लक्ष्य इल चुनौतियों और इनके अंतरसंबधों के समाधान के लिए संपूर्ण और सामजस्यपूर्ण फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। इनके अन्तर्गत् सदस्य राष्ट्रों को सतत विकास के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं का समाधान संतुलित ढंग से करना होगा। इन पर अमल करते हुए समावेशन और एकीकरण तथा किसी को पीछे छूटने न देने के सिद्धांतों का पालन अनिवार्य है"।

एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र, महासचिव

लक्ष्य–अवलोकन एवं पृष्ठभूमि:

4.1 सितम्बर, 2000 में 189 देश संयुक्त राष्ट्र में इक्ट्ठा हुए और ऐतिहासिक सहस्त्राब्दी घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया जिसमें उन्होंने प्रतिब्धता जताई कि आठ मापने योग्य लक्ष्य प्राप्त करेगें; जिसमें अत्यंत भूखमरी को आधा करने से लेकर लिंग समानता व बाल मृत्यु दर कम करने का लक्ष्य 2015 तक प्राप्त करना शामिल है। सहस्त्राब्दी लक्ष्य साधारण शब्दों में वैश्विक समझौते को प्राप्त करने का क्रांतिकारी विचार था। इसमें आठ वास्तविक लक्ष्य थे जो आसानी से समझे जा सकते थे और एक कुशल प्रक्रिया से इनको मापना एवं निगरानी करना सम्भव था। सहस्त्राब्दी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से अच्छा कार्य हुआ। विश्व ने सहस्त्राब्दी लक्ष्यों में अत्यंत गरीबी कम करने के लक्ष्य को 2015 तक प्राप्त किया है। यह लक्ष्य असमान रुप से प्राप्त हुए जिसमें कि मुख्य रुप से अफ्रीका, कम विकसित देश, जमीन से घिरे विकासशील देश और छोटे द्वीप शामिल हैं और कुछ सहस्त्राब्दी लक्ष्य पहुंच से दूर रहे जिसमें मुख्यतः मातृत्व स्वास्थ्य, नवजात शिशु स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य शामिल है सहस्त्राब्दी लक्ष्य 2015 में समाप्त हो गए और 2015 के बाद नई कार्यसूची पर विचार शुरु हो गए।

सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (एम.डी.जी.)

लक्ष्य 1	अत्यन्त गरीबी व भूखमरी का अन्त।
लक्ष्य 2	सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना।
लक्ष्य 3	लिंग समानता एवं महिला सशक्तिकरण ।
लक्ष्य 4	बाल मृत्यु दर में कमी।
लक्ष्य 5	मातृ स्वास्थ्य में सुधार
लक्ष्य 6	एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया एवं अन्य बीमारियों से निपटना।
लक्ष्य 7	पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना।
लक्ष्य 8	विकास के लिए वैश्विक सांझेदारी विकसित करना।

सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)

4.2 सितम्बर, 2015 में, विश्व समुदाय ने नए विकास पर अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करने के लिए सहमति व्यक्त की थी और सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 बनाया गया था। "परिवर्तनशील विश्वः सतत विकास के लिए एजेंडा 2030", सतत विकास के लिए 17 महत्वाकांक्षी महालक्ष्यों, 169 लक्ष्यों, 300 से अधिक संकेतक के साथ एक अंतर–सरकारी संग्रह है। सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.), आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से अपेक्षा की जाती है कि अगले 15 वर्षों के लिए अपनी राजनीतिक नीतियों को बनाने के लिए इसे विकास की रूपरेखा के रूप में उपयोग करेंगे। सतत विकास लक्ष्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर विस्तृत स्वरूप है, जिस पर 2001 में देशों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी और 2015 में वह समाप्त हो गया था। सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) 1 जनवरी, 2016 को अस्तित्व में आया और 31 दिसम्बर, 2030 को समाप्त होगा।

4.3 यह 17 लक्ष्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर आधारित है जबकि जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवीनिकरण, सतत उपभोग, शांति और न्याय व अन्य प्राथमिकताओं जैसे नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। लक्ष्य प्रायः आपस में जुड़े होते हैं, जिनमें से एक लक्ष्य

की सफलता दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के द्वार खोल देती है।

4.4 सतत विकास–2030 के एजेंडे, का लक्ष्य "Leaving No One Behind" के तहत विकास के लाभ को सांझा करना है। सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) को गरीबी, असमानता को कम करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, वन और जैव विविधता सहित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा आदि विषय शामिल है। इसका यह प्रारूप वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को एकीकृत करने के लिए तैयार किया गया है।

4.5 सतत विकास लक्ष्य (एस.डी. जी.) का प्रयोजन सभी स्तरों में गरीबी को समाप्त करना, भूखमरी का अंत, सतत कृषि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन शिक्षा को बढ़ावा, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा व सभी को स्वस्थ बनाना है। इसके साथ–2 भूखमरी का अन्त करना, पानी की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए सभी को ऊर्जा प्रदान करना है।

4.6 सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी. जी.) को भारत सरकार द्वारा जिम्मेदारी के साथ अपनाया गया है। इसके अन्तर्गत 17 मुख्य लक्ष्यों और 169 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वन मंत्रालय, भारत सरकार ने 309 संकेतक विकसित किए हैं। ये संकेतक मापने योग्य और निगरानी योग्य हैं। नीति आयोग, भारत मे सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। नीति आयोग ने भारत के सतत विकास ईंडेक्स के लिए 62 प्राथमिक संकेतक का चयन किया है ताकि सभी राज्य सतत विकास के लक्ष्यों को अपनी नीति और नियोजन में शामिल कर उनकी प्रगति का आंकलन किया जा सके। इस सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) ईंडेक्स के आधार पर नीति आयोग ने केरल के साथ हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान दिया है। संघीय प्रणाली को देखते हुए राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में सतत विकास लक्ष्य (एस. डी.जी.) ढ़ाचे को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य योजना में सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) का एकीकरण किया जाना इस ढ़ाचे को प्रभावी रुप ये कार्यान्वयन किये जाने के लिए अति आवश्यक है। राज्य ने सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) को बजटीय और नियोजन प्रक्रिया में एकीकरण करने हेतु कई कदम उठाये हैं। राज्य सरकार 2017–18 के बाद से बजट भाषणों को सतत विकास के लक्ष्यों से नई दिशा मिली है। इनमें से कुछ लक्ष्यों को वर्ष 2022 तक योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त कर लिया जायेगा। प्रदेश में चल रही योजनाओं के पुर्नगठन कर उन्हें सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) की ओर उन्मुख करने पर कार्य चल रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी. जी.) को प्राप्त करने के लिए मौजूदा अंतराल को भरने के लिए कई नई योजनाओं को शुरु किया गया है।

4.7 योजना विभाग राज्य में सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के ढांचे को कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग है। सरकार ने नोडल विभागों, प्रशिक्षण संस्थानों व अन्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र एवं नेशनल फांउडेशन फार ईंडिया (NFI) के साथ मिल कर कई नई पहल की है। हिमाचल प्रदेश में सामाजिक आर्थिक और मानव विकास संकेतक देश के कई राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) के एजेंडे को राज्य

योजना और बजटीय प्रक्रिया में एकीकृत करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं। कुछ एक पहल जो की गई है वह संक्षेप में नीचे प्रस्तुत हैः

1. **नोडल विभागों की पहचान के साथ सतत विकास लक्ष्य से जुड़ाव** : सतत विकास लक्ष्यों (एस. डी.जी.) को गतव्यों से जोडना व कार्यान्वन विभाग की पहचान के लिए कार्य किया गया है। तदनुसार, संबन्धित लक्ष्य के लिए दृष्टि दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में कार्य समूहों का गठन किया गया है। विभागों को दृष्टि दस्तावेज बनाना सुविधाजनक हो इसलिए विस्तृत शर्तें (टी.ओ.आर.) नमूने के तौर पर प्रदान की गई है।

2. **राज्य के दृष्टि पत्र का विकास–2030**: हिमाचल प्रदेश के दृष्टि पत्र का संकलन किया जा चुका है और उसे जारी भी कर दिया गया है। इस दृष्टि पत्र में 16 लक्ष्य लिए गए हैं और लक्ष्य 14 को छोडा गया क्योंकि यह समुद्री जीवन से सम्बन्धित है और हिमाचल प्रदेश भूमि से घिरा हुआ प्रदेश है और प्रदेश के लिए इस लक्ष्य का महत्व नही है। अगर हम गरीबी अंतराल अनुपात, खाद्य सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर का सार्वभौमिकरण, पानी और स्वच्छता की उपलब्धता, वित्तिय समावेश, कानुन व्यवस्था, आधुनिक ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता आदि के क्षेत्रों में हिमाचल की स्थिति अन्य कई राज्यों से अच्छी है। प्रदेश का दृष्टि पत्र दिखाता है कि अधिकतर लक्ष्यों की प्राप्ति 2022 तक कर ली जाएगी और अधुरे विकास कार्य 2030 से पहले पूर्ण कर लिए जाएंगे।

3. **प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मांडयूल का विकासः**– विभिन्न नोडल विभागों व प्रशिक्षण संस्थानों की सहभागिता से तीन कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी है और इसके परिणामस्वरूप विभिन्न विभागों की प्रशिक्षण सम्बन्धित आवश्यकताओं का निर्धारण सम्भव हो पाया है। विभिन्न हित धारकों के लिए सम्बन्धित प्रशिक्षण और जागरूकता सत्रों का प्रारूप HIPA द्वारा तैयार कर लिया गया है। दो प्रमुख प्रशिक्षणदाताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सितम्बर, 2018 में किया गया जिसका उद्देश्य प्रशिक्षणदाताओं का एक समुह तैयार करना है और अभी तक 24 अधिकारी विभिन्न विभागों से मुख्य प्रशिक्षण दाता के रूप में तैयार कर लिए गए है।

4. **सतत विकास लक्ष्यों पर क्षमता निर्माण और संवेदीकरणः** सतत विकास के लक्ष्य, विकास को मापने की नई रूपरेखा है और जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण आदेशात्मक तौर पर किया गया है। इसलिए प्रदेश सरकार ने एन.एफ.आई. के सहयोग से सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रशिक्षण एवं क्षमता संर्वधन के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। जिसमें कि सभी विभागों के मध्य स्तर के अधिकारी भाग ले रहे है। सतत

विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय मानको का प्रारूप सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यन्वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है इस प्रारूप की जानकारी व चर्चा के लिए नियमित रूप से नोडल विभागों के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र से भी विशेषज्ञों की सेवा ली जा रही है ताकि विभिन्न विभागों को अपने विभागिय दृष्टिपत्र तैयार करने में मदद मिल सके। प्रदेश में प्रशिक्षण के लिए उच्चतम संस्थान (HIPA) ने अपने वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सतत विकास पर आधारित जागरूकता सत्र भी शामिल किए है। अभी तक दस से अधिक ऐसे सत्र आयोजित किए जा चुके है। अन्य प्रशिक्षण संस्थानों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी जागरूकता सत्रों का समावेश करें। इस तरह के और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है ताकि और अधिक प्रशिक्षणार्थी तैयार किए जा सके।

5. **सतत विकास लक्ष्यों का लोकप्रिय बनानाः** सतत विकास के लक्ष्यों के बारे में जागरूकता अति आवश्यक है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी हितधारकों व नागरिकों का सहयोग महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार ने ऐसे कई कदम उठाएं है व पहल की है जिससे कि इन लक्ष्यों का अधिक से अधिक प्रचार हो सके। मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों पर आधारित कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा चुका है और समय–समय पर मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा दिए गए संदेशो को अखबारों के माध्यमों से प्रचारित किया गया है। लोक कलाकारों के विभिन्न समुहों में से 26 कलाकारों को सतत विकास लक्ष्यों से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया गया है। विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति व महता के लिए प्रदेश के सभी 78 ब्लाकों मे दो लोक कला प्रदर्शन के कार्यक्रम जुलाई, 2017 में आयोजित किए गए। विभिन्न सूचना शिक्षा संचार सामग्री मुद्रित की गई है।

i) चित्र आधारित पुस्तक जिसमें कि सतत विकास के लक्ष्य (हिन्दी में) प्रत्येक योजना के साथ जोड़े गए हैं।
ii) विभिन्न रंगों में (हिन्दी में) सतत विकास के लक्ष्यों को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए परचे तैयार किये गए हैं।
iii) 16 लक्ष्यों से सम्बन्धित विज्ञापनों (हिन्दी में) का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और मुद्रण पर कार्य चल रहा है।
iv) चित्र आधारित पुस्तक (अंग्रजी में) जिसमें कि विकास लक्ष्यों को योजनाओं के साथ जोड़ा गया है।
v) दृष्टि हिमाचल प्रदेश–2030 (राज्य दृष्टि पत्र) का हिन्दी संकलन पर कार्य चल रहा है।

6. **लक्ष्य एवं संकेतक की निगरानीः** सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), भारत सरकार ने स्थायी लक्ष्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति का आंकलन करने के लिए तीन सौ से अधिक संकेतक विकसित किए है।

हालांकि राज्य के बेहतर सामाजिक–आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई संकेतक राज्य के लिए महत्व के नहीं है और कई कई संकेतकों की निगरानी आंकडों की अनुउपलब्धता के कारण संभव नही है। इसलिए राज्य सरकार ने नोडल विभागों के परार्मश से 138 संकेतक विचाराधीन रखे है परन्तु 300 से अधिक सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तथा 62 सूचकांक नीति आयोग द्वारा निर्देशित संकेतकों को देखते हुए संशोधन के लिए विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार डेशबोर्ड के विकास के लिए तकनीकी सहायता के लिए एक साझेदार की तलाश कर रही है। जिस लक्ष्य/संकेतकों के समवर्ती और समय–2 पर निगरानी के लिए राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा। आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को संकेतकों की प्रगति पर आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था विकसित करने और आंकड़ों को मान्यता देने के लिए सम्मिलित किया जाएगा। कुछ संकेतकों में उपलब्धियों के वर्तमान स्तर व सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) प्राप्त करने के लिए प्रयास और समय सीमा निर्धारण निम्नानुसार हैः–

4.8 उपलब्धियों की वर्तमान स्थितिः

i) 1993–94 और 2011 के बीच हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण गरीबी 36.8 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत की गिरावट आई, जो लगभग चार गुना है, जबकि 2004 से 2011 के दौरान शहरी गरीबी में मामूली बदलाव दर्ज किया गया।

ii) प्रारम्भिक भूमि सुधारों के सकारात्मक परिणाम मिले हैः राज्य में लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास कुछ भूमि है, जो देश के कई राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है।

iii) शिक्षा में, कई महत्वपूर्ण संकेतक बताते है कि राज्यों का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। प्राथमिक के लिए सकल कुल नामांकन अनुपात 98.80 प्रतिशत, उच्च प्राथमिक के लिए 103.09 प्रतिशत, माध्यमिक के लिए 107. 08 प्रतिशत तथा उच्चतर माध्यमिक के लिए 95.53 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से बहुत बेहतर है। इसी तरह, प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रतिधारण दर 93.09 प्रतिशत और माध्यमिक शिक्षा के लिए 90.78 प्रतिशत थी, जो काफी प्रभावशाली है (स्त्रोतः–फ्लैश सांख्यिकी 2015–16)

iv) 2011–12 में, हिमाचल में लगभग 63 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं ने रोजगार के रूप में अपने आप को दर्शाया है। यह स्थान सिक्किम के बाद महिला श्रम बल की भागीदारी में दूसरे स्थान पर है और अखिल भारतीय औसत 27 प्रतिशत से बहुत ऊपर है।

v) 83 प्रतिशत से अधिक लोग सरकारी क्षेत्र से स्वास्थ्य सेवाओं प्राप्त कर रहे है।

vi) एन.एफ.एच.एस.–4 के अनुसार, हिमाचल में 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में मृत्यु दर 38 है

और शिशु मृत्यु दर 34 है, जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत कम है। राज्य इन्हें और नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

vii) 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात (प्रति 1,000 पुरुष) 972 है, जो पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर है।

viii) एन.एफ.एच.एस.–4 के आंकडो के अनुसार 2015–16 में 94.9 प्रतिशत घरों में रहने वाले लोगों के पास पीने के पानी के बेहतर स्त्रोत तक पहुंच है जो राष्ट्रीय औसत 89.9 प्रतिशत की तुलना में बेहतर है।

ix) 2016 में, राज्य को देश में पहला खुले (100 प्रतिशत) में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित किया गया था। राज्य में परिवारों में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं की पहुंच है, जबकि राष्ट्रीय औसत 48.4 प्रतिशत (एन.एफ.एच.एस.–4) है।

x) 9 महीने तक टीकाकरण 99.55 प्रतिशत है कुल प्रजनन दर 1.9 है। (एन.एफ.एच.एस.–4) (प्रतिस्थापन स्तर से भी कम)

xi) ऊर्जा कुशल स्ट्रीट लाइट 100 प्रतिशत और ऊर्जा कुशल घरेलू बल्ब 85 प्रतिशत है

xii) शौचालय सुविधा और घर के विद्युतीकरण का स्तर 100 प्रतिशत है।

xiii) राज्य में मानव तस्करी से संबधित कुल संज्ञेय अपराध की दर 0.1 प्रतिशत है और हर जिले में एंटी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की स्थापना 33 प्रतिशत है। प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस कर्मियों की संख्या 278 है जो राष्ट्रीय औसत 180.59 से अधिक है।

xiv) प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन 150.44 है और नागरिक पंजीकरण 100 प्रतिशत है।

xv) स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर किए गए किसी भी सामान्य सदस्य के साथ परिवारों का प्रतिशत 76 प्रतिशत है और बैंक खातो की संख्या का अनुपात 89.2 प्रतिशत है।

xvi) जनसंख्या मे से पात्र वर्ग मातृत्व लाभ के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने वाले और सीमांत और कमजोर वर्ग द्वारा रियायती कीमतों पर खाद्यान्न की पहुंच 100 प्रतिशत है।

4.9 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासः

i) 16 लक्ष्यों की सावधानीपूर्वक मैपिंग की गई है। जिसके अनुसार एक नोडल विभाग और अन्य प्रमुख हितधारक विभागों के साथ 11 कार्य समूहों का गठन किया गया है। ताकि सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के साथ श्रेणीवद्ध किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 15 साल की दृष्टि से 7 साल की रणनीति और 3 साल की कार्य योजना बनाई है।

ii) राज्य ने संकल्प लिया कि प्रत्येक सतत विकास लक्ष्यों को दो तरह संकेतकों द्वारा निगरानी रखी जाएगी। पहले संकेतकों की मदद

से राज्य सरकार सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) पर की गई प्रगति पर नजर रखेगी और दूसरे संकेतक जिन्हें सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय व नीति आयोग द्वारा सुझाया गया है पर कार्य करेगी।

4.10 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमाः हिमाचल प्रदेश की सरकार 2022 तक अधिकांश सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) हासिल करना चाहती है शेष लक्ष्य 2030 से पहले प्राप्त किए जाएंगे।

i) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का प्रतिशत मौजूदा स्तर 8.1 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत करना है।
ii) शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) को 35 से घटाकर 20 तक करना।
iii) 100 प्रतिशत जनसंख्या को 2020 तक स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाएगा और सतत स्तर पर रखा जाएगा।
iv) प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूलों में ड्रॉप आउट दर को शून्य करना।
v) 0–6 वर्ष की श्रेणी में लड़कियों के अनुपात को 909 से बढ़ाकर 940 प्रति 1,000 लड़कों तक।

वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार राष्ट्रीय संकेतक ढांचे (एन.आई.एफ.) का वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है:

लक्ष्य	उद्देश्य	राष्ट्रीय मानकों की संख्या
लक्ष्य 1	गरीबी की पूर्णतः समाप्ति	19
लक्ष्य 2	भूखमरी का अन्त	19
लक्ष्य 3	अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर	41
लक्ष्य 4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	20
लक्ष्य 5	लैंगिक समानता	29
लक्ष्य 6	साफ पानी और स्वच्छता	19
लक्ष्य 7	सस्ती ओर स्वच्छ ऊर्जा	5
लक्ष्य 8	अच्छा कार्य और आर्थिक विकास	40
लक्ष्य 9	उद्योग, नवाचार ओर बुनियादी ढांचे का विकास	18
लक्ष्य 10	असमानता में कमी	7
लक्ष्य 11	सतत शहरी और समुदायिक विकास	16
लक्ष्य 12	जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन	17
लक्ष्य 13	जलवायु परिवर्तन	4
लक्ष्य 14	पानी में जीवन	13
लक्ष्य 15	भूमि पर जीवन	21
लक्ष्य 16	शांति और मज़बूत न्याय के लिए संस्थान	18
कुल मानकों की संख्या		306

स्त्रोतः सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रुपरेखा बेसलाइन रिपोर्ट 2015–16, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

4.11 राष्ट्रीय संकेतक ढांचे की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है:

i) राष्ट्रीय संकेतक ढांचे में सतत विकास लक्ष्यों–1 से 16 के लिए 306 सांख्यिकीय संकेतक शामिल हैं। यह देश का सबसे बड़ा निगरानी ढांचा है और सूचना के प्रवाह के लिए एक सांख्यिकीय प्रणाली पर निर्भर करेगा।

ii) लक्ष्य–17 के लिए, कोई राष्ट्रीय संकेतक प्रस्तावित नहीं हैं क्योंकि यह लक्ष्य कार्यान्वयन और वैश्विक भागीदारी के साधनों को मजबूत करने के लिए है।

iii) 41 उद्देश्यों (जिसमें लक्ष्य–17 के लिए 19 उद्देश्य सम्मिलित हैं) के लिए, संकेतक विकसित किए जाने बाकी है।

iv) इन सांख्यिकीय संकेतकों का विकास नीति आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श के बाद किया गया है।

v) इस ढांचे में संकेतकों का विकास राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और जरुरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है जोकि राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित हैं और जिसके लिए राष्ट्रीय स्वीकार्यरता भी महत्वपूर्ण थी।

संस्थागत एवम् बैंक वित्त

5 अध्याय

5.1 प्रदेश में तीन बैंकों को लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है जिसमें पंजाब नैशनल बैंक को 6 जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कल्लू मण्डी तथा ऊना में, यूको बैंक को 4 जिलों बिलासपुर, शिमला, सोलन तथा सिरमौर में तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को 2 जिलों चम्बा तथा लाहौल स्पिति में यह कार्य आवंटित किया गया है। यूको बैंक राज्य स्तर बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.) का संयोजक बैंक हैं। राज्य में कुल 2,191 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है और 77 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही है। अक्तूबर, 2018 से सितम्बर, 2019 तक 52 नई बैंक शाखाएं खोली गई हैं। वर्तमान में 1,699 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 387 शाखाएं अर्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 105 शिमला में स्थित हैं, जो राज्य में केवल एक ही शहरी क्षेत्र है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्गीकृत किया है।

5.2 जनगणना, 2011 के अनुसार प्रति शाखा औसत जनसंख्या 3,156 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,000 है। सितम्बर, 2019 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) की कुल 1,168 शाखाऐं हैं जो कि राज्य में बैंकिंग क्षेत्र का कुल शाखा नेटवर्क का 53 प्रतिशत है। पंजाब नैशनल बैंक (PNB) का सबसे बड़ा नेटवर्क 338 शाखाओं का है। उसके बाद स्टेट बैंक आफ इंडिया (SBI) की 324 शाखाएं है, यूको बैंक की 173 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 175 शाखाओं का नेटवर्क हैं जिसमें सबसे अधिक उपस्थिति एच.डी.एफ.सी. की 67 शाखाओं के साथ है उसके उपरान्त आई.सी.आई.सी.आई. बैंक है जिसकी 32 शाखाएं हैं।

5.3 इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) अर्थात् हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एच.पी.जी.बी.) को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है। जिसका सितम्बर, 2019 तक कुल 265 शाखाओं का शाखा नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंकों का कुल 545 शाखाओं का नेटवर्क है तथा राज्य एपैक्स सहकारी बैंक जोकि हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक (एच.पी.एस.सी.बी.) है, का 217 शाखाओं का नेटवर्क है कांगड़ा केन्द्रीय सैन्ट्रल बैंक (के.सी.सी.बी.) की 217 शाखाएं हैं। जिले–वार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 419 बैंक शाखाएं तथा लाहौल स्पिति में सबसे कम 23 बैंक शाखाएं हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा अपनी बैंक सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए 2,053 ए.टी.एम. स्थापित किए गए हैं। अक्तूबर, 2018 से सितम्बर, 2019 तक बैंकों ने 89 नए ए.टी.एम. स्थापित किए हैं।

5.4 बैंकों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में जहां ढांचा आधारित शाखाएं आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं हैं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु व्यापार संवाददाता एजेंटों (जिन्हें बैंक मित्र के रूप में जाना जाता है) को तैनात किया है। वर्तमान में गांवों में मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा 4,081 बैंक मित्र तैनात

किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में तथा नाबार्ड का भी क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में शिमला में स्थित है।

5.5 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित, एक तीन स्तरीय अल्पावधि ऋण ढांचे का शीर्ष बैंक है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में के.सी.सी.बी. और जे.सी.सी.बी. केन्द्रीय बैक भी हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की समस्त शाखाएं पूर्णतः सी.बी.एस. प्रणाली पर कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाईनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला बैंक है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक प्रदेश के छः जिलों में 218 शाखाएं और 23 विस्तार पटलों, (पूर्णतः सी.बी.एस.) जिनमें से अधिकतर प्रदेश के दूरवर्ती एवं दुर्गम क्षेत्रों में हैं, के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहा है। बैंक ने अपने लगभग 100 (मोबाईल वैन ए.टी.एम. सहित) ए.टी.एम. स्थापित किए हैं। लगभग 1,654 सोसाइटी बैंक के साथ संबद्ध हैं और बैंक अपने लाभ में से उन्हें लाभांश भी दे रहा है। बैंक ने एस.सी.एस. टी. कारपोरेशन, डब्ल्यू.डी.सी. और के.वी. आई.वी. के साथ करार किया है और लाभार्थियों को स्वरोजगार पैदा करने के लिए क्रेडिट सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है।

5.6 राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के पहिये को बढ़ाने के लिए बैंक भागीदार के रूप में ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। ऋण का प्रवाह सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बढ़ाया गया है। सितम्बर, 2019 तक राज्य के बैंकों ने आर.बी.आई. द्वारा तय छः में से चार राष्टीय मानकों जिस में प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कमजोर वर्ग तथा महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया है। वर्तमान में बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र जैसे कृषि, एम.एस.एम.ई., शिक्षा ऋण, आवास ऋण, लघु ऋण आदि गतिविधियों करने के लिए कुल ऋण का 58.37 प्रतिशत ऋण दिया है।

5.7 बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण में से सितम्बर, 2019 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 18 प्रतिशत के राष्ट्रीय मानकों के विरूद्ध 18.85 प्रतिशत कृषि अग्रिम राशि प्रदान की है। बैंको द्वारा कुल ऋण में कमजोर वर्गों तथा महिलाओं का क्रमशः 24.37 प्रतिशत तथा 7.03 प्रतिशत अग्रिम राशि का भाग है जोकि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत होनी चाहिए। राज्य में बैंकों का सितम्बर, 2019 तक क्रेडिट जमा अनुपात 44.33 प्रतिशत पर स्थिर रहा। राष्ट्रीय मानकों की स्थिति नीचे सारणी 5.1 में दर्शाई गई है।

सारणी 5.1
हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क. सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2018	अग्रिम प्रतिशत 30.9.2019	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत
1.	प्राथमिकता के क्षेत्र में अग्रिम	61.60	58.37	40
2.	कृषि ऋण	18.74	18.85	18
3.	कमजोर वर्ग ऋण	17.20	24.37	10
4.	महिला ऋण	6.98	7.03	5
5.	डी .आर.आई.ऋण	0.02	0.01	1
6.	जमा एवं अग्रिम अनुपात (थरोट)	47.46	44.33	60
7.	एम.एस.एम.ई.ऋण(पी.एस.सी.)	40.45	41.63	–
8.	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन–जाति ऋण (पी.एस.सी.)	10.91	9.05	–
9.	अल्पसंख्यक ऋण (पी.एस.सी.)	1.83	1.07	–

वित्तीय समावेशन पहलः

5.8 वित्तीय समावेश समाज के निम्न वर्गों और कम आय वाले समूहों के लिए सस्ती दर पर वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के वितरण को दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा देश भर में वित्तीय समावेश, व्यापक अभियान के अन्तर्गत "प्रधानमन्त्री जन–धन योजना" का शुभारंभ करके हिमाचल प्रदेश में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में अपवर्जित वर्ग के लिए की गई। इस अभियान ने चार वर्ष पूरे कर लिए है।

हिमाचल प्रदेश में वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थितिः

प्रधानमन्त्री जन–धन योजना (पी.एम. जे.डी.वाई.)

5.9 बैंकों द्वारा राज्य में प्रत्येक घर में कम से कम एक बुनियादी बचत जमा खाते के साथ समस्त परिवारों को सम्मिलित किया गया है। बैंकों द्वारा कुल 12.89 लाख बुनियादी बचत जमा खाते (बी.एस.बी.डी.ए.) सितम्बर, 2019 तक खोले गए है। प्रधानमन्त्री जन–धन योजना के अन्तर्गत खोले गए कुल 12.89 लाख खातों में से 10.13 लाख बुनियादी बचत जमा खाते ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 2.76 लाख शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। राज्य में बैंकों द्वारा पी.एम.जे.डी.वाई. खाताधारकों को 10.59 लाख रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड जारी किए गए, जिससे पी.एम.जे.डी.वाई. अन्तर्गत खोले गए खातों को 82 प्रतिशत तक शामिल कर लिया गया है। सितम्बर, 2019 तक बैंकों द्वारा 95 प्रतिशत पी.एम.जे. डी.वाई. खातों को आधार संख्या तथा मोबाइल नंबर के साथ सम्मिलित करने की पहल की है।

प्रधानमन्त्री जन–धन योजना के अन्तर्गत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहलः

5.10 प्रधानमन्त्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन के द्वितीय चरण के अन्तर्गत भारत सरकार ने गरीबों तथा दलित व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू किया है। सामाजिक सुरक्षा

योजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:–

I. सूक्ष्म बीमा योजनाएं:

पधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.)

5.11 इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को प्रति वर्ष ₹12.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीकरणीय पर आकस्मिक मृत्यु सह दिव्यांगता के लिए ₹2.00 लाख (आंशिक स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹1.00 लाख) प्रदान कर रहा है तथा हर वर्ष 1 जून को नवीकरणीय होता है। प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत सितम्बर, 2019 तक बैंकों ने 12.05 लाख ग्राहकों को जोड़ा है। विभिन्न बीमा कम्पनियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 579 बीमा दावों का निपटारा 5 नवम्बर, 2019 तक किया गया है।

प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई)

5.12 इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु के सभी बचत बैंक खाताधारकों को बैंक प्रति वर्ष ₹330.00 के प्रीमियम से प्रति ग्राहक को एक वर्ष के नवीकरणीय पर किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर ₹2.00 लाख प्रदान कर रहा है तथा हर वर्ष 1 जून को नवीकरणीय होता है। सितम्बर, 2019 तक बैंकों में 3.41 लाख ग्राहक प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.वी.वाई.) के अन्तर्गत है। 5 नवम्बर, 2019 तक इस योजना के अन्तर्गत लगभग 1074 बीमा दावों का बीमा कम्पनियों द्वारा निपटारा किया गया है।

II. सूक्ष्म पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.)

5.13 अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित है तथा इस योजना के अन्तर्गत ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु पर न्यूनतम पेंशन ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 और ₹5,000 प्रति माह उपलब्ध करवाई जाती है, यदि ग्राहक ने 18 वर्ष से 40 वर्ष के दौरान अंशदान विकल्प के आधार पर चुना हो। इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत ग्राहक द्वारा 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि में अंशदान किया हो तो निर्धारित न्यूनतम पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जायेगी। यदि यह योजना बैंक खाताधारकों द्वारा निर्धारित आयु वर्ग में शुरू की गई हो तो केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल अंशदान का 50 प्रतिशत या ₹1,000 प्रति वर्ष जो भी कम हो 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है।

5.14 अटल पेंशन योजना में राज्य सरकार ने भी योगदान दिया है। राज्य सरकार द्वारा ए.पी.वाई. के पात्र खातों के ग्राहकों के सह–योगदान करेगी जो ग्राहक द्वारा कुल योगदान का 50 प्रतिशत हो या ₹2,000 से जो भी कम हो। राज्य सरकार मनरेगा श्रमिकों, मिड–डे मील कार्यकर्ताओं, कृषि एवं बागवानी श्रमिकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत लाने हेतु ध्यान दे रही है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा आक्रामक जागरूकता अभियानो, शिविरों, मीडिया प्रचार, प्रेस इत्यादि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) के अर्न्तगत बैंकों द्वारा सितम्बर, 2019 तक

1,63,885 ग्राहकों को नामांकित किया गया है। सितम्बर, 2019 तक ए.पी.वाई. योजना के अन्तर्गत डाक विभाग भी भाग ले रहा है तथा इस माध्यम से कुल 2,055 ग्राहकों को जोड़ा गया है।

प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना (पी.एम.एम.वाई)

5.15 प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में से चल रही है। यह उन सभी सुक्ष्म उद्यमों को विकसित करने और पुर्नवित करने के लिए जिम्मेदार हैं जो वित्त संस्थानों का समर्थन करते हैं और मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार, सेवा और गैर–कृषि क्षेत्रों मे कार्यरत है। इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले सभी अग्रिम जो 8.04.2015 को या इसके बाद इस योजना के अधीन आए हो, को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.16 बैंकों द्वारा हिमाचल प्रदेश में सितम्बर, 2019 तक चालू वित्त वर्ष 2019–20 में इस योजना के अन्तर्गत 17,562 नए लघु उद्यमियों को ₹425.19 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। सितम्बर, 2019 तक पी.एम.एम.वाई. के अन्तर्गत 1,45,838 उद्यमियों को ₹2,541.43 करोड़ के ऋण वितरित करते हुए बैंकों की संचयी स्थिति है।

स्टैण्ड अप भारत योजना (एस.यू.आई.एस.)

5.17 स्टैण्ड अप भारत योजना को देश भर में औपचारिक रूप से शुरू किया गया। स्टैण्ड अप योजना के अधीन समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला प्रतिनिधित्वों द्वारा असेवित तथा कमसेवित क्षेत्रों मे उद्यमशीलता की संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

5.18 इस योजना के अन्तर्गत कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता या कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ₹10.00 लाख से लेकर ₹1.00 करोड़ का ऋण नए उद्यम को स्थापित करने के लिए प्रत्येक बैंक की शाखा द्वारा सुविधा दी जाती है। (इसे ग्रीन फील्ड उद्यम भी कहा जाता है) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिला उद्यमी द्वारा विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में एक नए उद्यम की स्थापना के लिए ऋणों की सुविधा प्रदान की जाती है। सितम्बर, 2019 तक इस योजना के अर्न्तगत बैंकों द्वारा 983 नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए ₹188.05 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

वित्तीय जागरूकता और साक्षरता अभियानः

5.19 वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान, लक्षित समूहों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक हिमाचल प्रदेश में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफ.एल.सी.) तथा अपनी बैंक शाखाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षता अभियान चला रहे है।

बैंकों की व्यापारिक मात्राः

5.20 राज्य के सभी बैंकों द्वारा जमा राशि सितम्बर, 2018 से सितम्बर, 2019 तक ₹1,11,458 करोड़ से बढ़कर ₹1,23,113 करोड़ सितम्बर, 2019 तक दर्ज की गई। बैंकों की जमा राशि में वर्ष दर वर्ष 10.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। कुल अग्रिम सितम्बर, 2018 में ₹46,691

करोड़ से बढ़ कर सितम्बर, 2019 तक 52,209 करोड़ हो गए। इस प्रकार सितम्बर, 2019 तक वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.82 प्रतिशत रही। कुल बैंकिंग कारोबार ₹1,75,321 करोड़ तक बढ़ गया तथा वर्ष दर वर्ष वृद्धि 10.86 प्रतिशत दर्ज की गई।

5.21 बैंकिग क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) का सबसे अधिक 67 प्रतिशत भाग है, आर.आर.बी. का 4 प्रतिशत भाग है, निजी बैंक का 9 प्रतिशत तथा सहकारी बैंक का 20 प्रतिशत भाग है। तुलनात्मक आकड़े नीचे सारणी 5.2 में दर्शाए गए है।

सारणी 5.2
हिमाचल प्रदेश में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद	30.09.2018	30.09.2019	सितम्बर, 2018 से सितम्बर, 2019 में परिवर्तन (वर्श दर वर्श)	
				सम्पूर्ण	प्रतिशत
1.	**जमा राशि (पी.पी.डी.)**				
	ग्रामीण	71734.97	74113.99	2379.02	3.32
	शहरी/अर्ध शहरी	39722.96	48999.01	9276.05	23.35
	कुल	**111457.93**	**123113.00**	**11655.07**	**10.46**
2.	अग्रिम (ओ/एस)				
	ग्रामीण	30707.44	29173.67	(-)1533.77	(-)4.99
	शहरी/अर्ध शहरी	15983.45	23035.02	7051.57	44.12
	कुल	**46690.89**	**52208.69**	**5517.80**	**11.82**
3.	**कुल बैंकिंग व्यापार (जमा+अग्रिम)**	**158148.82**	**175321.69**	**17172.87**	**10.86**
4.	बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बॉड़/प्रतिभूतियों में निवे"ा	263.69	233.09	(-) 30.60	(-) 11.60
5.	जमा उधार अनुपात थरोट कमेटी के आधार पर	47.46	44.33	0.12	0.27
6.	**प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:**	**28763.01**	**30473.41**	**1710.40**	**5.95**
	(i) कृषि	8750.77	9841.32	1090.55	12.46
	(ii) एम.एस.एम.ई.	11635.45	12686.06	1050.61	9.03
	(iii) ओ.पी.एस.	8376.79	7946.03	(-)430.76	(-)5.14
7.	गरीबों को अग्रिम	8032.20	12723.14	4692.94	58.43
8.	डी.आर.आई.अग्रिम	7.38	3.66	(-)3.72	(-) 50.41
9.	अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	17927.88	21735.28	3807.40	21.24
10.	शाखाओं की संख्या	2139	2191	52	2.43
11.	महिलाओं के लिए अग्रिम	3260.16	3668.02	407.86	12.51
12.	अल्प–संख्यकों को ऋण	526.59	557.79	31.20	5.92
13.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अग्रिम	3138.77	2757.99	(-)380.78	(-)12.13

वार्षिक जमा योजना 2019–20 के अन्तर्गत प्रदर्शनः

5.22 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बैंकां ने नाबार्ड की सहायता से, क्षमता के आधार पर विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र की गतिविधियों के लिए वार्षिक जमा योजना तैयार कर नए ऋण अदा किए गए हैं। वार्षिक जमा योजना 2019–20 के अधीन पिछली योजना के वित्तीय परिव्यय में 6.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा ₹25,308 करोड़ परिव्यय का लक्ष्य तय किया गया। सितम्बर, 2019 तक बैंकों ने वार्षिक जमा योजना के अन्तर्गत ₹16,142 करोड़ के नए ऋण वितरित किए तथा 63.78 प्रतिशत की वार्षिक प्रतिबद्धता हासिल की। क्षेत्रवार लक्ष्य तथा उपलब्धि 30.09.2019 तक सारणी 5.3 में दर्शाई गई है।

सारणी 5.3
सितम्बर–2019 तक स्थिति पर एक दृष्टि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य 2019–20	लक्ष्य सितम्बर, 2019	उपलब्धि सितम्बर, 2019	प्रतिशत उपलब्धि सितम्बर, 2019
1.	कृषि	11071.86	5535.93	3645.34	65
2.	एम.एस.एम.ई.	7599.42	3799.71	7817.93	205
3.	शिक्षा	333.11	166.55	64.35	38
4.	हाउसिंग	1531.39	765.70	486.16	63
5.	अन्य प्राथमिक क्षेत्र	1730.22	865.11	89.73	10
6.	**कुल प्राथमिक क्षेत्र (1 से 5)**	**22266.00**	**11133.00**	**12103.51**	**108**
7.	कुल गैर प्राथमिक क्षेत्र	3042.00	1521.00	4039.21	265
	कुल योग(6+7):	**25308.00**	**12654.00**	**16142.72**	**127**

सरकारी प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयनः

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)

5.23 ग्रामीण मन्त्रालय द्वारा भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम को गरीबों में गरीबी कम करने के लिए मजबूत संस्थानों का निर्माण विशेषकर महिलाओं को समर्थ करने के लिए, नई वित्तीय सेवाओं और आजीविका सेवाओं को पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना को राज्य में हि.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। राज्य में इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा ₹64.88 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य 8,620 लाभार्थियों में आवंटित करके अर्जित किया है। बैंक ने एन.आर.एल.एम. योजना के 29 नवम्बर, 2019 तक अन्तर्गत ₹27.87 करोड़ के 2,435 ऋण की स्वीकृति दी है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम (एन.यू.एल.एम.)

5.24 भारत सरकार, आवास मन्त्रालय और शहरी गरीबी उन्मूलन (एम. ओ.एच.यू.पी.ए.) ने मौजूदा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)

को पुनर्गठित किया और राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) को शुरू किया। स्वयं रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.) एन.यू.एल.एम. के घटकों (4 घटकों) में से एक है जो व्यक्तिगत और समूह उद्यमों तथा शहरी गरीबों के स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) की स्थापना के लिए ऋणों पर ब्याज अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। एन.यू.एल.एम. हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास विभाग के ₹10.00 करोड़ के ऋण देने के लक्ष्य को स्वयं रोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.) के अन्तर्गत जोकि डे–एन.यू.एल.एम. का घटक है, वर्ष 2019–20 के दौरान हिमाचल प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा अक्तूबर, 2019 तक ₹2.03 करोड़ के ऋण NULM के अन्तर्गत वितरित किए गए है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

5.25 प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) एक क्रेडिट लिंक्ड अनुदान कार्यक्रम है जोकि भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मन्त्रालय द्वारा प्रशासित है। इस योजना के कार्यन्वयन के लिए खादी एवं ग्रामोउद्योग (के.वी.आई.सी.) राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी है। राज्य स्तर पर के.वी.आई.सी., के.वी.आई.बी. तथा जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से यह योजना कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में 1,181 नई इकाइयों के वित्तपोषण का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन शाखाओं ने ₹35.43 करोड़ का मार्जिन राशि के वितरण का लक्ष्य रखा है। 719 इकाइयों के लिए उद्यमियों को ₹37.72 करोड़ सितम्बर, 2019 तक स्वीकृत किये गये हैं।

डेयरी उद्यमी विकास योजना (डी.ई.डी.एस.)

5.26 नाबार्ड के माध्यम से डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डी.ई.डी.एस.) कृषि और किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा डेयरी क्षेत्र की गतिविधियों के लिए लागू की गई है। नाबार्ड के माध्यम से इस योजना के अन्तर्गत पूंजीगत अनुदान प्रशासित किया जाता है। बैंकों द्वारा सितम्बर, 2019 तक ₹4.27 करोड़ की राशि से 211 प्रस्तावों को (डी.ई.डी.एस.) स्वीकृति दी है।

किसान क्रेडिट कार्ड

5.27 किसानों को बैंकिंग प्रणाली क अन्तर्गत अल्पकालिक ऋण, फसलों की खेती तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए एक ही स्थान एवं समय पर पर्याप्त ऋण बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के माध्यम से दिया जा रहा है। सितम्बर, 2019 तक बैंकों द्वारा 73,854 किसानों को ₹1,584 करोड़ की राशि नये के.सी.सी. के माध्यम से वितरित की गई है। सितम्बर, 2019 तक बैंकों द्वारा कुल 4,25,588 किसानों को के.सी.सी. योजना के अन्तर्गत् ₹6,902 करोड़ की राशि से वित्तोपोषण किया गया हैं

ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.)

5.28 जिला स्तर पर ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने, कौशल उन्नयन के लिए एवं उद्यमिता विकास हेतु बुनियादी ढाचे के लिए ग्रामीण विकास

मन्त्रालय (एम.ओ.आर.डी.) की पहल पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर. एस.ई.टी.आई.) योजना चला रहा है। राज्य के 10 जिलों (लाहौल–स्पिति, किन्नौर छोड़कर) में अग्रणी बैंक, जिनमें यूको बैंक, पी.एन.बी. व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शामिल हैं, द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर.एस.ई.टी.आई.) का गठन किया है। यह ग्रामीण स्वंय रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.) प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन (पी.एम.ई.जी.पी.) योजना व विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

बैंक खातों के साथ आधार लिंकेज के लिए विशेष अभियान तथा सभी मौजूदा बैंक खातों में आधार का सत्यापनः

5.29 हिमाचल प्रदेश में विभिन्न बैंकों द्वारा आधार नामांकन और अद्यतन (अपडेट) के लिए 106 केन्द्रों को चिन्हित किया है।

नाबार्ड

5.30 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, लघु सिंचाई तथा अन्य कृषि क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त ऋण वितरण व्यवस्था में सुदृढ़ीकरण व विस्तृतीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास प्रक्रिया में निरन्तर सहयोग दिया है। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण युक्त अनुदान योजनाएं जैसे डेरी उद्यमिता विकास योजना(डी.ई.डी.एस.), राष्ट्रीय पशुधन मिशन, एग्रीक्लिनिक, कृषि व्यापार केन्द्रों एवं विपणन अधोसंरचना जैसी योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

ग्रामीण अधोसंरचना

5.31 भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में वर्ष 1995–96 में ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की स्थापना की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिए जाते हैं।

5.32 ग्रामीण अधोसंरचना विकास (आर.आई.डी.एफ.) निधि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों व बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है, 1995–96 में इसकी शुरुआत से ही, यह राज्य सरकारों की साझेदारी में नाबार्ड के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा है। प्रारम्भ में आर.आई.डी.एफ. निधि का उपयोग राज्य सरकार की सिंचाई क्षेत्र की अधूरी पड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता रहा है परन्तु समय के साथ–साथ इस निधि के उपयोग से वित्तीय सहायता का क्षेत्र विस्तृत करके 37 कार्यकलापों जिनमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा ग्रामीण सम्पर्क सम्बन्धित आधारभूत कार्यकलाप भी शामिल है।

5.33 इस निधि के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में आर.आई.डी.एफ–I में ₹15.00 करोड़ का बजट प्रावधान था जो अब बढ़कर आर.आई.डी.एफ–XXV में (वर्ष 2019–20) में ₹700.00 करोड़ हो गया है। आर.आई.डी.एफ. ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिंचाई, सड़कें तथा पुल निर्माण, बाढ़ नियन्त्रण, पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा,

पशुधन सेवाएं, जलागम विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल ही के वर्षो में पॉली हाउस व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आदि नवीन परियोजनाओं के विकास के लिए भी सहायता प्रदान की है

5.34 आर.आई.डी.एफ. निधि के अन्तर्गत राज्य को 31.12.2019 तक 7,902 परियोजनाओं को लागू करने के लिए ₹7,880.17 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें मुख्यतः ग्रामीण सड़कें, पुल, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, पशुपालन आदि की परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन्हें स्वीकृति दी है।

पुर्नवित्त सहायता

5.35 नाबार्ड द्वारा पुर्नवित्त सहायता स्वरूप बैंकों को वर्ष 2018–19 के दौरान ने ₹1.247.02 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की है और 2019–20 में 31.12.2019 तक ₹1,235.83 करोड़ की कुल राशि बैंकों को प्रदान की गई है।

5.36 ग्रामीण आवास, लघु सड़क परिवहन आपरेटरों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, डेयरी, विकास, स्वंय सहायता समूह, कृषि यंत्रीकरण, मुर्गी पालन, वृक्षारोपण एवं बागवानी, भेड/ बकरी/ सुअर पालन, पैकिंग ग्रेडिंग व अन्य शामिल क्षेत्रों के विभिन्न कार्यो के लिए बोर्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए ₹385.83 करोड की वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2019–20 में 31.12.2019 तक प्रदान की गई है।

5.37 नाबार्ड ने सहकारी में बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए ₹820.00 करोड़ की लघु अवधि ऋण सीमा स्वीकृत की थी। इन बैंकों द्वारा ₹710.00 करोड़ का पुर्नवित्त सहायता नाबार्ड से 31.03.2019 तक प्राप्त की है। वर्ष 2019–20 के लिए भी ₹880.00 करोड़ की ऋण सीमा मंजूर की गई है और इसके अन्तर्गत 31.12.2019 तक कुल ₹850.00 करोड़ का संवितरण किया जा चुका है।

लघु ऋण

5.38 स्वंय सहायता समूह (एस.एच.जी.) कार्यक्रम अब सारे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च शिखर पर पहुंचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश में 54,793 क्रेडिट लिंक्ड स्वयं सहायता समूहों ने लगभग 7.93 लाख ग्रामीण परिवारों को कुल 13.12 लाख ग्रामीण परिवारों में से जोड़ा है 31 मार्च, 2019 तक ₹7641 लाख का कुल ऋण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से नाबार्ड द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रमों को दो जिलों जिनमें मण्डी व सिरमौर में क्रमशः 1,500 व 1,455 महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ₹29.55 करोड़ क्रेडिट लिंकेज के लक्ष्य के लिए अनुदान सहायता दी गई है। 31.12.2019 तक कुल 2,926 महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को बचत तथा 2,782 महिलाओं के स्वंय सहायता समूहों को क्रेडिट लिंक के साथ जोड़ा गया।

5.39 केन्द्रीय बजट 2014–15 में संयुक्त कृषि समूहों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड द्वारा किए गए वित्तपोषण के प्रयासों से संयुक्त देयता समूह साधन से भूमिहीन किसानों तक वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए नूतन पहल हुई है। प्रदेश में 31.12.2019 तक 3,882 संयुक्त देयता समूहों को ऋण प्रदान किया गया है।

नाबार्ड की कृषि क्षेत्र में पहलः

कृषक उत्पादन संगठन का प्रचार

5.40 कृषक उत्पादक संगठन एक वैध संस्था (एफ.पी.ओ) है, जिसका गठन प्राथमिक उत्पादकों जैसे कि किसान, दूग्ध उत्पादकों तथा मछुआरों द्वारा किया जाता है। एफ.पी.ओ. एक निर्माता कंपनी, सहकारी समिति या कोई अन्य वैध रुप में हो सकती है, जो सदस्यों के बीच लाभ/ सुविधाओं का बंटवारा करती है। एफ.पी.ओ. का मुख्य उद्देश्य स्वंय संगठित होकर उत्पादकों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने पूरे देश में एफ. पी.ओ. के प्रचार और पोषण के लिए अपना कोष बनाया है। हिमाचल प्रदेश राज्य में नाबार्ड ने शिमला, मण्डी, किन्नौर, सिरमौर, चम्बा, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू तथा सोलन जिलों में 87 एफ.पी.ओ. के गठन/प्रचार के लिए ₹849.86 लाख के अनुदान को स्वीकृत दी है। यह एफ.पी.ओ. संयुक्त रुप से सब्जियों, औषधियों और सुगंधित पौधों और फूलों के उत्पादन, प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन का कार्य करेंगें।

जनजातीय विकास निधि के माध्यम से जनजातीय लोगों का विकासः (टी.डी. एफ.)

5.41 नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने जनजातीय विकास निधि के अर्न्तगत् 07 परियोजनाओं में कुल वित्तीय सहायता 31.12.2019 तक ₹1226.98 लाख जिसमें अनुदान सहायता ₹1170.68 लाख तथा ऋण सहायता ₹56.30 लाख हैं, से 2,325 परिवारों को समाविष्ट किया गया है। इन गांवों में वादी (छोटे उद्यानों) और डेयरी इकाइयों की स्थापना करना है। इनके अर्न्तगत 1,546 एकड़ भूमि में आम, किन्नू, नींबू, सेब, अखरोट, नाशपाती और जंगली खुबानी के पौधे लगाए गए हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत् छोटे उद्यानों और डेयरी के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं।

कृषि क्षेत्र प्रोत्साहन कोष के माध्यम से सहायताः (एफ.एस.पी.एफ.)

5.42 एफ.एस.पी.एफ. के अन्तर्गत अब तक 13,897 किसानों को लाभान्वित करने के लिए ₹243.11 लाख की संचयी अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है। वर्ष 2019–20 के दौरान 31.12.2019 तक 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है यह परियोजनाएं बांस और सम्बन्धित शिल्प की बढ़ोतरी, चिलगोजा पांइस का संरक्षण, बेहतर पोषण प्रबंधन से (सिलेज) परिरक्षित चारा बनाने की तकनीक की लोकप्रियता, क्षमता निर्माण के माध्यम से आजीविका बढ़ाने और विभिन्न फसलों पर बेहतर प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, जल संवर्धन सहित उच्च तकनीकी से कृषि को बढ़ावा देने से सम्बन्धित है।

नाबार्ड की नए व्यावसायों में पहल

संघों को वित्तीय सहायता

5.43 कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य कृषि गतिविधियों में विपणन महासंघों/ सहकारी संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए एक अलग ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। विपणन महासंघों/सहकारी संस्थाएं, जिनके सदस्य/ शेयर धारकों (पैक्स) या अन्य उत्पादक संगठन इस योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। वित्तीय सहायता, लघु अवधि के कर्ज के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) योजना के तहत फसल की खरीद के लिए और किसानों को बीज की आपूर्ति, उर्वरक, कीटनाशक, पौध संरक्षण आदि के लिए उपलब्ध होगी और लंबी अवधि के कर्ज के रूप में छंटाई और श्रेणीकरण, प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन आदि सहित फसल एकत्र प्रबन्धन के लिए उपलब्ध होगी। इन संघों/सहकारी संस्थाओं को कृषि सलाह सेवाएं और ई–कृषि विपणन के माध्यम से बाजार की जानकारी प्रदान करने के लिए भी सहयोग दिया जाएगा।

नैबकॉन्स (Nabcons)

5.44 नैबकॉन्स नाबार्ड की परामर्श हेतु पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है और यह कृषि, ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करती है। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में विशेषकर बहु–विषयी परियोजनाएं, जैसे बैंकिंग, संस्थागत विकास, बुनियादी सुविधाओं और प्रशिक्षण आदि के लिए नैबकॉन्स, नाबार्ड की विशेष योग्यता का लाभ उठाती है।

5.45 नैबकॉन्स ने निम्नलिखित प्रमुख कार्य पूर्ण किये है:

- किन्नौर एवं लाहौल–स्पिति जिले में सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम का तीसरा पक्ष निरीक्षण।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अन्तर्गत किये गए कार्यो की तीसरा पक्ष समीक्षा।
- हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के लिए नियंत्रित वातावरण/नियंत्रित भंडारण और मण्डी स्वचालन के लिए प्रबंधन हेतु परामर्श।
- राज्य में 12 सी.ए. स्टोर / सी. एस. कोल्ड स्टोर स्थापन के लिए साध्यता अध्ययन।
- राज्य के ए.पी.एम.सी. के लिए मंडी प्रबंधन सूचना प्रणाली की रूपरेखा, विकास एवं कार्यान्वयन।
- वाटर शेड परियोजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन ।
- बागवानी (MIDH) के एकत्रित विकास के लिए मिशन का प्रभाव आंकलन।
- हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन. एफ.एस.एम.) NFSM के प्रभाव का आंकलन।

मूल्य संचलन और खाद्य प्रबन्धन

6 अध्याय

परिचय

6.1 हिमाचल की अर्थव्यवस्था उपभोग अर्थव्यवस्था मानी जाती है। प्रायः उपभोग मांग पर निर्भर होती है और भाव हमेशा मांग व पूर्ति के नियम पर निर्भर होते है। भाव के व्यवहार को समझने के साथ–साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण में हेराफेरी पर निगरानी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई आदशों/अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है। वर्ष के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों पर अंकुश आर्थिक व सांख्यिकी विभाग द्वारा रखा गया ताकि भावों में अनावश्यक बढ़ोतरी को समय पर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सके।

मुद्रास्फीति में वर्तमान रुझान

6.2 मुद्रास्फीति पर नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता सूची में है। मुद्रास्फीति आम व्यक्ति को उसकी आय द्वारा कीमतों तक पहुंच से दूर रहने के कारण परेशान करती है। मुद्रास्फीति के उतार–चढ़ाव को कई सूचकांकों के द्वारा मापा जाता है। जैसे थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिकों के लिए) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि श्रमिकों के लिए) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण श्रमिकों के लिए) आदि। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विगत 5 दशकों से मुद्रास्फीति में तीव्र कमी के साक्ष्य उपलब्ध है (विश्व बैंक 2019) और मुद्रास्फीति में कमी विश्व के सभी देशों में दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में मुद्रास्फीति 2014–15 से मध्यम स्तर पर रही है। हैडलाईन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि 2019–20 (अप्रैल से दिसम्बर 2019) दर्ज की जबकि इस सूचकांक में वृद्धि 1.3 प्रतिशत 2018–19 (अप्रैल से दिसम्बर 2018) तक दर्ज की गई थी। मुद्रास्फीति में 2.5 प्रतिशत की बढोतरी मुख्यतः सब्जियों के दामों मे वृद्धि से हुई है। थोक मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति भी कम रही यद्यपि थोक मूल्य सूचकांक में 2015–16 और 2018–19 के बीच में कमी देखी गई है और 2018–19 (अप्रैल से दिसम्बर 2018 तक) में 4.7 प्रतिशत दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2019–20(अप्रैल से दिसम्बर 2019 तक) में यह पुनः गिरावट की ओर है और यह मात्र 1.5 प्रतिशत रही, जो गिरावट दिखाती हैं। सारणी (6.1, 6.2) खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट 2017–18 और 2018–19 के बीच में देखी गई है, जो मुद्रास्फीति में प्रबल कमी के लिए प्रमुख सहायक घटक रही है साथ ही साथ यह देखा गया है कि मुद्रास्फीति की गतिशीलता में परिवर्तन आ रहा है। 2014–15 से मुद्रास्फीति के औसतन स्तरों में अत्याधिक गिरावट हुई है। न केवल मुद्रास्फीति के औसतन स्तरों में गिरावट आई है बल्कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति का अधिकतम स्तर भी बहुत कम है।

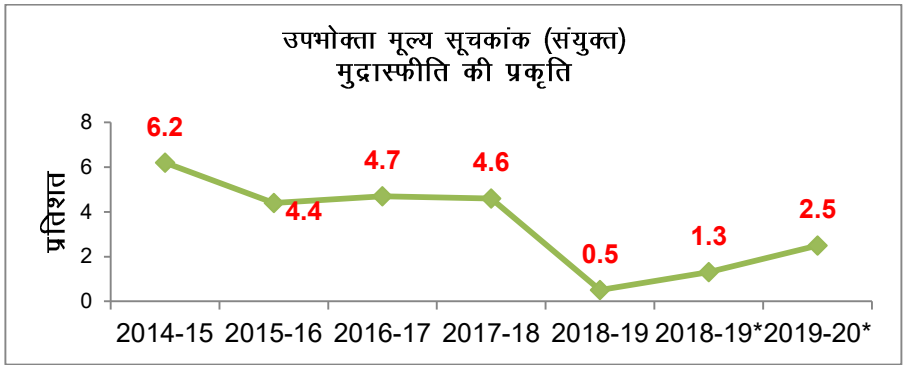

सारणी 6.1
सामान्य मुद्रास्फीति विभिन्न कीमत सूचकांक के आधार पर (प्रतिशत में)

सूचकांक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19*	2019-20*(अ)
थोक मूल्य सूचकांक	1.2	-3.7	1.7	3.0	4.3	4.7	1.5
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त)	6.2	4.4	4.7	4.6	0.5	1.3	2.5
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक)	5.6	4.4	4.7	4.1	3.1	3.2	4.7
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृशि श्रमिक)	8.8	4.4	4.9	2.7	1.2	0.7	3.6
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण श्रमिक)	8.7	4.3	5.5	2.6	1.3	0.7	3.7

स्त्रोतः आर्थिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार, (थोक मूल्य सूचकांक) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त), और श्रम व्यूरो (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण श्रमिक)

* अप्रैल से दिसम्बर तक

थोक मूल्य सूचकांकः

6.3 थोक मूल्य सूचकांक दिसम्बर, 2018 में 119.7 से बढ़कर दिसम्बर, 2019 में 122.8 हो गया जो मुद्रास्फीति में 2.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है। औसत मासिक थोक मूल्य सूचकांक व वर्ष 2019–20 थोक मुद्रास्फीति की दर सारणी (6.2) दर्शाई गई है। वर्ष 2019–20 में थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति जुलाई, 2019 से नवम्बर, 2019 तक 1.2 प्रतिशत से लेकर 0.6 प्रतिशत तक की निरन्तर कमी रही परन्तु दिसम्बर, 2019 में इसमें 2.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। खाद्य सूचकांक में वित्तीय वर्ष 2017–18 और 2018–19 में कमी दर्ज की गई परन्तु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 (अप्रैल से दिसम्बर 2019 तक) 6.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी (सारणी 6.2) दर्ज की गई।

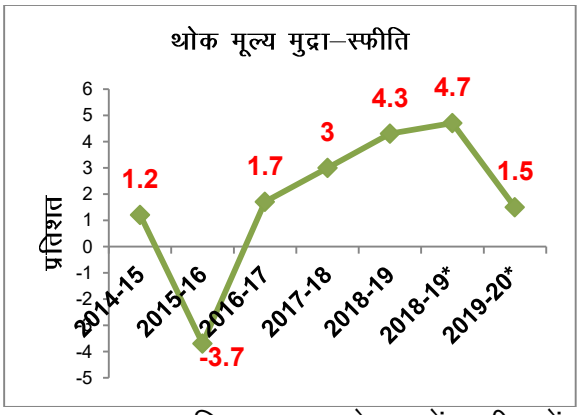

6.4 हिमाचल प्रदेश में कीमतों की स्थिति पर निरन्तर नियंत्रण रखा जा रहा है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्रदेश में कीमतों पर निगरानी व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की प्रक्रिया का रख–रखाव एवं वितरण 4,957 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। खाद्य में असुरक्षा एवं भेद्यता को मॉनिटर एवं व्यवस्थित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जी.आई.एस.के माध्यम द्वारा खाद्य असुरक्षा भेद्यता मैपिंग प्रणाली (एफ.आई.वी.आई.एम.एस.) लागू कर रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के भाव नियंत्रण में रहे जिस कारण हिमाचल प्रदेश का ओद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में कम दर से बढ़ा। नवम्बर, 2019 में हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिकों के लिए) में राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 8.61 प्रतिशत की तुलना में प्रदेश की वृद्धि 5.64 प्रतिशत आंकी गई। (तालिकाः 6.3, 6.4)

सारणी 6.2

थोक कीमत सूचकांक के चुनिंदा समूह में मुद्रास्फीति–आधार वर्ष 2011–12

(प्रतिशत में)

विवरण	भार	2017–18	2018–19	2019–20*	जुलाई–19	अगस्त–19	सितम्बर–19	अक्तूबर–19	नवम्बर–19(अ)	दिसम्बर–19(अ)
सभी वस्तुएं	100.0	3.0	4.3	1.5	1.2	1.2	0.3	0.0	0.6	2.6
खाद्य सूचकांक	24.4	1.9	0.6	6.7	4.9	5.9	6.1	7.6	9.0	11.0
खाद्य वस्तुएं	15.3	2.1	0.4	8.6	6.6	7.8	7.5	9.8	11.1	13.2
अनाज	2.8	0.3	5.5	8.2	8.7	8.5	8.7	8.3	7.9	7.7
दालों	0.6	-27.1	-9.4	17.3	20.0	16.4	17.9	16.6	16.6	13.1
सब्जियों	1.9	18.8	-8.4	31.4	10.5	12.9	19.3	39.0	45.3	69.7
फलों	1.6	5.0	-1.7	4.4	15.4	19.8	6.7	2.7	4.3	3.5
दूध	4.4	4.0	2.4	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	2.6
अंडा, मीट और मछली	2.4	2.0	1.7	6.6	3.6	7.0	7.7	7.6	8.2	6.2
खाद्योत्पाद	9.1	1.6	0.9	3.2	1.8	2.2	3.6	3.8	5.0	6.9
वनस्पति और पशु तेल तथा वसा	2.6	2.2	7.5	-2.4	-6.6	-4.1	-2.8	-1.9	2.2	9.7
चीनी	1.1	3.4	-10.7	4.0	-1.0	1.4	4.7	3.2	3.1	4.7
इंधन और बिजली	13.2	8.1	11.6	-3.1	-3.6	-3.5	-6.7	-8.1	-7.3	-1.5
गैर खाद्य विनिर्मित उत्पाद(मुख्य)	55.1	3.0	4.2	-0.3	0.0	-0.4	-1.2	1.8	-1.9	-1.6

अ अस्थिर

* अप्रैल से दिसम्बर, 2019 तक

स्त्रोतः एन.एस.ओ

सारणी 6.3
हिमाचल प्रदेश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए
(आधार वर्ष–2001–100)

माह	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
अप्रैल	219	227	237	248	257	270	5.06
मई	219	229	238	247	256	271	5.86
जून	221	230	241	250	258	272	5.43
जुलाई	227	233	246	257	265	274	3.40
अगस्त	229	234	246	259	267	275	3.00
सितम्बर	228	236	245	258	266	277	4.14
अक्तूबर	227	239	248	258	267	280	4.87
नवम्बर	225	241	248	260	266	281	5.64
दिसम्बर	224	238	246	259	265	..	..
जनवरी	225	237	251	258	266	..	..
फरवरी	225	237	252	256	266	..	..
मार्च	226	236	253	256	267	..	..
औसत	**225**	**235**	**246**	**256**	**264**	..	..

सारणी 6.4
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए
(आधार वर्ष–2001–100)

माह	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन
अप्रैल	242	256	271	277	288	312	8.33
मई	244	258	275	278	289	314	8.65
जून	246	261	277	280	291	316	8.59
जुलाई	252	263	280	285	301	319	5.98
अगस्त	253	264	278	285	301	320	6.31
सितम्बर	253	266	277	285	301	322	6.98
अक्तूबर	253	269	278	287	302	325	7.62
नवम्बर	253	270	277	288	302	328	8.61
दिसम्बर	253	269	275	286	301		
जनवरी	254	269	274	288	307		
फरवरी	253	267	274	287	307		
मार्च	254	268	275	287	309		
औसत	**251**	**265**	**276**	**284**	**300**		

मुद्रास्फीति के चालक

6.5 मुद्रास्फीति में तीव्र कमी के कई सहायक कारण हो सकते है जैसेः समायोजनशील मौद्रिक और राजकोषीय नीति की स्वीकार्यता, श्रम और उत्पाद बाजार में संरचनात्मक सुधार जो प्रतिस्पर्धा की मजबूती दे और लक्ष्यात्मक मुद्रास्फीति तंत्र का विकास इत्यादि, 24 उभरते और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने कम खाद्य मुद्रास्फीति के कारण 2014 से आधुनिक मुद्रास्फीति की साक्ष्य बनी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्य व पेय पद्यार्थों की मुद्रास्फीति का व्यवहार अलग रहा है खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी सब्जियों, फलों, दालों के भाव के कारण रही है। मुद्रास्फीति में अस्थिरता का एक छुपा कारण कम और अधिक उत्पादन भी है सरकारी अत्याधिक कानूनी हस्तक्षेप के कारण भी बाजारू मुद्रास्फीति होती है। सभी राज्यों में मुद्रास्फीति घट रही है, 2012 से मुद्रास्फीति की गति में परिवर्तन हुआ है। हैडलाइन मुद्रास्फीति से मूल मुद्रास्फीति की तरफ के बदलाव के प्रत्यक्ष साक्ष्य मिले हैं। वर्तमान अवधि में, मुद्रास्फीति का प्रेषण गैर–मूल घटकों से घटकों की तरफ न्यून रहा है। मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क के लागू होने से 1990 में मुद्रास्फीति के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। (विश्व बैंक 2019) भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य 5 अगस्त, 2016 को पांच वर्षों के लिए परिलक्षित किए गए, जो 31 मार्च, 2021 तक रहेंगे।

आवश्यक वस्तु की कीमतों में परिवर्तनशीलता

6.6 आवश्यक वस्तुओं के भाव में अस्थिरता अप्रैल से दिसम्बर 2018 और अप्रैल से दिसम्बर 2019 के मध्य विश्लेषण के द्वारा की गई है। इसके लिए साधारण विश्लेषण प्रणाली को अपनाया गया। निदर्शन की यह प्रणाली मध्य से मदों की दूरी को दर्शाती है, इससे यह प्रतीत हुआ कि चावल, गेहूं, चीनी, गुड़, सरसों का तेल और सीमेंट के भाव अप्रैल, 2018 से प्रर्याप्त आपूर्ति व अधिक घरेलू उत्पादन चावल व गेहूं के प्रर्याप्त वफर स्टॉक जो खाद्य सुरक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी था के कारण मुद्रास्फीति नहीं बढ़ी। यह भी देखा गया है कि सब्जियों के (सारणी 6.5) भाव में अस्थिरता अधिक व चावल, गेंहू, गुड़, सरसों का तेल, चीनी व सीमेंट में अस्थिरता कम रही। अप्रैल से दिसम्बर, 2018 और अप्रैल से दिसम्बर, 2019 के बीच में दालों, मिट्टी का तेल, और प्याज की कीमतों में अधिक अस्थिरता देखी गई।

सारणीः 6.5
राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें

क्र0सं0	मदें	अप्रैल, 2018 से दिसम्बर, 2018	अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019	मूल्य परिवर्तन/ अस्थिरता
1	चावल परमल)	33.19	33.64	1.37
2	गेहूं कल्याण	20.16	20.89	3.65
3	गेहूं का आटा	25.38	27.05	6.56
4	उड़द दाल	71.76	83.96	17.01
5	चना दाल	64.58	68.18	5.57
6	गुड़	42.23	43.47	2.94
7	मूंगफली का तेल	143.35	151.91	5.97
8	चीनी	40.09	40.46	0.92
9	सरसों का तेल	124.26	126.16	1.53
10	वनस्पति घी	89.20	87.60	-1.80
11	ब्रुक बॉड चाय	291.29	286.85	-1.52
12	प्याज	25.18	44.04	74.91
13	टालू	24.45	23.88	-2.30
14	सीमेंट	376.85	385.57	2.31
15	मिट्टी का तेल	27.05	33.96	25.55
16	चीनी का पैक्ट	51.11	52.47	2.65

स्त्रोतः आर्थिक सलाहकार, हि0प्र0 सरकार

6.7 वित्त वर्ष 2019–20 में थोक मूल्य सूचकांक में कमी रही, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) में थोड़ी वृद्धि रही जो मुख्यतः खाद्य कीमतों के कारण रही। खाद्य मुद्रास्फीति की कुल मुद्रास्फीति में चालू वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान मुख्य भूमिका है। आवश्यक वस्तुएं जैसे प्याज में अगस्त, 2019 से बहुत अधिक मंहगाई हुई है। बेमौसमी वर्षा के कारण प्याज का कम उत्पादन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप प्याज की कम आपूर्ति हुई और प्याज की कीमत में वृद्धि हुई। सरकार ने प्याज की कीमतों की वृद्धि रोकने के लिए प्रर्याप्त प्रयास किए। बहुत सी कृषि आधारित जरुरी वस्तुओं जिसमें दालों को छोड़कर सभी वस्तुओं में कमी दर्ज की गई। मुद्रास्फीति का एक ओर कारण थोक और परचून भावों के बीच में अधिक अन्तर भी मुख्य कारण रहा। मूल्य अन्तर विभिन्न केन्द्रों के बीच भी बदलता रहता है, जो अधिक मात्रा में बिचौलियों व अधिक यातायात कीमतों को दर्शाता है।

खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति

6.8 सार्वजनिक वितरण प्रणाली लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सरकार की नीति का एक विशेष घटक है, जो उचित मूल्य की 4,957 दुकानों द्वारा जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूँ, गेहूँ का आटा, चावल, लेवी चीनी इत्यादि की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। खाद्य पदार्थों के वितरण करने हेतु सभी परिवारों को दो श्रेणियों में बांटा गया है।

1) एन.एफ.एस.ए.(पात्र गृहस्थियां)
   i) अन्तोदय अन्न योजना
   ii) प्राथमिक गृहस्थियां
2) नॉन–एन.एफ.एस.ए.(ए.पी.एल.)

6.9 राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 18,75,031 डिजीटल राशन कार्ड धारक है, जोकि 72,90,044 आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इन राशन कार्ड धारकों को 4,957 उचित मूल्य की दुकानों जिसमें 3,227 सहकारी समितियां, 13 पंचायत, 74 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के आउटलेट, 1,631 व्यक्तिगत आउटलेट और 12 महिला मण्डल शामिल हैं। वर्ष 2019–20 में दिसंबर, 2019 तक के दौरान आवश्यक वस्तुओं का वितरण तालिका 6.6 के अनुसार है

6.10 वर्तमान में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा हि.प्र. राज्य अनुदानित वस्तुओं के वितरण का ब्यौरा निम्न प्रकार से सारणी 6.7 में किया गया है।

सारणी 6.6
आवश्यक वस्तुओं का वितरण

क्र0सं0	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण दिसम्बर, 2019 तक
1.	गेहूँ/गेहूँ का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	1,20,979
2.	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	57,714
3.	गेहूँ(बी.पी.एल.)/आटा (बी.पी.एल.)/आटा (पी.एच.एच.)	मी. टन	48,614
4.	चावल (बी.पी.एल.)/ (पी.एच.एच.)	मी. टन	41,682
5.	गेहूँ/आटा (ए.ए.वाई./एन.एफ.एस.ए.)	मी. टन	58,692
6.	चावल (ए.ए.वाई./एन.एफ.एस.ए.)	मी. टन	23,840
7.	चावल अन्नपूर्णा	मी. टन	4
8.	लेवी चीनी/चीनी(एन.एफ.एस.ए./ए.पी.एल.)	मी. टन	32,006
9.	दालें	मी. टन	30,990
10.	आयोडीन नमक	मी. टन	8,972
11.	रिफाइन्ड तेल	कि.लीटर	5,501
12.	सरसों का तेल	कि.लीटर	21,591

स्त्रोतः खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले, हि.प्र. सरकार

सारणी 6.7
आवश्यक वस्तुओं का वितरण

क0 सं0	मद	प्रति परिवार/प्रति माह वितरण मात्रा
1	दालें	एक किलो प्रति दाल (प्रदेश के उपभोक्ताओं को 4 दालों में से 3 दालें चुनने का विकल्प दिया गया हैं। उड़द साबुत, दाल चना, दाल मलका, मूंग साबुत विकल्प के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं।) दाल उड़द ₹55.00 प्रति किलोग्राम, दाल चना ₹40.00 प्रति किलोग्राम, दाल मलका ₹40.00 प्रति किलोग्राम, मूंग साबुत ₹55.00 प्रति किलोग्राम।
2	खाद्य तेल	(सरसों व रिफाइंड) 1 व 2 सदस्यों वाले परिवारों को 1 लीटर खाद्य तेल, 3 व 3 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को 2 किलोग्राम खाद्य तेल प्रतिमाह (सरसों का तेल ₹75.00 प्रति लीटर, सोया रिफाइण्ड तेल ₹72.00 प्रति लीटर)।
3	आयोडाइज्ड़ नमक	एक किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक ₹4.00 प्रति किलोग्राम।
4	**नान–एन.एफ.एस.ए. (ए.पी.एल.)**	18 किलोग्राम गेंहू/आटा ₹8.60 प्रति किलो की दर से, 5.50 किलो चावल ₹10.00 प्रति किलो की दर से।
5	**एन.एफ.एस.ए.**	
	i) ए.ए.वाई. कार्ड	35 किलोग्राम प्रति परिवार–20 किलो ग्राम गन्दम/आटा ₹2.00 प्रति किलोग्राम की दर से व 15 किलो ग्राम चावल ₹3.00 प्रति किलोग्राम की दर से।
	ii)प्राथमिक गृहस्थियां	5 प्रति किलोग्राम प्रति व्यक्ति –3 किलोग्राम गेहूँ ₹2.00 प्रति किलोग्राम की दर से व 2 किलोग्राम चावल ₹3.00 प्रति किलो ग्राम की दर से।
	क) बी.पी.एल.	5 किलो ग्राम प्रति व्यक्ति–3 किलो गेहूँ ₹2.00 प्रति किलोग्राम की दर से व 2 किलोग्राम चावल ₹3.00 प्रति किलोग्राम की दर से। बी.पी.एल. परिवारों को पूर्व की तर्ज पर 35 किलोग्राम चावल प्रति परिवार राशन उपलब्ध करवाने हेतु बी.पी.एल. दरों पर (गेहूँ ₹5.25 प्रति किलोग्राम की दर से, चावल ₹6.85 प्रति किलो ग्राम की दर से)। अतिरिक्त खाद्यान्न जारी किए जा रहे हैं। जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार गेहूँ और चावल वितरित की जाएगी जिसका विवरण इस प्रकार से हैः– गेहूँ व चावल एक सदस्यीय परिवार के लिए 17 किलोग्राम व 13 किलोग्राम चावल, दो सदस्यीय परिवार को 14 तथा 11 किलोग्राम, तीन सदस्यीय परिवार के लिए 11 व 9 किलोग्राम, चार सदस्यीय तक के परिवार के लिए 8 व 7 किलोग्राम, पांच सदस्यीय परिवार के लिए 5 व 5 किलोग्राम तथा छः सदस्यीय परिवार के लिए 2 व 3 किलोग्राम की दर से होगा।
	ख) अन्नपूर्णा कार्ड धारकों का	10 किलो चावल मुफ्त में।

6	चीनी	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नान–एन.एफ.एस.ऐ. कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 500 ग्राम प्रतिमाह ₹24.00 प्रति किलो की दर से । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अतिरिक्त नान–एन.एफ.एस.ऐ. कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 500 ग्राम प्रतिमाह प्रति व्यक्ति ₹13.00 प्रति किलो की दर से । **नोटः** अन्तोदय परिवार के एक व दो सदस्य वाले लाभार्थी परिवार को 1 किलो ग्राम चीनी प्रतिमाह व दो से ज्यादा सदस्य वाले लाभार्थी परिवार को 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी प्रति माह ₹13.00 प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाई जा रही है।

सारणी 6.8
जन–जातीय क्षेत्र के लिए वस्तुओं का वितरण व प्रेषण दिसम्बर, 2019

क0सं0	वस्तु का नाम	इकाई	मात्रा
1	गेहूँ/गेहूँ का आटा (ए.पी.एल.)	मी. टन	5,959
2	चावल (ए.पी.एल.)	मी. टन	3,759
3	गेहूँ (बी.पी.एल.)	मी. टन	459
4	चावल (बी.पी.एल.)	मी. टन	519
5	गेहूँ (ए.ए.वाई./ एन.एफ.एस.ए.)	मी. टन	2,320
6	चावल (ए.ए.वाई./एन.एफ.एस.ए.)	मी. टन	1,784
7	चावल अन्नपूर्णा	मी. टन	0
8	चीनी	मी. टन	878
9	मिट्टी का तेल	कि0 ली0	412
10	रसोई गैस 14.2 कि.ग्रा	संख्या	1,13,192
11	आयोडीन नमक	मी. टन	324
12	दालें	मी. टन	892
13	खाद्य तेल	कि.लीटर	783

राज्य के जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में खाद्य व्यवस्थाः

6.11 निगम आवश्यक वस्तुएं, जैसे पैट्रोलियम उत्पाद, मिट्टी तेल व एल.पी.जी. जन–जातीय एवं अगमय क्षेत्रों में जहां कारोबारी व्यवसाय को चलाने में घाटे के दृष्टिगत आगे नहीं आते है, जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, दिसम्बर, 2019 तक निगम ने सरकार की जनजाति कार्य योजना के अनुसार जनजातीय व हिमाच्छादित क्षेत्रों में आवश्यक

वस्तुएं व पैट्रोलियम उत्पादों की व्यवस्था सारणी 6.8 के अनुसार सुनिश्चित की है।

हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम

6.12 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूति निगम हिमाचल प्रदेश सरकार की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत नियन्त्रित व अनियन्त्रित वस्तुओं के प्रापण एव ंवितरण की एक नोडल एजैन्सी के रुप में सन्तोषजनक कार्य कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक निगम ने विभिन्न वस्तुएं जिनका मूल्य ₹1035.52 करोड़ था, का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष में इसी अवधि में ₹978.20 करोड़ था।

6.13 वर्तमान में निगम अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे कि रसोई गैस, डीजल/ पैट्रोल/मिट्टी का तेल और जीवन रक्षक दवाईयों को उचित मूल्यों पर 116 थोक बिक्री केन्द्रों, 72 उचित मूल्यों की दुकानों/अपना स्टोर, 54 गैस एजेंसियों, 4 पेट्रोल पम्प और 32 दवाईयों की दुकानों के माध्यम से प्रदेश के कोने–कोने में वितरण कर रहा है।इसके अतिरिक्त निगम थोक व परचून बिक्री केन्द्रों के माध्यम से अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे चीनी, दालें, चावल, आटा, डिटरजैंट पाउडर व साबुन, चाय पत्ती, कापियां, सीमेंट, सी.जी.आई. शीट्स, दवाईयां, विशेष पोषाहार स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुएं, मनरेगा सीमेन्ट व पट्रोलियम पदार्थों इत्यादि का प्रापण एवं वितरण कर रहा है जिससे निश्चित रुप से इन वस्तुओं के लिए प्रदेश में महंगाई स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक निगम द्वारा विभिन्न वस्तुओं का मूल्य ₹477.27करोड़ का प्रापण एवं वितरण किया गया है जो पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए मूल्य ₹473.42 करोड़ की थी।

6.14 निगम दोपहर के भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक व अपर प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा आवंटित चावल एवं अन्य खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक निगम ने 9,889 मी.टन चावल जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 9,881 मी.टन था का वितरण किया है। निगम सरकार की विशेष अनुदानित स्कीम के अंतर्गत चिन्हित वस्तुओं (दालें, खाद्य सरसों का तेल व रिफाईड तेल और नमक) की सरकार द्वारा गठित प्रापण कमेटी के निर्णयानुसार आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक ₹384.00 करोड़ की विभिन्न वस्तुएं सभी राशनकार्ड धारकों को तय मानकों के अनुसार का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में ₹377.00 करोड़ थी। इस योजना को लागू करने के लिए वर्ष 2019–20 में ₹220.00 करोड़ राज्य अनुदान के रुप में बजट में प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान निगम का कारोबार ₹1,450.00 करोड़ रहने की संभावना है, जो गत वर्ष 2018–19 के दौरान ₹1,356.11 करोड़ का था।

सरकारी आपूर्ति

6.15 हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम सरकारी अस्पतालों को आयुर्वैदिक दवाईयां, सरकारी विभागों/ बोर्डों/ उपक्रमों/ अन्य सरकारी संस्थाओं को सीमेंट और जी.आई./ डी.आई/सी.आई.

पाईपें, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 में सरकारी आपूर्ति (अनन्तिम स्थिति) निम्न प्रकार रहेगी:–

(₹करोड़ में)

1	सीमेंट की आपूर्ति	74.99
2	जी.आई./डी.आई/ सी.आई. एवं जन–स्वास्थ्य विभाग	147.89
3	आयुर्वेदिक दवाईयां स्कूल की	10.46
4	वर्दी और बैग	65.41
	जोड	**298.75**

मनरेगा सीमेंट की आपूर्ति

6.16 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान दिसम्बर, 2019 तक निगम ने प्रदेश की विभिन्न पंचायतों के विकास कार्य में प्रयोग के लिए 30,60,740 बैग सीमेंट जिसकी राशि ₹70.74 करोड़ बनती है का सीमेंट फैक्ट्रियों से प्रापण व आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

लाभांश

6.17 निगम अपनी स्थापना वर्ष 1980 से लगातार लाभ अर्जित कर रहा है। निगम ने वर्ष 2018–19 के दौरान ₹1.18 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया तथा ₹35.15 लाख हिमाचल सरकार को लाभांश के रूप में देना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन

6.18 भारत सरकार द्वारा राज्यों को राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार सौंपे गये कार्य व उत्तरदायित्व के अर्न्तगत हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इस योजना के कार्यान्वयन में आबंटित खाद्यानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में प्रापण/भण्डारण व आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपरान्त, अपने 117 थोक बिक्री केन्द्रों द्वारा चयनित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों वितरण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक 60,090 मी. टन चावल व 30,995 मी.टन गेहूँ चयनित लाभार्थियों को क्रमशः ₹3.00 व ₹2.00 प्रतिकिलो प्रतिमाह की दर से वितरित करना सुनिश्चित किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश सरकार के अलग से राज्य भण्डारण निगम न होने की स्थिति में निगम अपने स्तर पर 21,297 मी. टन का भण्डारण व 38,298 मी.टन किराये पर लिए गए गोदामों में भण्डारण का प्रबन्धन कर रहा है। राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के सफल कार्यान्वयन को देखते हुए पर्याप्त खाद्यान्न भण्डारण हेतु नेरवा, जिला शिमला में 550 मी.टन व सिद्धपुर सरकारी, जिला कांगड़ा में 500 मी.टन के खाद्यान्न भण्डारण गोदाम बन कर तैयार कर लिए गए हैं तथा सम्बन्धित कार्यकारी एंजैसी से कब्जा ले लिया गया है। निगम का प्रयास है कि विभिन्न वस्तुओं के भण्डारण के लिए 5,000 मी. टन की भण्डारण क्षमता वाले गोदाम प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थापित किए जाए।

कृषि, बागवानी और सम्बद्ध सेवांए

7 अध्याय

कृषि

7.1 कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हिमाचल प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 89.96 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए कृषि व बागवानी पर प्रदेश के लोगों की निर्भरता अधिक है और कृषि से राज्य के कुल कामगारों में से लगभग 69 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध होता है। कृषि राज्य आय का प्रमुख स्त्रोत है।

7.2 कृषि राज्य आय (जी.एस.डी. पी.) का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 13 प्रतिशत कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 9.61 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। प्रदेश में औसतन जोत 1.00 हैक्टेयर है। कृषि गणना 2010–11 के अनुसार भू–जोतों के वर्गीकरण नीचे दी गई सारणी 7.1 से स्पष्ट है कि कुल जोतों में से 87.95 प्रतिशत जोतें लघु व सीमान्त किसानों की है। लगभग 11.71 प्रतिशत अर्ध–मध्यम/मध्यम व केवल 0.34 प्रतिशत जोतें बड़े किसानों की है।

सारणी 7.1
भू–जोतों का वर्गीकरण

जोतों का आकार (हैक्टेयर)	वर्ग (किसान)	जोतों की संख्या (लाख)	क्षेत्र लाख हैक्टेयर	जोत का औसत आकार(है0)
1.0 से कम	सीमान्त	6.70 (69.78%)	2.73 (28.63%)	0.41
1.0–2.0	लघु	1.75 (18.17%)	2.44 (25.55%)	1.39
2.0–4.0	अर्ध–मध्यम	0.85 (8.84%)	2.31 (24.14%)	2.72
4.0–10.0	मध्यम	0.28 (2.87%)	1.57 (16.39%)	5.61
10.0 व अधिक	बड़े	0.03 (0.34%)	0.51 (5.29%)	17.00
जोड़		**9.61**	**9.55**	**1.00**

7.3 कुल जोते गए क्षेत्र में से 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। चावल, गेंहू, तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल, सरसों और तोरिया रबी मौसम की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। उड़द, बीन, मूंग, राजमाश राज्य में खरीफ की तथा चना मसूर रबी की प्रमुख दालें है। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे

- उपोष्णीय, उप पर्वतीय तथा निचले पहाड़ी क्षेत्र।
- उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र।
- नमी वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र।
- शुष्क तापमान वाले ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरूस्थल।

प्रदेश की कृषि जलवायु नगद फसलों जैसे बीज आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

7.4 खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त राज्य सरकार, समयानुसार तथा प्रचुर मात्रा में कृषि संसाधनों की उपलब्धता, उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी, पुराने किस्म के बीजों को बदल कर एकीकृत कीटाणु प्रबन्ध से उन्नत करना, जल प्रबन्धन के अंतर्गत अधिक से अधिक भुमि को शामिल करना एवं जल संरक्षण कर बेकार जमीन का विकास करके बेमौसमी सब्जियों आलू, अदरक, दालों व तिलहन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वर्षा के अनुसार चार विभिन्न मौसम है। लगभग आधी वर्षा बरसात में ही होती है तथा शेष बाकी मौसमों मे होती है। राज्य में औसतन 1,251 मि.मी. वर्षा होती है। जिसमें सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा जिले में होती है और उसके बाद चम्बा, सिरमौर और मण्डी जिला आते हैं।

मौनसून 2019

7.5 कृषि कार्यकलापों का मौनसून के स्वरूप से गहन सम्बन्ध है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2019 के मौनसून के मौसम (जून–सितम्बर) में बिलासपुर में अधिक और हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना में सामान्य रुप से बारिश हुई, चम्बा किन्नौर और लाहौल स्पिति में कमी रही। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में मौनसून मौसम में सामान्य वर्षा की तुलना में 10 प्रतिशत कम वर्षा हुई। सारणी 7.2 व 7.3 में विभिन्न जिलों में दक्षिण पश्चिम मौनसून मौसम में वर्षा की स्थिति को दर्शाया गया है:

सारणी 7.2
मौनसून

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			मि.मी.	प्रतिशतता
बिलासपुर	1108	874	234	27
चम्बा	574	1052	(-)478	(-)45
हमीरपुर	1154	1019	135	13
कांगड़ा	1310	1596	(-)286	(-)18
किन्नौर	120	252	(-)131	(-)52
कुल्लू	562	504	58	11
लाहौल–स्पिति	175	395	(-)220	(-)56
मण्ड़ी	938	1062	(-)124	(-)12
शिमला	680	644	37	6
सिरमौर	1145	1350	(-)205	(-)15
सोलन	842	983	(-)141	(-)14
ऊना	893	820	73	9
औसत	686	764	(-)78	(-)10

वर्षा के आंकड़े
(जून–सितम्बर 2019)
सारणी 7.3
मौनसून बाद वर्षा के आंकड़े
अक्तूबर–दिसम्बर, 2019

जिला	वास्तविक मि.मी.	सामान्य मि.मी.	अधिकता / कमी	
			मि.मी.	प्रतिशतता
बिलासपुर	117	53	64	121
चम्बा	186	110	76	68
हमीरपुर	117	57	60	106
कांगड़ा	165	68	97	142
किन्नौर	116	62	54	87
कुल्लू	217	77	140	181
लाहौल–स्पिति	67	101	(-)33	(-)33
मण्ड़ी	89	54	35	66
शिमला	99	67	32	48
सिरमौर	109	51	58	113
सोलन	70	7	63	876
ऊना	95	44	51	115
औसत	121	92	30	33

टिप्पणी:

सामान्य = (–)19 % से +19 %
अधिक = 20 % से अधिक
न्यून = (–)20 % से (–) 59 %
अपर्याप्त = (–)60 %से (–)99 %

फसल निष्पादन 2018–19

7.6 हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है तथा अभी तक भी राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2017–18 में कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 8.8 प्रतिशत योगदान रहा। खाद्यान्न उत्पादन में तनिक भी उतार–चढ़ाव अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करता है।

वर्ष 2018–19 कृषि के लिए सामान्य अच्छा वर्ष होने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2017–18 के 15.81 लाख मी.टन की तुलना में वर्ष 2018–19 में अनुमानित 16.92 लाख मी.टन उत्पादन हुआ। वर्ष 2017–18 में आलू उत्पादन 1.99 लाख में आलू उत्पादन 1.87 लाख मी.टन हुआ। सब्जियों का उत्पादन वर्ष 2017–18 के 16.92 लाख मी.टन की तुलना में वर्ष 2018–19 में 17.22 लाख मी.टन हुआ।

फसल संभावनाएं 2019–20

7.7 वर्ष 2019–20 में कुल उत्पादन का लक्ष्य 16.36 लाख मी.टन है। खरीफ उत्पादन मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मौनसून पर निर्भर करता है क्योंकि राज्य के कुल जोते गए क्षेत्र में से लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। खरीफ सीजन में बुआई अप्रैल अंत में शुरू होती है और जून मध्य तक जाती है। मक्की और धान खरीफ सीजन की मुख्य फसलें हैं। रागी, छोटे अनाज तथा दालें कम मात्रा में होती हैं। खरीफ सीजन के अन्तर्गत 384.26 हजार हेक्टेयर क्षेत्र पर बीजाई की गई। लगभग 20 प्रतिशत क्षेत्र अप्रैल–मई तथा शेष क्षेत्र जून–जुलाई के महीने में बोया गया जो कि खरीफ सीजन का शीर्ष समय होता है। राज्य के अधिकांश हिस्से में सामान्य वर्षा होने के कारण बीजाई समय पर की जा सकी और कुल मिलाकर फसल की स्थिति सामान्य थी। यद्यपि मानसून 2018 के दौरान अच्छा होने के कारण खरीफ उत्पादन वर्ष 2018 में 9.17 लाख मी.टन हुआ जोकि पिछले वर्ष सीजन के लिए 7.77 लाख मी.टन था। रबी सीजन 2018–19 के दौरान अक्तूबर से दिसम्बर, 2018 की अवधि में वर्षा 48 प्रतिशत कम हुई परन्तु जनवरी, 2019 के पहले पखवाड़े में वर्षा आरम्भ हुई अतः late variety बीज की बुआई की गई ताकि सुखे के कारण होने वाली हानि की सम्भावनाओं को कम किया जा सके वर्ष 2018–19 में रवी उत्पादन 7.52 लाख मी.टन हुआ है। फसलबार खाद्यानों एवं वाणिज्य फसलों का उत्पादन तालिका 7.4 में दर्शाया गया है:–

खाद्यान्न उत्पादन का विकास

7.8 क्षेत्र विस्तार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी सीमाएं हैं। जहां तक कृषि योग्य भूमि का प्रश्न है पूरे देश की तरह हिमाचल भी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां कृषि के अन्तर्गत भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के साथ विविधता पूर्ण उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने का प्रयास आवश्यक है। नकदी फसलों की तरफ बदले हुए रूझान की वजह से खाद्यान्न उत्पादन/फसलों के अंतर्गत क्षेत्र धीरे–धीरे कम हो रहा है। जैसे कि यह 1997–98 में 853.88 हजार हैक्टेयर था जो घटते हुए वर्ष 2018–19 में अनुमानित 732.62 हजार

हैक्टेयर रह गया। प्रदेश में घटता हुआ क्षेत्र, उत्पादकता दर में कमी को दर्शाता है जोकि सारणी 7.5 से पता चलता है।

सारणी 7.4
खाद्यान्न उत्पाद

('000 मी.टन में)

फसले	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20 (लक्ष्य)
I. खाद्यान्न				
चावल	135.48	141.37	146.68	134.00
मक्की	736.46	750.91	771.11	760.00
रागी	1.60	1.92	1.82	2.55
छोटा अनाज	4.80	3.36	4.12	3.60
गेंहू	605.18	598.32	682.63	670.00
जौं	28.66	28.19	32.08	35.30
चना	0.41	0.37	0.40	0.43
दालें	50.14	56.99	53.60	30.30
कुल खाद्यान्न	**1562.73**	**1581.42**	**1692.44**	**1636.18**
II.वाणिज्यिक फसलें				
आलू	195.84	198.66	186.80	196.30
सब्जियां	1653.51	1691.56	1722.14	1656.00
अदरक	35.39	33.70	33.74	34.40

सारणी 7.5
खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन

वर्श	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
2016–17	752.88	1562.73	2.07
2017–18	748.72	1581.42	2.11
2018–19	732.62	1692.44	2.31
2019–20 (लक्ष्य)	764.25	1636.18	2.14

अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में संबंधित कार्यकम (एच.वाई.वी.पी.)

7.9 खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया। अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की, धान, गेहूं के अंतर्गत 2017–18, 2018–19 में लाया गया क्षेत्र तथा 2019–20 के लिए लक्षित क्षेत्र सारणी 7.6 में दिया गया है।

सारणी 7.6
अधिक उपज देने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र

('000 हैक्टेयर)

वर्ष	मक्की	धान	गेहूं
2017–18	280.81	71.61	342.68
2018–19	280.69	74.32	343.62
2019–20 (लक्ष्य)	205.00	62.00	330.00

प्रदेश में बीज उत्पादन के 20 फार्म केन्द्र स्थापित किए गए है जिनसे पंजीकृत किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 3 सब्जी विकास केन्द्र, 12 आलू विकास केन्द्र तथा 1 अदरक विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

पौध संरक्षण कार्यक्रम

7.10 फसलों की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से पौध संरक्षण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रत्येक मौसम में फसलों की बीमारियों, इनसैक्ट तथा पैस्ट इत्यादि से लड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आई.आर.डी.पी. परिवारों, पिछड़े क्षेत्रों के किसानों तथा सीमान्त व लघु किसानों को पौध संरक्षण रसायन व उपकरण, 50 प्रतिशत कीमत पर उपलब्ध करवाएं गए। विभाग का दृष्टिकोण है कि पौध संरक्षण रसायनों को प्रयोग कम करके धीरे धीरे कीटों/ रोगों के जैविक नियन्त्रण पर बढावा दिया जाये। रसायनों के वितरण में संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य सारणी 7.7 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.7
संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य

वर्ष	पौध संरक्षण के अधीन लाया गया क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	रसायनों का वितरण (मी.टन)
2015–16	105.94	185.40
2016–17	111.58	205.76
2017–18	103.26	180.71
2018–19	77.14	135.00
2019–20(लक्ष्य)	75.32	130.00

मिट्टी की जांच कार्यक्रम

7.11 प्रत्येक मौसम में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किसानों से मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जाते हैं तथा मिट्टी जांच प्रयोगशाला में इनका विश्लेषण किया जाता है। (लाहौल–स्पिति को छोड़कर) सभी जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं और चार मोबाईल मिट्टी परीक्षण वैन/प्रयोगशालाएं जिनमें से एक विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लिए है जो मौके पर मिट्टी के नमूनों के लिए प्रचालन में है। वर्तमान में 11 मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ किया गया, 9 मोबाईल प्रयोगशालाएं व 47 छोटी प्रयोगशालाएं विभाग द्वारा स्थापित की गई तथा वर्ष 2019–20 में लगभग 18,725 मिट्टी के नमूने विश्लेषण के लिए सम्भावित है। मिट्टी के नमूने के परीक्षण जी.पी.एस. आधार पर इन प्रयोगशालाएओं में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। राज्य सरकार ने मिट्टी जांच को भी हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा घोषित किया है।

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना शून्य बजट के अन्तर्गत प्राकृतिक खेती

7.12 राज्य सरकार ने राज्य में 'प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान' नाम से एक नई योजना आरम्भ की है। सरकार का उद्देश्य शून्य बजट प्राकृतिक खेती से प्रोत्साहित करना है ताकि खेती की लागत में कमी लाई जा सके। रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाएगा। कृषि और बागवानी विभाग को दिया जाने वाला बजट जैव उर्वरकों एवं कीटनाशक प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ष 2019–20 के लिए ₹19.25 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

उर्वरक उपभोग तथा उपदान

7.13 उर्वरक ही एक ऐसा आदान है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 1985–86 के 23,664 मी.टन से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 57,555 मी.टन हो गया। रसायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिश्रित उर्वरक पर ₹1,000 प्रति मी.टन तथा बड़े पैमाने पर घुलनशील उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 25 प्रतिशत मूल्य सीमा उपदान स्वरूप केन्द्रीय योजना के अंतर्गत् दिया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में लगभग 51,500 मी.टन उर्वरक पोषक तत्वों के रूप में वितरित किया जाएगा।

कृषि ऋण

7.14 संस्थागत ऋण को व्यापक रूप देना विशेषकर उन फसलों मे जो कि बीमा योजना के अंतर्गत आती है, बढाने की जरूरत है। सीमान्त तथा लघु किसानों और अन्य पिछड़े वर्ग को संस्थागत ऋण सही तरीके से उपलब्ध करवाना और उनके द्वारा नवीनतम तकनीकी तथा सुधरे कृषि तरीकों को अपनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की मिटिंग में फसल बार ऋण योजना तैयार की है ताकि ऋण बहाव का जल्दी अनुश्रवण हो सके।

फसल बीमा योजना

7.15 सभी फसलों तथा सभी किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत लाने के लिए सरकार ने राज्य में वर्ष 1999–2000 के रवी मौसम से 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' शुरू की। अब राज्य में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक अनुमोदन एवं दिशा निर्देशों के अनुसार खरीफ मौसम के लिये 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इस बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम के दौरान मक्का तथा धान की फसलों को शामिल किया गया है। फसलों के नुकसान के विभिन्न अग्रणी जोखिम जो बुआई में देरी, कटाई के बाद नुकसान, स्थानीय आपदाओं और खड़ी फसलों को नुकसान (बुआई से कटाई तक) के कारण पैदा होते हैं, को इस योजना के अंतर्गत् शामिल किया गया है। यह योजना ऋणी किसानों के लिए जो कि बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से बीमित फसलों के अंतर्गत फसल ऋण का लाभ ले रहे हैं आवश्यक है तथा गैर ऋणी किसानों के लिए उनकी मर्जी पर आधारित है। पी. एम.एफ.बी.वाई. योजना के अंतर्गत् 350 प्रतिशत से अधिक एकत्रित प्रीमियम राशि

अथवा 35 प्रतिशत से अधिक बीमाकृत राशि, जो भी राष्ट्रीय स्तर पर सभी कम्पनियों को मिलाकर, अधिक हो उसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार बराबर भागीदारी में भुगतान करेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ, 2018 और रबी, 2018–19 में 2,70,772 किसानों को शामिल किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत ₹7.00 करोड़ का बजट परिव्यय 2019–20 के लिए प्रस्तावित किया गया है जो कि प्रीमियम सब्सिडी के राज्य हिस्सेदारी के भुगतान के लिए उपयोग किया गया है।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक अन्य कृषि बीमा योजना खरीफ मौसम, 2016 से "पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरु की है ताकि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ बीमा सुरक्षा प्रदान की जा सके जो कि खरीफ खेती के दौरान फसलों को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं।

बीज प्रमाणीकरण

7.16 कृषि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें उपलब्ध कराने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए "हिमाचल राज्य बीज रासायनिक खाद उत्पाद प्रमाणीकरण एजैंसी" उत्पादकों को पंजीकृत कर रही हैं।

कृषि विपणन

7.17 कृषि विपणन तथा कृषि उत्पादन को राज्य में व्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट, 2005 लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य स्तर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश में 10 अधिसूचित विपणन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषक समुदाय के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। व्यवस्थित स्थापित मण्डियां किसानों को लाभदायक सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सोलन में कृषि उत्पादों हेतु एक आधुनिक मण्डी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा अन्य स्थानों पर भी मार्केट यार्डों का निर्माण हुआ है। वर्तमान में 10 मण्डी कमेटियां कार्य कर रही हैं। 58 मण्डियों को कार्यात्मक बनाया गया है। बाजार की जानकारी अलग अलग मीडिया यानी AIR आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रिंट मीडिया और नेट के द्वारा किसानों को पहुंचाई जा रही है।

चाय विकास

7.18 चाय उत्पादन के अन्तर्गत 2,311 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें वर्ष 2018–19 के दौरान ₹8.77 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ। लघु एवं सीमांत कृषकों को कृषि औजारों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

भू एवं जल संरक्षण

7.19 भौगोलिक परिस्थितियों के मध्यनजर हमारी भूमि में कटाव इत्यादि आ जाता है जिसके कारण हमारी मिट्टी का

स्तर गिर जाता है। इस के अलावा भूमि पर जैविक दबाव भी है। विशेष रूप से कृषि भूमि पर इस दुष्प्रभाव को रोक लगाने हेतु विभाग द्वारा राज्य सैक्टर के अन्तर्गत् मिट्टी एवं जल संरक्षण दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।
यह योजनाएं हैं:–

i) भू संरक्षण कार्य
ii) जल संरक्षण और विकास

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण और लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। विभाग द्वारा वर्षा जल दोहन के लिए टैंक, तालाब, चैक डैम व भण्डार संरचनाओं के निर्माण के लिये योजना तैयार की है। इस के अलावा कम पानी उठाने वाले उपकरण व फव्वारों के माध्यम से कुशल सिंचाई प्रणाली को भी लोकप्रिय किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से भू संरक्षण एवम् जल संरक्षण तथा कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर अर्जित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

मुख्यमन्त्री नूतन पौली हाऊस याजना

7.20 कृषि क्षेत्र में अधिक व शीघ्र विकास हेतु नकदी फसलों का उत्पादन पौली गृह के द्वारा खेती करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नूतन पौली हाऊस योजना बनाई है। इस परियोजना की लागत ₹78.59 लाख है, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और आर. आई.डी.एफ.–XXV के तहत वित्त पोषण के लिए नाबार्ड को प्रस्तुत किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार

7.21 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार वर्ष 2007 में कृषि व सम्बन्धित किया कलापों के सम्पूर्ण विकास के लिए एक छत्रीय योजना शुरु की गई। भारत सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता (100%) के रुप में लागू किया गया था। 2015–16 के बाद उत्तर पूर्वी/हिमालयी राज्यों के लिए इसका अनुपात 90:10 तय किया गया है। अब RKVY को कृषि और संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प के लिए RKVY-RAFTAAR के रुप में फिर से शुरु किया गया है। जो चौदहवें वित्त आयोग की शेष अवधि के लिए लागू रहेगी। योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार से है।

1. कृषि विकास नीति के अन्तर्गत सरकार द्वारा कृषि फसल हेतु बुनियादी ढांचा संरचना के माध्यम से किसानों को कृषि फसल से पूर्व और पश्चात गुणवत्ता, आदान–प्रदान भण्डारण व बाजार आदि से सम्बन्धित प्रयासों के विकल्प अपनाने में सक्षम बनाता है।
2. राज्यों को कृषि एवम् समवर्गी क्षेत्र योजना के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन करने के लिए लचीलापन और स्वतन्त्रता देना।
3. किसानों को अपनी आय व उत्पादन सक्षमता को बढ़ाने हेतु मूल्य श्रृंखला/सारणी के अतिरिक्त उत्पादन लिंकड (उत्पादन से सम्बन्धी) मूल्य पद्वति अपनाने में प्रोत्साहित करता है।
4. अतिरिक्त आय सृजन गतिविधियों जैसे एकीकृत खेती, मशरुम

उत्पादन, मधु–मक्खी पालन, सुगंधित पौधों की खेती, फुलों की खेती आदि पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ किसानों के जोखिम को कम करने के लिए।

5. उपयोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भाग लेना।
6. युवाओं को कौशल विकास, नवाचार, और कृषि–उद्यमिता आधारित कृषि माडल के माध्यम से सशक्त बनाना तथा उन्हें कृषि के लिए आकर्षित करना।

भारत सरकार ने सामान्य RKVY के तहत हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2019–20 के लिए केन्द्रीय भाग (90 प्रतिशत) के रुप में ₹24.10 करोड़ तथा राज्य भाग ₹2.68 करोड़ (10 प्रतिशत) तथा संयुक्त रुप से ₹26.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

कृषि विस्तार एंव प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (NMAET)

7.22 इस योजना के दौरान कृषि विस्तार एंव प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन (NMAET) के अन्तर्गत तकनीक की प्रसार प्रणाली किसान आधारित बनाने के लिए शुरू की गई है। इस मिशन को चार उप–मिशन में विभाजित किया गया है।

1. कृषि विस्तार उप–मिशन (SAME)
2. बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन(SMSP)
3. कृषि यंत्रीकरण उप–मिशन(SMAM)
4. पौध सरंक्षण एव पादप संगरोध (SMPP)

इस नए घटक के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य 90:10 के अनुपात पर व्यय करेगें। वर्ष 2019–20 के लिए ₹33.00 करोड़ के परिव्यय का अनुमान है।

स्थाई कृषि पर राष्ट्रीय मिशन(NMSA)

7.23 सतत कृषि उत्पादकता और गुणवता, मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। कृषि विकास को निरन्तर बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त स्थान पर विशिष्ट उपायों के माध्यम से दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है। राज्य में खाद्यान के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बारिश पर निर्भर कृषि के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधनों का सरंक्षण महत्वपूर्ण है। वर्षा सिचिंत क्षेत्रों में सतत कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एन.एम.एस.ए. का गठन किया गया है।

इस मिशन के तहत निम्न मुख्य मुद्दे हैं:–

1. बारिश पर निर्भर कृषि का विकास करना।
2. प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन।
3. जल उपयोग दक्षता बढ़ाना।
4. मिट्टी के गुणवत्ता में सुधार।
5. संरक्षण कृषि को बढ़ावा देना।

यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और घटक 90:10 के अनुपात में क्रमशः केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन होगा। वर्ष 2019–20 के दौरान ₹24.48 करोड़ का अनुमान है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)

7.24 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना वर्ष 2012 में रवी सीजन के दौरान प्रदेश में शुरू की गई है। इसके दो मुख्य घटक एन.एफ.एस.एम. चावल और एन.एफ.एस.एम. गेहूं है। केन्द्रीय सरकार की 100 प्रतिशत सहायता से एन.एस.एफ. एम. चावल राज्य के 3 जिलों में तथा एन. एस.एफ.एम. गेहूं 9 जिलों में कार्य कर रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य चावल और गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना तथा मिट्टी की उर्वरता बनाये रखना और उत्पादकता, रचनात्मकता तथा रोजगार के अवसर लक्षित जिलों में अर्जित करना है। वर्ष 2019–20 के लिए राज्य योजना में ₹16.50 करोड़ के व्यय का अनुमान है।

प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना

7.25 कृषि उत्पादकता में सुधार करने के प्रयास में भारत सरकार ने एक नई योजना "प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना" के नाम से शुरू की है। इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं (हर खेत को पानी) और अन्त से अन्त तक सिंचाई समाधान पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। पी.एम.के.एस.वाई. का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्त करना, सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विकास करना, खेत में सिंचाई की विधि में सुधार करना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके, सही सिंचाई एवम् पानी की अन्य बचत तकनीकें शामिल हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के लिए राज्य योजना में ₹22.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सूक्ष्म सिंचाई योजना

7.26 कुशल सिंचाई प्रणाली के लिए सरकार ने राज्य में एक महत्वपूर्ण परियोजना "राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना" का शुभारम्भ किया है। 2015–16 से 2018–19 के शुरू में 4 साल की अवधि के लिए ₹154.00 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान रखा था। इस परियोजना के अन्तर्गत 8,500 हैक्टेयर क्षेत्र ड्रिप/ छिड़काव सिंचाई प्रणाली के तहत लाया जाता था तथा 14,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। ड्रिप, माईक्रो, छोटे पोर्टेवल छिड़काव, अर्ध–स्थायी छिड़काव और बड़ी मात्रा में छिड़काव के लिए 80 प्रतिशत की दर पर अनुदान किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्ष 2019–20 के लिए इस घटक के अन्तर्गत ₹25.00 करोड़ के बजट का प्रावधान है।

उत्तम चारा उत्पादन योजना

7.27 राज्य में चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने "उत्तम चारा उत्पादन योजना" शुरू की है जिसके अन्तर्गत 25,000 हैक्टेयर क्षेत्र चारा उत्पादन के लिए लाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत् किसानों को रियायती दरों पर उत्तम घास बीज, कलमें तथा उत्तम गुणवता के चारे की किस्मों में सुधार के लिए बीजों की आपूर्ति की जाएगी। भूसा कटर पर अनुदान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति और बी.पी.एल. किसानों को उपलब्ध है। इस योजना के

अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के लिए ₹5.60 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना

7.28 बंदर और जंगली जानवरों से फसलों को भारी नुकसान होता है। मनुष्य द्वारा फसल सुरक्षा का वर्तमान में 100 प्रतिशत सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, इसलिए हि.प्र. सरकार ने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना नाम से एक योजना आरम्भ की है। इस योजना के तहत किसानों की 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सौर ऊर्जा की मदद से बाड़ लगाई जाएगी। खेतों के चारों ओर बाड़ में जो करंट होगा वह आवारा पशुओं, जंगली जानवरों और बंदरों को खेतों से दूर रखने के लिए पर्याप्त होगा। इस योजना के तहत वर्ष 2019–20 के लिए ₹35.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिससे लगभग 2,000 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि को जंगली /आवारा जानवरों और बंदरों के खतरे से बचाने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना

7.29 किसानों तथा कृषि मजदूरों को कृषि मशीनरी के संचालन के कारण चोट या मृत्यु की स्थिति में बीमा कवर प्रदान करने की दृष्टि में वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार ने "मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना" आरम्भ की है जिसमें किसान की मृत्यु एवं दिव्यांगता के मामले में ₹1.50 लाख तथा आंशिक दिव्यांगता होने पर ₹50,000 प्रदान किए जाएंगे।

लिफ्ट सिंचाई एवं बोरवेल योजना

7.30 राज्य के अधिकांश भागों में सिंचाई के उद्देश्य से पानी को लिफ्ट किया जाता है। सरकार ने सिंचाई योजनाओं के निर्माण और सिंचाई के लिए किसानों के व्यक्तिगत या समूहों द्वारा बोरवेल की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत अनुदान प्रोत्साहन के रूप में देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत निम्न और मध्यम लिफ्ट सिंचाई प्रणाली, उथले कुएं, उथले बोरवेल, विभिन्न क्षमता के जल भण्डारण टैंक, पम्पिंग मशीनरी, जल सचय पाईप के निर्माण के लिए किसानों एवं किसानों के समूहों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। वर्ष 2019–20 के लिए इस योजना के तहत ₹9.91 करोड़ का बजट प्रावधान है।

सौर सिंचाई योजना

7.31 राज्य सरकार ने फसलों के लिए सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई योजना अर्थात् सौर सिंचाई योजना शुरू की है। जहां सौर पी.वी. पम्पों की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली की पहुंच मंहगी है। इस योजना के तहत छोटे और सीमान्त किसानों को व्यक्तिगत आधार पर सौर पम्पिंग मशीनरी की स्थापना के लिए 90 प्रतिशत, मध्यम/ बड़े किसानों को 80 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाएगी। यदि कम से कम पांच किसान सामुदायिक आधार पर सौर पम्पिंग मशीन लगाने का विकल्प चुनते है तो उन्हें 100 प्रतिशत सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजना के तहत किसानों को 5,850 कृषि सौर पंपिग सैट उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले 5 वर्षों के लिए इस योजना के लिए ₹200

करोड़ का बजट प्रावधान है तथा वर्ष 2019–20 में इस योजना के लिए ₹30.00 करोड़ रखे गए हैं।

जल से कृषि को बल योजना

7.32 सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने की दृष्टि से सरकार ने "जल से कृषि को बल" योजना शुरु की है। इस योजना के अन्तर्गत चैक डैम और तालाबों का निर्माण किया जाएगा। छोटी–छोटी लिफ्टिंग योजनाओं या व्यक्तिगत आधार पर फ्लो सिंचाई योजनाओं के निर्माण के बाद किसान सिंचाई के उद्देश्य से इस पानी का उपयोग कर सकते है। अगले 5 वर्षों के लिए इस योजना में ₹250.00 करोड़ का बजट प्रावधान है तथा वर्ष 2019–20 में इस योजना के लिए ₹25.00 करोड़ रखे गए हैं। समुदाय आधारित लघु जल बचत योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा 100 प्रतिशत व्यय वहन किया जाएगा।

बागवानी

7.33 हिमाचल प्रदेश की विविध जलवायु, भौगोलिक क्षेत्र तथा उसकी स्थिति में भिन्नता, उपजाऊ, गहन तथा उचित जल निकास व्यवस्था वाली भूमि समशीतोष्ण तथा ऊष्ण कटिबन्धीय फलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है । यह क्षेत्र अन्य गौण उद्यान उत्पादन जैसे फूल, खुम्ब, शहद तथा हॉप्स की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त है।

7.34 प्रदेश की इस अनुकूल स्थिति के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में भूमि उपयोग अब कृषि से फलोत्पादन की ओर स्थानान्तरित होता जा रहा है। वर्ष 1950–51 में फलों के अधीन कुल क्षेत्र 792 हैक्टेयर था जिसमें कुल उत्पादन 1,200 टन होता था अब यह बढ़ कर वर्ष 2018–19 में 2,32,139 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया तथा कुल फल उत्पादन 4.95 लाख टन हुआ तथा वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक कुल फल उत्पादन 7.07 लाख टन आंका गया है। 2019–20 में 1,950 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फल पौधों के अंतर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 2019 तक 2,113 हैक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया तथा वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक फलों के ₹5.28 लाख पौधे वितरित किए गए।

7.35 हिमाचल प्रदेश में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है जिसके अंतर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 49 प्रतिशत है तथा उत्पादन कुल फल उत्पादन का लगभग 74 प्रतिशत है। वर्ष 1950–51 में सेबों के अंतर्गत 400 हैक्टेयर क्षेत्र था जोकि 1960–61 में बढ़कर 3,025 हैक्टेयर तथा वर्ष 2018–19 में 1,13,154 हैक्टेयर हो गया।

7.36 सेब के अतिरिक्त समशीतोषण फलों के अंतर्गत वर्ष 1960–61 में 900 हैक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 2018–19 में 28,414 हैक्टेयर हो गया। सूखे फल तथा मेवों का क्षेत्र 1960–61 के 231 हैक्टेयर से बढ़कर 2018–19 में 10,194 हैक्टेयर हो गया तथा नीम्बू प्रजाति एवं उपोषण कटिबंधीय फलों का क्षेत्र वर्ष 1960–61 के 1,225 हैक्टेयर तथा 623 हैक्टेयर से बढ़कर 2018–19 में क्रमशः 24,869 हैक्टेयर तथा 55,508 हैक्टेयर हो गया।

7.37 गत कुछ वर्षों से सेब उत्पादन में आ रहे निरन्तर उतार चढ़ाव से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश के विशाल फलोत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए अब विभिन्न कृषि पारिस्थितक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

7.38 फल–उद्यान विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा रख–रखाव में निवेश करके सभी फल फसलों को बढ़ावा देना है। वर्ष 2019–20 में बागवानी में मशीनीकरण को बढ़ावा देने हेतु "बागवानी विकास योजना" के अर्न्तगत् बागवानों को 995 शक्ति चलित स्प्रैयर, 2,063 पॉवर टिल्लरों(<8BHP) व 92 पॉवर टिल्लरों(>8BHP) उपदान पर बांटे जाएंगे। कृषि यांत्रिकीकरण (एस.एम.ए.एम.) के उप–मिशन को राज्य में लागू किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत् किसानों को बैंक एंडेड सब्सिडी के रुप में विभिन्न आधुनिक कृषि उपकरण और मशीनरी खरीदने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राज्य कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश, योजना का नोडल विभाग है। वर्ष 2019–20 के दौरान ₹14.83 करोड़ की राशि बागवानी विभाग को आबंटित की गई है।

7.39 फलोत्पादकों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रदेश में मण्डी मध्यस्थता योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019–20 में सेब का प्रापण मूल्य बढ़ाकर ₹8.00 प्रति किलो ग्राम निर्धारित किया गया है। बीजू आम के लिए प्रापण मूल्य ₹6.50 प्रति किलो ग्राम 500 मी.टन तक, ₹7.50 प्रति किलोग्राम कलमी आम के लिए 250 मी.टन तक और ₹6.50 प्रति किलोग्राम आचारी आम 50 मी.टन तक इन दरों से प्रापण किया गया। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019–20 में बागवानों से ₹49.32 करोड़ मूल्य का 61,647 मी.टन सी–श्रेणी सेब प्रापण किया गया। कुल 5,564 कि.ग्राम नीबू प्रजाति के फल 15.01.2020 तक प्रापण किये गये।

7.40 प्रदेश के गर्म क्षेत्रों में आम एक मुख्य फसल के रूप में उभरा है। कुछ क्षेत्रों में लीची भी महत्व प्राप्त कर रही है। आम तथा लीची की बाजार में बेहतर कीमतें मिल रहीं है। मध्यम ऊॅचाई वाले क्षेत्रों में नए फलों जैसे किवी, जैतून, पीकैन, अनार तथा स्ट्राबैरी की खेती लोकप्रिय हो रही है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के माह दिसम्बर, 2019 तक के फल उत्पादन आंकड़े सारणी 7.8 में दर्शाए गए हैं।

सारणी 7.8
फल उत्पादन

('000 टन)

मद	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20 (31 दिसम्बर, 2019 तक)
सेब	468.13	446.57	368.60	664.18
अन्य समशीतोश्ण फल	51.50	45.15	37.15	18.10
सूखे मेवे	2.99	3.38	3.65	1.58
नींबू प्रजाति	28.05	28.85	29.34	3.78
अन्य उपोष्णीय फल	61.21	43.35	56.62	19.11
कुल	**611.88**	**565.30**	**495.36**	**706.75**

7.41 प्रदेश में बागवानी उद्योग में विविधता लाने हेतु दिसम्बर, 2019 तक 493.47 हैक्टेयर क्षेत्र पुष्प खेती के अर्न्तगत लाया गया है। पुष्प खेती को बढ़ावा देने हेतु दो टिशू कल्चर प्रयोगशालाएं, आर्दश पुष्प केन्द्रों, महोगबाग, (चायल जिला सोलन) तथा पालमपुर जिला कांगड़ा में

स्थापित की गई है। फूलों के उत्पादन तथा विपणन हेतु प्रदेश में नौ किसान को–ओपरेटिव सोसाईटियां जिला शिमला में–3, कांगड़ा में 2, लाहौल–स्पिति–2, सोलन में 1 तथा चम्बा में 1 कार्य कर रही है। प्रदेश में खुम्ब उत्पादन एवं मौन पालन जैसी सहायक उद्यान गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक चम्बाघाट, बजौरा तथा पालमपुर स्थित विभागीय खुम्ब विकास परियोजनाओं में 245.79 मीट्रिक टन पास्चूराईजड खाद तैयार कर खुम्ब उत्पादकों को बांटी गई। प्रदेश में दिसम्बर, 2019 तक कुल 5,707 मीट्रिक टन खुम्ब उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019–20 में मौन पालन गतिविधि के अंतर्गत दिसम्बर, 2019 तक प्रदेश में 467.78 मीट्रिक टन शहद का भी उत्पादन हुआ।

7.42 हिमाचल प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना को रबी सीजन वर्ष 2009–10 में 6 विकास खण्डों में सेब फसल के लिए तथा 4 विकास खण्डों में आम फसल हेतु लागू किया गया था। इस योजना की लोकप्रियता के दृष्टिगत अगले वर्षो में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया। वर्तमान में 36 विकास खण्डों में सेब फसल के लिए, 41 विकास खण्डों में आम फसल के लिए, 15 विकास खण्डों में निम्बू वर्गीय फसल के लिए, 13 विकास खण्डों में पलम फसल के लिए तथा 5 विकास खण्डों में आडू फसल के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत लाया गया। इसके अतिरिक्त सेब की फसल को ओलावृष्टि से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए बीमा हेतु 19 विकास खण्डों को Add-on cover के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2017–18 से इस योजना का नाम बदल कर Restructured Weather Based Crop Insurance किया गया है और बीमित राशि को संशोधित कर इसमें बोली प्रणाली लागू की गई है। वर्ष 2018–19 में 81,173 बागवानों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना में सेब, आम, पलम, आडू व निम्बू वर्गीय फसल के लिए सम्मिलित किया गया है जिनके द्वारा 63,61,540 पेड़ों को बीमित किया गया जिसके लिए 25 प्रतिशत प्रीमियम भाग लगभग ₹20.61 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किये गए।

7.43 केन्द्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAAR) के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2019–20 में ₹399.94 लाख भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं तथा यह राशि जिला अधिकारियों में आंवटित कर और कार्य प्रगति पर है। इस योजना में "आधारभूत संरचना स्ट्रीम" के अंतर्गत ₹101.24 लाख "बागवानी यान्त्रिकरण, ₹42.00 लाख खुम्ब ईकाई स्थापना, ₹73.70 लाख जल संसाधन संरचना, ₹60.00 लाख पैक हाऊस, ₹80.00 किसानों को वितरण हेतु सेब के स्वच्छ संयन्त्र स्टाक की स्थापना और वायरस परीक्षण संयन्त्र सामग्री के उत्पादन के लिए नैदानिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रावधान है तथा फलैक्सी फंडस स्ट्रीम के अन्तर्गत ₹43.00 लाख हिमाचल प्रदेश के उपोष्कटिबंधीय क्षेत्रों में फलों की फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय पौधे नर्सरी की स्थापना हेतु प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 2019–20 में हिमाचल प्रदेश में खुम्ब उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु हिमाचल खुम्ब विकास योजना का

शुभारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत् ₹500.00 लाख की राशि क्षेत्राधिकारियों में आबंटित की गई है। वर्ष 2019–20 में पुराने एवं क्षतिग्रस्त हरितगृहों के नवीनीकरण द्वारा उच्च मूल्य एवं कम आयतन वाली फसलों की सुरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरु की गई एक नई स्कीम 'मुख्यमन्त्री ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम' के अन्तर्गत ₹1.00 करोड़ की राशि क्षेत्राधिकारियों में आबंटित की गई है। फल–फसलों को ओलों से बचाव हेतु एक नई स्कीम 'ओला अवरोधक जालियों की स्थापना के अन्तर्गत ₹20.00 करोड़ की राशि आबंटित की गई है।

7.44 वर्ष 2018–19 में प्रदेश में व्यवासायिक पुष्प खेती को बढ़ावा देने तथा प्रदेश के कुशल व अकुशल युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत वर्ष 2019–20 में ₹10.00 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रकार वर्ष 2019–20 में प्रदेश में फसलों के गुणवत्ता युक्त उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, शहद तथा सम्बन्धित उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने, ग्रामीण व शहरी युवाओं को रोजगार तथा उनकी आजीविका क अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मधु विकास योजना आरम्भ की गई है।

7.45 एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसे हिमाचल प्रदेश में उद्यान विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजनाओं के अन्तर्गत् किसानों/ बागवानों के विकास हेतु विभिन्न गतिविधियां जैसे फूलों, सब्जियों, मसालों की खेती, खुम्ब उत्पादन, हरित गृह में संरक्षित खेती, ओला अवरोधक जालियां, बागवानी उपकरण, मौन पालन, पैकिंग हाऊस, सी.ए. स्टोर फल विधायन ईकाइयां, फल पौधशाला, टिशू कल्चर ईकाइयां इत्यादि स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत दर से अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

7.46 एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत् वर्ष 2019–20 में भारत सरकार द्वारा ₹53.15 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से ₹23.15 करोड़ की धनराशि प्रथम व द्वितीय किस्त के रूप में राज्य को प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत् वर्ष 2003–04 से दिसम्बर, 2019 तक कुल 2,52,453 बागवानों को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा पॉली हाऊस में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए जिसके अन्तर्गत् उपदान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया गया है। वर्ष 2019–20 72,099 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पॉली हाऊस खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा सेब की फसल को ओलावृष्टि से बचाने के लिए ओलारोधक जालियों पर भी सब्सिडी को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया गया है और 2019–20 में 3,01,047 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल इसके अर्न्तगत् लाने का लक्ष्य रखा गया है।

7.47 केन्द्र प्रायोजित योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "प्रति बूँद अधिक उत्पादन" उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2015–2016 से कार्यान्वित की जा रही है। सूक्ष्म सिंचाई योजना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने लघु एवं सीमान्त किसानों/बागवानों को 80 प्रतिशत अनुदान

(55 प्रतिशत भारत सरकार +25 प्रतिशत प्रदेश सरकार) तथा बड़े किसानों/बागवानों को 45 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया है। इस परियोजना के अन्तर्गत 2019–20 में भारत सरकार द्वारा ₹1,440.00 लाख स्वीकृत किये गए। वर्ष 2015–16 से लेकर दिसम्बर, 2019 तक कुल 2588.07 हैक्टेयर क्षेत्रफल तथा 4,654 बागवानों को लाभान्वित किया जा चुका है।

हिमाचल प्रदेश विपणन निगम

7.48 एच.पी.एम.सी. राज्य का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना ताजे फलों व सब्जियों के विपणन, अतिरिक्त उत्पादन जो बाजार तक नहीं पहुंच सका उस से तैयार किए गए उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से की गई है। एच.पी.एम.सी. आरम्भ से ही बागवानों को उनके उत्पादन की लाभप्रद प्राप्तियां उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है।

7.49 वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक एच.पी.एम.सी. ने ₹ 58.65 करोड़ के उत्पाद, ₹80.02 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में अपने संयंत्रों से तैयार करके घरेलू बाजार में बेचें। मण्डी मध्यस्थ योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आम, सेब और नीम्बू प्रजाति के फलों के लिए समर्थन मूल्य जारी रखा, जो निम्न प्रकार से हैं:–

क0 सं0	फलों के नाम	समर्थन मूल्य ₹ प्रति कि0ग्रा0
1.	आम (ग्राफ्टिड किस्म)	7.50
2	आम (सीडलिंग किस्म)	6.50
3.	आम आचारी	6.50
4.	सेब	8.00
5.	किन्नू,माल्टा और संतरा (ग्रेड बी)	7.50
6.	किन्नू,माल्टा और संतरा (ग्रेड सी)	7.00
7.	गलगल (सभी ग्रेड)	6.00

i) निगम ने निम्नानुसार सफलतापूर्वक पांच नियंत्रित वातानुकूलित भण्डार सेब उत्पादन क्षेत्रों में जैसे जिला शिमला तथा कुल्लू के अन्तर्गत जरोल–टिक्कर (कोटगढ़) 640 मी.टन, गुम्मा (कोटखाई) 640 मी. टन, ओडी (कुमारसेन) 700 मी. टन, तथा पतलीकुहल (कुल्लू) में 700 मी. टन क्षमता सहित कुल 3380 मी.टन क्षमता के स्थापित किए है।

ii) नादौन (हमीरपुर) आधुनिक सब्जियों के लिये पैक हाउस व कोल्ड रुम प्रोजक्ट के लिए तथा घुमारवी जिला बिलासपुर में फलों व सब्जियों तथा जड़ी बुटियों के लिए पैकिंग व ग्रेडिंग तथा वातानुकुलित स्टोरेज के लिए शत प्रतिशत वित्तीय सहायता ₹7.89 करोड़ की लागत से स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका कार्य मार्च 2020 तक पूर्ण होने का अनुमान है।

iii) सरकार ने एच.पी. एम.सी. के फल विधायन संयंत्र परवाणू का उन्नतिकरण तथा आधुनिकीकरण करने के लिए ₹8.00 करोड़ की

धनराशि स्वीकृत की थी। यह कार्य वर्ष 2018 में पूर्ण हो चुका है तथा वर्ष 2019 को इसी उन्नत मशीनरी से सेब रस सार (एप्पल जूस कन्संट्रैट) का उत्पादन भी प्रारम्भ हो चुका है। जिस कारण निगम 1,012 मी. टन सेब रस सार (एप्पल जूस कन्संट्रैट) के उत्पादन में सफल हो पाया है। जो कि वर्ष 1974 में निगम की स्थापना के बाद से एक वर्ष के दोरान उच्च उत्पादन है।

iv) जरोल (सुन्दरनगर) जिला मण्डी में निगम के संयंत्र में एक वर्ष में (2019) रिकार्ड 235.25 मी. टन सेब रस सार (एप्पल जूस कन्संट्रैट) का उत्पादन हुआ है जो कि निगम के स्थापना वर्ष 1974 से बर्तमान तक सार्वधिक है।

v) निगम द्वारा मै. पी.एच.–4 तथा माउटेन बेरल से क्रमशः एप्पल साईडर तथा रेड वाईन उत्पादित करने हेतु अनुबंध प्रतिपादित किया है जिससे आने वाले वर्षों में निगम की आय में बढ़ोतरी होगी।

vi) निगम की योजना है, कि विभिन्न फलों की ग्रैडिंग/पैंकिग, प्रसंस्करण का उनके उत्पादन क्षेत्रों में विश्व बैंक की सहायता से वर्तमान भण्डारण क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में सी.ए. स्टोर जरोल–टिक्कर, गुम्मा तथा रोहडू की वर्तमान क्षमता 1980 मी. टन से 6000 मी.टन करने का लक्ष्य है। इस हेतु टैंडर/निविदा की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, तथा उन्नयन कार्य को शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा। वर्तमान में पराला जिला शिमला में 200 मी. ट. प्रतिदिन क्षमता वाला आधुनिक सेब रस सार संयंत्र की स्थापना प्रारम्भिक दौर में है। जो कि वर्ष 2022 के सेब सीजन में प्रारम्भ होना अनुमानित है। इससे सेब रस सार (एप्पल जूस कन्संट्रैट) की लागत कम करने में सहायता मिलेगी तथा निगम अर्न्तदेशीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धा कर पाएगा।

पशुपालन और डेरी

7.50 पशुधन विकास ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश में पशुधन एवं फसलों तथा सांझी सम्पति साधन जैसे वन, पानी, चरने योग्य भूमि, में बहुत गहन सम्बन्ध है। पशु अधिकतर उस चारे जो कि सांझी सम्पति साधनों तथा फसलों व फसल अवशेषों से प्राप्त होते हैं पर निर्भर करते हैं। उसी प्रकार पशु सांझी सम्पति साधनों के लिए चारा व फसल अवशेष खाद के रूप प्रदान करते हैं जोकि सूखे से निपटने के लिए अधिक आवश्यक शक्ति प्रदान करते है।

7.51 हिमाचल प्रदेश में पशुधन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने में विशेष सहायक है। वर्ष 2018–19 में 14.60 लाख टन दूध, 1,503 टन ऊन, 100.70 मिलियन अंडे, 4,601 टन मांस का उत्पादन हुआ। वर्ष 2019–20 में 15.30 लाख टन दूध, 1,516 टन ऊन, 105 मिलियन अंडे तथा 4,600 टन मांस का उत्पादन होने की संभावना है। सारणी 8.1 दूध उत्पादन

तथा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दर्शाती है।

सारणी 7.9

उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	दूध उत्पादन (लाख टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम प्रति दिन)
2018–19	14.60	584
2019–20 (अनुमानित)	15.30	610

7.52 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उभारने में पशु पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा राज्य में पशुधन विकास कार्यक्रम के तहत निम्न पर ध्यान दिया जा रहा है।

i) पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण।
ii) पशु विकास।
iii) भेड़ प्रजनन तथा ऊन विकास।
iv) कुक्कट विकास।
v) पशु आहार व चारा विकास।
vi) पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा।
vii) पशु गणना।

7.53 दिसम्बर, 2019 तक पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 1 राज्य स्तरीय पशु–चिकित्सालय, 2 क्षेत्रीय पशु–चिकित्सालय 10 पोलीक्लीनिक, 60 उप–मण्डलीय–पशु–चिकित्सालय, 356 पशु–चिकित्सालय, 30 केन्द्रीय पशु औषधालय तथा 1,765 पशु औषधालय हैं इसके इलावा 6 पशु निरीक्षण चौकियां हैं जो तुरन्त पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाते हैं। मुख्य मंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2019 तक 1,251 पशु औषधालय खोले गए हैं।

7.54 राज्य में भेड़ व ऊन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला), ताल (हमीरपुर) कड़छम (किन्नौर) द्वारा भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़ें प्रदान की जा रही है। एक नर मेढ़ केन्द्र नगवाई मण्डी जिला में कार्यरत है जहां पर उन्नत किस्म के नर मेढ़ों का पालन तथा क्रॉस ब्रीडिंग की सुविधा के लिए, भेड़ पालकों को प्रदान किए जाते है, वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक इन प्रक्षेत्रों में 1,111 भेड़ें पाली गई और 219 नर मेंढ़ें भेड़ पालकों में वितरित किए गए। प्रदेश में शुद्व नस्ल के मेंढ़ों, सोवियत मैरिनों तथा अमरिकन रैम्बूलैट की उपयोगिता को देखते हुए राजकीय प्रक्षेत्रों पर शुद्व नस्ल से प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 9 भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र भी कार्यरत हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान 1,516 टन ऊन के उत्पादन होने की सम्भावना हैं। खरगोशों के प्रजनन के लिए खरगोश प्रदान करने हेतु जिला कांगडा में कन्दबाड़ी तथा जिला मण्डी में नगवाई में अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत हैं।

7.55 हिमाचल प्रदेश में डेरी उत्पादन पशुपालन का एक अभिन्न अंग है तथा छोटे व सीमान्त किसानों की आय वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। पिछले वर्षों में बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो कि शहरी उपभोक्ता केंद्रों के दायरे में आते है, विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इससे किसानों को पुरानी स्थानीय नस्ल की गऊओं को क्रॉसब्रीड गऊओं में बदलने के लिए प्रोत्साहन मिला है। स्वदेशी नस्ल की गायों को जर्सी व होस्टन से क्रौसब्रीड करवा कर बेहतर समझा जाता है भैंसों को भी अधिक दूध देने वाली मूरल बैल से क्रास ब्रीड़िंग करवाकर अच्छी नस्ल विकसित की जा रही है। आधुनिक

तकनीक द्वारा जमे हुए वीर्य स्ट्रा से गायों तथा भैंसो में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाया जाता है। वर्ष 2018–19 में 8.77 लाख गायों के व 3.30 लाख भैंसों के वीर्य तृणों का उत्पादन, वीर्य केन्द्रों पर किया गया। वर्ष 2019–20 के लिए 11.50 लाख गायों और 3.50 लाख भैंसों के लिए वीर्य तृणों के उत्पादन होने की संभावना है। 2018–19 में 3.45 लाख लीटर तरल नाईट्रोजन (एल.एन.2) गैस उत्पादित की गई और 2019–20 में 9.00 लाख लीटर का उत्पादन किया जाएगा। वर्ष 2018–19 के दौरान 7.50 लाख गायों व 2.43 लाख भैंसो का कृत्रिम गर्भाधान किया गया और 3,137 औषधालयों द्वारा 2019–20 में 9.20 लाख गायों व 3.37 लाख भैंसों का कृत्रिम गर्भदान किया जाएगा। क्रॉस ब्रिडिंग गायों को पालने के लिए अधिक महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इनमें शुष्क रहने का समय कम व दूध देने की क्षमता व समय अधिक रहता है। वर्ष 2019–20 में पूरे प्रदेश में ₹21.00 लाख के बजट से उत्तम पशु पुरस्कार योजना आरम्भ की जाएगी।

7.56 बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2019–20 में 4.10 लाख चूजों का वितरण होने की संभावना है तथा 2,000 कुक्कट पालकों को प्रशिक्षण का लक्ष्य है। इस स्कीम के अंतर्गत रियायती दर पर 5,640 परिवारों के लिए 2.51 लाख चूजे दिसम्बर, 2019 तक बांटे गए।

जिला लाहौल–स्पिति के लरी नामक स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है जिससे स्पिति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखा जा सके। वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक इस प्रक्षेत्र में 59 घोड़े–घोड़ियों को रखा गया है। इसी भवन में याक प्रजनन प्रक्षेत्र भी हैं जहां पर वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक 62 याक भी पाले गए हैं। दाना व चारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में 15.02 लाख चारा जड़ों 68,000 चारा पौंधों का वितरण किया गया है।

दूध उद्यम विकास योजना (दूध गंगा योजना)

7.57 दुध गंगा योजना 25 सितम्बर, 2009 से नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना के मुख्य घटक निम्न प्रकार से हैं:–

- छोटे डेयरी यूनिट स्थापित करना (एक यूनिट में 2 से 10 दुधारु पशु) 10 पशुओं को खरीदने के लिए ₹6.00 लाख का बैंक ऋण का प्रावधान है।
- दूध निकालने वाली मशीनों की खरीद व दूध ठण्डा करने की यूनिटों के लिए ₹20.00 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।
- देसी दूध उत्पादों के निर्माण के लिए व डेयरी प्रोसैसिंग उपकरणों के खरीद के लिए ₹13.20 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।
- डेयरी उत्पादों के परिवहन व कोल्डचेन के लिए ₹26.50 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।
- दूध व दूग्ध पदार्थो के लिए कोल्ड स्टोरेज मुहैया करवाने के लिए ₹33.00 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।
- दूध विपणन केन्द्रों हेतु ₹1.00 लाख बैंक ऋण का प्रावधान है।

सहायता का पैटर्नः–

i) कुल प्रोजैक्ट लागत का 25 प्रतिशत सामान्य श्रेणी व 33.33 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसानों को बैंक समर्थित अनुदान का प्रावधान हैं।

ii) एक लाख से अधिक लोन राशि पर 10 प्रतिशत अंशदान राशि बैंक में जमा करवाने होंगी

iii) उपरोक्त के अलावा डी.ई.डी.एस. लाभार्थियों को जर्सी/ देसी नस्ल के गाय खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा 10/20 प्रतिशत क्रमशः का अतिरिक्त उपदान प्रदान करने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय गोवंश प्रजनन योजना

7.58 राष्ट्रीय गोवंश प्रजनन योजना के अंर्तगत भारत सरकार (शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) द्वारा कुल ₹23.87 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं तथा ₹5.00 करोड़ की द्वितीय किस्त जारी किए जा चुकी हैं जिसे अनुमोदित घटकों के अनुसार खर्च किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य पशुपालन विभाग की निम्न गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना हैः–

1. तरल नत्रजन के भण्डारण, यातायात और वितरण सुदृढ़ करना।
2. वीर्य एकत्रित केन्द्रों, वीर्य बैंकों और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को सुदृढ़ करना।
3. दूर–दराज क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान एवं वीर्य एकत्रित केन्द्रों के लिए उच्च नस्ल के साण्डों का प्रबन्ध करना।
4. प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना।
5. स्थानीय नस्लों का विकास व संरक्षण।
6. देशी नस्ल के हिम डी.एफ.एस. वीर्य तृणों को ए श्रेणी के मान्यता प्राप्त वीर्य बैंकों से खरीदना।

आंगनबाड़ी कुक्कट पालन

7.59 हिमाचल प्रदेश में कुक्कट क्षेत्र के विकास के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह योजनाएं चलाई जा रही है। आंगनबाड़ी कुक्कट परियोजना के अन्तर्गत

- बैकयार्ड पोल्ट्री योजनाः– इस योजना के तहत तीन सप्ताह आयु के चुजे लागत के आधार पर कुक्कुट पालकों को वितरित किये जाते हैं।
- 200 चिक योजनाः– इस योजना के तहत 540 कुक्कुट पालकों को जो अनुसूचित जाति श्रेणी के बी.पी.एल. परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं को प्रति लाभार्थी 200 दिन के एल.आई.टी. पक्षी, प्रारम्भिक भोजन, फीडर और ड्रिंकर लागत मूल्य के रुप में ₹10,000 प्रदान किए जाते हैं। लाभार्थियों के लिए पोल्ट्री प्रबधंन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण का भी प्रावधान है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आर.जी.एम.)

7.60 राष्ट्रीय गोकुल मिशन परियोजना के अन्तर्गत ₹207.36 लाख (₹186.62 लाख केन्द्रीय भाग व ₹20.74 लाख प्रदेश भाग) प्राप्त हुए, जिसे अनुमोदित परियोजना के अनुसार व्यय किया गया है। डाटा अपलोड करने हेतु 3,470 टैबलेट, 3,650 टैग एपलीकेटर

9,60,567 टैग व ₹7.78 लाख पशु स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए तथा भारत सरकार द्वारा ₹1.95 लाख की राशि पालमपुर में एम्ब्रियो ट्रांसफर टेकनोलॉजी के माध्यम से साहीवाल ओर रैड सिंघी नस्लों के संरक्षण व प्रसार के लिए स्वीकृत हुई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन निम्न उद्देश्यों के लिए चलाया जा रहा है:–

1. देसी पशुओं का विकास एवं सरक्षंण।
2. देसी पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम उनके आनुवांशिक सुधारते हुए पशुधन को बढ़ाना।
3. दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्वि करना।
4. अवर्गीकृत पशुओं का स्वदेशी नस्लों का उपयोग करते हुए उन्नयन करना जैसे साईवाल और रैड़ सिंधी।
5. रोग रहित उच्च अनुवांशिक बैलों का प्राकृतिक गर्भदान के लिए वितरण।
6. राज्य में गोकुल ग्राम की स्थापना करना।
7. मुराह भैंस फार्म की स्थापना करना।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन.एल.एम.)

7.61 राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन. एल.एम.) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो कि वर्ष 2014–15 से शुरू की गई है। पशुपालन विभाग राष्ट्रीय पशुधन मिशन के प्रस्तावों को कार्यान्वयन करने वाला एकमात्र विभाग है। मिशन का उद्देश्य पशुधन उत्पाद व किस्म का विकास करने के साथ पशुपालकों की क्षमता में सुधार करना है। छोटे जुगाली करने वाले जैसे कि भेड़ व बकरी, चारा विकास, जोखिम प्रबन्धन व कुक्कड़ विकास की गतिविधियां इस योजना में सम्मिलित है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य का हिस्सा अलग–अलग मदों के लिए अलग–अलग है।

पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता

7.62 पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में अन्तर्राज्यीय आवाजाही व पौष्टिक दाना व चारा की कमी और पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण पशु विभिन्न पशु बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ने संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को एस्काड स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की है जिसमें 90 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार का तथा 10 प्रतिशत भाग राज्य सरकार का है, जिन रोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण सुविधा प्रदान की जाती है उनमें मुंहखुर, एच.एस.बी.क्यू. एन्टरोटोम्सेमिया, पीपीआर, रानीखेत, मारक्स और रैबीज रोग इस परियोजना में सम्मिलित हैं।

भेड़ पालक योजना

7.63 स्थानीय भेड़ों की अच्छी नस्ल के मैंढे जैसे रैम्बोल्ट व रशियन मैरिनों द्वारा क्रासब्रीड से नस्ल सुधारी जा रही है। ताकि उन की गुणवत्ता व उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसीलिए इन मेढ़ों को 60 प्रतिशत सब्सिडी पर भेड़पालकों को उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है।

बी.पी.एल. कृषक बकरी पालन योजना

7.64 इस योजना के अन्तर्गत 60 प्रतिशत अनुदान पर भूमिहीन बी.पी.एल. श्रेणी के किसानों को उनकी आय बढ़ाने हेतु निम्नलिखित यूनिटों/ किस्मों का

वितरण प्रस्तावित है। 11 बकरियां (10 मादा+1 नर), 5 बकरियां (4 मादा+1 नर), 3 बकरियां (2 मादा+1 नर), जोकि क्रमशः बैटलीस सिरोही/ जमनापरी/ वाईट हिमालयन किस्म की है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)

7.65 आर.के.वी.वाई. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बुनियादी ढ़ाचे को मजबूत, पशु चिकित्सा सेवाएं, विस्तार गतिविधियां, कुक्कड़ विकास व छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का विकास, पशुधन के पोषण की स्थिति में सुधार, पशुधन के स्वास्थ्य स्थिति में सुधार और राज्य के पशुधारकों की दूसरी गतिविधियों में सुधार लाना है।

प्रमुख पशुधन उत्पादों के आंकलन हेतु एकीकृत नमूना सर्वेक्षणः–

7.66 एकीकृत नमूना सर्वेक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (AHS Division) नई दिल्ली के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में किया जाता है। यह पशुधन उत्पादों व पशुधन संख्या का विश्वसनीय डाटाबेस प्रदान करता है। वर्ष 1977–78 से लगातार प्रत्येक वर्ष निम्न उद्देश्य से किया जा रहा हैः–

1. ऋतुवार व वार्षिक दूध ,ऊन, मॉस व अण्डों की मात्रा का अनुमान करना।
2. पशुओं की औसत संख्या व उत्पादन अनुमान।
3. गोबर उत्पादन का अनुमान।
4. औसत दाना व चारा के उपभोग का अनुमान।
5. पशुओं की संख्या व औसत उत्पादन की प्रवृति का अध्ययन करना।

पशुगणनाः

7.67 भारत सरकार द्वारा हर पांच वर्ष के अन्तराल पर पशुगणना का कार्य करवाया जाता है। अभी तक भारत में ऐसी 20 पशुगणनाएं की जा चुकी हैं। प्रदेश में पशुपालन के विकास व उत्थान हेतु पशुगणना का विशेष महत्व है। प्रदेश में पाले जाने वाले पशुधन व कुक्कुट आदि की सही संख्या के आधार पर भारत सरकार एवं हिमाचल सरकार द्वारा पशु विकास सम्बन्धी नई नीतियां तैयार की जाती है। इस योजना के लिए शत प्रतिशत पैसा भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में डेयरी विकास गतिविधियां 'आनन्द पद्धति के टू–टायर' ढ़ाचे पर आधारित है। आनन्द पद्धति की मूल इकाई ग्रामीण दुग्ध उत्पादन सहकारी सभा है जहां पर दुग्ध उत्पादकों का फालतू दूध एकत्रित किया जाता है और इस दूध का परिक्षण किया जाता है। दुग्ध उत्पादकों को दूध का भुगतान दूध की गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है।

दूध पर आधारित उद्योग

7.68 हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ राज्य में डेरी विकास कार्यक्रम चला रही है। दूध महासंघ में 1,024 दुध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 43,250 है जिसमें 205 महिला डेरी सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। डेरी सहकारी समितियों द्वारा

दुग्ध उत्पादकों से गांवों का अतिरिक्त दूध एकत्रित किया जाता है तथा दुग्ध संघ इसे प्रसंस्करण करके बाजार में उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में दुग्ध संघ 22 दुग्ध अभिशीतल केंद्र चला रहा है जिनकी कुल क्षमता 91,500 लीटर दूध प्रतिदिन है और 11 दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट जिनकी कुल क्षमता 1,00,000 लीटर दूध प्रतिदिन है तथा 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक मिल्क पाउडर प्लांट दत्तनगर, जिला शिमला में कार्यरत है और एक 16 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला पशु आहार संयंत्र भी भौर, जिला हमीरपुर में स्थापित किया गया और कार्यरत है। इस वर्ष मिल्कफैड रोजाना औसतन 77,000 लीटर दूध प्रतिदिन ग्राम डेरी समितियों द्वारा गांवों से एकत्रित कर रही है। हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ प्रतिदिन लगभग 27,397 लीटर दूध का विपणन कर रहा है जिसमें प्रतिष्ठित डेरीयों को थोक मात्रा में तथा सैनिक युनिट डगशाई, शिमला, पालमपुर और धर्मशाला (योल) भी शामिल हैं।

हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ग्रामीण क्षेत्रों में संगोष्ठियां व कैम्प लगाकर ग्रामीणों को डेरी के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी से भी जागरूक करवाती है। इसके इलावा किसानों के घर द्वार पर, पशु–चारे व साफ दुग्ध उत्पादन की क्रिया से भी अवगत करवाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1.04.2019 से दुग्ध के मूल्य में ₹2.00 प्रति लीटर की वृद्वि करके 43,250 परिवारों को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचाया है जोकि हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ से जुड़े हैं।

विकासात्मक प्रयत्न

7.69 अतिरिक्त दूध को उचित रूप से उपयोग करने, राजस्व को बढ़ाने तथा हानि को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश, दुग्ध संघ द्वारा नीचे दिए हुए विकासात्मक कार्यक्रम आरम्भ किए हैं:–

- 5,000 लीटर की क्षमता वाले तीन दुग्ध अभिशीतन केन्द्र रिकांग–पिओ जिला किन्नौर, नालागढ़ जिला सोलन, जंगलबैरी जिला हमीरपुर, चम्बा, रोहडू, ऊना, नाहन और कुल्लू के मौहाल में लगाए गए हैं तथा 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के मण्डी व कांगड़ा में लगाए गए हैं।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ दुग्ध से बने पदार्थ जैसे कि दुग्ध पाउडर, घी मक्खन, दही, पनीर, मीठा सुंगधित दूध व खोया 'हिम ब्राण्ड' के नाम से बना रहा है।
- वर्ष 2018–19 में, केन्द्र प्रायोजित योजना NPDD (National Programme for Diary Development) के अन्तर्गत् दुग्ध प्रसंघ ने जिला शिमला, मण्डी और कुल्लू में 40 नये स्वःचालित दुग्ध संचय इकाईयां स्थापित की गई है।

मिल्कफेड के नवाचार

7.70 कल्याण विभाग के आई.सी.डी. एस प्रोजेक्ट की जरूरत को पूरा करने हेतु हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड ने पंजीरी का उत्पादन पंजीरी उत्पाद संयंत्र चक्कर (मण्डी) में किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में 39,359 क्विंटल पंजीरी, 4,905 क्विंटल स्कीमड मिल्क पाउडर और 18,189 क्विंटल बेकरी बिस्किुट को निर्मित कर उसकी आपूर्ति को महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम से की जा रही है।

- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादकों को अच्छी गुणवता वाला दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ ने मिठाईयां बनाने का कार्य भी सफलतापूर्वक शुरू किया है तथा इस वर्ष 2019–20 में दिवाली के त्यौहार पर लगभग 400 क्विंटल मिठाईयां का कारोबार किया है।
- वर्ष 2020–21 के दौरान, राज्य में डेयरी गतिविधियों में सुधार करने के लिए दुग्ध प्रसंघ दत्तनगर में एक 50,000 एलपीडी क्षमता का दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगा जिससे दूध प्रसंस्करण करने की क्षमता 70,000 एल.पी.डी. बढ़ जायेगी जिससे शिमला, कुल्लू, किन्नौर और मण्डी जिले के कुछ भाग के डेयरी सहकारी समितियों को लाभ मिलेगा।
- 50,000 एल.पी.डी. का एक नया संयंत्र मण्डी चक्कर में स्थापित किया जायेगा जिससे मण्डी, कुल्लू, बिलासपुर और अन्य जिलों डेयरी सहकारी समितियों को लाभ मिलेगा।
- दूध खरीद की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी डेयरी सहकारी समितियों को प्लांट स्तर पर fat/snf के साथ मिलावट के परीक्षण के लिए 15 ए.एम.सी.यू.(स्वचालित दूध संग्रह इकाई) और 11 Milko Screen प्रदान की जाएगी।
- एन.डी.डी.बी. और टाटा ट्रस्टों के सहयोग से राज्य में विटामिन ए और डी के साथ फोर्टिफाइड मिल्क हिम गौरी के उत्पादन की शुरुआत 28.11.2019 से की है।

हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की उपलब्धियां सारणी संख्या 7.10 में दर्शाई गई हैं।

सारणी 7.10

हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की उपलब्धियां

क्र. सं.	विवरण	2018–19	30.11.19 तक
1	संगठित डेरी सहकारी सभाएं	977	1,024
2	दुग्ध उत्पादक सदस्य	42650	43250
3	दुग्ध संकलन की मात्रा (लाख ली0)	255.66	217
4	बेचा गया दूध(लाख ली0)	77.81	50.02
5	घी की बिक्री(मी0टन)	158.24	128.11
6	पनीर की बिक्री(मी0टन)	79.68	75.25
7	मक्खन की बिक्री(मी0टन)	21.62	15.40
8	दही की बिक्री(मी0टन)	102.35	90.70
9	पशु आहार बिक्री(क्विंटलों में)	19337.00	15384.00

7.71 हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने न केवल पिछड़े और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए लाभकारी बाजार बल्कि शहरी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भी दुग्ध व इससे बने पदार्थ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपलब्ध करवाएं हैं। हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड यह सुनिशिचित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर दुग्ध ठण्डा हो इसके लिए 106 बड़े दुग्ध शीतक, गांव स्तर पर राज्य के विभिन्न भागों में लगाए गए हैं। दुग्ध को जांचने में पारदर्शिता लाने के लिए फैडरेशन ने 268 स्वःचालित दुग्ध संचय ईकाईयां विभिन्न ग्राम डेरी सहकारी समितियों में लगाई हैं।

ऊन एकत्रीकरण एवं विपणन संघ सीमित

7.72 ऊन संघ का मुख्य उद्वेश्य हिमाचल प्रदेश में ऊनी उद्योग को बढ़ावा

एवं विकास करना तथा ऊन उत्पादकों को बिचौलियों/व्यापारियों के शोषण से मुक्त करना है। ऊन संघ अपने उपरोक्त उद्देश्यों का अनुसरण करते हुए भेड़ व अंगोरा ऊन की खरीद, भेड़ों की चारागाह स्तर पर कर्तन की मशीन, ऊन की धुलाई (स्कावरिंग) और ऊन के विक्रय के लिए प्रयासरत है। भेड़ कर्तन, आयातित स्वचालित मशीनों द्वारा करवाई जाती है। वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक 82,697 किलोग्राम भेड़ ऊन की खरीद की गई है जिसका मूल्य ₹ 52.76 लाख है।

संघ द्वारा कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का क्रियान्वयन प्रदेश के भेड़ व अंगोरा पालकों के लाभ व उत्थान के लिए भी किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों से लगभग 15,000 अंगोरा एवं भेड़ पालकों को इसका लाभ प्राप्त होने की संभावना है। ऊन संघ, ऊन उत्पादकों को उनके उत्पाद का उचित पारिश्रामिक मूल्य, स्थापित ऊनी बाजार में विपणन करवा कर उपलब्ध करवा रहा है।

मत्स्य एवं जलचर पालन

7.73 हिमाचल प्रदेश भारत वर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जाल प्रदान किया है जो कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी क्षेत्रों से गुजरती हुई मैदानों में जाती है और इन नदियों के पानी में आक्सीजन की मात्रा भी अधिक होती है। राज्य में बारहमासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती हैं जिनमें मत्स्य की शीतल जलीय प्रजातियां जैसे गुगली (साइजोथरैक्स), सुनैहरी महाशीर व ट्राउट पाई जाती है। शीतल जलीय मत्स्य संसाधनों के दोहन के लिए महत्वकांक्षी "इन्डो–नार्वेयन ट्राउट फार्मिंग" परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राउट पालन को निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के जलाशय गोबिन्दसागर, पौंग डैम, चमेरा तथा रणजीत सागर में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई है। प्रदेश में लगभग 5,337 मछुआरे अपनी रोजी के लिए जलाशयों के मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान दिसम्बर, 2019 तक प्रदेश के विभिन्न जलाशयों से 9,308 मीट्रिक टन मछली उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ₹118.64 करोड़ है। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों को गोबिन्द सागर में देशभर में सर्वाधिक प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादन तथा पौंग डैम की मछलियों का सर्वोच्च विक्रय मूल्य का गौरव प्राप्त है। गोबिन्द सागर में प्रति हैक्टेयर जलाशय को चालू वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2019 तक राज्य में फार्मों से 7.24 टन ट्राउट मच्छली उत्पादन से ₹81.70 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। पिछले वर्षों के उत्पादन को सारणी संख्या 7.11 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.11
ट्राउट उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (टन)	राजस्व (₹लाख में)
2016–17	18.78	141.35
2017–18	10.32	129.75
2018–19	8.34	118.22
2019–20 दिसम्बर, 2019 तक	7.24	81.70

7.74 मत्स्य विभाग द्वारा ग्रामीण व्यवसायिक जलाशयों, तालाबों जो कि सरकारी व निजी क्षेत्र में है उन जलाशयों की मांग को पूरा करने के लिए कार्प तथा ट्राउट बीज फार्मों की स्थापना की है। वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक राज्य में 70 मी.मि. से ऊपर की कुल ₹15.36 लाख कॉमन कार्प अंगुलिकायें, ₹3.58 लाख इसी आकार की IMC तथा ₹3.67 लाख रेनवों ट्राउट का उत्पादन किया गया है। वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक उत्पादित इस बीज का मूल्य लगभग ₹38.63 लाख है। प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र होंने पर भी मतस्य पालन पर अधिक बल दिया है। "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" के अन्तर्गत ₹101.10 लाख की योजना स्वीकृत हुई है जिसका विवरण सारणी संख्या 7.12 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.12

क.सं	योजना का नाम	परिव्यय राशि ₹लाख
1.	निजी क्षेत्र में 31 ट्राउट ईकाइयों का निर्माण	71.10
2.	राज्य के जलाश्यों में एक मछली अवतरण केन्द्र का निर्माण	30.00
	कुल	**101.10**

7.75 विभाग द्वारा जलाशय मछली दोहन में लगे मछुआरों के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई है। इस वर्ष मछुआरों को जीवन सुरक्षा निधि के अंतर्गत लाया गया है जिसके तहत मृत्यु/स्थाई अपंगता की दशा में संतप्त परिवार को ₹2.00 लाख तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में ₹1.00 लाख तथा चिकित्सा उपचार हेतु ₹10,000 प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण "आपदा कोष योजना" के अंतर्गत मत्स्य उपकरणों के नुकसान की भरपाई के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। जिसके अन्तर्गत मछुआरों के अंशदान के बराबर राशि केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। जिसे वर्जित काल के दौरान विभाग द्वारा मछुआरों में वितरित किया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान बचत तथा राहत निधि योजना के अन्तर्गत 3,710 मछुआरों को कुल ₹111.30 लाख की राशि वितरित की जायेगी जिसमें 37.10 लाख मछुआरों द्वारा एकत्रित किये गये हैं तथा ₹74.20 लाख केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान के रुप में प्रदान किये जाऐगें।

7.76 मत्स्य पालन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना विशेष योगदान दे रहा है तथा विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई रही है जिसके अंतर्गत् विभाग द्वारा अब तक 550 रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। राज्य में जलीय कृषि विकास की अच्छी सम्भावना है। विभाग द्वारा वर्ष 2022 तक नील क्रांति के अन्तर्गत 1,000 हैक्टेयर में ट्राउट इकाइयों व 1,000 हैक्टेयर में नए तालाब के निर्माण की परिकल्पना की गई है। केन्द्र और राज्य सरकार के बीच नील क्रांति की केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम 90:10 अनुपात में सांझी की जा रही है। वर्ष 2019–2020 में इस योजना के अर्न्तगत निम्न इकाईयां स्थापित होगी।

- हिमाचल प्रदेश में ₹79.90 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान कर 20

हैक्टेयर नये तालाबों का निर्माण निजि क्षेत्रों में किया जाएगा।

- निजी क्षेत्र में 6 ट्राउट मीलों का निर्माण ₹24.00 लाख से कुल्लू, मण्डी, चम्बा, शिमला और सिरमौर में किया जा रहा है।
- निजी क्षेत्र में 6 नई ट्राउट हैचरियों का निर्माण ₹60.00 लाख से किया जा रहा है।
- निजी क्षेत्र में 120 नयें ट्राउट युनिट की स्थापना की जा रही है।
- निजी क्षेत्र में एक्चाकलचर विकास हेतु मत्स्य मुद्रा योजना चलाई जा रही है।
- कौलडैम जलाशय में ट्राउट केज की स्थापना की गई है।
- प्रदेश में 3 रिटेल आऊटलेट का निर्माण किया जा रहा है।
- सरकारी क्षेत्र में पुनः परिचालन एक्वाकल्चर प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है।

केन्द्रीय प्रायोजित 'नील क्रान्ति एकीकृत विकास एवं मत्स्य प्रबंधन' के अन्तर्गत 2019–20 की वार्षिक योजना के दौरान ₹76.69 करोड़ का प्रावधान है।

7.77 विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक प्राप्त उपलब्धियां तथा वर्ष का निर्धारित लक्ष्यों का विवरण सारणी संख्या 7.13 में दर्शाया गया है।

सारणी 7.13

क्र0 सं0	विवरण	दिसम्बर, 2019 तक की उपलब्धियां	2020–21 का लक्ष्य
1	मत्स्य उत्पादन (टन) (सभी साधनों से)	9,308.23	14,200.00
2	कार्प बीज उत्पादन (लाख)	202.42	730.00
3	खाने योग्य ट्राउट उत्पादन सरकारी क्षेत्र(टन)	7.24	16.00
4	खाने योग्य ट्राउट उत्पादन निजी क्षेत्र(टन)	300.3	669.00
5	रोजगार सृजन (संख्या)	358	550
6	विभागीय राजस्व (लाखों में)	275.05	427.73

वन

7.78 हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 68.16 प्रतिशत अर्थात 37,947 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आता है। हालांकि, वर्तमान में वन आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 28.60 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश सरकार की वन नीति का मूल उद्देश्य वनों के उचित उपयोग के साथ–साथ इनका संरक्षण तथा विस्तार करना है। वन विभाग का लक्ष्य वर्ष 2030 सतत विकास लक्ष्यों

को प्राप्त करने तक वन आवरण को राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30 प्रतिशत तक करने का है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही कुछ कार्यक्रम योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैं:–

वन पौधारोपण

7.79 पौधारोपण का कार्य विभाग की विभिन्न राज्य योजनाओं जैसे कि "वृक्षावरण में सुधार," "भू एवं जल सरंक्षण" "कैम्पा" तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम" में किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की चरागाहों को राज्य सरकार की योजना "चरागाह व गोचर भूमि विकास" के अन्तर्गत विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की जनता को पर्यावरण के बारे में जागरूक करने तथा राज्य स्तरीय, वृत्तस्तरीय व मंडलस्तरीय वन महोत्सव का आयोजन नई वानिकी योजना (सांझी वन योजना) के अन्तर्गत किया जाता है।इसके इलावा, विभाग 2018–19 के बाद से महिला मंडलों, युवक मंडल, स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों जैसे स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए वृक्षारोपण अभियान चला रहा है। वर्तमान मानसून सीजन के दौरान विभाग ने पूरे राज्य में पांच दिनों का वृक्षारोपण अभियान चलाया है। 20 से 24 जुलाई, 2019 तक 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस अभियान को बड़ी सफलता मिली और 1,18,932 लोगों ने उत्साह से अभियान में भाग लिया और 727 चयनित स्थानों पर 26,47,146 पौधे लगाए गए। वर्ष 2019–20 के लिए 9,000 हैक्टेयर के वृक्षारोपण लक्ष्य है जिसमें CAMPA और केन्द्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं, जिसमें से 8475.23 हैक्टेयर लक्ष्य प्राप्त किया गया है और शेष लक्ष्य 31.03.2020 तक प्राप्त किया जायेगा।

वन प्रबंधन (वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना

7.80 राज्य में जनसंख्या में बढ़ोतरी, पशुपालन पद्धतियों में बदलाव और विकास सम्बंधी गतिविधियों के कारण वनों पर जैविक दबाव बढ़ रहा है। साथ ही वनों को आग, अवैध कटान, अतिक्रमण और अन्य वन अपराधों का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उपयुक्त स्थानों पर चेकपोस्ट की स्थापना की जाए, संवेदनशील स्थानों पर सी.सी.टी. वी. स्थापित किए जाएं ताकि वन अपराधों की रोकथाम सुनिश्चत की जा सके। उन सभी वन मण्डलों में जहां आग एक प्रमुख विनाशकारी तत्व है, अग्निशमन उपकरण और आधुनिक तकनीकी उपलब्ध करवाई जाए। वनों के कुशल प्रबन्धन एवं सुरक्षा हेतु एक अच्छे संचार तंत्र की आवश्यकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र प्रायोजित योजना– वन अग्रि निवारण और प्रबंधन योजना (जिसे पहले बन प्रबंधन योजना के गहनता के रुप में जाना जाता था) को राज्य में लागू किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना के तहत ₹222.07 लाख के परिव्यय को केन्द्रीय शेयर (90 प्रतिशत) के रुप में अनुमोदित किया गया हें राज्य का हिस्सा ₹24.67 लाख है। 2019–20 के दौरान एक नई राज्य योजना "वन अग्रि प्रबंधन योजना" शुरु की गई है, जिसके अन्तर्गत ₹100 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

प्रयोगात्मक वन संवर्धन कटान

7.81 हिमाचल प्रदेश की वन संपदा अनुमानितः ₹1.50 लाख करोड़ से अधिक है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन वृक्ष प्रजातियों (खैर, चील व साल) की वन संवर्धन हरित कटान हेतू राज्य के तीन वन परिक्षेत्रों नुरपूर, नुरपूर वन मण्डल, भराड़ी बिलासपुर वन मण्डल एवं पांवटा, पांवटा साहिब वन मण्डल को प्रयोगात्मक रुप से अनुमति प्रदान की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई निगरानी समिति की सिफारिशों के अनुसार पेड़ों की कटाई का कार्य वर्ष 2018–19 के दौरान किया गया और चालू वित्त वर्ष 2019–20 के इस समिति की सिफारिशों के अनुसार इन क्षेत्रों में पौधरोपण, बाड़बंदी एवं पुर्नस्थापन का कार्य किया जा रहा है।

नई योजनाएं

7.82 स्थानीय समुदायों, छात्रों और आम जनता को जंगलों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए ओर गैर –काष्ठ वन उत्पादों के सतत पैदावार सुनिश्चित करने और उनके मूल्य संर्वधन के लिए निम्नलिखित नई योजनाओं को शुरु किया गया हैः–

i) सामुदायिक वन संवर्धन योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण के माध्यम से वनों के संरक्षण और विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना, जंगलों की गुणवत्ता में सुधार और वन आवरण में वृद्वि करना है। यह योजना मौजूदा संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों/ ग्राम वन विकास समितियों (JFMC/VFDS) के माध्यम से लागू की जाएगी। वर्ष 2018–19 के दौरान 20 साइटों को चयन किया गया था और वर्ष 2019–20 के लिए 11 नई साइटों को चुनने का लक्ष्य रखा गया है। चयनित सभी 31 साइटों में चयनित द्वारा अनुमोदित माइक्रो प्लान के अनुसार पौधरोपण एवं भू–संरक्षण कार्य किये जायेंगे।

ii) विद्यार्थी वन मित्र योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वनों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना, छात्रों में प्रकृति संरक्षण के प्रति लगाव की भावना पैदा करना, वनों के संरक्षण के प्रति स्थानीय समुदायों को प्रेरित करना और वन आवरण को बढ़ाना है। वर्ष 2019–20 के दौरान इस योजना के तहत ₹125.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है और वर्ष 2019–20 में 150 नये स्कूलों का चयन करने का लक्ष्य रखा गया है। दिसम्बर, 2019 तक 146 स्कूलों के चयन कर लिया गया है, जिनके द्वारा 131.5 हेक्टेयर भूमि में पौधरोपण किया जाएगा।

iii) वन समृद्वि जन समृद्वि योजना

यह योजना स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राज्य में उपलब्ध गैर काष्ठ वन उत्पाद संसाधनों को सुदृढ़ करने, इन वन उत्पादों की सतत पैदावार सुनिश्चित करने और मूल्य संवर्धन तकनीक अपनाकर अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए शुरु की गई है।

शुरुआत में यह योजना प्रदेश के सबसे अधिक जैव विविधता सम्पन्न 7 जिलों जैसे चम्बा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, किन्नौर तथा लाहौल और स्पिति में लागू की जायेगी जिसे बाद में शेष जिलों में भी लागू किया जायेगा।

iv) एक बूटा बेटी के नाम (वर्ष 2019–20 से आरम्भ)

लोगों को बेटियों और वन संरखण के महत्व के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से वर्ष 2019–20 में एक नई योजना (एक बूटा बेटी के नाम) शुरु की गई है। ऐसा विश्वास है कि बालिकाओं के नाम पर एक पौधा लगाने और उसकी समुचित देखभाल करने से समाज लड़कियों के समग्र विकास ओर उनके अधिकारों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होगा। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में कहीं भी बालिका–शिशु के जन्म पर वन विभाग उसके माता पिता को चयनित वानिकी प्रजाति के पांच स्वस्थ्य लम्बे पौधे एवं एक किट परिवार को भेंट करेगा। पौधारोपण लड़की के माता पिता द्वारा उनकी निजी भूमि अथवा वन भूमि में मानसून तथा शीत ऋतु में किया जायेगा।

बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम्स क्लाईमेट प्रूफिंग परियोजना (के.एफ.डब्लयू. द्वारा सहायता प्राप्त)

7.83 हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम्स क्लाईमेट प्रूफिंग परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू) बैंक, जर्मनी के सहयोग से 7 वर्षो की अवधि के लिए वर्ष 2015–16 से प्रदेश के चम्बा और कांगड़ा जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत ₹308.45 करोड़ की है, जिसे जर्मन सरकार के 85.10 प्रतिशत ऋण व 14.90 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाना है। इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने, जैव विविधता बढ़ाने, वन संसाधनों के स्थाई प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्रोत को बढ़ाना है और वन आधारित उत्पादों एवं सेवाओं के प्रवाह को बढ़ाना ताकि ऐसे समुदायों को लाभ मिल सके जो वनों पर आधारित रहते हैं। दीर्घ अवधि में वन पारिस्थितिक तन्त्र को मजबूत करना ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सहन कर सके, यह जैव विविधता की सुरक्षा बढ़ाने, जलग्रहण क्षेत्र के स्थिरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के सरंक्षण के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बेहतर आजीविका के साधन पैदा करने में सहायक हो। चालू वित्त वर्ष 2019–20 में इस परियोजना के लिए ₹43.46 करोड का प्रावधान रखा गया है।

हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना

7.84 जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) के साथ ₹800.00 करोड़ की एक नई परियोजना "हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम्स प्रबंधन व आजीविका सुधार परियोजना" 8 वर्ष की अवधि के लिए (2018–19 से 2025–26) शुरू की जा चुकी है जिसे जापान सरकार के 80 प्रतिशत ऋण व 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाना है। यह परियोजना बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी,

शिमला, किन्नौर, लाहौल–स्पिति जिलों और चम्बा जिले के पांगी तथा भरमौर उप–मण्डलों के आदिवासी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएगी। इस परियोजना का मुख्यालय कुल्लू (शमशी) और क्षेत्रीय कार्यालय रामपुर जिला शिमला में होगा। इस परियोजना का उद्वेश्य वन और पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र को सरंक्षित करना, वनों के घनत्व और उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाना, उनका वैज्ञानिक एवं आधुनिक प्रबंधन और चारागाह पर निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार लाने के साथ जैव विविधता को बढ़ाना व वन संसाधनों पर दबाव को कम करने के लिए ग्राम समुदाय को वैकल्पिक आजीविका का अवसर प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, सरकार ने इस परियोजना के लिए ₹29.71 करोड प्रदान किए हैं इस परियोजना के अन्तर्गत 9121121.13 तक ₹19.94 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

विश्व बैंक पोषित स्रोत स्थिरता लचीली जलवायु व वर्षा पर निर्भर कृषि हेतु एकीकृत विकास परियोजना

7.85 विश्व बैंक, ₹ 650.00 करोड़ की लागत वाली इस नई परियोजना (सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएन्ट रेन फेड एग्रीकल्चर परोजेक्ट) को पोषित करने पर सहमत हो गया है जिसमें विश्व बैंक के 80 प्रतिशत ऋण व 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा खर्च किया जाना है। इस परियोजना की अवधि 7 वर्ष है जो कि प्रदेश की 900 ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित की जाएगी जो शिवालिक और मध्य पहाड़ी क्षेत्र के विभिन्न जलागमों के कृषि–जलवायु क्षेत्र में फैले है। इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 2 लाख हैक्टेयर गैर–कृषि भूमि और 20 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि के व्यापक उपचार के साथ–साथ जल उत्पादकता, दूध उत्पादन में वृद्धि और आजीविका में सुधार के कार्य शामिल है। चालू वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान इस परियोजना के प्रारंभिक चरण के लिए ₹35.74 करोड दिये हैं जिसमें से 31.12.2019 तक ₹7.49 करोड़ खर्च कर लिए हैं।

पर्यावरण वानिकी एवं वन्यप्राणी

7.86 हिमाचल प्रदेश विविध और अद्वितीय वन्यप्राणी प्रजातियों के लिए प्रसिद्व है जिसमें से कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं। पर्यावरण वानिकी एवं वन्यप्राणी के संरक्षण एवं संबर्धन, वन्यप्राणी शरणस्थलों एवं राष्ट्रीय उद्यानों के विकास तथा लुप्तप्राय पशु एवं पक्षियों की प्रजातियों के सरक्षंण हेतु प्रावधान इस परियोजना के अन्तर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए इन कार्यो हेतु ₹21.25 करोड़ का बजट अनुमोदित किया गया है।

बिन्दु–7.1
कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का अवलोकन

वर्तमान मूल्य पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी 2014–15 में 15.35 प्रतिशत से घटकर 2019–20 में 12.73 प्रतिशत रह गई है। प्रदेश के कुल GVA में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी गैर कृषि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च विकास प्रदर्शन के कारण घट रही है। यह विकास प्रक्रिया का एक स्वाभाविक परिणाम है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण गैर–कृषि क्षेत्रों में तेज़ी से वृद्धि करते हैं।

कुल प्रचलित आधार कीमतों पर राज्य के GVA में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का योगदान

मद	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20
कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का GVA (₹करोड़ में)	14948	17147	18007	16245	17156	19446
कुल अर्थव्यवस्था के GVA में कृषि और सम्बन्ध क्षेत्रों के GVA का योगदान (प्रतिशत)	15.35	15.90	15.23	12.76	12.11	12.73
फसलों का योगदान	8.39	9.00	8.23	7.59	6.81	7.62
पशुधन का योगदान	1.14	1.31	1.26	1.30	1.60	1.51
वन उत्पादों का योगदान	5.72	5.49	5.73	3.74	3.58	3.49
मत्स्य उत्पादों का योगदान	0.10	0.10	0.11	0.13	0.12	0.11

जल संसाधन प्रबन्धन तथा पर्यावरण

8 अध्याय

पीने का पानी

8.1 हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जल प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आई.एम.आई.एस. वेब–साइट पर वार्षिक डेटा अपडेशन के बाद 1 अप्रैल, 2019 तक राज्य में कुल 54,469 बस्तियां हैं। जिन में से 34,844 बस्तियों को पूर्ण रुप से (55 लीटर या इससे अधिक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवा गया है, 1 अप्रैल, 2019 को इन बस्तियों की अंतिम स्थिति नीचे दी गई है:–

बस्तियों की संख्या	बस्तियां जिनमें भात–प्रति"ात जनसंख्या को लाभान्वित किया गया	ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या >0तथा<100 सम्मिलित किया गया
54,469	34,844 (63.38%)	19,625 (36.62%)

19,625 बस्तियों को 55 लीटर से कम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी मिल रहा है उनके लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 765 बस्तियों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें राज्य सरकार के अंतर्गत 76 बस्तियों और केन्द्र सरकार के अंतर्गत 689 बस्तियों को पूर्ण एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए राज्य एवं केंद्रीय परिव्यय का भाग क्रमशः ₹12.22 करोड़ एवं ₹110.00 करोड़ रखा गया है। दिसम्बर, 2019 तक 765 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया गया है जिसमें 747 बस्तियां केन्द्रीय भाग तथा 18 बस्तियां राज्य भाग से है।

8.2 भारत सरकार ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यत्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 327 स्कीमों को शुरु करने के लिए ₹2,896.54 करोड़ देने की मंजूरी दे दी हैं, और 327 स्कीमों के माध्यम से 1,87,860 घरेलू कनेक्शन देकर 15,919 वस्तियों को कवर किया जाएगा। राज्य में 13,48,841 घर है जिनमें से 7,88,832 कनेक्शन ग्रामीण जल आपुर्ति कार्यक्रम के तहत प्रदान किए गए है । इस प्रकार 58.48 प्रतिशत परिवारों को राष्ट्रीय औसत के समकक्ष 18.51 प्रतिशत परिवारों को घरेलू कनेक्शन प्रदान किए गए है ।

हैण्डपम्प कार्यक्रम

8.3 सरकार द्वारा प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में पेयजल की कमी के चलते हैण्डपम्प लगाने का कार्य निरन्तर चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 2019 तक प्रदेश में कुल 39,157 हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 2019–20 में नवम्बर, 2019 तक प्रदेश में कुल 263 हैण्डपम्प स्थापित किये गए।

सिंचाई

8.4 कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विशेष महत्व है। कृषि उत्पादन प्रक्रिया में पर्याप्त तथा समय पर सिंचाई की पूर्ति उन क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां वर्षा बहुत कम या अनियमित होती है। हिमाचल प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 5.83 लाख हैक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की सिंचाई की क्षमता लगभग 3.35 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 0.50 लाख हैक्टेयर मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत लाया जा सकता है तथा शेष 2.85 लाख हैक्टेयर भूमि लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लाई जा सकती है। दिसम्बर, 2019 तक 2.80 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

8.5 राज्य में कांगड़ा जिले में शाहनहर परियोजना ही एकमात्र मुख्य सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत 15,287 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। अब इस परियोजना में विकास का कार्य प्रगति पर हैं और 15,287 हैक्टेयर भूमि में से 9,998.50 हैक्टेयर भूमि दिसम्बर, 2019 तक कमांड क्षेत्र विकास के अन्तर्गत लाई जा चुकी है। मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत चंगर क्षेत्र बिलासपुर 2,350 हैक्टेयर, सिद्धाता कांगड़ा 3,150 हैक्टेयर तथा बल्ह घाटी लेफ्ट बैंक 2,780 हैक्टेयर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मध्यम सिंचाई योजना सिधांता का सी.ए.डी. कार्य प्रगति पर है तथा दिसम्बर, 2019 तक 2,705.10 हैक्टेयर भूमि को सी.ए.डी. के अन्तर्गत लाया जा चुका है। वर्तमान में फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना (सी.सी.ए. 4,025 हैक्टेयर) तथा नादौन क्षेत्र जिला हमीरपुर (सी.सी.ए. 2,980 हैक्टेयर) का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2019–20 में मुख्य तथा मध्यम सिंचाई योजना के अंतर्गत 1000 हैक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से दिसम्बर, 2019 तक 850 हैक्टेयर कमांड क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है।

लघु सिंचाई

8.6 वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत् 3,700 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए ₹330.62 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। नवम्बर, 2019 तक 2,606.39 हैक्टेयर क्षेत्र को ₹134.00 करोड़ व्यय करके सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है।

कमांड क्षेत्र विकास

8.7 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ₹80.00 करोड़ का प्रावधान किया है जिसमें एच.आई.एम. सी.ए.डी. की गतिविधियों के लिए ₹35.00 करोड़ भी शामिल है जो पूरी तरह लघु सिंचाई योजनाओं के क्षमता निर्माण एवं उपयोग के लिए है तथा शेष राशि केन्द्रीय भाग सहित राज्य में प्रमुख/मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं को चलाने के लिए है। इस वर्ष 2,961 हैक्टेयर सी.सी.ए. का लक्ष्य रखा गया हैं जिसमें से दिसम्बर, 2019 तक 1,629.68 हैक्टेयर क्षेत्र को सी.ए.

डी. के अन्तर्गत लाया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा कमांड क्षेत्र विकास जल प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत् सी.ए.डी. प्रमुख सिंचाई शाहनहर तथा मध्यम सिंचाई सिधाता परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

बाढ़ नियन्त्रण

8.8 वर्ष 2019–20 में 2,300 हैक्टेयर भूमि में बाढ़ नियंत्रण कार्य के अन्तर्गत् लाने के लिए ₹238.38 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नवम्बर, 2019 तक ₹212.27 करोड़ व्यय करने उपरान्त 65.00 हैक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित किया गया है। स्वां नदी चरण–IV तथा छोंच खड्ड के तटीयकरण का कार्य प्रगति पर है।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन

8.9 प्लास्टिक कचरे के कारण होने वाले प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए, गैर–पुर्नचक्रीय प्लास्टिक कचरे के लिए नई खरीद नीति लाने के अलावा ''पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ'' ''स्वच्छता ही सेवा'' राज्य सरकार ने विभिन्न जागरूकता अभियान चलाया गया। जिसमें छात्रों, नेहरू युवा केन्द के स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संस्थान, पंचायती राज संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय एवं प्रदेश सरकार के सभी विभाग सम्मिलित हुए। इस अभियान के तहत जो प्लास्टिक कचरा एकत्रित हुआ, इसका सड़क निर्माण एवं आर.डी.एफ. बनाकर ईंधन जो सीमेंट उद्योगों में इस्तेमाल होता उसे वैज्ञानिक रूप से निपटारा किया गया।

राज्य सरकार ने प्लास्टिक वस्तुओं के इस्तेमाल एवं कूड़े पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया और राज्य में एक बार में थर्मोकोल कटलरी का उपयोग करने पर भी प्रतिबंध लगाया। वर्ष 2019–20 में 1,603 उल्लंघन कर्त्ताओं से ₹13.50 लाख का जुर्माना एकत्रित किया गया है। गैर–पुर्ननवीकरण प्लास्टिक कचरे के उपयोग की योजना के तहत वर्ष 2019–20 में जिन घरों में प्लासटिक कचरे से पुनः उपयोग में लाने के लिए तथा पंजीकृत कचरा बनाने वालों को ₹49,125 का भुगतान एवं 1,054 किलो ग्राम की खरीद पर दिया गया। सीमेंट उद्योगों को 38.6 टन व्यर्थ प्लास्टिक भेजा गया एवं सड़क निर्माण के लिए 5.53 टन का इस्तेमाल किया गया।

ठोस कचरे के उत्पादन एवं उसके निपटारे के लिए प्रदेश सरकार ने ओनलाइन संयत्र विकसित किया है जो दिन प्रतिदिन इसके प्रबन्धन की निगरानी करेगा जिससे पर्यावरण का प्रदूषण कम होगा एवं नगरपालिका के ठोस कचरे का सुरक्षित निपटान करने को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ

8.10 हिमाचल प्रदेश में राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रकोष्ठ को पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की सहायता से हिमालयन पारिस्थिति तंत्र मिशन के तहत स्थापित किया है। ब्यास नदी घाटी के चार जिलों कुल्लू, मण्डी, हमीरपुर तथा कांगड़ा के 9,258 गांवों की 1,200 पंचायतों को लिया हैं।

जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष के तहत स्वीकृत परियोजना का कार्यान्वयन

8.11 जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोश के एक कार्यक्रम ₹20.00 करोड़ की वित्तीय परिव्यय के तहत सिरमौर जिले के तीन विकास खण्डों के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु सम्बन्धी भेद्यता को कम करना व ग्रामीण महिलाओं सहित ग्रामीण छोटे और सीमान्त किसानों की अनुकूल क्षमता में सुधार करके जलवायु के अनुरूप स्मार्ट खेती तकनीक के साथ–साथ आवश्यक सामाजिक इंजीनियरिंग और क्षमता निर्माण प्रक्रिया में सुधार, खाद्य सुरक्षा में सुधार और आजीविका बढ़ाने के विकल्प बढ़े हैं। यह परियोजना 5 वर्ष के लिए कार्यान्वित होगी।

जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय अनुकूलन कोष एवं द्विपक्षीय निधि के तहत प्रस्ताव

8.12 इस योजना के अर्न्तगत पर्यावरण, वन, और जलवायु परिवर्तन भारत सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के कूल्लू जिले की पार्वती घाटी में ग्लेशियर का प्रकोप और बाढ़ के खतरे को कम करने की परियोजना प्रस्ताव के लिए ₹20.49 करोड़ की सैद्वान्तिक रूप से मंजूरी प्रदान की गई हैं।

हिमाचल प्रदेश के दो जिलों के लिए ''विविधता सरंक्षण और लैंडस्केप प्रबन्धन–कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को सुरक्षित रखने'' परियोजना प्रस्ताव जो कि ₹250.00 करोड का है उसे आर्थिक मामले विभाग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है एवं जर्मन बैंक (के.एफ.डब्लू.) को अग्रेषित किया हैं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार

8.13 हिमाचल प्रदेश पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार योजना पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग की नियमित योजना हैं। पुरस्कार विजेताओं को कुल 18 पुरस्कार जो ₹6.25 लाख के समतुल्य तथा जिनमें 9 प्रशंसा प्रमाण पत्र भी शामिल है, बांटे गए हैं। (सात पहले पुरस्कार जो ₹50,000 में प्रति व्यक्ति, 11 द्वितीय पुरस्कार जो ₹25,000 प्रति व्यक्ति है)।

पर्यावरण सक्षम एवं सतत आदर्श पर्यावरण ग्रामों का निर्माण

सरकार राज्य में पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से आदर्श पर्यावरण ग्राम योजना को लागू किया जा रहा है। यह योजना पर्यावरण को प्रभावित न करने वाली जीवन शैली को अपनाने पर ध्यान केद्रित कर ''पारिस्थितिक पदचिह्न'' को 50 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह 5 वर्षों की अवधि में ₹50.00 लाख की राशि के साथ निर्धारित ग्राम में कार्यान्वित की जाएगी। अब तक प्रदेश में 11 गांवों में यह योजना स्वीकृत इको विलेज डेवेलप्मेंट प्लान के अनुसार लागू की जा रही है।

कुफरी, शिमला में जैव–मेथनेशन संयत्र स्थापित करना

8.14 विभाग द्वारा कुफरी, शिमला मे वायोगैस/वायो सी.एन.जी. बनाने के लिए घोड़ों के गोबर/होटलों और रिहायशी इलाकों से वायोडीग्रेडेवल कचरे का उपयोग कर 2.5 एम.टी.पी.डी. वायो मेथनेशन प्लांट की स्थापना की जा रही है। विशेषज्ञ एजेन्सी के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये है तथा जिसके अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के लिए ₹60.00 लाख मंजूर किए गए हैं।

10 सूक्ष्म नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना

8.15 पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 10 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं को विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से स्थापित करेगा, जिनकी लगभग 0.50 टन से 5 टन कचरे का निपटान करने की क्षमता है इन्हें हिमाचल प्रदेश में 10 अलग–अलग स्थानों पर पी.पी.पी. मोड पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने ₹4.50 करोड़, के वित्तपोषण के लिए प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया है।

पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहल

8.16 राज्य में अवैध खनन की जाँच और खनन पट्टों के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए, सरकार ने 500 मीटर की दूरी के भीतर खनन गतिविधियों की निगरानी के अलावा नियामकों के बेहतर प्रवर्तन की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन जियो–पोर्टल प्लेटफॉर्म विकसित किया हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में गैर सरकारी संगठनों जो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और पारिस्थितिक संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहें हैं उनके बेहतर जुड़ाव के लिए ऑनलाइन नेटवर्क प्लेटफॉर्म विकसित किया है।

ध्वनि प्रदूषण के बुरे प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए **"Horn Not OK"** अभियान दो शहरों शिमला और मनाली में शुरू किया गया था और राज्य में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में आम जनता को शिकायत दर्ज करने की सुविधा के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन ''शोर नहीं'' एनड्रोइड और आई–फोन उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित किया गया है। अब तक मोबाइल पर 645 से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हो गए हैं।

जैव प्रौद्योगिकी नीति

सरकार ने दिनांक वर्ष 2014 में जैव प्रौद्योगिकी नीति को जारी किया। राज्य जैव प्रौद्योगिक नीति के अनुसार, सरकार राज्य के विकास के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, स्वास्थ्य और जैव–संसाधन उपयोग के क्षेत्रों में जैव–प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को एक समृद्ध हिमालयी जैव–व्यवसाय केंद्र बनाने की ओर अग्रसर है।

जैव संसाधनों का संरक्षण

8.17 जैव–संसाधन संरक्षण योजना के तहत, मंडी और शिमला के किसानों के दो पंजीकृत समाजों को वेलेरियाना, कुथ और डामस्क रोज के पौधे वितरित किए गए।

- वेलेरियाना के 23,600 पौधे और 850 पौधे कुथ शिव–औषधीय पौध उत्पादन सोसाइटी, राजगढ़, गुम्मा, तहसील जिला शिमला हिमाचल प्रदेश को वितरित किए।
- वेलेरियाना के 10,500 पौधे और डामस्क रोज के 8,000 पौधे भुजा–ऋषि किसान विकास समिति, शिलीबागी, थुनाग, मंडी, हिमाचल प्रदेश को दिए गए।

उद्योग और खनन

9 अध्याय

उद्योग

9.1 औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है और अर्थव्यवस्था के अन्य दो क्षेत्रों के साथ पिछले और आगे के सम्पर्कों के माध्यम से राज्य उत्पादन और रोज़गार के समग्र विकास को निर्धारित करने में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। यह कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.वी.ए.) का लगभग 30 प्रतिशत योगदान देता है। हालांकि, यह क्षेत्र कई आंतरिक और बाह्य आर्थिक निवेशों के लिए स्वैच्छिक है, जो इसके समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।

पिछले कुछ वर्षो में हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। भारत सरकार की औद्योगिक नीति पैकेज की अवधि में हिमाचल प्रदेश को विविध प्रकार के औद्योगिक आधार के साथ प्रस्थान चरण में प्रवेश करते पाया गया है, जिसमें कि ग्रामीण और पारम्परिक हथकरघा हस्तशिल्प, कुटीर, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एस.एस.आई.) इकाईयों से लेकर आधुनिक वस्त्र, दूरसंचार उपकरण, जटिल इलैक्ट्रॉनिक इकाईयां फार्मास्यूटिकल, ईन्जीनियरिंग, उच्च गुणवता वाले सुक्ष्म उपकरण और खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां सम्मिलित हैं। राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा बहुत सी पहलें की गई हैं।

औद्योगोकरण की स्थिति

9.2 प्रदेश में नवम्बर, 2019 तक 54,310 औद्योगिक इकाईयां कार्यरत थी जिसमें कि लगभग ₹49,974 करोड़ का निवेश हुआ है, जिससे लगभग 4,52 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इसमें 140 बड़ी और 628 मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाईयां शामिल है।

औद्योगिक क्षेत्र में रूझान

9.3 औधोगिक क्षेत्र का प्रदर्शन इसके सकल राज्य मूल्यवर्धन (जी.वी.ए.) में इसके योगदान के रूप मे वर्ष 2018–19 में वर्ष 2017–18 से थोड़ा कम हुआ है। वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन (जी.एस.वी.ए.) में विर्निमाण क्षेत्र का योगदान हर साल बढ रहा है, जोकि वर्ष 2014–15 में 26.69 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 29.79 प्रतिशत हो गया, जो कि राज्य सरकार की पहल के कारण जैसे कि सक्रिय औद्योगिक नीति, निवेशकों के लिए प्रोत्साहन, व्यापार करने में सुगमता और निवेश को आकर्षित करना आदि से संभव हुआ है। वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन (जी.एस.वी.ए.) में खनन और उत्खनन क्षेत्र का योगदान बहुत कम बढ़ा है जो कि वर्ष 2014–2015 में 0.33 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2018–19 में 0.53 प्रतिशत हो गया। यह अर्थव्यव्यस्था में अन्य क्षेत्रों के अधिक योगदान करने तथा राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के लिए कठोर कार्यवाही के कारण भी हुआ है। इसका विवरण सारणी 9.1 में दिखाया गया है।

सारणी 9.1
वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान (प्रतिशत) में (आधार 2011–12)

क्षेत्र	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
विर्निमाण	26.69	27.22	28.94	29.95	29.79
खनन और उत्खनन	0.33	0.32	0.64	0.59	0.53

स्त्रोतः कार्यालय आर्थिक सलाहकार, हि0 प्र0 सरकार

औद्योगिक क्षेत्रों / सम्पदाओं का विकास

9.4 औद्योगिक विकास के लिए उच्च गुणवता वाले औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव एक प्रमुख पूर्व–आवश्यकता है। चन्नौर, कांगड़ा में औद्योगिक क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए उद्योग विभाग के नाम भूमि हस्तांतरित की गई है और इस औद्योगिक क्षेत्र से लगती खड्ड के संरक्षण एवं तटीकरण के लिए ₹6.95 करोड़ स्वीकृत किए गए।

निवेश को आकर्षित करना

9.5 हमारा राज्य हमारी सक्रिय नीति, इन्सेटिव तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनैस द्वारा अधिक से अधिक निवेश लाने के लिए प्रतिवद्ध है। सरकार ने राज्य के तीव्र और संतुलित औद्योगिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस दिशा में निवेशकों को विभिन्न क्षेत्रों में हिमाचल की निवेश क्षमता का एहसास कराने के लिए 7 व 8 नवम्बर, 2019 को कांगड़ा के धर्मशाला में एक मैगा **ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट** का आयोजन किया गया था। ₹85,000 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष निवेशकों द्वारा जोकि हिमाचल में अपनी परियोजनाएं स्थापित करना चाहते हैं, ₹96,000 करोड़ के मूल्य के 703 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए, हिमाचल 27 दिसम्बर, 2019 को शिमला में पहली **ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी** आयोजित करने में सफल रहा, जिसमें 251 परियोजनाओं के अधीन, ₹13,600 करोड की राशि रखी गई है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पी.एम.ई.जी.पी.)

9.6 इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2019 तक 1,181 मामलों के निर्धारित लक्ष्य के समक्ष 766 मामलों को विभिन्न बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किए गए, जिसमें ₹ 21.10 करोड़ की मार्जिन राशि वितरित की गई।

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना

9.7 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, केवल हिमाचल के युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस वर्ष के दौरान 687 मामलों में हिमाचली युवा उद्यमियों को स्वरोज़गार उद्यम शुरू करने में मदद करने के लिए बैंको द्वारा सब्सिडी राशि को सम्मिलित करते हुए ₹27.94 करोड़ स्वीकृत किए गए।

हिमाचल राज्य खाद्य मिशन

9.8 वर्ष 2019–20 के दौरान "हिमाचल राज्य खाद्य मिशन" के तहत 35 परियोजनाओं को स्वीकृत करते हुए ₹8.09 करोड़ की सहायता राशि की मंजूरी दी गई है।

रेशम उत्पादन उद्योग

9.9 रेशम उद्योग राज्य के महत्वपूर्ण कृषि आधारित कुटीर उद्योगों में से एक है, जिसमें लगभग 10,485 ग्रामीण

परिवारों को रेशम कोकून उत्पाद से लाभकारी रोज़गार प्राप्त हो रहा है और उनकी आय में भी बढ़ौतरी हो रही है। 14 रेशम के धागे के रीलिंग युनिट निजी क्षेत्र जिनमें जिला कांगड़ा और बिलासपुर में पांच–पांच तथा हमीरपुर, मण्डी, ऊना, एवं सिरमौर में एक–एक यूनिट सरकार की सहायता से स्थापित किए गए हैं। माह दिसम्बर, 2019 तक 228.00 मीटिक टन रेशम के कोकून का उत्पादन किया गया है जिनमें से 31.00 मीटिक टन कच्चे रेशम में परिवर्तित कर राज्य को बिक्री से ₹6.20 करोड़ की आय प्राप्त हुई है।

खनन

9.10 खनिज प्रदेश के आर्थिक आधार का मुख्य घटक है। राज्य सरकार दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास की शुरूआत के लिए राज्य में खनिज भण्डार का दोहन करने के लिए प्रतिवद्ध है। अवैघ खनन की जांच के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान अवैध खनन के 5,602 मामलों का पता चला और इसके फलस्वरूप ₹3.81 करोड़ जुर्माना/ कम्पाउंडिंग शुल्क के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिसका विवरण सारणी 9.2 दिया गया है।

व्यापार करने में आसानी

9.11 हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न औद्योगिक केन्द्रित सुधार लाने में कई पहले की है, जिससे व्यावसायिक वातावरण मे काफी सुधार आया है। व्यापार करने मे सुगमता हेतु मौजूदा नियमों का सरलीकरण एवं युक्तिकरण करना तथा शासन को कुशल एवं प्रभावी बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौधोगिकी के प्रयोग करने पर बल दिया गया है। सिंगल विंडो पोर्टल को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है और उद्योग विभाग की सिंगल विंडो पोर्टल के तहत उद्योग से सम्बन्धित सभी सेवाओं को एकीकृत कर दिया गया है, जोकि निवशकों के साथ वन स्टॉप इंटरफेस के रूप कार्य करेगा। परियोजनाओं की ऑनलाइन मंजूरी के लिए कानून और लोक सेवा गारंटी अधिनियम द्वारा निर्देशित सभी विभागों द्वारा सख्त समय–सीमाओं का पालन किया जाएगा। हिमाचल को "**फास्ट मूविंग स्टेट्स**" के अन्तर्गत राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है।

सारणी 9.2

विभिन्न विभागों द्वारा पता चले अवैध खनन का 1 अप्रैल, 2019 से 31 अक्तूबर, 2019 तक का विवरण (वर्ष 2019–20)								
विभाग	पए गए मामलों की संख्या	कम्पाउंड किए गए मामलों की संख्या	कम्पाउंडिंग फीस (₹)	कोर्ट में दर्ज मामले	कोर्ट द्वारा निर्णय दिए गए मामलों की संख्या	कोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना (₹)	क्यार्लय में लम्बित मामले	कुल जुर्माना (₹)
खन्न	1,795	1,041	79,37,410	206	363	10,36,142	519	89,73,552
राजस्व (उप मण्डल अधि.)	5	3	19,500	0	0	0	0	19,500
वन	56	56	5,37,907	0	0	0	0	5,37,907
पुलिस	3,743	3,136	2,79,94,880	667	42	5,68,600	12	2,85,63,480
बी.डी.ओ. /(जे.ई.)	2	0	0	0	0	0	0	0
हि.प्र.लो.नि.वि.	0	0	0.	0	0	0	0	0
महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	1	0	0	0	0	0	0	0
जल शक्ति	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**5,602**	**4,236**	**3,64,89,697**	**873**	**405**	**16,04,742**	**531**	**3,80,94,439**

श्रम और रोजगार

10 अध्याय

रोजगार

10.1 2011 जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 30.05 प्रतिशत मुख्य कामगार, 21.80 प्रतिशत सीमांत कामगार तथा शेष 48.15 गैर कामगार थे। कुल कामगारों (मुख्य+सीमांत) में से 57.93 प्रतिशत काश्तकार, 4.92 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 1.65 प्रतिशत गृह उद्योग इत्यादि तथा 35.50 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में कार्यरत थे। राज्य में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 विश्वविद्यालयों में रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र और 64 उप–रोजगार कार्यालय, विकलांगों के लिए निदेशालय में एक विशेष रोजगार कार्यालय, एक केन्द्रीय रोजगार कक्ष निदेशालय में जो पूरे प्रदेश के युवाओं को व्यवसायिक एवं रोजगार परामर्श सम्बन्धित जानकारी के साथ–साथ रोजगार बाजार की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु कार्यरत है। सभी 76 रोजगार कार्यालयों को कम्पयूटराईज किया जा चुका है तथा 73 रोजगार कार्यालय ऑन लाईन है ।

न्यूनतम मजदूरी

10.2 हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अन्तर्गत कामगारों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। राज्य सरकार ने दिनांक 01.04.2019 से अकुशल कामगारों का वेतन ₹225 से ₹250 प्रतिदिन अथवा ₹6,750 से ₹7,500 प्रतिमाह, वर्तमान में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सभी 19 अनुसूचित व्यवसायों के लिए निर्धारित कर दिया गया है।

रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

10.3 वर्ष 1960 से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार आंकड़े जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं। प्रदेश में 31.03.2019 तक सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कामगारों की संख्या 2,75,177 है जिनमें निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 1,78,369 और सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 4,399 व निजी क्षेत्र में कुल 1,813 उद्यम है।

व्यवसायिक मार्गदर्शन

10.4 श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं को व्यवसायिक /आजीविका मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इन व्यावसायिक/आजीविका कार्यक्रमों में श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों/सक्षम कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य विभागों/संस्थानों के अधिकारी/प्रतिनिधियों आदि द्वारा युवाओं के हितों में क्रियान्वित योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे मे जानकारी प्रदान करने के साथ साथ कौशल विकास, आजीविका विकल्पों, रोजगार एवं स्वरोजगार अवसरों आदि के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2019 तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 300 कैम्प आयोजित किए गए जिसमें 37,384 युवाओं ने भाग लिया।

केन्द्रीय रोजगार कक्ष

10.5 हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकी तथा उच्च कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष 2018–19 में भी अपनी सेवाएं देता रहा है। इस प्रकार इस योजना द्वारा एक ओर रोजगार इच्छुक लोगों को उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है तथा दूसरी ओर नियोक्ता को बिना धन व समय बर्बाद किए उचित कामगार उपलब्ध होते हैं। केन्द्रीय रोजगार कक्ष निजि क्षेत्र के नियोक्ताओं की अकुशल कामगारों की मांग हेतु कैम्पस साक्षात्कार करवाता है। इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर,2019 तक केन्द्रीय रोजगार कक्ष के माध्यम से 98 कैंम्पस साक्षात्कार करवाये गये, जिसमें से 1,869 आवेदकों की नियुक्तियां की गई है तथा 7 रोजगार मेलों का आयोजन कर 2,957 नियुक्तियां राज्य के विभिन्न उद्योगों में की गई हैं।

विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगों हेतु)

10.6 सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोजगार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष 1976 से विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यागों हेतु) की स्थापना की गई। यह कक्ष दिव्यागों को आवेदन करने पर व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता करता है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधायें/ रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षा, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, ऊपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 4 प्रतिशत का आरक्षण है। वर्ष 2019–20 के दौरान दिसम्बर, 2019 तक सक्रिय पंजिका में 1,403 दिव्यांगों को पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या 18,370 हो गई है तथा 7 दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाए गए है।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं बीमा योजना

10.7 राज्य कर्मचारी बीमा योजना सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, नालागढ़, बद्दी जिला सोलन, मैहतपुर, गगरेट, बाथरी जिला ऊना, पांवटा साहिब, काला अम्ब जिला सिरमौर, गोलथाई जिला बिलासपुर, मण्डी, रती, नैर चौक, भंगरोटू, चक्कर व गुटकर, जिला मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र शोघी व शिमला नगर–निगम क्षेत्र जिला शिमला में लागू हैं। मार्च, 2019 तक लगभग 9,733 संस्थानों में 3,14,720 बीमा कामगार/ कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए गए तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत 18,443 संस्थानों में कार्यरत 15,80,258 (अनुमानित) कामगारों को लाया गया।

भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियम) अधिनियम–1996 व उपकर अधिनियम–1996

10.8 इस अधिनियम के अंतर्गत कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि

मातृत्व/पैतृत्व लाभ, सेवानिवृति पेंशन, पारिवारिक पेंशन, पंगता पेंशन, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, स्वयं व दो बच्चों तक की शादी हेतु आर्थिक सहायता, कौशल विकास भत्ता, महिला कामगारों को साईकल व वॉशिंग मशीन, इंडक्शन हीटर, सोलन कूकर व सोलर लैम्प इत्यादि देना योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रावधान किया गया है। दिसम्बर, 2019 तक 2,082 संस्थान, व 1,98,556 लाभार्थी हि0प्र0 भवन एंव सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत किये गये हैं तथा कुल ₹133.82 करोड़ की राशि बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को बांटी गयी है और लगभग ₹552.41 करोड़ की धनराशि हि.प्र. भवन एंव सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड शिमला के पास जमा हुई है।

कौशल विकास भत्ता योजना

10.9 कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के पात्र बेरोजगार युवाओं को उनके कौशल विकास हेतु भत्ते का प्रावधान है ताकि उनकी कौशल विकास व रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़ सके। यह भत्ता बेरोजगार व्यक्ति को ₹1,000 प्रतिमाह देय है और 50 प्रतिशत या इसके अधिक स्थायी दिव्यांग आवेदकों को ₹1,500 प्रति माह की दर से कौशल विकास प्रशिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है। दिसम्बर, 2019 तक 65,522 अभियर्थियों को ₹31.26 करोड़ कौशल विकास भत्ता के रुप में तथा 122 अभियर्थियों को ₹3.21 लाख औद्योगिक कौशल विकास भत्ता के रुप में दी गई।

बेरोजगारी भत्ता योजना

10.10 बेरोजगारी भत्ता योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ₹40.00 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। योजना के अन्तर्गत पात्र बेरोज़गार हिमाचली युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान है। यह भत्ता ₹1,000 प्रतिमाह देय है तथा 50 प्रतिशत या इससे अधिक स्थायी विकलांग आवेदकों को ₹1,500 प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्ष तक देय है। दिसम्बर, 2019 तक कुल 45,323 बेरोजगारों को ₹28.52 करोड़ का भत्ता दिया गया।

रोजगार कार्यालयों सम्बन्धी सूचना

10.11 इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2019 तक कुल 1,96,104 आवेदक रोजगार सहायता हेतु पंजीकृत हुए तथा इस अवधि में 1,079 नियुक्तियां सरकारी क्षेत्र में 1,369 अधिसूचित रिक्तियों के समकक्ष हुई व 5,332 नियुक्तियां निजी क्षेत्र में 6,984 अधिसूचित रिक्तियों के समकक्ष हुई। सभी रोजगार कार्यालयों में दिसम्बर, 2019 तक सक्रिय पंजिका में कुल संख्या 8,49,371 थी। इस वित्त वर्ष में जिलावार रोजगार केन्द्रों में अप्रैल से दिसम्बर, 2019 तक पंजीकरण एवं नियुक्तियां निम्न सारणी संख्या 12.1 में दर्शाई गई है:–

सारणी 10.1

जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियां	नियोजन		सक्रीय पंजिका
			सरकारी	निजी	
बिलासपुर	13906	26	47	389	56539
चम्बा	16378	2788	67	661	59910
हमीरपुर	14104	13	178	798	67061
कांगड़ा	47968	0	175	833	186303
किन्नौर	1866	0	0	0	8992
कुल्लू	8863	1069	5	24	50059
लाहौल स्पिति	683	0	0	0	5094
मण्डी	36394	182	314	1208	153460
शिमला	16604	739	106	35	78460
सिरमौर	12340	2205	74	364	58685
सोलन	13178	693	20	577	58361
ऊना	13820	638	93	443	66447
हिमाचल प्रदश	**196104**	**8353**	**1079**	**5332**	**849371**

नोटः नियुक्ति आंकडों में वे नियुक्तियां आंकड़े सम्मलित नहीं है जोकि अन्य विभागों बोर्डो, निगमों एवं हि.प्र. लोक सेवा आयोग व हि.प्र. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधे एवं प्रतियोगिता आधार पर की गई है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम

10.12 हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, हिमाचल प्रदेश कुशल विकास परियोजना की प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है जो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख रोजगार और आजीविका योजना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है "राज्य की युवा पीढ़ी (15–35 वर्ष) के रोजगार योग्य कौशल और आजीविका क्षमता को बढ़ाने के लिए और उन्हें भारत और विश्व में बदलते रोजगार और उद्यमशीलता के माहौल में निरंतर वृद्धि और सीखने के लिए तैयार करना"। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का राज्य कार्यान्वयन में भागीदार भी है। कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुरुप योजनाएं, राज्य मे शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं के तकनीकी और व्यावसायिक कौशल को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का तात्कालिक लक्ष्य 2018–22 की अवधि में एक लाख से अधिक युवा आबादी को भारत में और दुनिया भर में उभरने के लिए तैयार करना है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगारपुरक योजनाओं को बढ़ाने और उन्हें बेहतर प्लेसमेंट प्रदान करने के उद्देश्य से व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई है। प्रशिक्षण का उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और छोटे पैमाने पर व्यवसाय शुरु करने की स्थापना भी है।

- **पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम**
  कार्य भूमिकाओं में 1,080 हिमाचली युवाओं को प्रशिक्षण देने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से 8 क्षेत्रों में दिसम्बर, 2016 में एक लघु अवधि का पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया गया था।

- **व्यावसायिक स्नातक डिग्री कार्यक्रमः**

  उच्च शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक स्नातक डिग्री की शुरुआत की है। राज्य के 12 सरकारी महाविद्यालयों में यह कार्यक्रम बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला (कांगड़ा), नूरपुर, (कांगड़ा), कुल्लू, मण्डी, संजौली, (शिमला), रामपुर (शिमला), ऊना, हमीरपुर, सोलन और नाहन (सिरमौर), में शैक्षणिक वर्ष 2017–18 से व्यावसायिक स्नातक डिग्री कोर्स शुरु किया है। कार्यक्रम वर्तमान में दो व्यावसायिक विषय में उपलब्ध है, जो कि खुदरा प्रबंधन और पर्यटन व सत्कार है जिसे 4 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा के स्नातक स्तर के अन्तर्गत राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ है और जिसमें शैक्षणिक 40 प्रतिशत और कौशल 60 प्रतिशत घटकों का एक उपयुक्त मिश्रण है। यह कार्यक्रम स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाता और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

- **प्रधानमन्त्री कौशल विकास परियोजना** :

  हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम वर्तमान में 22 प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के साथ 15 क्षेत्रों में प्रधानमन्त्री कुशल विकास परियोजना 2.0, केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य प्रबंधित कार्यक्रम लागू कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (भारत सरकार) के सहयोग से उद्योग–प्रासंगिक, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेम वर्क पाठयक्रमों में संरेखित पाठयक्रमों में हिमाचल प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करना है।

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के अन्य कार्यक्रम

1. उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना

एशियन विकास बैंक सहायता प्राप्त, हिमाचल प्रदेश कुशल विकास परियोजना के अन्तर्गत वाकनाघाट (सोलन) में ₹68.00 करोड की लागत के साथ उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत् आतिथित्य और पर्यटन क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

2. उच्च श्रेणी की सरकारी संस्था के साथ युवाओं को प्रशिक्षण हेतु करारनामेः

उच्च श्रेणी के प्रशिक्षणों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने सरकारी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रगत संगठन विकास केन्द्र, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान, भारतीय अधिकृत लेखापाल संस्थान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, उद्यान एवं वाणिकीय विश्वविद्यालय, नौणी (सोलन) के साथ करारनामे किए हैं जिसके अन्तर्गत उच्च आकांक्षा उद्योग में 7,370 हिमाचली युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग, उन्नत कर कानून के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

3. अंग्रेजी भाषा की जानकारी, रोजगार योग्य एवं उद्यमिता कौशल, बी.एफ.एस.आई. प्रशिक्षण कार्यक्रमः

कौशल को रोजगार से जोडने की जरुरत को लम्बे समय से बल दिया जा रहा था। इस क्षेत्र में हि.प्र. कौशल विकास निगम ने हिमाचली युवाओं के सॉफ्ट कौशल पर अधिक ध्यान दिया है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा वर्ष 2020–21 में अंग्रेजी भाषा की जानकारी, रोजगार योग्य उद्यमिद्यता कौशल एवं वी.एफ.एस.आई. एवं स्वयं का व्यवसाय चलाने के क्षेत्र में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के 4,700 युवाओं को इन में 5,000 युवाओं को तीन वर्ष के भीतर कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है।

4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, महिला पोलिटेक्निक रेहान तथा राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालयों के उन्नयन के लिए औजार एवं उपकरण उपलब्ध करवानाः

हिमाचल प्रदेश कौशल विकास योजना के माध्यम से 50 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 23 व्यवसायों में उन्नत श्रेणी के औजार एवं उपकरण उपलब्ध करवा कर इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद स्तर पर लाया जायेगा। इस परियोजना से 23,000 युवकों को लाभ होगा तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹93.00 करोड़ खर्च किए जायेगें।

5.सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से लघु अवधि के राष्ट्रीय कौशल योग्यता प्रशिक्षण कोर्सः

हिमाचल प्रदेश कौशल निगम ने हिमाचल प्रदेश कुशल विकास परियोजना के अन्तर्गत 38 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में लघु अवधि के प्रशिक्षण कोर्स शुरु किये हैं जिसमें 4,500 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में जैसा कि मोटर वाहन, निर्माण, प्लंबिंग, सूचना प्रौद्योगिकी की सक्षम सेवाऐं, परिधान, इलैक्ट्रोनिक एवं हार्डवेयर, सौन्दर्य, स्वास्थ्य, लोह एवं स्टील, मीडिया एवं मनोरंजन आदि क्षेत्रों में प्रवेश दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहु कौशल युक्त, कार्यकुशल मानव शक्ति को उद्योगो एवं स्वयं रोजगार क्षेत्रों में उपलब्ध करवाना है।

6. स्नातक युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमः

स्नातकों को रोजगार प्राप्त करने की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए अंतिम वर्ष के स्नातक विद्यार्थियों के लिए 13 सरकारी महाविद्यालयों में हिमाचल प्रदेश कौशल निगम द्वारा भारत की बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, इलैक्ट्रोनिकस, परिधान क्षेत्रों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क मान्य कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में 5 महाविद्यालयों में 500 विद्यार्थियों

को प्रशिक्षण दिया गया तथा वर्तमान में 1,590 विद्यार्थी 13 विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। शैक्षणिक वर्ष 2020–21 में 15 महाविद्यालयों में 5,500 स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन लाया जायेगा।

7. प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम लघु अवधि के अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमः

हिमाचल प्रदेश कौशल निगम ने प्रशिक्षण प्रदाताओं को चयनित करके उनको 8,000 युवाओं को हिमाचल प्रदेश में विभिन्न व्यवसायों जैसे कि मोटर, विनिर्माण, ऊर्जा, भवन निर्माण, प्लंबिंग, भारत की बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिकस, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार आदि में वर्ष 2019–20 प्रशिक्षित करने का कार्य दिया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020–21 में 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करना है।

8. दिव्यांग व्यक्तियों की आजीविका आधारित कौशल प्रशिक्षणः

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आजीविका आधारित "नव धारणा" नाम से कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार एवं अपना व्यवसाय शुरु करने के लिए हिमाचल प्रदेश कौशल निगम प्रयासरत है। 300 दिव्यांग व्यक्तियों को खुदरा, आतिथ्य सत्कार, कृषि एवं खाद्य प्रसकरण में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण प्रदाताओं की चयन प्रक्रिया चल रही है।

9. शहरी आजीविका केन्द्रः

शहरी आजीविका केन्द्र, ग्रामीण आजीविका केन्द्र एवं मॉडल आजीविका केन्द्र आदि में कौशल विकास को पूरे प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश कौशल निगम द्वारा राज्य में कौशल विकास के लिए संस्थागत सहायता प्रदान कर रहा है। शहरी आजीविका केन्द्र सुन्दरनगर, शमशी और ग्रामीण आजीविका केन्द्र सदियाना (मण्डी) का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इन शहरी एवं ग्रामीण आजीविका केन्द्रों में शीघ्र प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त 9 मॉडल आजीविका केन्द्रों का निर्माण श्रम एवं रोजगार विभाग के साथ मिल कर किया जा रहा है ताकि हिमाचल के युवाओं को अच्छी नौकरी पाने के लिए, उचित आजीविका कांउसिलिंग की सहायता से उनकी कौशल योग्यतानुसार राष्ट्रीय आजीविका पोर्टल तक पंहुच बन सके और पूरे देश में नौकरी प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान किए जा सके।

ऊर्जा

11 अध्याय

ऊर्जा

11.1 आर्थिक विकास में विद्युत एक महत्वपूर्ण घटक है। राज्य में जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं है इसे देश के पनबिजली हब के रूप में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलापों में उत्प्रेरक की भूमिका स्वीकार्यता के साथ–साथ विद्युत राजस्व अर्जन, रोजगार के अवसर बढ़ाने व लोगों के रहन–सहन के स्तर व जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

11.2 प्रदेश ने जल विद्युत क्षेत्र में कुल 27,436 मैगावाट क्षमता का आकलन किया है। परन्तु इसमें से 24,000 मैगावाट को ही दोहन योग्य पाया है, शेष क्षमता को पर्यावरण को बचाने, पारिस्थितिक संतुलन एवं विभिन्न सामाजिक कारणों से त्याग कर दिया गया है।

सारणी 11.1
विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत दोहन

क्षेत्र	क्षमता (मैगावाट)
एच.पी.एस.ई.बी.एल.	487.55
हि.प्र.पॉ.का.लि.	165.00
केन्द्रीय/संयुक्त	7,457.73
हिमऊर्जा (राज्य)	2.37
हिमऊर्जा (निजी)	313.95
निजी 5 मैगावाट से अधिक	2010.50
हिमाचल प्रदेश का भाग	159.17
कुल	**10,596.27**

इसीलिए सरकार ने निर्धारित लक्ष्य से जोकि 24,000 मैगावाट है से केवल 20,912 मैगावाट ऊर्जा उत्पादन के लिए ही विभिन्न क्षेत्रों का आवंटित किया है। राज्य जल विद्युत के विकास को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से गति प्रदान हो रही है तथा जल विद्युत विकास को नदियों पर बनें विद्युत परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित रखा है। अभी तक प्रदेश में 10,596.27 मैगावाट ऊर्जा का विभिन्न क्षेत्रों से दोहन किया जा चुका है **(सारणी11.1)**

11.3 ऊर्जा निदेशालय की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां वित्त वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक)

क) नीति संशोधन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 19.09.2019 को मौजूदा पनबिजली नीति में संशोधन को अधिसूचित किया है।

1. हिमाचल सरकार द्वारा न्यूनतम ₹20,000/मैगा वॉट से ₹20.00 लाख किसी भी इक्विटी परिवर्तन में या सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कंपनी का नाम बदलने के मामले में जुर्माना निर्धारित किया गया है।
2. सुन्नी, बांध परियोजना, लुहरी स्टेज–I HEP (210 MW) और धौलासिध HEP (66 MW) ऋण इक्विटी अनुपात 80:20 की अनुमति दी गई है।
3. लुहरी स्टेज– धौलासिध और दुगार एचईपी के लिए एसजीएसटी पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, के लिए अनुमति

दी गई है। मुफ्त बिजली रॉयल्टी स्लैब में कुछ रियायतों की अनुमति दी गई है।

ख) निःशुल्क और इक्विटी पावर से प्राप्त राजस्वः

वित्त वर्ष 2019–20 का बजट अनुमान ₹890.00 करोड़ था, जिसमें से 31 दिसम्बर, 2019 तक हिमाचल सरकार के खजाने में राशि ₹850.00 करोड़ थी। मार्च 2020 तक ₹45.00 करोड़ राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

ग) राज्य में पनबिजली परियोजनाएंः

राज्य में तीन परियोजनाएं चालू की गई है, जियोरी (9.60 मेगावाट), रौरा (12 मेगावॉट) और राला (13 मेगावॉट)। दो परियोजनाएं, (सालुम 9 मेगावट और कुवारसी–2 15 मेगावॉट) को मार्च, 2020 तक चालू किया जाना है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड

11.4 एच.पी.एस.ई.बी.एल. के तहत परियोजनाएं नीचे तालिका में दी गई हैं:

सारणी 11.2
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और विभागीय योजनाएं

क0 सं0	केंद्र प्रायोजित और विभागीय योजनाएं	
	योजनाएं	स्थिति
1.	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)	तीन जिलों का काम पूरा हो गया है और शेष मार्च 2020 तक पूरा होने की संभावना है।
2.	एकीकृत बिजली विकास योजना (IPDS)	आई.पी.डी.एस. प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना की कुल 73 प्रतिशत प्रगति हासिल की गई है।
3.	कम्प्यूटरीकृत बिजली का बिल	एच.पी.एस.ई.बी.एल. के 22,00,000 से अधिक उपभोगता लाभान्वित हो रहे हैं।
4.	एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) प्रोजेक्ट	10,000 का वेतन, 7,000 के पेंशन और 13,500 कर्मचारियों के जी.पी.एफ. को एस.ए.पी. ई.आर.पी. सिस्टम के माध्यम से संशोधित किया जा रहा है।
5.	आईपीडीएस (इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम) आई.टी. फेज–2	संपतियों के जी.पी.एस. आधारित जी.आई.एस. सर्वेक्षण, आई.पी.पी.एस. आई.टी. चरण–2 के तहत कवर किए गए 40 शहरों की भौगोलिक सीमा के भीतर एच.पी.एस.ई.बी.एल. के एसेट मैपिंग और कंज्यूमर इंडेक्सिंग।
6.	शिमला और धर्मशाला शहर में स्मार्ट मीटरिंग समाधान	कार्यान्वयन के दौरान मैसर्स पी.एफ.सी.सी.एल. परियोजना विकास और प्रबंधन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
7.	जी.पी.एस./जी.आई.एस. मैपिंग और उपभोगता सूचकांक	मौजूदा जी.आई.एस. सॉफ्टवेयर बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत है और 14 शहरों में लगभग 220 फीडरों के एटी एंड सी घाटे को हर महीने काम किया जा रहा है।
8.	रियल टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली (आर.टी.–डी.ए.एस.)	आई.पी.डी.एस. निगरानी समिति ने ₹3.99 करोड़ राज्य के 54 शहरों के विद्युत वितरण की विश्वसनीयता की सटीक और वास्तविक समय माप के लिए मंजूर की।

11.5 विभाग की भविष्य योजनाएंः

- राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड के कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण।
- राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सुनिश्चित व गुणवतापूर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए नए विद्युत उपकेन्द्रों का नई एच.टी. एवं

एल.टी. लाईनों सहित निर्माण व संवर्धन।

- संचार व वितरण हानियों को कम करना।

सारणी 11.3
हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड लिमिटेड के अधीन परियोजनाएं

क0 स0	एच.पी.एस.ई.बी.एल. के तहत परियोजनाएं		
	परियोजनाएं	क्षमता MW	स्थिति
1.	ऊहल स्टेज–3	100	संभवतः फरवरी, 2020 तक चालू हो जाएगा।
2.	साईकोठी स्टेज–1, 2 और देवी कोठी	15, 16. 5 & 16	देहरादून में एफ.सी.ए. मामला विचाराधीन है।
3.	हेल	18	आगे की कार्यवाही के लिए डी.एफ.ओ. सलूनी को एफ.सी.ए. केस सौंपा गया है।
4.	राइसरन और नई नोगली	18, 11	परियोजना को डी.पी.आर. डी.ओ.ई. को सौंप दिया गया है।
5.	टिक्कर और कुठाहर	5,5	डी.पी.आर. हिमऊर्जा को सौंप दी है। पी.डब्ल्यू.डी., आई.पी.एच., उद्योग, खनन, वन्यजीव विभाग और ग्राम पंचायतों से एन.ओ.सी. प्राप्त की गई है।

11.6 हि.प.पॉ.का.लि. के द्वारा मुख्य निर्माणाधीन/ निष्पादनाधी/ अन्वेक्षित परियोजना

क) जिला किन्नौर में कशांग स्टेज–IV (48 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) और जिला शिमला में चिरगांव मझगांव एच.ई.पी. (60 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश सरकार के डी.ओ.ई. के साथ मूल्यांकन के अग्रिम चरणों में है।

ख) जिला मण्डी में त्रिवेणी महादेव एच.ई.पी. (78 मेगावाट), जिला लाहौल–स्पिति में जिस्पा बांध परियोजना (300 मेगावाट) और जिला किन्नौर में बारा खंबा एच.ई.पी. (45 मैगावाट) जांच के विभिन्न चरणों में है।

ग) 350 मैगावाट की स्थापित क्षमता वाली दो परियोजनाओं को तीसरे चरण में लाया जाएगा और इन परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण और जांच कार्य किए जा रहे हैं। जिला चम्बा में प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट (पी.एफ.आर.) लुजाई (45 मैगावाट) तैयार की गई है और जिला किन्नौर में खाब एच.ई.पी. (305 मैगावाट) की प्री. फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए जल्द ही काम किया जाएगा।

सारणी 11.4
एच.पी.पी.सी.एल. के तहत परियोजनाएं नीचे तालिका में दी गई हैं:

क. स.	एच.पी.पी.सी.एल. के माध्यम से संचालन/निष्पादन चरण के तहत परियोजनाएं		
	परियोजनाएं	क्षमता MW	स्थिति
1.	एकीकृत कशांग	243	इसमें चार चरण शामिल है और सामूहिक रूप से 1362 एम.यू. बिजली उत्पन्न होती है
2.	सैंज	100	इसमें 856.56 एम.यू. बिजली पैदा हुई है।
3.	सावरा कुड्डू	111	परियोजना के सिविल कार्य जून, 2019 तक पूरा होने की संभावना है।
4.	शोंगटोंग करछम	450	प्रगति पर हैं।
5.	चांजू और देथल चांजू	78	अगस्त, 2020 तक परियोजनाओं के निर्माण कार्य शुरु हो जाएंगे।
6.	रेणुका जी	40	परियोजना के लिए निवेश की मंजूरी एम.ओ.डब्ल्यू.आर. द्वारा दी जाएगी।
7.	सुरगणी सुंडला	48	एच.पी.पी.सी.एल. डी.ओ.ई. को संशोधित डी.पी.आर. प्रस्तुत

			करेगा।
8.	धामवारी सुंडा	70	धामवारी सुंडा एच.ई.पी. (70 मेगावाट) की डी.पी.आर. भी स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान में यह मामला कोर्ट में है।
9.	थाना प्लौन	191	डी.पी.आर. केंद्रिय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.)/ केंन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) में है।
10	नकथान	460	बरशैणी पंचायत द्वारा एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के कारण पिछले कुछ समय से वन मंजूरी लंबित है।
11	किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना	660	अंतर–राज्य समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ही परियोजना का काम शुरु किया जाएगा।

सौर ऊर्जा परियोजनाएं:–

11.7 हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटिड द्वारा 5 मैगावाट की बैराडोल सौर ऊर्जा सयंत्र को जिला बिलासपुर के श्री नयना देवी मन्दिर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस परियोजना के निर्माण का कार्य मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (M/s BHEL) को प्रदान किये गये थे। इस कार्य के अनुबंध समझौता पर दिनांक 22.07.2017 को हस्ताक्षर किए गए। संयंत्र को हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिक बोर्ड लिमिटेड ग्रिड के साथ दिनांक 7.12.2018 को सफलतापूर्वक जोड़ा (synchronized) गया है। परियोजना 04.01.2019 से संचालित है। एच.पी.पी.सी.एल. ने इस परियोजना से 8.58 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है और 31.12.2019 तक बिजली की बिक्री से उत्पन्न राजस्व ₹3.53 करोड़ था। एच.पी.पी.सी.एल. का इरादा जिला ऊना में अघोर में 10 मेगावाट क्षमता का एक और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का है। योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

11.8 हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत निर्माण/कार्यान्वयन के संबंध में वित्तीय उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटिड के तहत निर्माण/कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं की उपलब्धियां निम्नलिखित है:

सारणी 11.5
वित्तीय उपलब्धियां

(₹करोड़ो में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बजट 2019-20	व्यय (दिसम्बर 2020 तक)	उपयोग %
1	शौंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना	440.99	128.25	29.08
2	साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना	78.89	34.94	49.03
	जोड़	**519.88**	**168.19**	**78.11**

सारणी 11.6
बिजली की बिक्री से राजस्व सृजन

(₹करोड़ो में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	31.12.2019 तक बिजली की बिक्री से राजस्व उत्पादन
1	एकीकृत क'ॉग जल विद्युत परियोजना चरण–।	121.42
2	सैंज जल विद्युत परियोजना	261.35
3	बर्रा डोल सौर ऊर्जा परियोजना	3.53
	जोड	**386.30**

हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

11.9 हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटिड हिमाचल प्रदेश सरकार का एक सरकारी उपक्रम है। इसका उद्देश्य प्रदेश के विद्युत संचार प्रणाली को मजबूत करने तथा भविष्य में बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं को विद्युत संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा निगम को सौंपे गए कार्यों में मुख्यतः प्रदेश में बनने वाली सभी नई 66 के.वी. की क्षमता से ऊपर की लाईनों व विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण करने के साथ–2 विद्युत वोल्टेज में सुधार, वर्तमान संचार ढांचे में सम्बर्धन व मजबूती प्रदान करने तथा विद्युत उत्पादन केन्द्रों व संचार लाईनों का निर्माण करते हुए प्रदेश के मास्टर संचार प्लान को लागू करना सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त निगम को राज्य में ट्रांसमिशन यूटीलिटी का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है जिसके अन्तर्गत संचार व सम्नवय से जुड़े सभी मुद्दों पर सैन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, केन्द्रीय व राज्य के ऊर्जा मंत्रालयों तथा हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से समन्वय रखने के अतिरिक्त निगम को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि आई.पी.सी.सी.पी.एस.यू. राज्य के सार्वजनिक उपक्रम हि.प्र. पॉवर कारपोरेशन लिमिटिड व अन्य केन्द्र व राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादक इकाईयों के लिए संचार व सम्नवय से जुड़ी योजना बनाना भी सम्मिलित है।

सारणी 11.7
एच.पी.पी.टी.एल. के ट्रांसमिशन परियोजनाएं

क्र. सं.	ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स (ट्रेंचे–1)	
	परियोजनाएँ	**मूल्य (₹ करोड़)**
1.	वांगतू, किन्नौर	390.00
2.	चम्बी, कांगड़ा	47.00
3.	पंडोह, मंडी	37.00
4.	हाटकोटी, शिमला	97.86
5.	गुम्मा, शिमला	143.58
	ट्रेंचे– II	
1.	उरनी, किन्नौर	28.57
2.	लाहल, चंबा	280.00
3.	चरोर–बरनाला, कुल्लू	58.00
4.	बुधिल, चंबा	7.00
5.	उरनी– वांगटू, किन्नौर	13.85
6.	सुंडा– हाटकोटी, शिमला	87.00
7.	चरोर, कुल्लू	62.91
8.	पी एस सुंडा, शिमला	68.36
9.	चामि–देहरादून– कांगड़ा	18.50
	ट्रेंचे– III	
1.	बरसैनी, कुल्लू	49.84
2.	हाटकोटी, शिमला	46.72
3.	माजरा, चंबा	68.96
4.	निरमंड, कुल्लू	39.80
5.	बाजोली, होली, चंबा	58.54
6.	लहल–रजेरा	115.46
7.	मजरा– करिंया, चंबा	37.37
8.	निरमंड–कोटला, कुल्लू	23.09
नोटः	ट्रेंचे–1 के तहत परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और ऊपर से ट्रेंचे –2 की चार परियोजनाएं पूरी हो चुकी है, जबकि ट्रेंचे –2 के तहत अन्य परियोजनाएं और ट्रेंच–3 की सभी परियोजनाएं प्रगति पर हैं।	

उपरोक्त के अतिरिक्त, (K.F.W.) द्वारा वित्त वर्ष पोषित 57 मिलियन यूरो में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर–I (GEC-I) को अक्तूबर, 2015 में हस्ताक्षरित किया गया

है। इसमें निम्नलिखित 13 परियोजनाओं को कार्यन्वित करने के लिए 14 पैकेज बनाये है, जिनमें से 9 परियोजनाओं की प्रक्रिया जारी है। 13 परियोजनाओं को 14 उप–पैकेजों में विभाजित किया गया, जिनमें से 9 परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लि, पुरस्कृत किया गया है और 1 परियोजना की संख्या बोली प्रक्रिया में है। शेष तीन पैकेज योजना से हटा दिए गए।

निम्नलिखित तालिका ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत विभिन्न योजनाओं को दर्शाती है:

सारणी 11.8
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत योजनाएं

क्र. सं.	ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC-I) परियोजनाएं	
	कार्य	**लागत (₹करोड़)**
1.	सुंडा और आंध्र से शिमला में समोली तक लाइनों का निर्माण	37.63
2.	सुंडा में टंगनु रोमाई में लाइनों का निर्माण	17.21
3.	हमीरपुर के देहन में लाइनों का निर्माण	110.68
4.	चंबा के बाजोली–होली लाहल में लाइनों का निर्माण	88.29
5.	कुल्लू, शिमला और मंडी के चरोर, गुम्मा और पंडोह में अतिरिक्त ट्रांसफार्म	99.69
6.	पलचान, कुल्लू में जीआईएस स्विचिंग स्टेशन	3.52
7.	ट्रांसमिशन लाइन , प्री.ी कुल्लू	8.13
8.	ट्रांसमिशन लाइन स्नेल, हाटकोटी, शिमला	25.44
नोटः उपरोक्त सभी परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है		

हिमऊर्जा

11.10 हिमऊर्जा ने अक्षय ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने हेतु भरसक प्रयास किए हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया गया है। हिमऊर्जा सरकार को राज्य में लघु जल विद्युत (5 मैगावाट तक) के तीव्र दोहन हेतु भी सहायता प्रदान कर रही है।

सारणी 11.9
हिमऊर्जा के कार्यक्रम

सौर तापीय और सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम		
क्र. सं.	कार्यक्रम	उपलब्धियां/संभावनाएँ
1	सोलर कुकर	2019–20 में, 34 बॉक्स और 20 डिश के सोलर कुकर प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2020–21 के लिए 1000 बॉक्स और डिश प्रत्येक के सौर कुकर का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।
2	सीएसटी सोलर स्टीम कुकिंग सिस्टम	दो स्थानों पर सोलर स्टीम, कुकिंग सिस्टम की स्थापना प्रक्रिया जारी है। वर्ष 2020–21 के लिए सी.एस.टी. सोलर स्टीम कुकिंग सिस्टम की स्थापना का लक्ष्य 96 वर्ग मीटर क्षेत्र है।
3	सौर जल तापन प्रणाली	2019–20 में 18,300 लीटर के सौर जल तापन प्रणाली प्रति दिन की क्षमता स्थापित की गई है। वर्ष 2020–21 के लिए प्रति दिन 3,00,000 लीटर क्षमता सौर जल तापन प्रणाली स्थापना का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।
4	एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम	2019–20 में, 6,672 नंबर एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। वर्ष 2020–21 के लिए 20,000 एसपीवी स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।
5	एसपीवी घरेलू लाइट	2019–20 में, एसपीवी डोमेस्टिक लाइट्स की 559 संख्या स्थापित की गई। वर्ष 2020–21 के लिए 500 एस.पी.वी. डोमेस्टिक लाइट्स का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।
6	एसपीवी लालटेन	2019–20 में, 8,592 एसपीवी सोलर लालटेन को पूरी लागत पर प्रदान किया गया है और मार्च, 2020 तक 8,600 लगभग अनुमानित है,। वर्ष 2020–21 के लिए 2,000 एस.पी.वी. लालटेन का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

11.11 सौर प्रकाशवोल्टिय ऊर्जा संयंत्र/परियोजनायें:

हिमऊर्जा पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर बिजली संयंत्र भी चलाता है।

सारणी 11.10
हिमऊर्जा के सौर ऊर्जा सयंत्र

क्र. सं.	सौर ऊर्जा संयंत्र	
	संयंत्र	उपलब्धियां
1.	ऑफ–ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र	दिसंबर, 2019 तक 326.50 के. डब्ल्यू.पी. क्षमता वाले एस.पी.वी. पावर प्लांट्स को चालू कर दिया गया है। वर्ष 2020–21 के लिए 300 के. डब्ल्यू.पी. क्षमता वाले एस.पी.वी. पावर प्लांट्स का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।
2.	ग्रिड से जुड़े सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट	2019 तक 8.11 मेगावाट क्षमता वाले एसपीवी पावर प्लांटों को चालू कर दिया गया है। वर्ष 2020–21 के लिए 15.00 मेगावाट क्षमता वाले एस.पी.वी. पावर प्लांट्स का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।
3.	ग्राउंड माउंटेड ग्रिड–कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स	3.90 मेगावाट क्षमता वाले ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को दिसंबर, 2019 तक चालू कर दिया गया है। वर्ष 2020–21 के लिए 20 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

11.12 निजि क्षेत्र की सहभागिता से निष्पादित की जा रही 5 मैगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाएं:

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2019 तक 4 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 13.80 मैगावाट है स्थापित की गई हैं तथा मार्च, 2020 तक प्रत्याशित उपलब्धि 20 मैगावाट होगी। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 20.00 मैगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

आवंटित परियोजनाओं बारे आरम्भ से लेकर दिसम्बर, 2019 तक की स्थिति (5 मैगावाट क्षमता तक) विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

सारणी 11.11
हिमऊर्जा की लघु जल विद्युत परियोजनाएं

परियोजनाएं	संख्या	क्षमता (मै0वा0)
कुल आंवटित परियोजनाएं (अस्तित्व में)	742	1778.89
क) कार्यान्वयन समझौते चरण पर	281	845.25
i) स्थापित	88	326.25
ii) निर्माणाधीन	32	104.69
iii) अनुमतियां प्राप्त करने के चरण में	161	414.31
(B) Pre-implementation Agreement Stage	461	933.64

11.13 हिमऊर्जा द्वारा निश्पादित की जा रही लघु (100KW) जल विद्युत परियोजनाएं:

दिसंबर 2019 तक 55 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट आवंटित किए गए थे। जबकि, राज्य क्षेत्र के तहत 32.94 मेगावाट क्षमता की 12 परियोजनाओं को दिसंबर 2019 तक मंजूरी दे दी गई थी। 12 परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं को बी.ओ.टी. आधार पर आवंटित किया गया था और 5 परियोजनाएँ पूर्व कार्यान्वयन समझौते के चरण पर थीं।

11.14 महत्वपूर्ण नीतिगत पहल: राज्य में पनबिजली क्षमता के दोहन के मद्देनजर व्यापार करने में आसानी के एक भाग के रूप में कुछ नीति पर प्रकाश डाला गया है:

- हाइड्रो पावर पॉलिसी 2018 में संशोधन किया गया।
- निःशुल्क बिजली रॉयल्टी तर्कसंगत किया।
- 10 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए एच.पी.एस.ई.बी.एल. द्वारा बिजली की अनिवार्य खरीद का प्रावधान किया गया
- टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया सुव्यवस्थित किया गया।
- 25 मैगावाट तक की परियोजनाओं के लिए खुले अतिरिक्त शुल्क में छूट प्रदान की गई।
- औद्योगिक इकाइयों के बंदी उपयोग के लिए 10 मैगावाट तक की परियोजनाओं का आवंटन किया गया।
- अग्रिम प्रीमियम और क्षमता वृद्धि शुल्क में कमी की गई।
- सरकार/वन भूमि के लिए नाममात्र शुल्क का प्रावधान किया गया।

पर्यटन और परिवहन

12 अध्याय

"पर्यटन क्षेत्र धन और रोजगार का एक स्त्रोत है यह जलवायु परिवर्तन और असमानता के विरुद्ध लड़ाई के लिए जनसंख्या संगठित करने के लिए सामाजिक सामंजस्य का एक उपकरण है"।

एच.आर.एच. किंग फेलिप–vi

पर्यटन

12.1 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को राज्य के आर्थिक विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान बनी है। क्योंकि पर्यटन को भविष्य में आर्थिक विकास के प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जा रहा है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद(एस.जी.डी.पी.) में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 7 फीसदी है जोकि काफी महत्वपूर्ण है। राज्य में पर्यटन की गतिविधियों के विकास हेतु आवश्यक सभी आधारभूत संसाधन जैसे भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता, स्वच्छ एवं शांत वातावरण, सुन्दर धाराएं, पवित्र स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों और स्नेही लोग एवं खूबसूरत वादियों से परिपूर्ण है।

12.2 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है तथा सरकार द्वारा पर्यटन अधोसरंचना का विकास किया है जिसमें जन उपयोगी सेवाएं, सड़कें, संचार साधन, हवाई अड्डे, परिवहन सुविधाएं, जलापूर्ति एवं नागरिक सुविधाओं का प्रावधान सम्मिलित हैं। वर्तमान में राज्य में 1,03,053 बिस्तरों की क्षमता के 3,679 होटल विभाग में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में होम स्टे योजना के 12,181 बिस्तरों तथा 2,189 इकाईयां भी पंजीकृत है।

12.3 राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी) ने पर्यटन अधोसरंचना के विकास के लिए 95.16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। चरण–3 में 31 दिसम्बर, 2019 तक समुदाय आधारित पर्यटन के अन्तर्गत् 14 जिला पंचायतों का चयन किया गया है जिनमें 6 जिलों चम्बा, बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी, सोलन और शिमला में कौशल एवं प्रारंभिक प्रशिक्षण शुरु किया जा चुका है और कुल 3,544 प्रतिभागी भाग ले चुके हैं।

भारत सरकार के आर्थिक मामला विभाग द्वारा 1,892 करोड़ एक नई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। उप परियोजना को राज्य स्तरीय उच्चाधिकारी समिति द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। परियोजना राज्य स्तरीय सशक्तिकरण समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

स्वदेश दर्शन योजना

12.4 स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत् भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय द्वारा ₹8,685 लाख हिमालयन सर्किट का हिमाचल प्रदेश में एकीकृत विकास हेतु स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत राज्य के लिए कुल 12 पर्यटन विकास परियोजनाएं स्वीकृत हुई है।

12.5 भारत सरकार द्वारा मॉ चिन्तपूर्णी मन्दिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रसाद योजना के अन्तर्गत ₹45.06 करोड़ की परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई थी। इस परियोजना के अन्तर्गत मंदिर परिसर, पथ और तीर्थयात्रा परिवहन प्रणाली का कार्य किया जाना है।

12.6 पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग राज्य में पर्यटन संबंधी सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक व निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के आधार पर रज्जु मार्ग परियोजना आदि हिमानी–चामुंडा जी, धर्मशाला मॅक्लोडगंज, भुन्तर से बिजली महादेव तथा पलचान से रोहतांग रज्जु मार्ग परियोजना के एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए गए है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा पंजाब सरकार के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है और आन्दपुर साहिब जी से श्री नैना देवी जी रज्जु मार्ग को विकसित करने हेतु एस.पी.वी. बना दिया गया है।

प्रचार

12.7 पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री तैयार की जाती है, जिसमें ब्रॉशर, पैम्फलैट, पोस्टर, ब्लोअप इत्यादि शामिल हैं और देश व विदेश में विभिन्न पर्यटक उत्सवों/मार्ट इत्यादि में भाग लिया जाता है। वर्ष के दौरान पर्यटन विभाग, निगम व प्राईवेट होटल मालिकों के साथ मिलकर राज्य व राज्य से बाहर विभिन्न मेलों व उत्सवों में भाग लिया गया। विभाग द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक मंच पर फेसबुक, टव्टिर, तथा यू–टयूब के माध्यम से विज्ञापन द्वारा प्रचार किया जा रहा है।

नागरिक उडडयन

12.8 हिमाचल प्रदेश में कांगडा (गग्गल), कुल्लू (भुन्तर) व शिमला (जुब्बड़हटटी), तीन हवाई पटिटयां स्थित है। उच्च श्रेणी के पर्यटकों के आवागमन हेतु हवाई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इन तीनों हवाई अड्डों से हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है तथा सरकार द्वारा इन हवाई पट्टियों के विस्तार हेतु प्रयास किया जा रहा है। जिला मण्डी में ग्रानफिलड ऐयरपोर्ट का कार्य निर्माणाधीन है तथा सरकार द्वारा नागचला में भूमि को चयनित किया गया है।

नई राहें नई मन्जिलें:

12.9 हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा एक नई योजना नई राहें नई मंजिलें परियोजना के अन्तर्गत ₹50.00 करोड़ के परिव्यय से बिड–बिलिंग जिला कांगड़ा, चांशल जिला शिमला, जंजैहली जिला मण्डी लारजी जलाशय जिला किन्नौर, पोंग डैम, ईको टूरिज्म, स्की पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शुभारम्भ किया गया तथा दो नई पर्यटन स्थान, कांगणी धार जिला मण्डी और रोहतांग सुरंग, (सोलंग नाला तरफ) परियोजनाएं कियान्वित की जा रही है तथा आने वाले वर्षो में प्रदेश के अनछुए स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।

सतत पर्यटन

12.10 यूनेस्को द्वारा सतत पर्यटन को जो स्थानीय लोगों और यात्री, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण दोनों का सम्मान करता है, के रूप में परिभाषित किया है।

सतत पर्यटन लोगों को एक रोमांचक और शैक्षिक अवकाश प्रदान करना चाहता है जो मेजबान देश के लोगों के लिए भी फायदेमंद है। सभी पर्यटन गतिविधियां, जैसे प्रेरणा–छुट्टियां, व्यवसाय यात्रा, सम्मेलन, साहसिक यात्रा और इको–टूरिज्म को कायम रखने की आवश्यकता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह बहुत लोकप्रिय हो रहा है तथा विश्वास है कि एक दशक के अन्दर यह 'मुख्य धारा' में आ जायेगा।

हिमाचल प्रदेश में स्थायी पर्यटन

12.11 राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति, विविधिता और लुभावनी प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता के मामले में प्रसिद्ध आर्थिक विकास में सकारात्मक परिणाम देने के लिए पर्यटन उधोग पर निर्भरता देखी गई है यह इस तथ्य से संबंधित है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या 2004 में 6.55 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2019 में 17.21 मिलियन हो गई। वर्ष 2016 में गेस्ट हाउस होटल की संख्या 2,784 से बढ़कर वर्ष 2018 में 3,382 हो गई और बिस्तर की संख्या क्षमता 2016 में 75,918 से बढ़कर 2018 में 91,223 हो गई । राज्य सरकार ने इस क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता के बारे में अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संवर्द्धन करने और राज्य के पनबिजली से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में सतत विकास के मार्ग की स्थायी पर्यटन नीति, स्थायी वन प्रबंधन नीतियां और पर्यावरण मास्टर योजना का संकल्प लिया है राज्य उन निवेशकों को भी प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा है जो स्थिरता को एक व्यावहारिक आर्थिक उद्यम के रूप में देखतें हैं। राज्य की अनूठी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा में योगदान करने के लिए प्रदेश वासियों के लिए बेहतर रोजगार और अधिक व्यापार के अवसर प्रदान करने के लिए स्थायी पर्यटन के रूप में उपयोग करने के लिए वर्ष 2013 मे, राज्य द्वारा सतत पर्यटन विकास नीति लागू की गई।

12.12 हिमाचल प्रदेश सरकार की पर्यटन क्षेत्र नीति 2019 को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह आर्थिक विकास को गति प्रदान करे, सामाजिक असमानता को कम करे, गरीबी को कम करे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धरोहरों (कला तकनीकों के राज्य का उपयोग करके) को टिकाऊ तरीके से संरक्षित करे। इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य "स्थायी पर्यटन के लिए निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना" है।

12.13 इस नीति को स्थायी विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.), विशेष रूप से एस.डी.जी. 8 और 12 को विभिन्न उद्देश्यों के माध्यम से मेजबान समुदायों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए निर्देशित किया गया है, यात्रियों को गुणवता का अनुभव प्रदान करने राज्य की प्राकृतिक–सांस्कृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और निजी निवेशकों के लिए निवेश के अनुकूल माहौल बनाना है।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम

12.14 हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एच.पी.टी.डी.सी.) हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी है। यह पर्यटन सेवाओं का पूरा पैकेज प्रदान करता है, जिसमें आवास, खानपान, परिवहन, सम्मेलनों और खेल गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें राज्य के बेहतरीन होटलों के रेस्तरां की सबसे बड़ी श्रृंखला है, जिसमें 55 होटल, 2,304 बेड वाले 991 कमरे हैं।

एच.पी.टी.डी.सी. ने दिसंबर, 2019 तक ₹71.72 करोड़ की आय उत्पन्न की, जहां अगले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य ₹124.31 करोड़ है।

परिवहन और संचार

सड़कें तथा पुल (राज्य क्षेत्र):

12.15 सड़कें अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे के लिए आवश्यक घटक हैं। जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्रदेश में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके प्रदेश सरकार ने नवम्बर, 2019 तक 38,984 कि.मी. वाहन चलने योग्य सड़कें (जिसमें जीप योग्य एवम् ट्रैक भी सम्मिलित हैं) का निर्माण कर लिया है। प्रदेश सरकार सड़कों के विकास को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2019–20 का लक्ष्य एवं नवम्बर, 2019 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा सारणी संख्या 12.1 में दर्शाया गया है:–

सारणी 12.1

मद	इकाई	लक्ष्य 2019–20	उपलब्धियां नवम्बर, 2019 तक	2019–20 सम्भावित (31–3–2020) तक
वाहन चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	900	496	900
जल निकास	कि0मी0	850	574	850
पक्की सड़कें	कि0मी0	1700	1186	1700
जीप चलने योग्य सड़कें	कि0मी0	35	25	35
पुल	संख्या	75	35	75
सडकों से जुड़े गांव	संख्या	90	67	90

12.16 हिमाचल प्रदेश में 30 नवम्बर, 2019 तक 10,433 गांव सड़कों से जोड़े गये जिनका ब्यौरा सारणी संख्या 12.2 में दिया जा रहा है:–

सारणी 12.2

सडकों से जुडे गांव	2017–18	2018–19	2019–20 नवम्बर, 2019 तक
1500 से अधिक आबादी वाले गांव	209	217	217
1000–1499	288	292	293
500–999	1272	1291	1300
250–499	3546	3574	3606
250 से कम	4966	4992	5017
कुल	**10281**	**10366**	**10433**

राष्ट्रीय उच्च मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

12.17 वर्तमान में 19 राष्ट्रीय राजमार्ग जिनकी कुल लम्बाई 2,592 कि.मी. राज्य सड़क नेटवर्क की मुख्य जीवन रेखा है। जिसमें हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा 1,238 कि.मी. लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास और रखरखाव किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 5 राष्ट्रीय राजमार्गों के 785 कि.मी. और सीमा सड़क संगठन द्वारा 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के 596 कि.मी. का विकास व रख–रखाव किया जा रहा है।

रेलवे

12.18 दिसम्बर, 2019 तक प्रदेश में केवल दो छोटी लाईने शिमला–कालका (96 किलोमीटर) और जोगिन्द्रनगर–पठानकोट (113 किलोमीटर) तथा नंगल डैम–चरूडू (33 किलोमीटर) बड़ी लाईन है जोकि ऊना जिला में हैं।

पथ परिवहन

12.19 पथ परिवहन राज्य में आर्थिक कार्यकलाप हेतु यातायात का एक मुख्य साधन है क्योंकि अन्य परिवहन सेवाएं जैसे रेलवे, वायु सेवा, टैक्सी, ऑटो रिक्शा इत्यादि नगण्य के बराबर है। इसलिए पथ परिवहन को प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हिमाचल पथ परिवहन निगम लोगों को राज्य में तथा राज्य के बाहर 3,086 बसें, 75 इलैक्ट्रिक बसें, 21 टैक्सियां व 50 इलैक्ट्रिक टैक्सियों द्वारा यात्री परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है तथा प्रतिदिन 6.33 लाख किलोमीटर (लगभग) दूरी के साथ 2,984 रूटों (31.10.2019 तक) पर बस सेवाएं चलाई जा रही हैं।

12.20 लोगों की सुविधा के लिए निम्नलिखित योजनाएं इस वर्ष भी लागू रहीः

i) **ग्रीन कार्ड योजनाः** ग्रीन कार्ड धारकों को किराये में 50 कि.मी. की दूरी के भीतर 25 प्रतिशत तक छूट प्रदान की गई है। इस कार्ड की वैधता दो वर्ष तक है तथा कार्ड की कीमत ₹50 है।

ii) **स्मार्ट कार्ड योजनाः** निगम द्वारा स्मार्ट कार्ड योजना आरम्भ की गई है। इस कार्ड की कीमत ₹50 है व वैधता दो वर्ष है। इस कार्ड पर किराये में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। यह कार्ड निगम की साधारण, सुपरफास्ट, सेमी डीलक्स व डीलक्स बसों में मान्य है। इस कार्ड पर यात्रियों को निगम की बोल्वो व ए.सी. बसों के किराये में 10 प्रतिशत की छूट का लाभ प्रति वर्ष 1 अक्तूबर से 31 मार्च तक दिया जाता है।

iii) **वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान कार्ड योजनाः** निगम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान कार्ड की सुविधा आरम्भ की गई है जिसके तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को निगम की साधारण बसों में किराये में 30 प्रतिशत की छूट दी गई है।

iv) **महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** महिलाओं को रक्षा बन्धन तथा भैया दूज के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। मुस्लिम महिलाओं को ईद तथा बकरीद के अवसर पर निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

v) **महिलाओं को किराये में छूटः** निगम द्वारा साधारण बसों में राज्य के भीतर यात्रा करने पर महिलाओं को किराये में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

vi) **सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले +2 कक्षा तक के छात्रों को हिमाचल परिवहन निगम की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है।

vii) **गम्भीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** निगम द्वारा कैंसर, रीड की हड्डी व किडनी डायलिसिस ग्रस्त मरीजों को एक अनुचर सहित निगम की साधारण बसों में इलाज के लिए चिकित्सक द्वारा जारी की गई पर्ची के आधार पर राज्य व राज्य के बाहर निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है।

viii) **दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** निगम द्वारा 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को एक अनुचर सहित निगम की साधारण बसों में प्रदेश के भीतर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

ix) **शौर्य आवार्ड विजेताओं को निःशुल्क यात्रा सुविधाः** शौर्य आवार्ड विजेताओं को हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर निगम की साधारण बसों के अतिरिक्त डीलक्स बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है।

x) **लग्जरी बसेंः** निगम द्वारा अपनी 51 तथा 39 बसें बैटलिजिंग आधार पर सुपर लग्जरी बसें (वोल्बो/सकेनियां) और 24 लग्जरी वातानुकुलित बसें अन्तर्राज्जीय मार्गों पर यात्रियों की सुविधा हेतु चलाई जा रही है।

xi) **24X7 हैल्पलाईनः** निगम व निजी बसों के यात्रियों की शिकायतों व समस्याओं के सामाधान के लिए 24X7 हेल्पलाईन सेवा 94180–00529 व 0177–2657326 शुरू की है।

xii) **प्रतिबन्धित मार्गो पर टैक्सियांः** शिमला शहर में लोगों की सुविधा हेतु टैक्सियां शहर क प्रतिबन्धित मार्गों पर निगम द्वारा चलाई जा रही है।

xiii) **टैम्पो ट्रैवलर मुख्य पर्यटक स्थलों के लिएः** निगम द्वारा 11 टैम्पो ट्रैवलर मुख्य पर्यटक स्थलों के लिए वैट लिजिंग आधार पर राज्य में व राज्य के बाहर पर्यटकों व आम यात्रियों की सुविधा हेतु चलाये गये हैं।

xiv) **युद्ध के दौरान शहोद हुए सैनिकों के आश्रितों को बसों में मुफ्त यात्रा सुविधाः** निगम उन सैनिकों तथा पैरा मिलिट्री सैनिकों को जो युद्ध के दौरान शहीद होते हैं कि विधवाओं, माता पिता व 18 वर्ष के बच्चों को निगम की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान कर रहा है।

xv) **महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बस सवाएंः** निगम द्वारा प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवाएं आरम्भ की गई है।

xvi) **दिव्यागों की सुविधा हेतु बस अड्डों पर व्हील चेयर उपलब्ध करवानाः** दिव्यागों की सुविधा हेतु 30 बस अड्डों पर व्हील चेयर उपलब्ध करवाई गई है।

xvii) **महिलाओं की सुविधा हेतु सेनेटरी पैड वैल्डिंग मशीनों का लगवानाः** 30 बस अड्डों पर महिलाओं की सुविधा हेतु सेनेटरी पैड वैल्डिंग मशीनों को स्थापित किया गया है भविष्य में अन्य बस अड्डों पर भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

परिवहन विभाग

12.21 निरन्तर आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचे (जिनमें से परिवहन बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण घटक है) का महत्व अच्छी तरह से ज्ञात है। पर्याप्त और कुशल परिवहन अधोसंरचना परिवहन लागत को कम करती है। इसके अगली और पिछली कड़ी से अच्छे सम्बन्ध होते हैं, लोगों और सामग्री की त्वरित और पर्याप्त आवाजाही द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के एकीकरण और अन्य क्षेत्रों के आधारभूत सुविधा प्रदान करता है। यह जीवन की गुणवता को सीधे प्रभावित करता है और अर्थव्यवस्था के विकास में उत्प्रेरक का काम करता है। इसके अलावा, शिक्षा प्राप्ति के लिए, नौकरियों, बाजारों, मनोरंजक सुविधाओं और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लगभग हर व्यक्ति को परवहन का उपयोग करना पड़ता है जो इसे एक उपयोगी साधन बना देता है। इसका योगदान हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परिवहन के कोई अन्य कोई साधन नहीं है जैसे बागवानी और जल–विद्युत हिमाचल

प्रदेश की अर्थव्यवस्था का शरीर है तो परिवहन शरीर को तंत्रिकाओं की भांति जोड़ता है।

दिसम्बर, 2019 तक प्रदेश में कुल 16,53,343 वाणिज्यक एवं निजी वाहन का पंजीकरण किया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान नवम्बर, 2019 तक कुल 25,140 वाहनों के विभिन्न अपराधों के अंतर्गत चालान पेश किये गए जिनमें से ₹4.23 करोड़ की राशि प्राप्त की गई।

परिवहन नीति–2014

हिमाचल प्रदेश परिवहन नीति में कहा गया है कि "परिवहन के साथ समृद्ध हिमाचल प्रदेश संतुलित क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और माल, सेवाओं और उत्पादक तक पहुँचने और वितरित करने की क्षमता और क्षमता में सुधार करके हिमाचल प्रदेश अर्थव्यवस्था के प्रत्येक और हर क्षेत्र की विकास क्षमता का दोहन कर रहा है। राज्य के चारों ओर रोजगार के अवसरों की क्षमता"। परिवहन नीति के मिशन के अन्तर्गत सरकार का प्रयास होगा कि यात्रा करने वाले लोगों को आराम और सुरक्षा के उच्च मानकों के साथ अत्याधुनिक परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाएं। प्रमुख रुप से राज्य के गरीब लोगों के लिए सार्वजनिक किराए पर सार्वजनिक परिवहन में सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने के लिए न्याय संगत होगा, साथ ही निजी से सार्वजनिक परिवहन के लिए एक मामूली बदलाव हासिल करना होगा। यह कम कीमत पर और कम से कम बाहरी क्षेत्रों (भीड़भाड़, प्रदूषण और दुर्घटनाओं) से निपटने के लिए उचित मूल्य पर उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाले सामानों के परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य हैः क) राज्य के दूर दराज के इलाकों को सड़कों से जोडना तथा शहरी क्षेत्रों में गतिशीलता योजना का प्रमुख उद्देश्य अन्तिम मील तक जुड़ना होगा। ख) कृषि और गैर–कृषि उत्पादन को संभालने के लिए बाजार में प्रवेश करने वाले कच्चा माल परिवहन वाहनों के सबसे आधुनिक राज्य को प्रोत्साहित करना और निर्यात उन्मुख विकास प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से लागू करना ग) परिवहन योजना में समग्र रुप से मुख्य सड़क सुरक्षा संबंधी चिंता। घ) हिमाचल प्रदेश में उपयुक्त कर और गैर–कर प्रोत्साहन और विघटनकारी, जो पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करते हैं और प्रदूषणकारी और असुरक्षित वाहनों को हतोत्साहित करते हैं, परिवहन के पर्यावरणीय बाहरी तत्वों को कम करते है। ड़) परिवहन के वैकल्पिक साधनों जैसे केबल कार, ट्राम और गैर–मशीनीकृत मोड को स्थायी परिवहन विकास को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

12.22 वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत परिवहन विभाग को महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैः–

1. **जल परिवहन**
   सामान एवं यात्रियों के आवागमन के लिए जल परिवहन कार्यकलाप जैसे यात्री, कारगो तथा पर्यटक जल–क्रीड़ा और शिकारा आदि चमेरा, कोल डैम और गोविंद सागर, झीलों में विकसित किये जाएगें।
2. **चालक प्रशिक्षण संस्थान और प्रदूषण जांच केंद्र**
   ईच्छुक उमीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभाग ने राज्य में 262 चालक प्रशिक्षण संस्थानों को लाईसैन्स दिए है जिन मे सें 10 सरकारी, 12,

हिमाचल पथ परिवहन निगम और 240 निजी चालक प्रशिक्षण संस्थान कार्य कर रहे है। इसके अलावा राज्य में 92 प्रदूषण जांच केंद निजी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहें है।

3. स्कूली बच्चों को सुरक्षित परिवहन सुविधा हेतु दिशा निर्देश

राज्य सरकार स्कूली बच्चों की सुरक्षा हेतु गंभीर है। परिवहन विभाग ने सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, के अंतर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार, सड़क सुरक्षा जागरुकता, प्रर्वतन तथा प्रचार किया जा रहा है।

4. रोजगार सृजन

परिवहन विभाग ने वर्ष 2019–20 में 23,500 लोगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है जिस में से 19,226 लोगों को दिसम्बर, 2019 तक रोज़गार प्रदान किया जा चुका है।

5. नए रुटों की पहचान

विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में हिमाचल पथ परिवहन निगम को कुल 70 नए बस रुट आवंटित किए गए।

6. फेम ईण्डिया योजना को लागू करना

भारत सरकार द्वारा शिमला शहर के लिए फेम ईण्डिया योजना के तहत 50 विद्युत बसों की मंजूरी प्रदान की गई थी जिसके द्वारा सभी 50 बसों की खरीद कर ली गई है व वर्तमान में सभी बसें शिमला शहर में चलाई जा रही हैं।

7. रज्जू मार्ग व तीव्र परिवहन निगम की स्थापना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग के अधीन एक रज्जू मार्ग व तीव्र परिवहन निगम की स्थापना की है। रज्जू मार्ग व तीव्र परिवहन निगम निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य करेगाः–

i) यात्री रज्जू मार्ग, गांव जन्ना, कुल्लू, जिला कुल्लू।

ii) एम.आर.टी.एस. के अंतर्गत शिमला, मनाली, धर्मशाला जैसे भीड़–भाड़ वाले शहरों को सुविधाजनक बनाना।

8. विद्युत वाहन नीति

हिमाचल प्रदेश सरकार विद्युत वाहनकी हर श्रेणी (निजी, सांझी एवं व्यापारिक) में हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाने और सतत, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल, समावेशी एवं समाकलित यातायात प्रदान करवाने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विद्युत वाहन नीति तैयार की गई है। जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं, निर्माताओं को लाभ तथा विद्युत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना होगा।

9. सड़क सुरक्षा उपाय

हिमाचल प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और दुर्घटनाओं को कम करने के साथ–साथ जानलेवा दुर्घटनाओं के लिए गहराई से चिंतित है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष सड़क दुर्घनाओं की दर में निम्न सारणी 12.1 के अनुसार कमी पाई गई है।

सारणी – 12.1

अवधि	दुर्घटनाएं	मृत्यु	चोट लगना
1.01.18 से 31.10.18	2,583	1,016	4,523
1.01.19 से 31.10.19	2,350	907	4,039

सामाजिक क्षेत्र

13 अध्याय

शिक्षा

13.1 जब हिमाचल प्रदेश ने पुर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया उस समय साक्षता दर 31.96 प्रतिशत थी जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 82.80 प्रतिशत है। राज्य में पुरूषों व स्त्रियों की में काफी अंतर है। पुरूषों की 89.53 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर 75.93 प्रतिशत है। इस अंतर को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

निम्नलिखित आंकड़े राज्य में सरकारी, निजी और अन्य संस्थानों में बच्चों के नामांकन का चित्रण प्रस्तुत करते है।

आकृति–13.1
राज्य में बच्चों का नामांकन प्रतिशत में

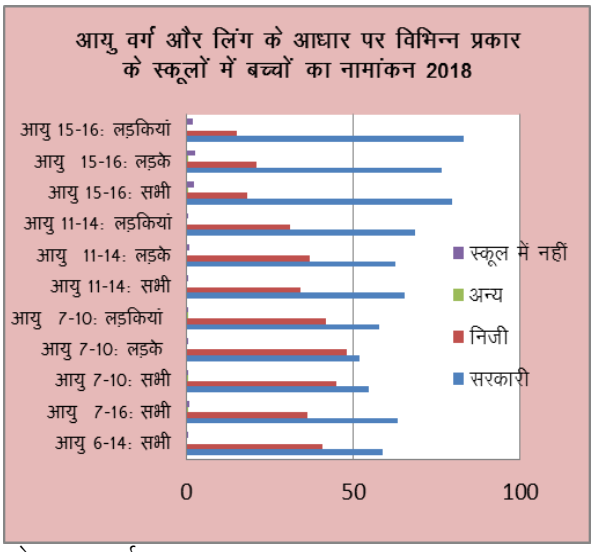

स्रोतः ए.एस.ई.आर., 2019

सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों की तुलना में बहुत अधिक है। 15–16 आयु वर्ग में लड़कियों का नामांकन सरकारी स्कूलों में अधिक (82.9 प्रतिशत) है, निजी स्कूलों में 7–10 आयु वर्ग के लड़कों (48.1 प्रतिशत) और लड़कियों (41.8 प्रतिशत) का नामांकन अन्य आयु वर्गों की तुलना में अधिक है। 15–16 आयु वर्ग में (2.4 प्रतिशत) लड़कों का स्कूलों में नामांकन नहीं है।

सारिणी–13.1
कक्षा और पढ़ने के स्तर के अनुसार बच्चे वर्ष–2018 (प्रतिशत में)

कक्षा	अक्षर भी नहीं	अक्षर	शब्द	कक्षा एक के स्तर का पाठ	कक्षा दो के स्तर का पाठ	कुल
I	18.3	43.8	24.6	7.4	5.8	100
II	4	20.8	22.7	26.4	26	100
III	2	9.2	15.7	25.4	47.8	100
IV	2.7	5.9	6.8	14.1	70.7	100
V	1.8	3.1	4.7	13.4	76.9	100
VI	0.5	3	4.8	10	81.6	100
VII	0.3	1.9	3.9	6.2	87.8	100
VIII	0.4	2.2	3	4.5	89.9	100

स्रोतः ए.एस.ई.आर., 2019

उपरोक्त तालिका में विभिन्न ग्रेडों के भीतर बच्चों के पढ़ने के स्तर में भिन्नता दर्शाती है। उदाहरण के लिए, कक्षा III में 2 प्रतिशत बच्चे अक्षर भी नहीं पढ़ सकते हैं, 9.2 प्रतिशत अक्षर पढ़ सकते हैं, लेकिन शब्द या उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, 15.7 प्रतिशत शब्द पढ़ सकते हैं, लेकिन कक्षा एक स्तर के पाठ या उससे ऊपर नहीं पढ़ सकते, 25.4 प्रतिशत कक्षा एक के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं लेकिन कक्षा द्वितीय स्तर का पाठ नहीं पढ़ सकते। प्रत्येक कक्षा के लिए, सभी स्तरों की कुल संख्या 100 प्रतिशत है।

प्राथमिक शिक्षा

13.2 प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धित सरकार की नीतियों का कियान्वयन जिला प्रारम्भिक उप शिक्षा निदेशक तथा खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कमशः जिला एवं खण्ड स्तर पर किया जाता है जिसका उद्देश्यः–

- प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण लक्ष्य प्राप्त करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवता प्रदान करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा को सब तक पहुंचाना।

वर्तमान में 31.12.2019 तक 10,721 प्राथमिक पाठशालाएं तथा 2,049 माध्यमिक पाठशालाएं हैं, जिनमें से 10,716 व 2,039 क्रमशः कार्यरत है। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा जरूरत वाले स्कूलों में नई नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सम्बन्धित जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है।

आकृति–13.2
राज्य में बच्चों का नामांकन प्रतिशत में

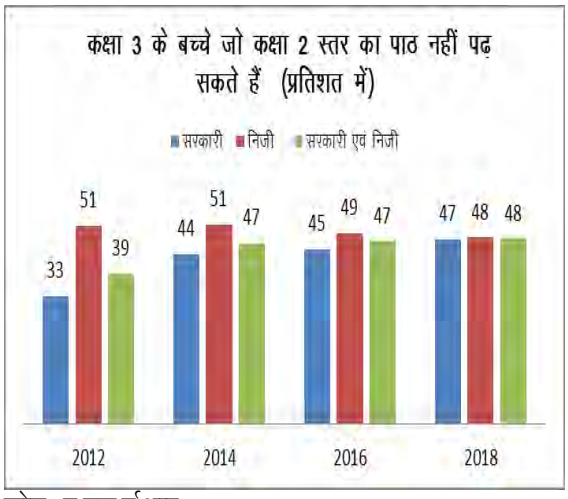

स्रोतः ए.एस.ई.आर., 2019

पढ़ने के स्तर में सुधार उपरोक्त आंकड़े से देखा जा सकता है। उपरोक्त आकृति से पता चलता है कि 2012 में कक्षा तीन के निजी और सरकारी स्कूल केवल 39 प्रतिशत बच्चे कक्षा दूसरी के स्तर का पाठ पढ़ पाए थे, जबकि इस स्थिति में 2018 में सुधार हुआ और बढ़कर 48 प्रतिशत बच्चे कक्षा दूसरी स्तर के पाठ पढ़ने में सक्षम हो गए।

13.3 स्कूलों में अधिक से अधिक उपस्थिति बढ़ाने व स्कूल छोड़ने की प्रवृति को रोकने व बढ़ौतरी की दर को बनाए रखने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां व प्रोत्साहन जैसे गरीबी छात्रवृति, छात्राओं के लिए उपस्थिति छात्रवृति, सेवारत सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के छात्रों को आई.आर.डी.पी. छात्रवृति, प्री मैट्रिक छात्रवृति अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए लाहौल व स्पिति प्रणाली की तर्ज पर छात्रवृति व मिडल मैरिट छात्रवृति (मेधावी छात्रवृति योजना) हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/ आई.आर.डी.पी./ अनुसूचित जनजाति/ के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें व वर्दी भी दी जा रही है और सभी छात्रों को मुफ्त पुस्तकें व वर्दी भी दी जा रही है। इन सभी उपायों ने स्कूलों में नामांकन दर को बढ़ाने में योगदान दिया है। निम्नलिखित आंकड़े सरकारी स्कूलों में चयनित सुविधाओं का विवरण दर्शाते हैं।

आकृति–13.3
राज्य के सरकारी स्कूलों में चयनित सुविधाएं

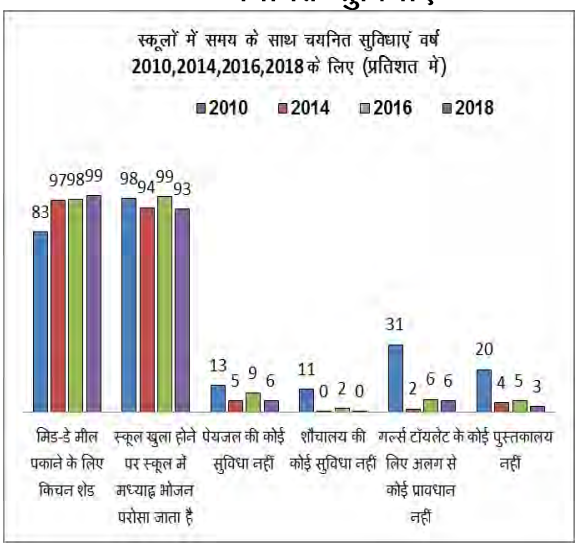

स्रोतः ए.एस.ई.आर., 2019

उपरोक्त आकृति–13.3 से पता चलता है कि 2018 से सरकारी स्कूलों में चयनित सुविधाओं में सुधार हुआ है।

राज्य प्रायोजित योजनाएं

13.4 वर्ष 2019–20 में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं:–

सारिणी –13.2

प्राथमिक शिक्षा के लिए राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं

क्र. सं.	राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं	योजनाओं का विवरण	लाभान्वित विद्यार्थी	राशि वित्त वर्ष 2019 –20
1	मेधावी छात्रवृति योजना	5 वीं कक्षा के छात्र जिन्होंने कम से कम ग्रेड बी हासिल किया है, वे छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 2 लड़कों और 2 लड़कियों को ₹800 प्रति वर्ष देने के लिए सुनिश्चित किया जाता है, जो सबसे अधिक अंक प्राप्त कर मेरिट में आतें हैं। उसे 7 वीं और 8 वीं कक्षाओं के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।	1582	₹12.66 लाख
2	आई.आर.डी.पी. परिवार से संबंधित बच्चों को छात्रवृति	पहली से 5 वीं कक्षा के छात्रों को प्रति वर्ष ₹150 दिए जाते हैं और 6 वीं से 8 वीं कक्षा के छात्रों को ₹250 प्रति लड़का प्रति वर्ष और ₹500 प्रति लड़की प्रति वर्ष दिए जाते हैं ।	87875	₹ 21.10 लाख
3	छात्रा उपस्थिति योजना	पहली से पांचवीं कक्षा की उन छात्राओं की, जिनकी उपस्थिति कम से कम 90 प्रतिशत है, उन्हें प्रति छात्रा प्रति वर्ष ₹20 दिए जाते हैं।	11301	₹2.26 लाख
4	निर्धनता छात्रवृत्ति	पहली से पांचवीं कक्षा के उन छात्रों को जिनके माता–पिता की आय ₹11000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, उन्हें प्रति छात्र प्रति वर्ष ₹40 दिए जाते हैं।	18651	₹7.46 लाख
5	सशस्त्र बलों में काम करने वाले सैनिकों के बच्चों के लिए	पहली से पांचवीं कक्षा के उन छात्रों को जिनके माता–पिता युद्ध के दौरान शहीद हुए या उन्हें 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगता प्राप्त हुई, उन्हें प्रति वर्ष ₹150 दिए जाते हैं।	4	₹600
6	निशुल्क पाठय पुस्तकें	पहली से आठवीं कक्षा के सभी श्रेणियों के छात्रों के लिए निःशुल्क पुस्तकें हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं।	सभी विद्यार्थी	₹ 23.00 करोड़
7	**अटल स्कूल वर्दी योजना**			
	(i) नि:शुल्क स्कूल की वर्दी	पहली से 12 वीं कक्षा के लिए वर्दी के दो सेट प्रदान किए जा रहे हैं।	830945	₹40.00 करोड़
	(ii) स्कूल का बस्ता	बजट भाषण 2018–19 में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, पहली, तीसरी, छठी और 9 वीं की छात्राओं को निःशुल्क स्कूल के बस्ते प्रदान किए गए हैं।	256514	
8	खेलकूद गतिविधियां	ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहली से आठवीं कक्षा के छात्रों की खेल गतिविधियों के लिए		₹3,35 करोड़
9	प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय का निर्माण और मुरम्मत	बुनियादी सुविधाओं के लिए।		₹40.81 करोड़
10	अटल आदर्श विद्यालय योजना	15 और नए अटल आदर्श विद्यालय अधिसूचित किए जाएंगे और 2019–20 के दौरान शिमला, हमीरपुर और मंडी जिले में तीन विद्यालयों के लिए प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।		**₹15.00 करोड़**
11	मध्याहन भोजन योजना	यह योजना 2004 में प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए लागू की गई थी और 2008 में इस योजना को राज्य में 8 वीं कक्षा तक में बढ़ाया गया था जिसमे केंद्र – राज्य का योगदान 90:10 अनुपात था।	497774	**₹28.46 करोड़ (राज्य भाग)**

13.5 पूर्व प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता एवं उद्देश्यः

- **सीखने के लाभः**
  राज्य सरकार ने सभी प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित विषय और वर्ग वार सिखने के परिणाम प्रतिफल प्रदान किये है और इन्हें इस तरह से सिखाने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक योग्यता में छात्रों द्वारा वांछित शैक्षिक परिणाम प्राप्त किए जा सकें।
- **टीचर ऐपः**
  सरकार द्वारा कक्षाओं में शिक्षण को और अधिक रोचक और आनंददायक बनाने के लिए टीचर ऐप का प्रक्षेपण किया गया है।

पढ़े भारत बढ़े भारतः

13.6 भाषा एवं अंकगणित में बच्चों के मूलभूत योग्यता का विकास करने के लिए विभिन्न पढ़ने के संसाधनों का जैसे प्ले वे, फ्लैश कार्ड्स, रीडिंग कार्ड्स, चार्ट्स, वर्कशीट्स/ वर्कबुक्स, कहानी की पुस्तकें, सीट लेखन व वर्कशीट का इस्तेमाल प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाने में किया जाता है।

निष्ठा के अन्तर्गत 354 के.पी.आर. और एस.आर.पी. को राष्ट्रीय संसाधन समूह द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है और प्राथमिक स्तर पर सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों को गणित और अंग्रेजी किट प्रदान की है। इन किटों के उपयोग के लिए शिक्षक को प्रशिक्षित किया गया है।

राष्ट्रीय अविष्कार अभियान

13.7 एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित राष्ट्रीय अविष्कार (आर.ऐ.ऐ.) अभियान और गणित (प्राथमिक और माध्यमिक) चयनित स्कूल प्रदान किए गए हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

13.8 राज्य सरकार ने जिला चंबा के छह के.जी.बी.बी. और शिमला के एक के.जी.बी.बी. को कक्षा छठी से बाहरवीं तक करने के लिए भारत सरकार को उन्नयन का प्रस्ताव दिया है। पी.ऐ.वी. ने राज्य में सात के.जी.बी.बी. के उन्नयन को मंजूरी दी है। वर्तमान में 150 लडकियां गर्ल्स हॉस्टल में रह रही हैं और कक्षा छठी से बाहरवीं तक की 850 लडकियां के.जी.बी.बी. में रह रही हैं। ये सभी छात्रावास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जुड़े हैं।

वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा

13.9 राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है जिसके फलस्वरूप वार्षिक बजट में प्रतिवर्ष निरन्तर वृद्धि के साथ–साथ शैक्षणिक संस्थाओं में भी वृद्धि हो रही है। प्रदेश में दिसम्बर, 2019 तक 931 उच्च पाठशालाएं, 1,866 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं तथा 138 सरकारी महाविद्यालय हैं जिसमें 7 संस्कृत महाविद्यालय, 1 एस.सी.ई.आर.टी, 1 बी.एड. महाविद्यालय, और 1 ललित कला महाविद्यालय सम्मिलित है और सभी कार्यरत हैं।

प्रमुख छात्रवृति योजनाएं

13.10 समाज में शिक्षा सुधार करने के लिए के शिक्षा से वंचित पिछड़े वर्ग के छात्रों को अनेक छात्रवृतियां राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। छात्रवृतियां निम्न प्रकार से हैं:–

सारिणी –13.3
उच्च एवं माध्यमिक के लिए शिक्षा राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं

क्र. सं.	राज्य प्रायोजित छात्रवृति योजनाएं	छात्रवृत्ति और बुनियादी ढाँचा 2018–19	लाभान्वित विद्यार्थी 2018–19
1	डा0 अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजना	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धित स्कूलों के परिणाम के आधार पर 10वीं, 11वीं और 12वीं के अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के शीर्ष 2,000 छात्रों को ₹10,000 प्रतिवर्ष दिए जाते हैं ।	अनुसूचित जाति के कुल 834 छात्रों को लाभ हुआ है और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण प्रक्रिया में है।
2	स्वामी विवेकानन्द छात्रवृति योजना	11वीं और 12वीं के लिए सामान्य श्रेणी के कुल शीर्ष 2000 मेधावी छात्रों को ₹10,000 (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध) दिए गए हैं।	कुल 3461 छात्र लाभान्वित हुए हैं ।
3	ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृति योजना	हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति से संबंधित रखने वाले शीर्ष 100 लड़कियां और 100 लड़कों को (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध) ₹11,000 दिए जाते हैं।	अनुसूचित जनजाति वर्ग के 282 छात्र लाभान्वित हुए हैं।
4	महर्षि बाल्मीकि छात्रवृति योजना	बाल्मीकि परिवारों से संबंधित हिमाचली लड़कियों को ₹9,000 मिलते हैं।	11 छात्राएं लाभान्वित हुई।
5	इंदिरा गांधी उत्कृष्ठ छात्रवृत्ति योजना	12 वीं की मेरिट सूची (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध) के शीर्ष 150 छात्रों को 12 वीं के बाद के पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष ₹10,000 दिए जाते हैं।	छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया जारी है।
6	कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना	इस योजना के तहत सभी अध्ययन समूहों जैसे की विज्ञान, कला और वाणिज्य में शीर्ष 2,000 मेधावी छात्राओं को 12 वीं के बाद अनुत्तीर्ण नही होने पर डिग्री / डिप्लोमा के लिए ₹15,000 प्रदान किये जाते हैं और इसका नवीकरण भी किया जाता है।	1368 छात्र लाभान्वित हुए हैं।
7	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	किसी भी भारतीय तकनीकी संस्थान और अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञानं अनुसंधान में डिग्री कोर्स, भारतीय प्रबंधन अनुसन्धान , इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स धनबाद,झारखंड और भारतीय विज्ञान अनुसंधान बंगलोर के स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्राप्त होने पर एक बार के लिए ₹75,000 का पुरस्कार दिया जाता है ।	112 छात्र 2018–19 में लाभान्वित हुए हैं।

8	राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज छात्रवृत्ति	हिमाचल प्रदेश के दस छात्र जो यहाँ के मूल निवासी हैं और राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून में 8 वीं से 12 वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनमे से प्रत्येक कक्षा के दो छात्र ₹20,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति के पात्र हैं।	वर्ष 2018–19 के लिए पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण प्रक्रियाधीन है।
9	आई.आर.डी.पी. छात्रवृत्ति योजना	वे छात्र जो आई.आर.डी.पी. परिवारों से संबंधित हैं और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे हैं, 9 वीं और 10 वीं कक्षा के छात्रों के लिए 300 रुपये, 11 वीं और 12 वीं कक्षा के लिए 800 रुपये, कॉलेज के अनावासी छात्रों के लिए ₹1200 और आवासीय छात्रों के लिए ₹2400 प्रति माह दिया जा रहा है।	पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण की प्रक्रिया चल रही है।
10	एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹2,50,000 तक है और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र जिनके माता–पिता की आय ₹1,00,000 तक है जो सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं, वे सभी पाठ्यक्रमों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति (अर्थात अनुरक्षण भत्ता + पूर्ण शुल्क) के पात्र हैं।	कुल 2623 अनुसूचित जनजाति के छात्र लाभान्वित हुए हैं। पात्र छात्रों को एससी और ओबीसी पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण प्रक्रियाधीन है।
11	अनुसूचित जाति अनुसूची जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्री– मैट्रिक छात्रवृत्ति	(i) अनावासी छात्रों को 10 महीने के लिए प्रति माह ₹100 छात्रवृत्ति, आवासीय छात्रों को 10 महीने के लिए ₹500 प्रति माह, कक्षा 3 से 10 वीं कक्षा के छात्रों के लिए, वर्ष में एक बार ₹500 का तदर्थ अनुदान भी इस योजना के तहत दिया जाता है । (ii) नौवीं और दसवीं कक्षा के अनावासी छात्रों के लिए प्रति वर्ष ₹2,250 छात्रवृत्ति और अनावासियों को ₹4,500 की राशि प्रदान की जाती है।	कुल 535 छात्र लाभान्वित हुए हैं। एस.सी. छात्रों की छात्रवृत्ति का वितरण प्रक्रियाधीन है।
12	अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों के लिए मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	यह छात्रवृत्ति मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यक छात्रों को डिग्री और कोई भी स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा करने के लिए दी जाती है। छात्रों के 50 प्रतिशत से कम अंक नहीं होने चाहिए और उनके माता–पिता की आय ₹2.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।	कुल 48 छात्र लाभान्वित हुए हैं।
13	अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	यह छात्रवृत्ति 11वीं से पीएचडी तक के अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाती है, जिनकी पिछली अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक नहीं हैं और जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹2.00 लाख तक है छात्रों का सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों से परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य हैं।	430 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

संस्कृत शिक्षा का विस्तार

13.11 संस्कृत शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्रदेश सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी हर सम्भव प्रयास किए जा रहे है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत छात्रवृति प्रदान करना

ख) सकैण्डरी पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ाने हेतु संस्कृत प्रवक्ताओं के लिए वेतन अनुदान प्रदान करना ।

ग) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण करना ।

ध) प्रदेश सरकार को संस्कृत के उत्थान तथा शोध/ शोध परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

13.12 प्रदेश में सेवारत अध्यापकों को शिक्षा की नवीनतम तकनीक से परिचित करवाने के उद्देश्य से एस.सी.ई.आर.टी., सोलन, जी.सी.टी.ई. धर्मशाला, हिप्पा फेयरलॉन, शिमला/ एन.आई.ई.पी.ए., नई दिल्ली/ सी.सी.आर.टी./ एन.सी.ई.आर.टी. /आर.आई.ई. अजमेर तथा आर.आई.ई., चण्डीगढ़ आदि संस्थानों में विभिन्न संगोष्ठियों तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2018–19 में लगभग 2,700 अध्यापकों एवं गैर अध्यापकों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

यशवन्त गुरूकुल आवास योजना

13.13 प्रदेश के जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में नियुक्त अध्यापकों को समुचित आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना राज्य के 61 चिन्हित पाठशालाओं में लागू कर दी गई है।

निःशुल्क पाठय पुस्तकें

13.14 राज्य सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ बी.पी.एल. से सम्बन्धित विद्यार्थियों को नवीं से दसवीं कक्षा तक पाठयक्रम की पुस्तकें मुफ्त दी जा रही हैं। वर्ष 2019–20 में इस योजना के अंतर्गत ₹11.90 करोड़ व्यय किए गए जिससे 1,03,134 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

13.15 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर तक वर्ष 2001–02 से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही हैं।

छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा

13.16 प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें व्यावसायिक एवं प्रौफैशनल पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत केवल शिक्षा शुल्क ही माफ किया जा रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा

13.17 प्रदेश के सभी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं (बाहरी स्त्रोत से) में स्वंय आर्थिक प्रबन्धन आधार पर वैकल्पिक विषय को चुनकर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान की जा रही है। आई.टी. शिक्षा के लिए विभाग द्वारा ₹110 प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी फीस ली जा रही है। अनुसूचित जाति (बी.पी.एल.) परिवारों के छात्रों को 50 प्रतिशत शुल्क की छूट दी जाती है। वर्ष 2019–20 में कुल 72,647 विद्यार्थी आई.टी. शिक्षा के लिए नामांकित हुए जिसमें 6,773 अनुसूचित जाति (बी.पी. एल.) के हैं।

समग्र शिक्षा

13.18 वर्ष 2018–19 में ,एकीकृत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान(RMSA, ICT, Girl Hostels in EBB, Vocational Education, IEDSS) को स्कूली शिक्षा(ISSE)

के लिए एकीकृत योजना में मिला दिया गया है। नई विलय योजना को समग्र शिक्षा का नाम दिया गया है। निम्नलिखित योजनाएं समग्र शिक्षा के अर्न्तगत चल रहीं हैं।

i) **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानः**

विभाग ने राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान को प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति की देख रेख मे केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की 90:10 की सहभागिता में माध्यमिक स्तर पर लागू करने मे बढ़त हासिल कर ली है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं इसमें प्रदेश की वर्तमान माध्यमिक पाठशालाओं के आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना, सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण, आत्म रक्षण प्रशिक्षण, कला उत्सव तथा वार्षिक स्कूल अनुदान शामिल हैं।

ii) **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी**

स्मार्ट कक्षा कक्ष और मल्टीमीडिया शिक्षण साधन का प्रयोग करके पठन–पाठन की गतिविधियों को बेहतर व सुदृढ़ करने के लिए विभाग द्वारा सफलतापूर्वक सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी परियोजना को 2,137 राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं व पांच स्मार्ट पाठशालाओं में वर्ष 2018–19 में लागू कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 में 200 नए पाठशालाओं का कार्य प्रगति पर है।

iii) **व्यावसायिक शिक्षा**

नेशनल सकिल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क के अन्तर्गत 80 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरु कर दी जाएगी व राष्ट्रिय कौशल विकास निगम द्वारा वर्गीकृत 6 उत्कृष्ट वी.टी.पी. के साथ एम.ओ.यू. भी हस्ताक्षरित कर दिया गया है और फरवरी, 2020 से शीत कालीन अवकाश वाले विद्यालयों में कक्षाएं भी शुरु कर दी जाएंगी। इस योजना के अन्तर्गत इलैक्ट्रोनिकस एवं हार्डवेयर, कपडों से सम्बन्धित, घरेलू सजावट, सौन्दर्य एवं प्रसाधन, पलम्बर इत्यादि व्यवसायिक विषय प्रारम्भ किए जाएगें।

iv) **माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चो को समेकित शिक्षा**

प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चो को समेकित शिक्षा वर्ष 2013–14 मे आरम्भ हुई। इसके अन्तर्गत विशेष जरूरतमन्द बच्चों के लिए 12 आदर्श विद्यालय खोले गए जिनमें इन बच्चो का शिक्षित करने हेतु 18 विशेष शिक्षकों की तैनाती की गई व 7,958 विशेष बच्चे सरकारी पाठशालाओं में नामांकित किए गए। इन बच्चों को उपकरण, मुफ्त किताबें, एस्कोर्ट भत्ता, ब्रैल किताबें, इनलार्ज प्रिंट किताबें भी वर्ष 2019–20 में दी गई।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

13.19 उच्चतर शिक्षा प्रणाली के सुधार हेतू राज्य में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लागू किया है। वर्ष 2020–21 के

दौरान एन.ए.ए.सी. बैंगलौर से 36 सरकारी डिग्री कॉलेजों को मान्यता दी जाएगी।

नेटबुक्स सवितरण

13.20 विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017–18 में स्टूडैन्ट डिजिटल योजना/ श्री निवास रामानुजन योजना के अतंर्गत् 9,700 हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के मेधावी विद्यार्थियों (4,400 10वीं व 4,400 12वीं) तथा महाविद्यालयों के 900 मेधावी विद्यार्थियों को पठ्न–पाठ्न की प्रक्रिया को सुद्धढ़ करने हेतु लेपटॉप/ नेटबुक के साथ मुफ्त मासिक 1 जी.बी. डाटा कार्ड वितरित किया जाएगा।

मेधा प्रोत्साहन योजना

13.21 हिमाचल प्रदेष के चयनित मेधावी आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों को सी.एल.ए.टी./एन.ई.ई.टी./आई.आई.टी./ जे.ई.ई./ए.आई. आई.एम.एस./ए.एफ.एम. सी./एन.डी.ए./यू.पी.एस.सी./एस.एस.सी. / बैंकिंग आदि के लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी। 500 के मुकाबले कुल 182 छात्र (ग्रेजुएट–34, साइंस–117, आर्ट्स–18 और कॉमर्स–13) वर्ष 2019–20 के दौरान अपनी पसंद के अनुसार 14 अनुभव प्राप्त कोचिंग संस्थानों से कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं।

सी.सी.टी.वी.निगरानी तन्त्र की स्थापना

13.22 वर्ष 2019–20 में 1862 सरकारी शिक्षण सस्थानों में विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सी.सी.टी.वी. निगरानी तन्त्र/प्रणाली स्थापित की गई है।

आधार सक्षम बायोमीट्रिक हाजिरी तन्त्र की स्थापना

13.23 विभाग द्वारा 2,552 आधार सक्षम बायोमीट्रिक हाजिरी तन्त्र सभी विद्यालयों में स्थापित करने के लिए निविदा प्रक्रिया HPSEDC के सहयोग से शुरु की जा चुकी है।

ऑनलाइन हिम शिक्षा दर्पण पोर्टल/ ऐप का शुभारंभः

13.24 हिम शिक्षा दर्पण का शुभारंभ सेवा वितरण मॉडल, आंतरिक कार्यालय को कुशलतापूर्वक और साथ ही साथ प्रबंधन सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संस्थानों/ कार्यालयों में की जा रही गतिविधियों को स्वचालित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है।

वोकेशन स्नातक

13.25 B-Voc कार्यक्रम एच.पी.के.वी. एन. के माध्यम से ए.डी.बी. कौशल परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 12 कॉलेजों में चल रहा है। विभाग ने अधिक कॉलेजों में बी–वॉक शुरू करने हेतु। दो नए पाठ्यक्रमों बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा और आई.टी. डिग्री के साथ प्रस्तावित किया है।

तकनीकी शिक्षा

13.26 वर्ष 1968 में हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी तथा जुलाई, 1983 में व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी इस विभाग के अन्तर्गत लाया गया। वर्तमान में विभाग का कार्य क्षेत्र तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। आज हिमाचल प्रदेश के इच्छुक प्रत्येक विद्यार्थी प्रदेश में ही तकनीकी शिक्षा तथा फार्मेसी में स्नातक, डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट कोर्स के लिए निम्नलिखित संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं:–

कमांक	संस्थान का नाम	संस्थानों की संख्या
1.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी स्थित कमांद	01
2.	राष्ट्रीय प्रौद्यौगिक संस्थान, हमीरपुर	01
3.	राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलोजी संस्थान, कांगड़ा	01
4.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर	01
5.	भारतीय सूचना एंव प्रौद्योगिकी संस्थान, ऊना	01
6.	केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिक संस्थान (सिपेट), बद्दी, तहसील नालागढ़, जिला सोलन	01
7.	क्षेत्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला) (आर.वी.टी.आई.), जुण्डला, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला ।	01
8.	जवाहर लाल नेहरू राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, सुन्दरनगर।	01
9.	अटल बिहारी बाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रगतिनगर, जिला शिमला	01
10.	राजीव गान्धी अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, कांगड़ा स्थित नगरोटा बगवां	01
11.	महात्मा गॉधी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटला तहसील रामपुर (ज्यूरी)	01
12.	राजकीय फार्मेसी महाविद्यालय,रोहडू जिला शिमला एवं नगरोटा बगवां जिला कांगड़ा, रक्कड़, जिला कागड़ा एवं सिराज, जिला मण्डी	04
13.	हाइड्रो अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बन्दला, जिला बिलासपुर	01
14.	बी–फार्मेसी महाविद्यालय (निजी क्षेत्र में)	14
15.	अभियांत्रिकी महाविद्यालय (निजी क्षेत्र में)	12
16.	बहुतकनीकी (सरकारी क्षेत्र में)	15
17.	बहुतकनीकी (निजी क्षेत्र मे)	07
18.	डी0 फार्मेसी कालेज (निजी क्षेत्र में)	11
19.	सैकिण्ड सिफट डिप्लोमा कोर्सिस (निजी क्षेत्र में)	04
20.	सहशिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी क्षेत्र में)	109
21.	स्टेट ऑफ आर्टस आई.टी.आई.	11
22.	मॉडल आई.टी.आई. नालागढ़ एवं संसारपूर, कागड़ा	02
23.	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी क्षेत्र मे)	09
24.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (दिव्यांगों के लिए) सुन्दरनगर (सरकारी क्षेत्र मे)	01
25.	मोटर ड्राईविंग स्कूल, ऊना (सरकारी क्षेत्र में)	01
26.	औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (निजी क्षेत्र में)	151
27.	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	03
	योग	**366**

वर्तमान में प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थानों की प्रवेश क्षमता निम्नलिखित हैः–

i)	डिग्री स्तर	=	3181
ii)	बी फार्मेसी	=	1110
iii)	डिप्लोमा स्तर	=	5065
iv)	सरकारी/निजी आई.टी.आई.	=	48509
	कुल	=	**57865**

13.27 तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चरण–III (टी.ई.क्यू.आई.पी–III) 01 अप्रैल, 2017 से शुरू किया गया था और यह सितंबर 2020 में समाप्त होगा। राज्य के तीन कॉलेजों जैसे JNGEC, RGGEC, ABVGIE और Him TU को परियोजना के तहत चुना गया है। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता चयनित कार्यक्रम में Him TU को 20.00 करोड़ और अन्य तीन संस्थानों को 10.00 करोड़ की परियोजना लागत के साथ शामिल किया गया है। सुधार कार्यक्रम चरण–III, TEQIP-III परियोजना केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रायोजित एक विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना है और अनुदान सहायता सीधे संस्था को जारी की जाती है।

13.28 तकनीकी शिक्षा विभाग में 132 सरकारी I-T-Is, 1 ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑपरेटर स्कूल और निजी क्षेत्र में 151 ITI हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान पांच नई सरकारी आई.टी.आई., कौलांवाला भूड़, सिरमौर जिले में, आई.टी.आई. भांजाडू, जिला चंबा, आई. टी.आई. उत्पुर, जिला हमीरपुर, आई.टी.आई. रजूण, जिला कांगड़ा और जिला चंबा में आई.टी.आई. सलूणी को कार्यात्मक बनाया गया है। तीन नए आई.टी.आई. जिसमें आई.टी.आई. अम्बोया और सतौन, जिला सिरमौर में और आई.टी.आई. लडभड़ोल, मंडी को अगले शैक्षणिक सत्र 2020–21 से कार्यात्मक बनाया जाएगा।

वर्ष 2019–20 के दौरान, जिला शिमला में आई.टी.आई. चोपाल, जिला हमीरपुर में ITI सुजानपुर टिहरा, जिला शिमला, में सरकारी कुमारसैन, सिरमौर में आई.टी.आई. शिलाई, जिला सिरमौर में आई.टी.आई. कफोटा, जिला सिरमौर में आई.टी.आई. सराहन में दो नए ट्रेड शुरू किए गए हैं।

उद्योगों की मदद से प्रशिक्षुओं के बीच कौशल शिक्षा को बढ़ाने के लिए वर्ष 2018–19 में आई.टी.आई. सोलन में प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली कार्यात्मक बनाई गई है। वर्ष 2019–20 में, प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली 08 आई.टी.आई. जिनमें आई.टी.आई. नादौन (रेल में), जोगिंद्रनगर, मंडी, गढ़जमाला, नेहरपुखर, शमशी, सोलन (अतिरिक्त ट्रेड) और मॉडल आई.टी.आई. नालागढ़ में शुरू की गई है।

एस.पी.एस.डी.पी. के अन्तर्गत लघु अवधि प्रशिक्षण

13.29 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हि.प्र. कौशल विकास निगम द्वारा 38 सरकारी आई.टी.आई. के साथ समझौता किया गया है जिसमें हिमाचली युवाओं को एन.एस.क्यू.एफ. आधारित लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में 4,500 प्रशिक्षणार्थी 33 सरकारी आई.टी.आई. में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण

13.30 राज्य सरकार ने लोगों को प्रभावी उपाय एवं उपचार के लिए चिकित्सा सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य संकेतकों में भारत की तुलना में बेहतर स्थिति में है। चयनित संकेतक आंकड़े में नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

आकृति–13.4

चयनित जनसांख्यिकी संकेतक में भारत के साथ हिमाचल प्रदेश की तुलनात्मक स्थिति:

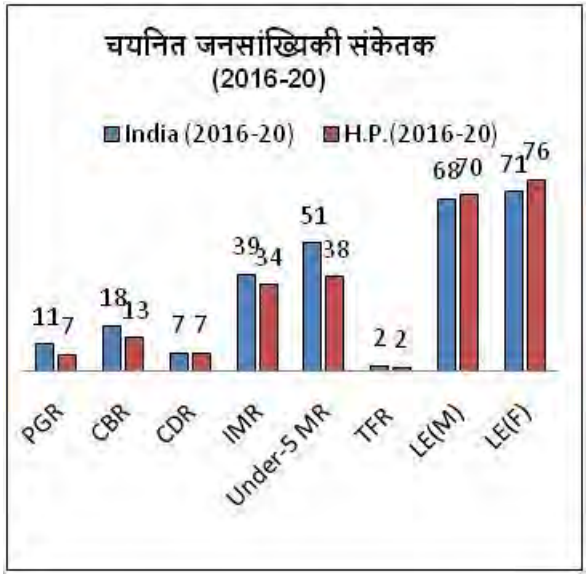

स्त्रोतः परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार के आंकड़े अनुमानित हैं।

नोटः पी.जी.आर.–जनसंख्या वृद्धि दर, सी.बी.आर. – क्रूड बर्थ रेट, सी.डी.आर.–क्रूड डेथ रेट, आई.एम.आर.– शिशु मृत्यु दर, एम.आर.– मृत्यु दर, टी.एफ.आर.–कुल प्रजनन दर, LE(M)–जीवन प्रत्याशा (पुरुष), LE(F)–जीवन प्रत्याशा (महिला)।

उपर्युक्त सभी संकेतकों में हिमाचल प्रदेश में बेहतर स्थिति का अनुमान लगाया है। राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर को भारत की तुलना में चार प्रतिशत बेहतर दर्शाई गई है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उपचारात्मक, बचाव, प्रोत्साहन एवं पुर्नवास जैसी सेवाएं चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो, के माध्यम से प्रदान कर रहा है, जो तालिका में नीचे दिए गए हैं।

सारिणी–13.4

मद	2017–18	2018–19	2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक
एलोपैथिक संस्थानों की संख्या			
i) चिकित्सालय	87	94	97
ii) समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	90	94	93
iii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	576	586	585
iv) ई.एस.आई.औषधालय	16	16	16
योग	**769**	**790**	**791**
v)सभी प्रकार की एलौपैथिक संस्थाओं में उपलब्ध विस्तरों की संख्या	12,220	14,295	14,489

सारिणी–13.5

टी.बी. को नियंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में बुनियादी संरचना

क.स.	टी.बी.को नियंत्रित कार्यकम	संख्या
1	क्षय रोग सेनेटोरियम	1
2	जिला क्षय रोग केंद्र	12
3	ब्लॉक क्षयरोग युनिट	74
4	माईक्रोस्कोपिक केंद्र	218
5	माध्यमिक संदर्भ प्रयोगशाला	1
6	राज्य दवा भण्डार	1
7	राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण केन्द्र	1
8	सी.वी. जांच प्रयोगशालाएं	23
9	सी0वी0–एनएएटी लैव व्हील पर	1
10	कलचर एवं ड्रग टैस्ट प्रयोगशालाए	2
11	नोडल डी.आर. टी.वी. केन्द	3
12	जिला डी.आर. टी. वी. केन्द्र	12
13	राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र	1
योग		**350**

13.31 वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:–

सारिणी–13.6

राज्य में स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यक्रम

क. स.	कार्यक्रम	संक्षिप्त विवरण
1	राष्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रम	वर्ष 2019–20 के दौरान 3,69,910 स्लाइड्स की जांच की गई, जिनमें से 107 स्लाइड पॉजिटिव पाई गईं।
2	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यकम	वर्ष 1995 में प्रचलन दर 5.14 थी, जोकि वर्ष 2019–20 में घटकर 0.20 प्रति दस हजार रह गई है। कुष्ठ रोग के 97 नए मामलों का पता लगा है।
3	संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी. सी.पी.)	दिसंबर, 2019 तक, 17,563 टीबी मामलों का पता चला। कुल मामलों की अधिसूचित दर प्रति वर्ष 226 प्रति लाख व्यक्ति थी और हिमाचल प्रदेश में इलाज की दर 90 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 89 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश राज्य को देश में RNTCP कार्यक्रम के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
4	राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यकम	नवंबर, 2019 तक, 18,343 मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए हैं।
5	राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	यह राज्य में सामुदायिक आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, 3,030 नसबंदी, 8,296 आई.यू.डी. सम्मिलन किया गया और 21,822 ओ.पी. उपयोगकर्ताओं और 51,591 सी.सी. उपयोगकर्ताओं को नवंबर, 2019 तक लाभ मिला।
6	व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम	इसे माताओं, बच्चों और शिशुओं में रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। वैक्सीन निवारक रोगों अर्थात, तपेदिक, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, नियो–नेटल, टेटनस, निमोनिया, पोलियोमाइलाइटिस और खसरा और रूबेला में उल्लेखनीय कमी आई है।
7	हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल येाजना (हिमकेयर)	HIMCARE उन परिवारों के लिए है जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत नहीं आते हैं या सरकारी मेडिकल प्रतिपूर्ति का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। कैशलेस उपचार कवरेज प्रति वर्ष ₹5.00 लाख है। अब तक 5.50 लाख परिवार पंजीकृत किए गए हैं और 54,282 लाभार्थियों ने इस योजना के तहत ₹51.33 करोड़ की राशि का कैशलेस उपचार का लाभ उठाया है।
8	आयुष्मान भारत–प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना	आयुष्मान भारत प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹5.00 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 5 लाख परिवार कैशलेस इलाज पाने के पात्र हैं। लगभग 3.08 लाख परिवारों ने स्वर्ण कार्ड प्राप्त किए हैं और 43,813 रोगियों ने ₹42.99 करोड़ की कैशलेस उपचार राशि का लाभ उठाया है।
9	स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र	2022 तक सभी स्वास्थ्य उप–केंद्रों और पीएचसी को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के रूप में उन्नत किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, नवंबर 2019 तक, 354 एचएससी और 523 पीएचसी को HWC के रूप में अधिसूचित किया गया है।
10	कैंसर मधुमेह हृदय रोगों तथा स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियन्त्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई हैं: क) टेलस्ट्रोक प्रोजेक्ट ख) नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम ग) कैंसर केयर यूनिट्स घ) ई–हेल्थ कार्ड।
11	किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	जागरूकता पैदा करके, पहुंच में वृद्धि, सेनेटरी नैपकिन के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, 2018 के दौरान अब सेनेटरी नैपकिन (6 न0) का एक पैकेट लड़कियों को ₹1.00 पर ही दिया जा रहा है।
12	राष्ट्रीय एड्स रोकथाम कार्यक्रम	क) एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र (ICTC)– दिसंबर 2019 तक 85,234 ए.एन.सी. क्लाइंट में से 20 को एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। ख) STI / RTI: दिसंबर, 2019 तक 38,220 लोगों ने इन RTI / STI क्लीनिकों की सेवाओं का लाभ उठाया है। ग) रक्त सुरक्षा: दिसंबर, 2019 तक 382 VBD शिविर आयोजित किए गए हैं। घ) एंटी रैट्रोवायरल ट्रीटमेंट प्रोग्राम – राज्य में IGMC, RH हमीरपुर, RPGMC, टांडा में तीन ART सेंटर हैं। ड) लक्षित हस्तक्षेप – उच्च जोखिम समूह के लिए राज्य में 18 लक्ष्य हस्तक्षेप परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान

13.32 राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा, पैरा मैडिकल और नर्सिग को बेहतर प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य गतिविधियों और दन्त सेवाओं को मोनीटर तथा समन्वय करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना वर्ष 1996–97 में की गई। वर्तमान में प्रदेश में 6 आर्युविज्ञान महाविद्यालय और एक दन्त महाविद्यालय इस निदेशालय के अन्तर्गत राजकीय क्षेत्र में चल रहे है। इसके साथ एक आर्युविज्ञान महाविद्यालय और चार दन्त महाविद्यालय निजी क्षेत्र में भी चल रहे है। वित्तीय वर्ष–2019–20 (07–02–2020 तक) में संस्थावार आंबटन एवं व्यय का विवरण सारणी संख्या 13.7 में दिया गया है:

सारिणी–13.7

संस्थान का नाम	आंबटन	व्यय
आई.जी.एम.सी. शिमला	275.35	211.47
के.एन.एच.	8.98	6.54
आई.जी.एच.	20.07	10.47
राजकीय दन्त महाविद्यालय शिमला	23.06	16.75
डॉ आर.पी.जी.एम.सी., टाण्डा	147.41	112.52
डॉ. यशवन्त सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन	51.14	36.35
पं0 जवाहर लाल नेहरु राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चम्बा	60.13	31.37
डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर	70.45	23.72
श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक, मण्डी	86.19	52.23
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान शिमला	4.07	2.30

शैक्षणिक उपलब्धियॉ:

13.33 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान में शैक्षणिक उपलब्धियॉ निम्न प्रकार से हैं:

- **एम.बी.बी.एस.छात्र:** शैक्षणिक सत्र 2019–20 के दौरान कुन 870 एम. बी.बी.एस सीटें सरकारी व निजी क्षेत्र में भरी गईं, इसके अतिरिक्त 253 पी.जी. सीटें विभिन्न विशेषताओं में आई.जी.एम.सी शिमला, डॉ. आर. पी.जी.एम.सी. टांडा तथा महर्षि मार्कण्डेश्वर विश्वविद्यालय सोलन में भरी गई।
- **बी.डी.एस:** 316 बी.डी.एस. सीटें तथा 90 एम.डी. की सीटें सरकारी एवं निजि क्षेत्र में शैक्षणिक सत्र 2019–20 में दौरान भरी गई।
- **नर्सिंग:** शैक्षणिक सत्र 2019–20 के दौरान 30 ए.एन.एम., 1,540 जी.एन. एम., 1,780 बी.एस.सी. नर्सिंग, 435 पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग और 181 एम.एस.सी. नर्सिंग की सीटें विभिन्न सरकारी एवं निजी संस्थानों के लिए अनुमोदित की गई तथा इन सीटों को भरने की प्रक्रिया जारी है।
- **पैरा मैडिकल कोर्स:** 61 विद्यार्थी पैरा मैडिकल कोर्सों के विभिन्न विषयों में आई.जी.एम.सी. शिमला तथा डॉ. आर.पी.जी.एम.सी. टांडा में शैक्षणिक सत्र 2019–20 में दाखिल किए गए।

इस निदेशालय की मुख्य उपलब्धियों का संस्थावार विवरण निम्न है:–

सारिणी–13.8

राज्य में संस्थानों की प्रमुख उपलब्धियां

संस्थान	सुविधाएं
आई.जी.एम.सी. शिमला	क) किडनी प्रत्यारोपण ख) डिजिटल घटाव एंजियोग्राफी मशीन ग) ट्रॉमा सेंटर घ) सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक ड़) तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्र च) न्यू ओपीडी ब्लॉक छ) मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल।
डॉ आर.पी.जी.एम.सी., टाण्डा	क)सुविधा ब्लॉक (निर्माणाधीन) ख) नया गर्ल्स हॉस्टल ग) नर्सिंग स्टाफ के लिए 120 टाइप– III Qtrs का निर्माण घ) मानसिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण।
डॉ. यशवन्त सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन	क)मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर ख) नर्सिंग स्कूल (निर्माणाधीन)।
पं0 जवाहर लाल नेहरु राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, चम्बा	ट्रामा सेंटर मौजूदा भवन में कार्यरत है।
डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर	मौजूदा भवन में कार्यरत है।
श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक, मण्डी	300 और 4 ऑपरेशन थिएटरों की बिस्तर कार्यरत है। ट्रामा सेंटर और नर्सिंग कॉलेज को भी कार्यात्मक बनाया गया है।

नोटः शीर्ष दो कॉलेजों को छोड़कर, अन्य सभी कॉलेज नए हैं।

दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमलाः

13.34 भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद द्वारा उक्त दन्त महाविद्यालय के लिए 17 पी.जी. सीटों तथा 75 बी.डी.एस. सीटों (15 ई.डब्ल्यू.एस. सीटों को सम्मिलित करते हुए) का अनुमोदन किया गया है । डेंटल मैकेनिक और डेंटल हाईजीनिस्ट के डिप्लोमा कोर्स में सत्र 2019–20 के प्रत्येक में 20 विधार्थियों को प्रवेश देकर कक्षाएं शुरू की गई। इस दन्त महाविद्यालय में 2 ओ.पी.जी. सी.ई.पी. एच. एक्स–रे मशीन और नवीनतम बाल चिकित्सा दन्त इकाईयों– सह कुर्सियां स्थापित की गई हैं। इस दन्त महाविद्यालय में राज्य के आई.आर.डी.पी. और बी.पी.एल. परिवारों का मुफ्त दन्त इलाज किया जा रहा हैं।

आयुर्वेद

13.35 भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद) तथा होम्योपैथी का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार द्वारा भी इस पद्वति को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1984 में आयुर्वेद विभाग की स्थापना की गई राज्य में आयुर्वैदिक स्वास्थ्य ढांचे के माध्यम से आम जनता को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। आयुर्वेदिक आधारभूत संरचना का समग्र दृष्टिकोण नीचे दिया गया है।

सारिणी–13.9

हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य अधोसंरचना की उपलब्धता

क्र. सं.	संस्थान	संख्या
1	पी.जी. आयुर्वेदिक कॉलेज	1
2	बी.–फार्मेसी कॉलेज	1
3	क्षेत्रीय अस्पताल	2
4	जिला आयुर्वेदिक अस्पताल	31
5	नेचर केयर हॉस्पिटल	1
6	आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र	1182
7	अनुसंधान संस्थान	1
8	औषधि परीक्षण प्रयोगशाला	1
9	फार्मास्युटिकल साइंस कॉलेज (बी–फार्मेसी आयुर्वेद)	1
10	यूनानी स्वास्थ्य केंद्र	3
11	होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र	14
12	अमची क्लीनिक	4
13	आयुर्वेदिक फार्मेसी	3
कुल		1245

पोशन अभियान के तहत एनीमिया की रोकथाम के लिए एक परियोजना महिला और बाल विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित तीन विकास खंडों में चलाई जा रही है:

क) बंगाना जिला ऊना
ख) भोरंज जिला हमीरपुर
ग) तिस्सा जिला चंबा

हर्बल संसाधनों का विकास:

13.36 राज्य के विभिन्न कृषि–जलवायु क्षेत्रों में औषधियों के सवंर्धन एवं संरक्षण हेतु चार हर्बल गार्डन स्थापित हैं:

क) जोगिंद्रनगर (जिला मंडी)
ख) नेरी (जिला हमीरपुर)
ग) दुम्रेडा (जिला शिमला)
घ) जंगल झलेरा (बिलासपुर)

आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, भारत सरकार ने औषधीय पादप क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आई. एस.एम., जोगिन्द्रनगर, जिला मंडी में अनुसंधान संस्थान में उत्तर भारत के लिए क्षेत्रीय–सह–सुविधा केंद्र की स्थापना और वित्त पोषण किया है।

समाज कल्याण कार्यक्रम

समाज कल्याण एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

13.37 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, दिव्यांग बच्चों, विधवाओं तथा अक्षम बच्चे व महिलाओं के सामाजिक कल्याण हेतु निम्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है:

सारिणी–13.10
राज्य के समाज कल्याण कार्यक्रम

योजनाएं	पात्रता शर्तें	राशि (₹)
वृद्धावस्था पैंशन	1. वे बुजुर्ग जिनकी आयु 60 से 70 वर्ष है और जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से कम है। 2. वे बुजुर्ग जिसकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो और बीना किसी आय सीमा के।	850 प्रति माह 1500 प्रति माह
दिव्यांग राहत भत्ता	1. जिनकी 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता तथा आय ₹35,000 प्रतिवर्ष से कम है 2. जिनकी 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता है।	850 प्रति माह 1500 प्रति माह
विधवा/परित्यक्त/एकल नारी पेंशन	45 वर्ष से अधिक की महिला जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 प्रति वर्ष से कम है।	850 प्रति माह
लेपर्स को पुनर्वास भत्ता	कुष्ठ रोगी के लिए उम्र और वार्षिक आय की किसी सीमा के बिना।	850 प्रति माह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (बी.पी.एल.)	1. 60 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 से कम है 2. 70 वर्ष से अधिक आयु और आय की बिना किसी सीमा से।	850 प्रति माह 1500 प्रति माह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	40 वर्ष से अधिक की आयु की विधवाएं जो बी.पी.एल. से संबंधित हैं।	850 प्रति माह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन	18 वर्ष से अधिक आयु के 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले और बी.पी.एल. से संबंधित हैं।	1500 प्रति माह

13.38 विभाग तीन निगमों द्वारा जोकि हि.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हि.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति विकास निगम को स्वंय रोजगार योजनाएं चलाने हेतु निवेश शीर्ष के अर्न्तगत् राशि उपलब्ध करवा रहा है। इन निगमों के लिए वर्ष 2019–20 के लिए ₹12.52 करोड़ के बजट का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति/जन–जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण

अनुसूचित जाति उपयोजना

13.39 अनुसूचित जातियों के संबंध में आर्थिक विकास का दृष्टिकोण क्षेत्रीय आधार पर नहीं है जबकि जन–जातीय उप योजना क्षेत्रीय आधार पर है। यद्यपि अनुसूचित जाति समुदाय के लोग सामान्य योजना एवं जन–जाति उप–योजना में भी लाभान्वित हो रहे हैं फिर भी विशेष तौर पर व्यक्तिगत लाभ के कार्यक्रम और अनुसूचित बहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशेष लाभकारी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। राज्य योजना के कुल बजट का 25.19 प्रतिशत अनुसूचित उप–योजना के लिए अलग से प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, राज्य के एस.टी./एस.सी., ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

13.40 वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं:–

सारिणी–13.11
एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. एवं अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए राज्य की विभिन्न योजनाएं

योजनाएं	संक्षिप्त विवरण
अंतर्जातीय विवाह के लिए पुरस्कार	अंतर्जातीय विवाह के लिए ₹50,000 का पुरस्कार दिया जा रहा है।
आवास सब्सिडी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं और विधवा को जिनकी आय ₹35000 से अधिक नहीं है, ₹1,30,000 प्रति परिवार घर निर्माण के लिए और ₹25,000 घर की मुरम्मत के लिए दिए जाते हैं ।
कंप्यूटर में प्रशिक्षण और प्रवीणता	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, दिव्यांग, एकल महिला और विधवा या जिनकी वार्षिक आय ₹2.00 लाख से कम है, ₹1350 प्रति माह और दिव्यांगो के लिए ₹1500 राशि प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं।
एस.सी./एस.टी. पर अत्याचार के पीड़ितों को मुआवजा	एस.सी./एस.टी. अत्याचार के शिकार लोगों को ₹85,000 से ₹8.25 लाख तक की राहत प्रदान की जाती है।
दिव्यांगो के लिए छात्रवृत्ति	उन सभी श्रेणियों के बच्चों के लिए जिनकी विशेष क्षमता 40 प्रतिशत है, लेकर यह छात्रवृति ₹625 से ₹3,750 तक दी जाती है।
दिव्यांग व्यक्तियों के साथ विवाह करने वाले को विवाह अनुदान	सक्षम युवा पुरुषों या लड़कियों को विशेष क्षमता वाले (40 प्रतिशत से कम दिव्यांग नहीं) के साथ शादी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ₹25,000 से ₹50,000 दिए जाते हैं।
स्व–रोजगार	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम द्वारा 40 प्रतिशत और उससे अधिक की विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों को उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संस्थान	दृष्टिहीन और श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा और व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य में ढल्ली और सुंदरनगर में दो संस्थान स्थापित किए गए हैं।
दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (DDRCs)	दो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र क्रमशः डीआरडीए हमीरपुर और भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, धर्मशाला के माध्यम से चलाए जा रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास

महिला एवं बाल विकास के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं।

नारी सेवा सदन मशोबराः

13.41 इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवा लड़कियों, विधवा, बेसहारा तथा निराश्रय महिलाएं तथा जिनको नैतिक खतरा हो को निःशुल्क आश्रय, खाद्य, कपड़ा, शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है। वर्तमान में नारी सेवा सदन मशोबरा में 34 महिलाएं व 2 बच्चे रह रहे है। महिलाओं को सदन छोड़ने

पर पुर्नवास के लिए ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है और शादी करने के लिए उसे ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

वन स्टॉप सेन्टर :

13.42 वन स्टॉप सेन्टर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ही छत के नीचे निजी और सार्वजनिक स्थानो में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करना है तथा महिलाओं के खिलाफ हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए चिकित्सकीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित कई सेवांए तत्काल आपातकालीन और गैर आपातकालीन स्थितियों में प्रदान करना है।

महिला शक्ति केन्द्र

13.43 महिला शक्ति केन्द्र योजना "बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं" के अन्तर्गत जिला ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, मण्डी तथा खण्ड स्तर पर चम्बा में स्वीकृत किए गए है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाना है। कालेज के छात्र स्वंय सेवकों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता से महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों के साथ–साथ सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरुकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगें।

राज्य में चल रही योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे सारणी–13.12 में दिया गया है:

सारणी–13.12

महिला, बाल एवं लड़कियों के कल्याण के लिए राज्य की विभिन्न योजनांए

योजनाएँ	संक्षिप्त विवरण
बाल संरक्षण योजना	राज्य में 45 चाइल्ड केयर संस्थान हैं, जिनमें 38 चिल्ड्रन होम, 2 ऑब्जर्वेशन होम–कम–स्पेशल होम एवं होम–कम–प्लेस ऑफ सेफ्टी, 4 ओपन शेल्टर और 1 शिशु गृह शामिल हैं।
मुख्मंत्री बाल उद्धार योजना	उच्च/व्यावसायिक शिक्षा के लिए बाल देखभाल संस्थानों को छोड़ने के बाद बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
बाल/बालिका सुरक्षा योजना और दत्तक देखभाल कार्यक्रम	बच्चों के रखरखाव के लिए दतक माता–पिता के पक्ष में ₹2,000 प्रति माह प्रति बच्चे की राशि मंजूर की जाती है और ₹300 प्रति बच्चा प्रति माह राज्य से अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
समग्र बाल विकास सेवाएं	विभाग, केन्द्र और राज्य के (90:10) अनुपात के आधार पर पूरक पोषण, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच रेफरल सेवा और गैर–औपचारिक पूर्व–विद्यालय शिक्षा प्रदान कर रहा है।
अनुपूरक पोषण कार्यक्रम	आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं और बीपीएल किशोरियों को केन्द्र और राज्य (90:10) के अनुपात में पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	इस कार्यक्रम के तहत बेसहारा लड़कियों के अभिभावकों को उनकी शादी के लिए ₹51,000 का अनुदान दिया जा रहा है, बशर्ते उनकी वार्षिक आय ₹35,000 से अधिक न हो।
महिलाओं के लिए स्वरोजगार सहायता	इस योजना के तहत 35,000 से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को 5,000 आय सृजन करने वाली गतिविधियों को चलाने के लिए प्रदान किया जाता है।
विधवा पुनः विवाह योजना	योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा पुनः विवाह के बाद पुनर्वास में मदद करने के लिए है।
मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना	इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने बच्चों के रखरखाव के लिए BPL से संबंधित निराश्रित महिलाओं को प्रति वर्ष ₹6,000 प्रति बच्चे की सहायता प्रदान की

	जाती है।
विशेष महिला उत्थान योजना	यह 100 प्रतिशत राज्य योजना है जिसमें शारीरिक और यौन शोषित महिलाओं के प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए 3,000 दिए जाते हैं।
बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना	इस योजना को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर ऊना, सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर और मंडी जिलों में लागू किया गया है, जिसमें लैंगिक पक्षपातपूर्ण चयनात्मक उन्मूलन को रोकना है।
बेटी है अनमोल योजना	इस योजना के तहत ₹12,000 की पोस्ट बर्थ ग्रांट केवल दो लड़कियों को प्रदान की जाती है जो बीपीएल परिवारों से संबंधित हैं और उनकी शिक्षा के लिए पहली कक्षा से स्नातक स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
किशोरियों के लिए योजना	इसका उद्देश्य 11–14 साल की उम्र की स्कूली किशोरियों को औपचारिक स्कूली शिक्षा या ब्रिज लर्निंग में वापस लाने के लिए, केन्द्र और राज्य के (90:10) के आधार पर उनकी पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच केन्द्र और राज्य में (90:10) अनुपात के आधार पर ₹5,000 प्रोत्साहन प्रदान करती है।
शशक्त महिला योजना	यह योजना 11–45 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है और ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने और उनके अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने और उन्हें अपने अधिकार का एहसास करने और उन्हें पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए संस्थागत समर्थन की सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है।

सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेश

13.44 इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं / किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए नीतियों, सुरक्षा से सम्बन्धित कृत्यों नियमों, नीतियों और कार्यक्रमों तथा उत्थान एंव सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा बालिकाओं/ किशोरियों के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने हेतु सुझाव देना है।

हिमाचल प्रदश में सामाजिक क्षेत्र के खर्च के प्रवाहः

13.45 सामाजिक सेवा क्षेत्र पर खर्च में वृद्धि सरकार की सामाजिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी. पी.) के अनुपात के रूप में राज्य द्वारा सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य) पर व्यय 2014–15 से 2019–20 (अग्रीम अनुमान–ए) की अवधि के दौरान बढ़कर 7.68 प्रतिशत से 9.16 प्रतिशत हो गया। इस अवधि के दौरान सभी सामाजिक क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। शिक्षा के लिए वृद्धि इसी अवधि में 4.12 प्रतिशत से बढ़कर 4.75 प्रतिशत और स्वास्थ्य के लिए 1.25 से 1.66 प्रतिशत हो गई। कुल बजटीय व्यय में से सामाजिक सेवाओं पर व्यय का भाग भी 25.73 प्रतिशत (सारणी–13.13) से बढ़कर 34.14 प्रतिशत हो गया।

सारणी–13.13
राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवा क्षेत्र के खर्च में प्रवाह

संकेतक	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18 (SR)	2018–19 (FR)	2019–20 (A)
(लाख में)						
कुल बजटीय व्यय	3099394	2957820	3607578	3481120	4362517	4438773
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	797349	877194	1065099	1147151	1441230	1515620
जिसमें सेः						
i) शिक्षा	427483	443144	524091	604066	733923	785854
ii) स्वास्थ्य	129945	141739	178685	200583	264405	275173
iii) अन्य	239921	292309	362323	342501	442903	454593
जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में						
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	7.68	7.68	8.48	8.29	9.37	9.16
जिसमें सेः						
i) शिक्षा	4.12	3.88	4.17	4.37	4.77	4.75
ii) स्वास्थ्य	1.25	1.24	1.42	1.45	2.72	1.66
iii) अन्य	2.31	2.56	2.88	2.48	2.88	2.75
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में						
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	25.73	29.66	29.52	32.95	33.03	34.14
जिसमें सेः						
i) शिक्षा	13.79	14.98	14.53	17.35	16.82	17.70
ii) स्वास्थ्य	4.19	4.79	4.95	5.76	6.06	6.19
iii) अन्य	7.74	9.88	10.04	9.83	10.15	10.24
सामाजिक सेवाओं के प्रतिशत के रूप में						
i) शिक्षा	53.61	50.52	49.21	52.66	50.92	51.85
ii) स्वास्थ्य	16.34	16.16	16.78	17.48	18.35	18.16
iii) अन्य	30.09	33.32	34.02	29.86	30.73	29.99

स्त्रोतः राज्य सरकार के बजट दस्तावेज

नोटः1. सामाजिक सेवाएंः जैसे शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, एस. सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का कल्याण, श्रम और श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, पोषण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत आदि शामिल हैं।

2. शिक्षा पर व्ययः जैसे शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर व्यय से संबंधित है।
3. स्वास्थ्य पर व्ययः जैसे चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और जल आपूर्ति और स्वच्छता इत्यादि।
4. बाजार की प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में अनुपात आधार वर्ष 2011–12 पर आधारित हैं। वर्ष 2019–20 के लिए जी.डी.पी. पहले अग्रिम अनुमान

ग्रामीण विकास और पंचायती राज

14 अध्याय

ग्रामीण विकास

14.1 ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन तथा क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है। राज्य में निम्नलिखित राज्य तथा केंद्रीय प्रायोजित विकासात्मक योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:–

दीनदयाल अन्तोदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAYNRLM)

14.2 यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका मुख्य उददेश्य गरीबी का उन्नमूलन करना व लाभकारी रोजगार का आश्वासन देना व उनको कौशल के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह अभियान सम्पूर्ण प्रदेश के 50 गहन विकास खण्ड़ों में कार्यान्वित किया जा रहा है। शेष बचे विकास खण्डों में इसका कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्न है:

1 ग्रामीण क्षेत्र के स्वंय सहायता समूह की महिलाओं की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न व्यापार में प्रशिक्षण देकर आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना।

2 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत् समस्त ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके आजीविका अर्जन की गतिविधियों से जोड़ना है।

3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा महिला स्वंय सहायता समूहों को वैतनिक रोजगार उपलब्ध करवाना।

4 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाऐं रोजगार के माध्यम जैसे सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) तथा पेशेवर संसाधन व्यक्ति (PRPs) बन कर आजीविका अर्जन कर रही है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत् लगभग 18000 महिला स्वंय सहायता समूह बने है। पोर्टल पर पंजीकरण के उपरान्त यह महिला स्वंय सहायता समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत पूंजी लाभ अर्जित करते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि:–

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत् महिला स्वंय सहायता समूहों को 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर ₹3.00 लाख का ऋण दिया जाता है। इस योजना को दो प्रकार के जिलों में बांटा गया है।
- वर्ग–1 में कांगडा, मण्ड़ी, शिमला तथा ऊना जिले आते है।
- वर्ग–2 में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लु, लाहौल स्पीति, सिरमौर व सोलन जिले आते है। (राज्य सरकार के अन्तर्गत एच.पी.एस.आर.एल.एम.)

- अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत् ₹62.49 लाख ब्याज के रुप में दिये जा चुके है।

परिक्रमा राशि व सामुदायिक निवेश के रूप में दिये जाने वाले अनुदान

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत महिलाओं के स्वंय सहायता समूहों उच्चस्तरीय महासंघों (ग्राम संगठनों और क्लस्टर/खण्ड स्तर महासंघ) का गठन किया गया हे। गठन के तीन महीने बाद प्रदर्शन के आधार पर सवयं सहायता समूह को यदि वह नियमित रुप से मीटिंग, बचत, आन्तरिक ऋण, पुर्नभुगतान तथा उचित रिकॉर्ड रखता है को ₹15 हजार रिवल्विंग फंडस प्रदान किए जाते हैं।
- हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने ₹11.40 करोड़ 6,767 से अधिक स्वंय सहायता समूहों को परिक्रमा राशि के रुप में वितरित किये हैं।

प्रारंभिक राशि

- प्रारंभिक राशि ₹2500.00 तक स्वंय सहायता समूहों व ग्राम संगठनों को गठन के तदोपरान्त प्रदान की जाती है।
- हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने वर्ष 2018–19 से प्रारम्भिक राशि स्वयं सहायता समूहों तथा ग्राम संगठनों को वितरित करनी प्रारम्भ की अब तक ₹42.14 लाख ₹1,577 स्वंय सहायता समूहों व ₹46. 20 लाख 103 ग्राम संगठनों को प्रारंभिक राशि के रूप में दिये जा चुके है।

परिक्रमा राशि

- दस से पन्द्रह हजार रु0 की राशि उन स्वंय सहायता समूहों को दी जाती है जो गठन के बाद 3 माह से पंचसूत्रों का पालन कर रहे हों ।

सामुदायिक निवेश निधि

- सामुदायिक निवेश निधि ₹50 हजार से ₹1.10 लाख तक उन स्वंय सहायता समूहों को प्रदान की जाती है जो गठन के बाद 6 माह से अपनी जमा पूंजी व परिक्रमा राशि से सदस्यों को ऋण प्रदान कर रहे हो । यह राशि स्वंय सहायता समूहों को ऋण के रूप में ग्रम संगठन के माध्यम से प्रदान की जाती है।
- 130 ग्राम संगठनों को अच्छा कार्य करने के लिए ग्राम संगठन के अन्तर्गत लिया गया है तथा ₹4.9 करोड़ की अतिरिक्त राशि सामुदायिक राशि निधि के रुप में प्रदान की गई।

आजीविका उत्थान

- इस वर्ष के प्रारम्भ से हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने 16,000 स्वंय सहायता समूहों को चिन्हित किया है जो कि विभिन्न आजीविका उत्थान की गतिविधियों में संग्लन है। हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने कृषि भूमि से होने वाली आजीविका को बढ़ाने का कार्य शुरू किया है जिसमें शुन्य आधारित प्राकृतिक खेती के अभिसरण में व्यापक गुन्जाईश है।
- इन स्वंय सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाये गए उत्पाद को हिम –इरा नाम के

बरांड के अन्तर्गत् बेचा जा रहा है। यह बरांड जून, 2019 में बनाया गया जिसके अन्तर्गत् महिलाओं को ₹53.00 लाख की कमाई हो चुकी है।

आजीविका मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2019–20, दिसम्बर, 2019 तक जिलावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के अन्तर्गत उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:–

सारणी 14.1
वर्ष 2019–20 में आजीविका मिशन के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

जिला का नाम	स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य	उपलब्धियां	परिक्रमा राशि का लक्ष्य		परिक्रमा राशि की उपलब्धियां	
			एस.एच.जी. की संख्या	राशि (₹लाख)	एस.एच.जी. की संख्या	राशि (₹लाख)
1	2	3	4	5	6	7
बिलासुपर	85	180	137	13.7	94	14.10
चम्बा	385	230	675	67.5	140	26.25
हमीरपुर	145	169	235	23.5	138	31.10
कांगड़ा	445	382	533	53.3	316	49.20
किन्नौर	145	65	283	28.3	55	12.30
कुल्लू	205	195	333	33.3	122	23.35
लाहौल स्पिति	85	6	185	18.5	0	0
मण्डी	385	615	482	48.2	149	18.25
शिमला	205	341	284	28.4	228	43.90
सिरमौर	145	133	234	23.4	99	16.35
सोलन	145	261	235	23.5	107	17.85
ऊना	205	176	284	28.4	103	21.25
कुल योग	2580	2753	3900	390.0	1551	273.9

सारणी 14.1

समुदायिक निवेश का लक्ष्य		समुदायिक निवेश की उपलब्धियां		ऋण का लक्ष्य (₹लाख में)	ऋण वितरित किया गया (₹लाख में)
एस.एच.जी. की संख्या	राशि (₹लाख)	एस.एच.जी. की संख्या	राशि (₹लाख)		
8	9	10	11	12	13
31	15.50	23	17.85	303.33	166.79
126	63.0	0	0.00	650.00	252.22
50	25.0	5	2.50	487.50	124.80
144	72.0	0	0.00	1300.00	1409.20
49	24.5	0	0.00	130.00	32.62
69	34.5	30	25.15	243.75	267.82
31	15.5	0	0.00	97.50	0.00
125	62.5	71	49.40	1038.00	2009.40
68	34.0	24	12.00	942.50	667.78
50	25.0	0	0.00	400.83	318.19
49	24.5	17	7.85	406.25	189.00
68	34.0	0	0.00	487.50	384.07
860	430.0	170	117.80	6487.16	5821.89

दीनदयाल उपाध्यय ग्रामीण कौशल योजनाः

14.3 दीनदयाल उपाध्यय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत् कौशल विकास के लिए चलाई जा रही एक महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल प्रदान करना और न्यूनतम मजदूरी या उससे ऊपर नियमित मासिक वेतन प्रदान करने वाली नौकरियां प्रदान कराना है।

डी.डी.यू. जी.के.वाई. के अन्तर्गत लाभार्थीः

- डी.डी.यू. जी.के.वाई. के लिए लक्ष्य 15–35 आयु वर्ग के गरीब ग्रामीण युवा हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार के सदस्य कौशल कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए पात्र होगें।
- मनरेगा श्रमिक परिवार के युवा जिनके परिवार के किसी सदस्य द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 15 दिन काम किया हो।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड धारक युवा जहां कार्ड में युवाओं के विवरण का उल्लेख किया गया है।
- उन परिवारों के युवा जिन्हें अंत्योदय अन्न योजना/बीपीएल/पीडीएस कार्ड जारी किए गए हैं।
- ऐसे परिवार के युवा जिनके परिवार का सदस्य एन.आर.एल.एम. के तहत स्वंय सहायता समूह का सदस्य है।
- समाजिक आर्थिक जाति की जनगणना 2011 के अनुसार स्वतः समावेशन मानदण्डो के अन्तर्गत् पात्र युवा भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ ले सकेंगें।

योजना का लाभ

- परियोजना के अन्तर्गत् यह आश्वासन दिया गया है कि 70 प्रतिशत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा।
- योजना के अन्तर्गत् निःशुल्क प्रशिक्षण एवं निःशुल्क आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाती है।
- कोर्स की अवधि 3–12 महीने है।

पहल की गई :–

- वास्तविक समय के आधार पर उम्मीदवारों के प्रशिक्षण और नियुक्ति की संभावना को मॉनिटर करने के लिए MRIGS पोर्टल को अपनाना।
- राज्य स्तरीय Allumni-cum-Cxo(मुख्य कार्यकारी अधिकारी) आयोजित करवाई गयी जिसमें 120 उम्मीदवारों और 20 नियोक्ताओं ने भाग लिया।
- बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ एसोसिएशन में एक दिवसीय औद्योगिक मन्त्रणा आयोजित करवाई गई।

सारणी 14.2
डी.डी.यू.–जी.के.वाई. की वर्ष 2019–20 तथा 2017–20 की स्थिति

वर्ष	कुल नामांकित प्रशिक्षुओं की संख्या	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षु जिन्हें नौकरी प्रदान की गई	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षु जिन्होंने नौकरियों पर 3 महीने पूर्ण कर लिए हैं
2019–20	1863	1671	773	668
2017–20	6474	4636	1985	1178

वाटरशैड विकास कार्यक्रम

14.4 ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित बंजर भूमि/पतित भूमि विकास, सूखा ग्रस्त क्षेत्र विकास तथा मरूस्थल क्षेत्र के विकास हेतु भूमि विकास, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में जलागम विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मन्त्रालय के आदेश की तिथि के अनुसार यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्य के बीच 90:10 के वित्त पोषण आधार पर लागू किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2019–20 माह दिसम्बर, 2019 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई प्रगति नीचे दर्शाई गई है:–

सारणी 14.3

(₹करोड़ों में)

वर्श के दौरान प्राप्त राशि					वित्तीय उपलब्धियां		भौतिक उपलब्धियां	
1.4.19 को प्रारम्भिक शेष	केन्दीय भाग	राज्य भाग	विविध प्राप्ति	योग	व्यय की राशि	शेष राशि	क्षेत्र जो उपचारित (हैक्टेयर)	कार्य दिवस अर्जित
60.46	0.00	0.00	0.31	60.77	7.68	53.09	3,348	87,365

प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.जी.)

14.5 इस योजना का उद्देश्य 2,022 तक सभी बेघरों एवं कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को आधारभूत सुविधा युक्त घर प्रदान करना है, साफ सुथरा खाना बनाने के स्थान सहित लघुतम ईकाई के क्षेत्र को 20 वर्ग मी0 से बढ़ाकर 25 वर्ग मी0 कर दिया गया है। पहाड़ी एवं कठिन स्थानों में नये मकान के निर्माण हेतु सहायता राशि ₹75,000 प्रति परिवार से बढ़ाकर ₹1.30 लाख कर दी गई है। इस योजना में लाभार्थियों के चयन का आधार सामाजिक एवं आर्थिक जाति जनगणना–2011 के आंकड़ो से बनाया गया है। 900 आवासों में से दिसम्बर, 2019 तक 759 लाभार्थी स्वीकृत किए गए है व 65 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं।

प्रदेश सरकार की आवासीय योजनाएं

14.6 निम्नलिखित सभी आवासीय योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं:

i) मुख्यमन्त्री आवास योजना

यह योजना वर्ष 2016–17 में पहली बार सामान्य श्रेणी के बी0पी0एल0 परिवारों के लिए आरम्भ की गई, परन्तु पिछले वित्त वर्ष 2018–19 में इस योजना को सभी बी0पी0एल0 श्रेणियों के लिए आरम्भ किया गया। चालू वित्त वर्ष 2019–20 में ₹12.49 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है जिसके द्वारा सभी श्रेणियों के 558 आवासों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

ii) मुख्यमन्त्री आवास मुरम्मत योजना

इस योजना में चालू वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान ₹4.76 करोड़ की राशि के प्रावधान के साथ कुल 1358 आवासों की मुरम्मत की जा रही है। इस योजना में लाभार्थियों का चयन सम्बन्धित एस0डी0एम0 की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा किया जाता है जिसमें सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सहायक अभियन्ता (विकास) सदस्य नामित किये गए है।

संसद आदर्श ग्राम योजना

14.7 इस योजना का मुख्य लक्ष्य निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना है। इस योजना का उद्देश्य आबादी के सभी वर्गो के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में उन्नत बुनियादी सुविधाओं, अधिकतम उत्पादकता, बेहतर मानव विकास, बेहतर आजीविका के अवसर, असमानता में कमी द्वारा पर्याप्त रूप से सुधार लाना है। हिमाचल प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन के दूसरे मुख्य चरण में प्रदेश में अभी तक केवल एक ही सांसद द्वारा आदर्श ग्राम पंचायत का चयन किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

मान्नीय सांसद का नाम सर्व श्री / श्रीमती	आदर्श ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड का नाम	जिले का नाम	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम
अनुराग ठाकुर	छतरा	ऊना	ऊना	हमीरपुर (दूसरा चरण)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशनः

14.8 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM) को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 21 फरवरी, 2016 को लॉच किया गया था। राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (SPMRM) का उददेश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित रूर्बन समूह बनाना है । इस योजना के अन्तर्गत् परिकल्पित परिणाम निम्न हैं।

- आर्थिक तकनीकी सुविधाओं और सेवाओं द्वारा ग्रामीण–शहरी विभाजन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने पर जोर देने के साथ स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
- क्षेत्र में विकास का प्रसार।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मत्रालय द्वारा 6 कलस्टर स्वीकृत किए गए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:

जिला का नाम	कलस्टर	ग्राम पंचायतें	चरण	स्वीकृति की तिथि
किन्नौर	सांगला	बतसरी,चांनसु, छितकुल, कामरू रकछम, सांगला, तिमग्रमा।	I	मार्च, 2016
सोलन	हिन्नर	बनजानी, चैल, डंगगील, हिन्नर, झाझा, सकोली	I	मार्च, 2016
मण्ड़ी	ऑट	ऑट, झिरी, कोटाधार, नगवाई, किगश, टकोली,	II	अक्तूबर, 2016
किन्नौर	मोरंग	मोरंग, थांगी, रिसबा, कुन्नु, चराग	II	अगस्त, 2017
चम्बा	सिंहुता	हाटली, बलाना, गोला, थुलेल	III	अगस्त, 2017
शिमला	घणाहटी	नेरी, चैली, टुटू, मजठाई, बायचरी, घणाहट्टी, गनोग, नेहरा, शकराह	III	अगस्त, 2017

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

14.9 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)–कार्यक्रम का प्रारम्भ 02–10–2014 को किया गया जिसके माध्यम से वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जिला–वार भौतिक प्रगति दिसम्बर, 2019 तक निम्न प्रकार से है:

क्र. सं.	जिला का नाम	निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसर की संख्या	ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन
1	बिलासपुर	32	4
2	चम्बा	12	50
3	हमीरपुर	0	23
4	कांगड़ा	16	3
5	किन्नौर	23	5
6	कुल्लू	4	17
7	लाहौल–स्पिति	23	14
8	मण्डी	190	8
9	शिमला	26	2
10	सिरमौर	105	5
11	सोलन	31	4
12	ऊना	32	4
	कुल	494	139

राज्य पारितोषिक योजनाएं:

महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना

14.10 वर्ष 2008 से महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना उन सक्रिय महिला मण्डलों को पुरस्कृत करने के लिए लागू की गई है, जिनका उद्देश्य स्वच्छता के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करना है। वर्ष 2019–20 में ₹193.00 लाख की प्रोत्साहन राशि उन महिला मण्डलों के लिए जारी की गई जिन्होने अपने ग्राम, वार्ड और ग्राम पंचायत में स्वच्छता के लिए योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार अच्छा कार्य किया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

14.11 भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को अधिसूचित किया गया।

वर्ष 2019–20 में भारत सरकार द्वारा ₹479.16 करोड़ तथा प्रदेश सरकार के राज्य हिस्से के रूप में ₹39.22 करोड़ रोजगार गारंटी फंड में जमा किए जा चुके हैं तथा प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ₹468.36 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं तथा 4,47,773 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवा कर 181.74 लाख़ कार्य दिवस अर्जित किये गए हैं।

पंचायती राज

14.12 वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषदें, 78 पंचायत समितियां तथा 3,226 ग्राम पंचायतें गठित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं का वर्तमान में पांचवां कार्यकाल है।

14.13 ग्राम पंचायतों को भूमि मालिकों/सही धारकों से भू–राजस्व एकत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा एकत्रित राशि के उपयोग करने के बारे ग्राम पंचायत स्वयं निर्णय लेगी। पंचायतों को विभिन्न प्रकार के कर, फीस तथा जुर्माना अधिरोपित करने तथा आय अर्जित करने वाली परिसम्पतियों के निर्माण हेतु ऋण लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पंचायतों को योजना बनाने के लिए भी अधिकृत किया गया है। मोबाईल टावर लगाने एवं शुल्क अधिरोपित करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्राधिकृत किया गया है। ग्राम पंचायतों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के लिए आवेदन की सुनवाई/निर्णय तथा ₹500 प्रतिमाह तक भरण पोषण भत्ता प्रदान करने हेतु आदेश देने की भी शक्ति दी गई है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में ₹1.00 प्रति बोतल की दर से शराब की बिक्री पर उपकर ग्राम पंचायतों को हस्तातंरित किया गया है और इससे प्राप्त निधि को वह विकासात्मक कार्यों पर व्यय कर सकेगी।

14.14 यह अनिवार्य किया गया है कि कृषि, पशु–पालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, राजस्व और कल्याण विभाग के गांव स्तर पर कार्यरत कर्मी उस ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेगें जिसकी अधिकारिता में वे तैनात हैं।

14.15 पंचायती राज से सम्बन्धित अन्य प्रमुख प्रावधान निम्न हैं:–

i) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को, पंचायत से सम्बन्धित कार्य के लिए, दैनिक एवं यात्रा भत्तों हेतु अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

ii) राज्य सरकार ने सरकारी विश्राम गृहों में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के पदाधिकारियों को कार्यालय सम्बन्धित यात्रा के दौरान ठहरने की सुविधा प्रदान की है।

iii) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान (आर.जी. एस.ए.) के अन्तर्गत् ग्राम पंचायत घर के निर्माण/मुरम्मत/उन्नयन के लिए 50 ग्राम पंचायतों को ₹2.50 करोड़ (₹5.00 लाख प्रति पंचायत) जारी किए गए है। इसके अतिरिक्त 50 ग्राम पंचायतों को सामान्य सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए ₹2.50 करोड़ (₹5.00 लाख प्रति पंचायत) जारी किए गए है।

iv) मिशन मोड परियोजना के अन्तर्गत (ई/पंचायत योजना) 12 कोर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पंचायतों के लिए बनाई है। पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों के लिए इन एप्लीकेशनों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण भी पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं ने पहले से ही इन एप्लीकेशनों का उपयोग करना शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2019–20 में विभिन्न विषयों पर 26,488 पंचायती राज प्रतिनिधियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

आवास और शहरी विकास

15 अध्याय

आवास

15.1 हिमाचल प्रदेश सरकार के आवास मंत्रालय के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवम् शहरी विकास प्राधिकरण, हिमुडा आम जनता को सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के मकान, फ्लैट और विकसित प्लाट प्रदान कर रहा है ।

15.2 वित्त वर्ष 2019–20 के लिए हिमुडा द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों के लिए ₹158.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2019 तक ₹57.72 करोड़ का व्यय हो चुका है। वित्त वर्ष के दौरान 255 फ्लैटों, 13 मकानों और 92 रिहायशी प्लाट विभिन्न श्रेणीयों के लिए विकसित करने का लक्ष्य है। जिसमें से 24 भवनों का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 2019–20 में विभिन्न विभागों के द्वारा 50 भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से 19 भवनों का निर्माण किया जा चुका है।

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जमा राशि के निर्माण कार्य को कार्यान्वित करता है। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जेल पुलिस, युवा सेवाएं तथा खेल, पशुपालन, शिक्षा मत्स्य पालन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, हिमाचल बस अड्डा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज और आयुर्वेद विभाग प्रमुख हैं।

15.3 ठियोग, फलावरडेल, सन्जौली, मन्धाला परवाणु, जुरजा (नाहन) तथा भटोलीखुरद (बद्दी) में आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और छवगरोटी, फ्लावरडेल और परवाणू की कॉलोनियों का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। हिमुडा के पास हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 1,321 वीघा भूमि है।

15.4 हिमुडा की पहलः

i) भूमि मालिकों को राज्य में आवास बस्तियों के विकास कार्यों में भागीदार बनाने के लिए नीति अधिसूचित की गई है।

ii) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर विभिन्न कलौनियों में मकान/फ्लेट/प्लाटों के आवंटन की योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत्, विगत वर्षों में विक्रय न होने वाली उक्त संपतियों को निश्चित मूल्य पर बेचा जा रहा है ।

iii) भूमि/अतिरिक्त भूमि के आवंटन के लिए नीति अधिसूचित की गई है।

iv) हिमुडा को आवास बस्तियों में आवंटित बूथ और दुकानों के ऊपर तीसरी मंजिल के निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त प्रीमियम की एक नीति बनाई है ।

15.5 हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पायलट परियोजना के रुप में धर्मशाला में वृत कार्यालय के (उतर क्षेत्र) भवन का निर्माण नवीनतम ई. पी.एस. तकनीक द्वारा रिर्काड समय चार महीनों के भीतर किया गया।

मानव हस्तक्षेप को कम करने के लिए और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण ने ई–गवर्नेस की दिशा में कदम बढ़ाया है और हिमुडा मुख्यालय में रिकार्ड डिजिटलाइज किया है, अब हिमुडा वेबसाइट आनॅलाईन आवेदन और उसके आवंटन की सुविधा के लिए ऑनलाईन वेब सक्षम सेवाओं के साथ कार्यरत हो गई है।

शहरी विकास

15.6 नगर निगम शिमला व धर्मशाला समेत कुल 54 शहरी स्थानीय निकाय है शहरी क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार प्रतिवर्ष इन शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान राशि प्रदान कर रही है। राज्य वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप दिसम्बर, 2019 तक सभी शहरी स्थानीय निकायों को ₹130.90 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

शहरी क्षेत्रों में सड़कों का रख–रखाव

15.7 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगभग 3,098 किलोमीटर सड़कें, रास्ते तथा गलियों का रख–रखाव किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में सडकों के रख–रखाव के लिए इस वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹12.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें से स्थानीय निकायों द्वारा सडकों गलियों तथा रास्तों की लम्बाई अनुसार रख–रखाव हेतु ₹3.56 करोड़ प्रदान किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन. यू.एल.एम.)

15.8 योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक आर्थिक एवं संस्थागत क्षमता विकास करते हुए प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार अवसर प्रदान करते हुए सतत तौर पर आजिविका साधनों को मजबूत करना है।

इस योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:–

i) कौशल प्रशिक्षण एवं प्लैसमेंट के माध्यम से रोजगार।
ii) सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास।
iii) क्षमता वर्धन एवं प्रशिक्षण।
iv) स्वरोजगार कार्यक्रम।
v) शहरी आवासहीनों के लिए आश्रय।
vi) शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता।
vii) प्रगतिशील एवं विशेष परियोजनाएं।

वित्त वर्ष 2019–20 में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹2.50 करोड़ केन्द्रीय तथा राज्य अनुदान का प्रावधान किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा ₹5.00 करोड की राशि अभी तक जारी की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत् अभी तक 179 स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं। 371 लाभार्थियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है

एवं 100 लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया है। लघु उद्यम स्थापित करने के लिए 125 लाभार्थियों तथा 65 स्वयं सहायता समूहों को कम व्याज पर ऋण प्रदान किया गया है। 23 नगर पंचायतों में लगभग 507 पथ विक्रेताओं को चिन्हित किया गया है।

शहरी रुपांतरण तथा पुनरावर्तन के लिए अटल मिशन(ए.एम.आर.यू.टी.)

15.9 वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस मिशन के लिए ₹55.00 करोड़ का बजट प्रावधान केन्द्र तथा राज्य अनुदान के रुप में किया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन (एस.सी.एम.)

15.10 वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस मिशन के लिए ₹100 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से ₹34.00 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी के कुल 74 परियोजनाओं में से 6 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है तथा 11 परियोजाओं का कार्य प्रगति पर है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

15.11 स्वच्छ, भारत अभियान (शहरी) भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है और भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय द्वारा सभी शहरी नगर निकायों में कार्यान्वित है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य
शहर/कस्बों को खुले में शौच मुक्त व नागरिकों को स्वस्थ और रहने योग्य वातावरण प्रदान करना है। राज्य में जन साधारण को जागरुक करने के लिए विभिन्न आई.ई.सी. गतिविधियां नियमित तौर पर संचालित की जा रही है। जागरुकता के लिए स्वच्छता पखवाड़ा, होर्डिंग/बैनर, नुक्कड़ नाटक, प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया, रैलियों का आयोजन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

15.12 'सबके लिए मकान' भारत सरकार द्वारा यह नई योजना शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू की गई है, जिसको 17.06. 2015 से 31.03.2022 तक लागू किया जाना है इस योजना का उद्देश्य शहरों को स्लम मुक्त करके उन्हें आवास में बसाना, निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के लिए ऋण आधारित सब्सिडी योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को बैंकों से ऋण उपल्बध करवाकर आवासों का निर्माण करना, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के माध्यम से आवासीय मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिवारों के लिए सुनिशचित करना है तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिवारो को स्वयं उनके द्वारा नए आवासों के निर्माण एवं मौजूदा आवास के सुधार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना सुनिशचित किया गया है। यह प्रावधान लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निमार्ण के लिए किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस योजना को लागू करने के लिए ₹35.20 करोड़ केन्द्रीय तथा राज्य अनुदान का प्रावधान किया गया है जिसमें से ₹1.74 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

14वें वित्तायोग अनुदान

15.13 14वें वित्तायोग के अन्तर्गत् शहरी स्थानीय निकायों को दो प्रकार के

अनुदान स्वीकृत किए है। सामान्य बुनियादी अनुदान जो कि बिना शर्त के प्रदान किया जा रहा है और दूसरा सामान्य निष्पादन अनुदान है जो कि वित्तायोग द्वारा सुझाई गई कुछ शर्तो को पूर्ण करने के उपरान्त जारी किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ₹61.74 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। सामान्य बुनियादी अनुदान की वित्तीय वर्ष 2018–19 की द्वितीय किश्त ₹17.92 करोड़ की राशि शहरी स्थानीय निकायों को इस वित्तीय वर्ष में जारी की जा चुकी है।

पार्किंग का निर्माण

15.14 शहरी स्थानीय निकायों में पार्किंग की समस्या के समाधान हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹5.50 करोड़ का बजट प्रावधान है जिसमें से ₹3.45 करोड़ की राशि 3 शहरी स्थानीय निकायों को पार्किंग के निर्माण हेतु जारी की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत् 50:50 के अनुपात में निधि जारी की गई है। (50 प्रतिशत अनुदान सरकार तथा 50 प्रतिशत भाग शहरी स्थानीय निकायों द्वारा खर्च किया जाना है)।

पार्कों का निर्माण

15.15 शहरी स्थानीय निकायों में चरणवद्ध तरीके से पार्को के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹5.50 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है जिसमें ₹0.85 लाख की राशि 02 शहरी स्थानीय निकायों को पार्कों के निर्माण के लिए जारी की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत् 60:40 के अनुपात में निधि जारी की गई है, जिसमें 60 प्रतिशत अनुदान सरकार तथा 40 प्रतिशत भाग सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा खर्च किया जाना है।

नगर एवम् ग्राम योजना

15.16 कार्यात्मक, आर्थिक, पर्यावरणीय सतत् और सौन्दर्यात्मक जीवन सुनिश्चित करने, पर्यावरण के संरक्षण, विरासत और मूल्यवान भूमि संसाधनों के सतत् विकास के माध्यम से हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 को 55 योजना क्षेत्रों (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1. 60 प्रतिशत) है और 35 विशेष क्षेत्र (राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.06 प्रतिशत) लागू किया गया है।

1. राज्य सरकार ने पत्र संख्या टी. सी. पी.–एफ.(5)–4/2019 दिनांक 10–10–2019 द्वारा राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए दिशा–निर्देशों का अनुमोदन किया है जोकि औद्योगिक निवेश नीति, 2019 के अन्तर्गत अनुमोदित किए गये हैं।
2. योजना अनुमति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में मानचित्र अनुमोदन प्रक्रिया और प्रलेखन को सरल बनाने के लिए नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम, 2014 में संशोधन का एक प्रस्ताव तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना (संशोधन) नियम, 2019 आम जनता के आपत्ति/सुझाव हेतु प्रकाशित किये थे। अब यह अधिसूचना जारी की जानी है जोकि सरकारी स्तर पर विचारधीन है।
3. वर्तमान में नगर एवं ग्राम योजना विभाग के पास मैदानी और पहाड़ी

क्षेत्रों के लिए एक समान नियम हैं जिनपर पुनर्विचार की आवश्यकता है। नगर एवं ग्राम योजना नियमों और विनियमों को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। जिसमें राज्य के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के 3 क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल हैं। राज्य स्तरीय कार्य समिति भू–पर्यावरण और साथ ही राज्य में प्रचलित सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पारंपरिक सामग्री और निर्माण प्रथाओं पर विचार करते हुए अधिक वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत ढंग से पूरे राज्य के लिए नियमों और विनियमों का प्रस्ताव करेगी।

4. 6 योजना/विशेष क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं जैसे धौलाकुंआ माजरा, जोगिन्द्रनगर, श्री चिंतपूर्णी, भोटा, भरमौर और नेरचौक के लिए विकास योजनाएं बनाने की तैयारी चल रही है।

नगर और ग्राम नियोजन विभाग द्वारा पहल

i) नगर एवं ग्राम योजना के नियमों एवं विनियमों का सरलीकरण करना।
ii) अनापति प्रमाण पत्र के बदले स्वयं घोषित पत्र।
iii) आर.ई.आर.ए. आवेदनों को विकसित किया गया है तथा पंजीकरण 30 दिनों के भीतर किये जा रहे हैं।
iv) सभी स्वीकृतियां 60 दिनों की अवधि में पूरी की जा रही हैं।
v) एम.एस.एम.ई. उद्यम विकास के लिए आवेदन करने वाली भूमि प्राप्त करने के उपरांत नगर एवं ग्राम योजना विभाग की वैधानिक स्वीकृति की प्रतिक्षा किए बिना भौतिक कार्य शुरु कर सकता है।

एकल खिड़की प्रणाली

लोगों की सुविधा के लिए उनके द्वारा नियोजित अनुमति के मामलो को प्राप्त करने हेतू नगर पालिका के साथ साथ नगर एवं ग्राम योजना विधानों के अन्तर्गत् अधिकांश नगर निगम क्षेत्रों में एकल खिड़की प्रणाली शुरु की गई थी।

व्यवसाय करने में आसानी

भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग के **ईज ऑफ डूईंग बिजनेस** मानकों के अनुसार नगर एवं ग्राम योजना और शहरी विकास विभाग की उपलब्धि 19 मानकों के अनुसार 94 प्रतिशत रही है जोकि 15 विभागों में से सर्वोच्च स्थान पर है।

विभाग द्वारा जारी ऑनलाईन वेब सेवा पोर्टल निम्न प्रकार से है:–

क) जी 2 सी मॉडल जैसे ऑनलाईन आवेदन जमा करना, ऑनलाईन भुगतान करना, स्टेटस की ऑनलाईन ट्रैकिंग, ऑनलाईन स्वीकृति/अस्वीकृति एस एम एस तथा ईमेल सतर्कता।

ख) जी 2 बी मॉडल के अन्तर्गत 24x7 पूरे सप्ताह भर में निजि क्षेत्र के पेशेवरों के लिए अपने मामलों को अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है। निजि क्षेत्र के पेशेवरों के लिए एक डैशबोर्ड उपलब्ध करवाया गया है जो अपने ऑनलाईन कार्य के लिए एक डिजिटल संग्रह प्रदान करता है।

ग) जी 2 जी मॉडल, जहां प्रथम स्तर अधिकारी से अंतिम स्वीकृति प्राधिकारी तक प्रवाह की पूरी प्रक्रिया वेब आधारित है। विभिन्न प्रकार की वास्तविक समय विवरणों के निर्माण के लिए एम आई एस की एक सुदृढ़ प्रणाली बनायी गई है।

रियल एस्टेट नियामक अधिनियम (आर.ई.आर.ए.)

राज्य में रियल स्टेट विनियामक प्राधिकरण का गठन 2019 में किया गया है जिसने शिमला में कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

आवास परियोजनाओं और अनुमानित लागत की सूची

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (₹करोड़)
1.	'अपना घर आवास योजना' के अन्तर्गत् भगवती नगर खलिनी, शिमला में आवासीय परियोजना को विकसित करना।	365.00
2.	'अपना घर आवास योजना' के अन्तर्गत् कुल्लू और मनाली में आवासीय परियोजना को विकसित करना।	250.00
3.	'अपना घर आवास योजना' के अन्तर्गत् धर्मशाला में आवासीय परियोजना को विकसित करना।	600.00
4	'अपना घर आवास योजना' के अन्तर्गत् चायल में आवासीय परियोजना को विकसित करना।	200.00
5	शिमला में मै0 वरनाला बिल्डर्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटिड द्वारा शॉपिंग माल का निर्माण करना।	30.00
6	कसौली में मै0 अरविन्दा ग्रीन्स डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटिड द्वारा मकान/फ्लैट और वाणिज्यिक इकाईयों से युक्त एक आवास परियोजना का निर्माण करना।	400.00
7	'अपना घर आवास योजना' के अन्तर्गत् सोलन शहर में मै0 एनजी एस्टेट द्वारा आवास परियोजना को विकसित करना।	300.00
8	'अपना घर आवास योजना' के अन्तर्गत् मै0 वरनाला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटिड द्वारा आवासीय परियोजना को विकसित करना।	300.00
9	'अपना घर आवास योजना' के अन्तर्गत् मै0 सिंगला बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स लिमिटिड द्वारा सोलन में आवास परियोजना को विकसित करना।	400.00
10	'अपना घर आवास योजना' के अन्तर्गत् मै0 सिंगला बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स लिमिटिड द्वारा मण्डी में आवास परियोजना को विकसित करना।	300.00
11	'अपना घर आवास योजना' के अन्तर्गत् मै0 सिंगला बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स लिमिटिड द्वारा हमीरपुर में आवास परियोजना को विकसित करना।	250.00
12	भराड़ी शिमला में मै0 आकाश रियलिटी प्राईवेट लिमिटिड तथा आकाश पाईनवुड एस्टेट द्वारा घरों/फ्लैटों और वाणिज्यिक इकाईयों से युक्त आवास परियोजना का निर्माण।	566.00

13	सिंगापुर कॉपरेशन एंटरप्राइज द्वारा शिमला में स्मार्ट इंटीग्रेटेड आवासीय परिसर का विकास।	450.00
14	मै0 ए टी एस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटिड द्वारा मशोबरा में आवासीय परिसर का निर्माण।	500.00
15	मै0 हि.प्र. रिसॉरट कारपोरेशन प्रा0 लिमिटिड द्वारा चायल में आवास परियोजना।	50.00
16	शिमला में मैं0 हिमाचल एस्टेट द्वारा आवास परियोजना।	320.00
17	कसौली में लगजरी हाऊसिंग प्रोजेक्ट रियल एस्टेट द्वारा आवास परियोजना ।	150.00
18	ऊना तथा सोलन में मै0 सी एस ए इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटिड द्वारा आवासीय परियोजना।	100.00
19	ऊना, शिमला तथा धर्मशाला में मै0 अंबॉल इंडिया प्राईवेट लिमिटिड द्वारा आवासीय/ वाणिज्यिक परिसर की स्थापना।	5000.00
20	बद्दी में मै0 हिमलैंड रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटिड द्वारा हिमसिटी आवासीय परियोजना।	120.00
21	सोलन में मै0 अमरनाथ अगरवाल कालोनरी सेक्टर लिमिटिड द्वारा फ्लैटों, होटल, रिसॉर्ट्स तथा स्कूल का निर्माण।	110.00
22	बद्दी में मै0 अमरनाथ अग्रवाल विल्र्डस प्राईवेट लिमिटिड द्वारा आवासीय मकान और वाणिज्यिक दुकानें, भूखंड, शोरुम और फ्लैट का निर्माण।	55.00
23	परवाणू में मै0 मार्स होमलैंड प्राईवेट लिमिटिड द्वारा वाणिज्यिक परियोजना का निर्माण।	100.00
24	धर्मशाला, सोलन तथा शिमला में मै0 डेवलपर्स ग्रुप प्राईवेट लिमिटिड द्वारा एकीकृत नगर निर्माण।	750.00
25	सराहन जिला सिरमौर में मै0 श्री वाला जी विल्र्डस द्वारा लगजरी कॉटेज तथा विला निर्माण।	18.00
26	कुमारहट्टी में मै0 एस एस आर एन इंफ्राकान एल एल पी द्वारा आवासीय परियोजना का निर्माण।	33.50
27	कांगड़ा शिमला तथा हमीरपुर में मै0 हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय टाऊनशिप का निर्माण।	100.00
28	राजगढ़ में मै0 टी एच एस ई वेलनेस विला द्वारा 125 वेलनेस विला निर्माण।	30.00
29	कण्डाघाट में मै0 स्काईवुड लगजरी विला द्वारा लगजरी विला तथा अपार्टमेंट का निर्माण।	45.00
30	ब्लदयां में मै0 देवभूमि एन्क्लेव प्राईवेट लिमिटिड द्वारा आवास तथा आतिथ्य गृह निर्माण।	65.00
31	जुन्गा शिमला में ई ईसी कंस्ट्रक्शन सप्लाइज प्राईवेट लिमिटिड द्वारा रिवर व्यू विला का निर्माण।	10.00
32	धर्मशाला में मै0 विरमला प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटिड द्वारा आवासीय परियोजनां का निर्माण।	37.00
33	शोघी शिमला में मै0 प्रिस्टिन होटल्ज एंड रिजार्ट प्राईवेट लिमिटिड द्वारा आवासीय परियोजना का निर्माण।	50.00
	कुल योग	**12054.5**

सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी

16 अध्याय

सूचना एवं प्रौद्योगिकी

हिमस्वान

16.1 राष्टीय ई–शासन योजना के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा (डी.आई.टी.एच.पी.) हिमस्वान नामक सुरक्षित नेटवर्क बनाया गया। हिमस्वान ब्लाक स्तर तक सभी राज्य सरकार के विभागों के लिए सुरक्षित नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करता है। हिमस्वान को कुशलतापूर्वक विभिन्न इलैक्टोनिक सेवाऐं जी.टू.जी.(सरकार से सरकार),जी.टू.सी.(सरकार से नागरिक), जी.टू.बी.(सरकार से व्यापार) सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूरे राज्य में 2,117 सरकारी कार्यालय हिमस्वान नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा केन्द्र (एच.पी.एस.डी.सी.)

16.2 राष्टीय ई–शासन योजना (एन.ई.जी.पी.) के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नागरिकों के लाभ के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी की सेवाओं का प्रयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य डाटा सेंटर की स्थापना प्रक्रिया में है। विभिन्न सरकारी विभागों के ऐपलिकेशनों की मेजबानी करने तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए आम बुनियादी ढांचा तैयार करना है।

लोकमित्र केन्द्रों की स्थापना

16.3 इस योजना का उद्देश्य राज्य के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपकरणों का उपयोग करके एक समन्वित तरीके से राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर लोक मित्र केन्द्रों की स्थापना करना तथा ग्रामीण नागरिकों को सरकारी, निजी तथा सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं सीधे घर द्वार पर उपलब्ध करवाना है। लोक मित्र केन्द्र ग्राम स्तर पर राज्य के नागरिकों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी(आई.सी.टी.) सेवाओं को उपयोगकर्ताओं तक सीधे पहुंचा रहे है। वर्तमान में कुल 3,701 कामन सर्विस सेंटर स्थापित हैं जो जी.टू.सी. सेवाएं प्रदान कर रहे है जैसे कि बिजली बिल का संग्रह, राजस्व– जमाबन्दी तथा कई अन्य सेवाएं।

एन.ई.जी.पी. के अंतर्गत क्षमता निर्माण

16.4 भारत सरकार की क्षमता निर्माण परियोजना के अंतर्गत् विभिन्न घटकों में जैसे कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य सरकार की विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोजनाओं को तकनीकी व व्यवसायिक जनशक्ति उपलब्ध करवाने में सहायता प्रदान कर रहा है। SeMT के अन्तर्गत तकनीकी संसाधन को NeGD के माध्यम से तैनात कर दिया गया है तथा राज्य स्तर पर डिजिटल लॉकर, Open Forge पर

कार्यशाला तथा प्रशिक्षण, आयोजित किया गया।

राजस्व न्यायालय मामला निगरानी प्रणाली (आर.सी.एम.एस.)

16.5 राजस्व न्यायालय मामले की निगरानी प्रणाली, जिला, मण्डल और तहसील स्तर पर राजस्व न्यायालयों के उपयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रणाली द्वारा राजस्व अदालतों की कार्यवाही अन्तरिम आदेशों/ निर्णयों को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय 282 राजस्व न्यायालयों में आर.सी.एम.एस.सॉफ्टवेयर का उपयोग हो रहा हैं तथा 83,603 अदालती मामले आर.सी.एम.एस. में दर्ज किए गए है।

अद्वितीय आई.डी. (आधार)

16.6 आधार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में दिसम्बर, 2010 में शुरु किया गया था और तब से राज्य सरकार ने आधार बनाने में अग्रणी स्थान बनाए रखा है। राज्य में 73,84,022 निवासी (अनुमानित जनसंख्या 2019) के अनुसार हैं। 78,41,393 के यू.आई.डी. (106.19 प्रतिशत) बनाये गये हैं। आधार के डाटाबेस के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 98.40 प्रतिशत, मनरेगा में 97.39 प्रतिशत, शिक्षा में 99.90 प्रतिशत, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में 90.00 प्रतिशत, एल.पी.जी. में 91.79प्रतिशत, चुनाव में 71.71 प्रतिशत और ई.पी.एफ. में 35.32 प्रतिशत तक आधार सीडींग कर दी गई है।

ई–कार्यालय

16.7 ई–कार्यालय का उद्देश्य है अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सरकारी लेन–देन सरकार के मध्य व सरकारों के साथ करना है। निम्नलिखित विभागों में ई–कार्यालय कार्यान्वयन प्रक्रिया में हैः–

- ई–ऑफिस के अन्तर्गत 46 विभाग मैप किए गए।
- ई–ऑफिस के अन्तर्गत 1,837 उपयोगकर्त्तामैप किए गए।
- ई–ऑफिस में 12,423 फाइलें बनाई गई हैं।
- ई–ऑफिस पर प्रशिक्षण विभिन्न विभागों को नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।

ई–जिला

16.8 ई–जिला परियोजना एक मिशन मोड़ (एम.एम.पी.) परियोजना है जिसका उद्देश्य एकीकृत नागरिक केन्द्रित सेवाएं प्रदान करना, जिला प्रशासन द्वारा नागरिक सेवाओं के एकीकरण और सहज वितरण कार्य प्रवाह से स्वचालन, बैकेन्ड कम्पयूटरीकरण, डाटा डिजिटलीकरण की विभिन्न विभागों द्वारा परिकल्पना की गई है। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत् निम्नलिखित गतिविधियां पूरी कर ली गई हैंः–

1. सभी 12 जिलों में 62 ई–सेवाओं को ई–जिलों में आरम्भ कर लिया है।
2. एम./एस. टैरासिस्स टैक्नोलोजी लिमिटिड को डिस्ट्रिक मि''ान मोड परियोजना के राज्य न्यायी शेल ऑउट के लिए (सिस्टम इंटीग्रेटर) रुप में चयनित किया गया है।

3. सभी 12 जिलों के विभागीय स्थानों में हार्डवेयर भिजवाना।
4. ई– डिस्ट्रिक के साथ यू.आई.डी.ए.आई. (आधार), एस.एम.एस गेटवे, भुगतान गेटवे, भू–अभिलेख, ई–परिवार, बी.पी.एल., सी.आर.एस. और लोक सेवा गारंटी (पी.एस.जी.) का एकीकरण पूर्ण हो गया है।
5. विभिन्न विभागों के अतिरिक्त 50 जी.टू.सी. सेवाएं ई–जिला के तहत एस.आई. को विकसित करने के लिए दी गई है।
6. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राजस्व विभाग की सेवाओं के लिए नए भुगतान गेटवे के एकीकरण का कार्य शुरू कर दिया है।

प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण (डी.बी.टी.) योजना

16.9 प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण (डी.बी.टी.) लोगों को सीधे सब्सिडी स्थानांतरित करने का कार्यक्रम है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकार द्वारा प्रायोजित धन के वितरण में पारदर्शिता लाना और हेर–फेर को समाप्त करना है। प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण योजना के तहत 56 योजनाओं के तहत ₹4,043.99 करोड़ रूपये सफलतापूर्वक लाभार्थियों के आधार सक्षम बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए हैं। कुल 185 (91 केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं और 94 राज्य प्रायोजित योजना) भारत डीबीटी पोर्टल पर चालू की गई हैं और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सभी राज्य सरकार के विभागों से अतिरिक्त योजनाओं की पहचान करने की प्रक्रिया कर रहा है।

- 34 विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ₹1,067 करोड़ की कुल राशि ₹61.00 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को वितरित किया है।

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन 1100

16.10 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाईन नागरिकों के लिए सतत रूप से जुड़ने और नागरिक कॉल सेंटर और अन्य उपयुक्त माध्यमों से हेल्पलाईन की सुविधा प्रदान करने का प्रयास है जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए नागरिकों की सेवा करता है।

- शिकायत पंजीकरण।
- नागरिकों से सुझाव और मांगों को लेना।
- सरकारी योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करना।
- शिकायतों का समय पर समाधान करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दी जाती है।

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की स्थिति इस प्रकार से है:

राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सी.एम. हेल्पलाईन परियोजना को लागू किया है। राज्य में टोल फ्री नंबर 1100 पर डायल करके नागरिक कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उनकी कॉल को पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकृत किया जाता है और शिकायत के समाधान तक उसी पर नज़र रखी जाती है। शिकायतकर्ता से पुष्टि होने के बाद ही सॉफ्टवेयर में शिकायत को बंद किया जाता है।

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन की स्थिति इस प्रकार है:

31 दिसम्बर, 2019 तक कुल 74 विभागों को सी.एम. सेवा संकल्प हेल्पलाईन के साथ मैप किया गया है। कुल 1,77,231 कॉल प्राप्त हुई तथा प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या 43,633 है।

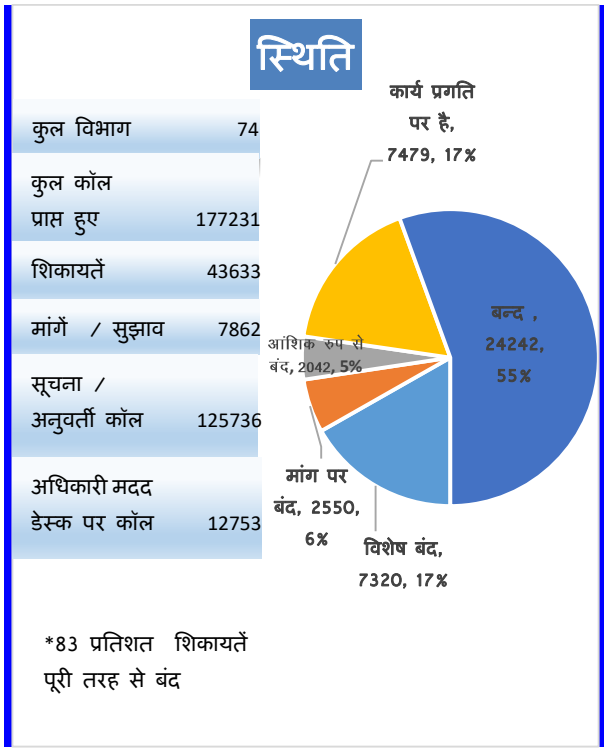

डिजिलॉकर

16.11 डिजिलॉकर दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को डिज़िटलरूप से जारी करने और सत्यापन के लिए एक क्लाउड आधारित मंच है।

राज्य भर में 11 विभागों में डिजिकॉलर लागू किया गया है, जिसमें से खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना, बागवानी विभाग, परिवहन विभाग, पंचायती राज विभाग, आयुर्वेदा विभाग आदि है।

भारतनेट

16.12 भारतनेट देश की ग्राम पंचायतों की ब्रॉडबैड सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण संपर्क योजना है जिसको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जाना है। भारतनेट परियोजना की स्थिति इस प्रकार से है:

- हमीरपुर (नदौन, सुजानपुर टिहरा, बिझड़ी, बमसन), मण्डी (सैराज) और सोलन (नालागढ़) के 6 ब्लाकों में 207 ग्राम पंचायतों को भारतनेट प्रथम चरण में इस परियोजना के तहत हाई स्पीड इंटरनेट बैंडविडथ के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। 170 ग्राम पंचायतों को आगामी वाई–फाई चौपाल परियोजना के तहत लोगों को वाई–फाई कनैक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं।
- 153 दूरस्थ ग्राम पंचायतों को वीसैट लिंक का उपयोग करके जोड़ा जा रहा है। अब तक, 88 स्थानों में से सामग्री भेजी गई है, जिसमें से 30 स्थानों को लाइव किया गया है जिसमें लाहौल और स्पिति में 14 ग्राम पंचायत, चंबा में 13 ग्राम पंचायत और किन्नौर जिले में 3 ग्राम पंचायत शामिल हैं।
- इसके अलावा, अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मैसर्स रिलायंस जियो ने लाहौल और स्पिति में 42 बीटीएस

की योजना बनाई है, जिसमें से 11 बी.टी.एस. लाइवस्थापित किए गए है दूरस्थ क्षेत्रों के लोग अब उच्च गति की इंटरनैट सुविधा के साथ–साथ दूरसंचार सुविधा का उपयोग करने में सक्षम हैं।

हिमाचल प्रदेश माईगव(HP MyGov)

16.13 माइगव प्रौद्योगिकी की मदद से राज्य के विकास एवं विकासकर्त्ता के लिए सरकार के बीच एक सांझेदारी है। इस अनूठे मंच का उद्देश्य राज्य सरकार के साथ नागरिक भागीदारी तथा नागरिक के साथ सरकार की भागीदारी को बढ़ाना है। माईगव हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके विचारों, सुझावों और प्रतिक्रिया को संप्रेषित करने में सहायता करता है। राज्य सरकार रचनात्मक विचारों को उचित रूप देती है तथा राज्य और देश की बेहतरी के लिए अन्य सभी योगदानों का समन्वय करती है। हिमाचल प्रदेश माइगव की स्थिति इस प्रकार से हैः–

राज्य सरकार ने 6 जनवरी, 2020 को नागरिक जुड़ाव मंच MyGov Himachal(http://himachal-mygov-in) लॉन्च किया है।

नई पहल

16.14 राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल की गई हैः

- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक स्मार्ट (सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी) सरकार बनाया है।
- राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित उद्योगों के विकास के लिए एकल खिड़की सुविधा के रूप मे औद्योगिक विकास विंग की स्थापना की हैं।
- सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क की स्थापनाः राज्य सरकार ने शिमला, सोलन, हमीरपुर, बददी, परवाणु, कुल्लू, मण्डी और धर्मशाला में उच्च तकनीक वाले आवास स्थापित किये है। चरणबद्ध तरीके से राज्य में अनेक स्थानों पर हाईटेक आवास बनाये जा रहे है और भारत के आई.टी. मंत्रालय के सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क ने एक सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क और हाईस्पीड डेटा कनेक्टिीविटी सुविधा शिमला में स्थापित की हैं।
- टेलीमेडिसिनः इस कार्यक्रम से पी.एच. सी. स्तर पर भी आम लोगों को विशेषज्ञों की पहुँच प्रदान करके राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं मे सुधार किया हैं।